त्रयोदश माला, खंड 32, अंक 11

सोमवार, 3 मार्च, 2003

12 फाल्गुन, 1924 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 20/1/04

(खण्ड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)

अंक 11, सोमवार, 3 मार्च, 2003/12 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 166	2-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 167 से 180	34-69
अतारांकित प्रश्न संख्या 1664 से 1893 .	69-425
सभा पटल पर रखे गए पत्र .	426-430
राज्य सभा से संदेश	430-431
लोक लेखा समिति	
तैंतालीसवां, चौंवालीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन .	431
कार्य मंत्रणा समिति	
सैतालीसवां प्रतिवेदन	432
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) बजट में उर्वरकों और डीजल के मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, के बारे में	432-450
(दो) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न भागों में रायगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के कथित उत्पीड़न के बारे में	450-453
सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	458-459
सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण ...	459-460
नियम 377 के अधीन मामले	461-467
(एक) मध्य प्रदेश में अफीम की फसल को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य में एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	461

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	महाराष्ट्र में जलगांव रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई. जी. महाजन	461-462
(तीन)	वकीलों के हड़ताल करने के अधिकार को गैर–कानूनी घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने की आवश्यकता	
	डा. महेन्द्र सिंह पाल	462
(चार)	केरल हाई–टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी. एस. शिवकुमार	462-463
(पांच)	भारतीय निर्माण उद्योग को अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	463-464
(छह)	पशुपालन के विकास के लिए अधिक धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	464
(सात)	महाराष्ट्र में अचलपुर–मूर्तिजापुर–यवतमाल छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त गुढे	464-465
(आठ)	उत्तर प्रदेश में मऊ में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेन्ट माइक्रोआर्गेनिज्म को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	465
(नौ)	तमिलनाडु में रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेद्दानायकन पलायनी कस्बे को इंटीग्रेटेड स्माल एंड मीडियम टाउनशिप डेवलेपमेंट स्कीम में सम्मिलित किए जाने तथा उनके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. वी. सरोजा	465-466
(दस)	पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में रानीनगर रेलये जंक्शन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	466-467
(ग्यारह)	पश्चिम बंगाल में उत्तरी माल्दा के चंचल सबडिवीजन के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता	
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	467
सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		
और		
सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक		467-510
विचार करने के लिए प्रस्ताव		470

विषय	कॉलम
श्री प्रबोध पण्डा .	468, 470-472
श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन	472-473, 505-510
श्री प्रियरंजन दासमुंशी. . .	473-478
श्री अनादि साहू	478-483
श्री रूपचन्द पाल	483-486
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	486-489
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	489-495
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह .	495-498
श्री शीशराम सिंह रवि	498-501
श्री बिक्रम केशरी देव . .	501-503
श्री चन्द्रकान्त खैरे	503-504
खण्ड 2 से 4 और 1	508-510
पारित करने के लिए प्रस्ताव	510
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	510-542
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	510-523

लोक सभा

सोमवार, 3 मार्च, 2003/12 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 161–श्रीमती निवेदिता माने।

(व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को संसद की तरफ से बधाई देनी चाहिए। भारतीय टीम के सुपर–सिक्स में पहुंचने पर उसे बधाई देनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने जो 12000 रन पूरे किए हैं, उस पर भी उसे संसद की तरफ से हमें बधाई देनी चाहिए और पूरी टीम का स्वागत किया जाना चाहिए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, जिस जोरदार ढंग से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत हुई है, उस पर उसे बधाई और शुभकामनाएं हमारी ओर से और पूरे सदन की ओर से दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, आप कृपया पाकिस्तानी टीम पर भारतीय क्रिकेट टीम की विजय के लिए सदन की ओर से टीम को बधाई दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बड़ी संख्या में सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार विजय के लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए।

"जैसाकि माननीय सदस्यगणों को मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध उल्लेखनीय जीत हासिल की है।

सभा भारतीय क्रिकेट टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देती है और विश्व कप के शेष मैचों में उनकी सफलता के लिए कामना करती है।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीत गया और कांग्रेस भाजपा से जीत गई है।

श्री जे. एस. बराड (फरीदकोट) : अध्यक्ष जी, डीजल और फर्टिलाइजर पर इतनी ज्यादा बढोत्तरी की गई है।... *(व्यवधान)* मैंने उस पर एडजर्नमेंट मोशन दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं।.. *(व्यवधान)* सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैं आपको जीरो–आवर में अलाऊ करूंगा।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन

+

***161. श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री चन्दनाथ सिंह :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के सृजन हेतु नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान देश में राज्य–वार कितनी नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ दिए गए प्रोत्साहनों के फलस्वरूप कितनी नई इकाइयों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत नई औद्योगिक यूनिटों के लिए मार्जिन मनी (एम.एम.) के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ख) देश में वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान राज्य–वार नई औद्योगिक यूनिटों की संख्या संबंधी ब्यौरा अनुबंध में प्रस्तुत है।

(ग) वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 में जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया उनकी संख्या क्रमशः 3.50 लाख तथा 3.43 लाख है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत लगभग 30,000 नई यूनिटें स्थापित करने का लक्ष्य है।

(ङ) लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर समितियां नियमित रूप से कार्यक्रम का क्रियान्वयन मोनीटर करती हैं।

अनुबंध

वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा राज्य–वार नई औद्योगिक यूनिटें जिन्हें प्रोत्साहित प्रदान किए गए, उनकी संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5388	797
2.	अरुणाचल प्रदेश	202	5
3.	असम	120	199
4.	बिहार	155	37
5.	गोवा	837	482
6.	गुजरात	356	83
7.	हरियाणा	2078	511
8.	हिमाचल प्रदेश	250	594
9.	जम्मू–कश्मीर	2471	790
10.	कर्नाटक	3083	1311
11.	केरल	1601	1432
12.	मध्य प्रदेश	6038	1049
13.	महाराष्ट्र	6354	2564
14.	मणिपुर	359	11
15.	मेघालय	623	157
16.	मिजोरम	302	09
17.	नागालैंड	4119	162
18.	उड़ीसा	199	619
19.	पंजाब	3215	1118
20.	राजस्थान	3735	2647
21.	सिक्किम	30	0
22.	तमिलनाडु	1629	598
23.	त्रिपुरा	20	25
24.	उत्तर प्रदेश	7745	1863
25.	पश्चिम बंगाल	781	2892
26.	अंडमान और निकोबार	25	50
27.	दिल्ली	37	31

1	2	3	4
28.	चंडीगढ़	–	119
29.	दादरा और नगर हवेली	06	1
30.	पांडिचेरी	59	6
31.	लक्षद्वीप	–	1
32.	दमन और दीव	–	–
33.	छत्तीसगढ़	79	191
34.	झारखंड	6	139
35.	उत्तरांचल	44	269
	योग	53919	20767

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष जी, देश की अर्थव्यवस्था में खादी एवं ग्रामोद्योग का विशेष स्थान है। इसे देखते हुए सरकार राज्यों को खादी एवं ग्रामोद्योग विकास के लिए धन आवंटित करने हेतु क्या मापदंड अपना रही है? क्या सरकार इस आवंटन में भेद–भाव की नीति अपना रही है? मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि इस संबंध में महाराष्ट्र में सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कारगर कदम उठाए हैं?

श्री संघप्रिय गौतम : आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार किसी भी राज्य के साथ किसी प्रकार का कोई भेद–भाव नहीं कर रही है। जहां तक राज्यों को धन के आवंटन का प्रश्न है, सरकार यह देखती है कि वहां कितनी यूनिट्स हैं, उनमें से कितनी काम कर रही हैं, कितने धन की उनको आवश्यकता है, कितना प्रोडक्शन है, वहां कितनी सेल है तथा कितने आदमी उस काम में लगे हुए हैं। इन सभी बातों का आकलन करके सरकार राज्यवार धन का आवंटन करती है।

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष जी, सरकार ने इस प्रयोजनार्थ गुजरात को 12 करोड़ रुपये दिए परंतु महाराष्ट्र को 3 करोड़ 51 लाख रुपये दिए। हरियाणा जैसे छोटे राज्य को 5 करोड़ रुपये दिए हैं और हिमाचल प्रदेश को 3 करोड़ 86 लाख रुपये दिए हैं। अगर यह भेद–भाव नहीं है तो क्या है?

श्री संघप्रिय गौतम : अध्यक्ष जी, जहां इकाइयां ज्यादा हैं और काम ज्यादा होता है, उन राज्यों को धन ज्यादा मिलेगा और जहां इकाइयां कम होंगी, लोग काम में कम लगे होंगे, उसी रेश्यो में धन का आवंटन होता है। इसके अलावा धन आवंटन का सरकार का कोई और क्राइटेरिया नहीं है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, खादी एवं ग्रामोद्योग की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नियमों का दुरुपयोग किया जाना एक आम बात हो गई है। इस बात को केवीआईओ ने भी उजागर किया है। निधियों का दुरुपयोग ऑफिसरों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में इस तरह निधियों के दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आए हैं, कौन–कौन से लोग उसमें शामिल पाए गए तथा भविष्य में निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भाग (क) में आपने लिखा है कि

[अनुवाद]

श्री संघप्रिय गौतम : मुझे उनके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने दीजिए उसके बाद आप अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है कि कुल मार्जिन मनी आप एक उद्योग को कितना देते हैं और उसका क्या मापदंड आप अपनाते हैं? राज्यों में यूनिट्स के हिसाब से कुल कितना धन आपने दिया है? राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा जिस तरह धन का दुरुपयोग हो रहा है, क्या उसकी जानकारी मंत्री महोदय लेते हैं या नहीं? क्या यह बात सही है कि जो धन राज्य सरकार को दिया जाता है, वह धन पार्क बनाने में लगाया जा रहा है, किसी यूनिट को वास्तव में नहीं दिया जा रहा है–यूनिट कागज पर चले रहे हैं?

श्री संघप्रिय गौतम : महोदय, प्रश्न एक नहीं पूछा गया है, एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं। इनमें से कुछ का जवाब में 'हां' में दूंगा, कुछ प्रश्न के जवाब 'नहीं' में दूंगा और कुछ प्रश्नों के जवाब मैं विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मेरे जवाब को गलत न समझा जाए।

महोदय, इस प्रकार की धांधली पूरे देश में कहीं–न–कहीं से प्रकाश में आती है और उसका निराकरण करने के लिए

सरकार कदम उठाती है। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यूनिट लगाना चाहता है, तो वह बैंक के पास जाता है। सिस्टम में कई बार परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन देखने में यह आया है कि मार्जिन–मनी बैंक के पास जमा करा दी जाती है और बैंक ने सीधे मार्जिन–मनी केवीआईसी से मांगी, लेकिन देखा जाता है कि वास्तव में यूनिट एक्जिस्ट नहीं है और मार्जिन–मनी ले ली गई। इसकी जांच की गई और जांच के दौरान दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा जो पैसा उन्होंने लिया था, उसको वापिस ले लिया गया। कभी–कभी ऐसा भी होता था, जैसे उत्तर प्रदेश में बैंक के अधिकारी या डायरेक्टर मार्जिन–मनी में शेयर लेने के लिए केस को सर्टिफाई कर देते थे। इसकी भी जांच की गई और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर माननीय सदस्य इसका विवरण चाहेंगे, तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मैं विवरण चाहूंगा।

श्री संघप्रिय गौतम : मैं वह विवरण उपलब्ध करा दूंगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता था कि कुल कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई? कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसकी जानकारी बाद में भेज दें।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का अभिवादन करता हूं।

श्री संघप्रिय गौतम : धन्यवाद।

श्री सन्तोष मोहन देव : लेकिन मैंने देखा है कि आप राज्य सभा में सबसे अधिक बोलने वाले सदस्यों में से एक थे। मंत्री के रूप में, आप काफी सक्रिय हैं। आप मुझे अपने प्रश्न पूछने दीजिए और उसके बाद आप उनके उत्तर दीजिए।

महोदय, खादी और ग्रामोद्योग उन उद्योगों में से एक है जो ग्रामीण लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों के साथ–साथ बेकार पड़े हुए विभिन्न उत्पादों के प्रयोग करने को प्रोत्साहन देने में मदद करता है। मैंने स्वयं इसी समिति के सदस्य के रूप में केरल के दौरे के दौरान यह बात देखी है। केरल में यह एक सुगठित संगठन है। असम में भी यह संगठन जोर पकड़ता जा रहा है। क्या इस मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के पश्चात आपने उन क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया है जहां असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि निवेश करने और रोजगार को प्रोत्साहन देने के प्रचुर अवसर हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को पैकेज दें।

श्री संघप्रिय गौतम : यह सुझाव स्वागत योग्य है और इसे नोट भी कर लिया है। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है मेरे मंत्रालय और मेरी सरकार को भलीभांति जानकारी है और इसके प्रति अत्यन्त सचेत भी हैं और हमने पूर्वोत्तर राज्यों में खरीदारी ग्रामोद्योग के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही विशेष कदम उठाए भी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मार्जिन मनी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। वहां आयु संबंधी मापदंड की शर्त में भी ढील दे दी गई है। हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, हम उन्हें वित्तीय सहायता देते हैं, हम उनमें जागरूकता भी पैदा करते हैं। हम उन स्थानों पर जाते हैं जहां कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है। यदि वहां नई परियोजना को आरंभ करने की लाभप्रदता और संभाव्यता है तो हम उन लोगों को चुनने का प्रयास करते हैं जो ऐसी परियोजनाओं को चालू करने के लिए राजी होते हैं। तत्पश्चात उन्हें बैंकों में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है और बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उन्हें अग्रिम ऋण प्रदान करें। निस्सन्देह, मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उत्तर दोनों साथ होने चाहिए।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए आप जिस तरह मदद करते हैं, क्या वैसे ही क्या उनकी एफिशिएंसी, कॉम्पीटेटिवनैस और मार्किटिंग बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री संघप्रिय गौतम : पिछले कुछ दिनों के दौरान महोदय, कई संशोधन आए हैं और विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न सुझाव आए हैं।

सर्वप्रथम, इस दिशा में इस अधिनियम में 1988–98 में ही कई संशोधन किए गए थे।

दूसरे, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा

राव के नेतृत्व में जब उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें कई सुझाव भी दिए थे। तत्पश्चात, सभी राज्यों के उद्योग मंत्रियों के वर्ष 1997 और 1998 में दो सम्मेलन भी हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, उनका प्रश्न अत्यन्त विशिष्ट है।

श्री संघप्रिय गौतम : मैं उसी पर आ रहा हूं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग और मंत्रालय ने खादी और अन्य चीजों का आधुनिकीकरण करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या मैं आपको उनका प्रश्न दोबारा से बताऊं?

श्री संघप्रिय गौतम : मैंने उक्त प्रश्न समझ लिया है, महोदय, उन्होंने कहा है कि सरकार ने उन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। महोदय, मैं आपको उन दुकानों के आधुनिकीकरण उसके बाद कर्मकारों, डिजाइन और फैशन तकनीक को प्रोत्साहन देने के बारे में बता रहा हूं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बीमा योजना प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : वे निगरानी और विपणन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, आधुनिकीकरण और विपणन।

श्री संघप्रिय गौतम : महोदय, जहां तक विपणन का संबंध है हम समूह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समान सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहां तक बाजार का प्रश्न है हम इसे उचित प्रसार दे रहे हैं। हम प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। इन प्रदर्शनियों में इन उत्पादों को बेचते हैं और हम इन उत्पादों की बिक्री के लिए खादी भंडार भी लगाते हैं। मुंबई में 5000 बिक्री दुकानों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

श्री पी. एच. पांडियन : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित किया है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास कसेड़ों बेरोजगार नवयुवक हैं जिनमें जोश है और वे नए उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण चाहते हैं। महोदय, जब हम राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में दी गई मार्जिन मनी को देखते हैं तो पता चलता है कि वर्ष 2000-01 में तमिलनाडु में 1629 इकाइयां थीं। ये इकाइयां घटकर इस वर्ष 598 क्यों हो गई हैं? मैं तो कहूंगा कि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य कर्तव्य है कि वह सभी बेरोजगार नवयुवकों—सभी लोगों की गणना प्राप्त करने के लिए समार्हतालयों में केंद्र खोले जो नए उद्योग लगाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या आरएलईजीपी, जो केंद्र सरकार का रोजगार सृजन कार्यक्रम है, बेरोजगारी समस्या को रोकने अथवा निपटने के लिए पर्याप्त है?

श्री संघप्रिय गौतम : महोदय जहां तक इनके प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है कि तामिलनाडु में बाधा है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आरंभ में परियोजनाओं की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया गया था अब बड़ी परियोजनाएं भी लगाई जा रही हैं इसलिए अब इन बड़ी परियोजनाओं में पर्याप्त धनराशि का निवेश किया जा रहा है। यह पहली बात है। इसलिए परियोजनाओं की संख्या में कमी हुई है। इसीलिए अब अधिक धनराशि का निवेश बड़ी परियोजनाओं में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या आज भाजपा के लोग शोक दिवस मना रहे हैं? सारे लोग नदारद हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री संघप्रिय गौतम : आप तो खुश हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप देर से आए, इसलिए उन्हें दुख हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री संघप्रिय गौतम : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है तो ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मेरा मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार प्रदान करता है। यह कार्य मेरे मंत्रालय द्वारा किया गया है, लेकिन जहां तक केवीआईसी का संबंध है, यह खादी में अथवा ग्राम उद्योगों में रोजगार प्रदान करता है। यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

शीतागार संयंत्रों की स्थापना 10-16

162. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर–बागवानी वाले उत्पादों के लिए शीतागार संयंत्रों की स्थापना हेतु निजी उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शीतागार संयंत्रों हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान इस प्रयोजनार्थ जारी की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में गैर–बागवानी वाले उत्पादों के भंडारों को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नवीं योजना अवधि में गैर–बागवानी उपज के वास्ते 4 शीतागार संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी है। मंत्रालय द्वारा इन चार शीतागार संयंत्रों को कुल 125 लाख रुपये की सहायता दी गई है। वर्ष 2002–2003 में ऐसी अन्य दो परियोजनाओं को 75 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वास्ते 10वीं योजना परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसका एक पर्याप्त भाग बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए रखा गया है। बुनियादी विकास में बागवानी और गैर–बागवानी उपज के वास्ते एकीकृत कोल्ड चेन को मजबूत करने, मूल्यवर्धित केंद्रों की और अन्य फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणाली की स्थापना करना शामिल है। आशा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के विपणन को बढ़ावा मिलेगा।

श्री ए. ब्रह्मनैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रायः आम सहमति है कि देश में पैदा हुए खाद्यान्न को कम से कम 20 प्रतिशत खाद्य भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण सड़ जाता है।

जहां तक फलों, सब्जियों और कई अन्य उत्पादों का संबंध है बरबादी की मात्रा बहुत अधिक है। सरकार हमेशा कहती रही है कि यहां पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाएं अपर्याप्त ही हैं। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों में गैर–बागवानी उत्पादों के लिए अपेक्षित भंडारण के संबंध में आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

श्री एन. टी. चणमुगम : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं।

खाद्य प्रसंस्करण पर विपणन रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित बरबादी लगभग 8 प्रतिशत से 37 प्रतिशत है। इस बरबादी का कुल मूल्य लगभग 25,000 से 50,000 करोड़ रुपये वार्षिक बैठता है। मेरा मंत्रालय गैर–बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण और खाद्य पदार्थों के शीत भंडारण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाना दे रहा है और सहायता भी प्रदान कर रहा है। शीत भंडारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और वातावरणीय शीत भंडारण का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त हम खाद्य प्रसंस्करण नीति भी तैयार कर रहे हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सक्षम वातावरण सृजित करेगी।

हम कर ढांचे को भी तर्कसंगत बना रहे हैं। वर्ष 2001 और 2002 में फलों और सब्जियों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सीमा शुल्क में छूट दी गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार हम समेकित खाद्य कानून भी तैयार करने जा रहे हैं जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और पनपने में निस्सन्देह सहायता मिलेगी। अब जीओएम कानून तैयार करने के लिए गठित किया गया है। अब हम देश के विभिन्न भागों में खाद्य स्थापित कर रहे हैं जहां हमने शीत भंडारण सुविधाएं सृजित की हैं। इससे बरबादी में कमी होगी और सब्जियों, फलों और अन्य खाद्य उत्पादों का अधिक उपयोग होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उन्हें अगला अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए। आप अनुपूरक प्रश्न का उत्तर जारी रख सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, माननीय वित्त मंत्री इस विषय के बारे में बात करते रहे हैं। बजट और पूरी योजना में भी सिर्फ 1.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। यह अत्यंत ही छोटी राशि है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह कितनी छोटी राशि है और वे क्या राग अलाप रहे हैं।

श्री ए. ब्रह्मनैया : मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के शीतागारों के निर्माण के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को रियायती दरों पर कितनी धनराशि ऋण के रूप में दिलाने के लिए कहेगी?

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, हमारा मंत्रालय सवंर्धनकर्ता है। हम देश के विभिन्न भागों में शीतागार सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक ऋण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र है। इसलिए, यह गैर–सरकारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और गैर–सरकारी संगठनों का दायित्व है कि वे बैंकों से संपर्क करें। हम भी यहां उनकी मदद के लिए हैं, उन्हें सहायता देने के लिए हैं और इस तरह की शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए बैंकों को सहायता देने के लिए कहना है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, यह अवसर देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत में विशेषकर केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में नारियल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े कृषि उत्पादों में से एक है।

काफी पहले नारियल के मूल्यों में भारी कमी के कारण किसानों को जो नारियल क्षेत्र में निवेश करते हैं, को कष्ट झेलना पड़ा था।

महोदय, यहां वक्तव्य में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए दसवीं योजना परिव्यय में भारी वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय का कृषि आधारित अर्थात नारियल आधारित उत्पादों, विशेषकर खाद्य मदों और कच्चे नारियल पानी द्वारा उत्पादित पेयों के लिए भी, जो कि अत्यंत ही पोषक है के लिए प्रोत्साहन देने की योजना है? यदि सरकार ने किसी संयंत्र की परिकल्पना नहीं की है तो मैं यह जानना चाहती है कि क्या नारियल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्रों के किसी अनुरोध पर विचार किया जाएगा?

श्री एन. टी. षणमुगम : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सहायता दे रहा है।

किंतु जहां तक नारियल उद्योग का संबंध है, वे नारियल से मृदु जल तैयार कर सकते हैं। हम उसके लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। वे नारियल से पावडर भी बना सकते हैं। हम उसके लिए भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, उद्योग की स्थापना के लिए हम संयंत्र और मशीनों तथा तकनीकी और सिविल कार्य के लिए 25 प्रतिशत राजसहायता दे रहे हैं। हम सामान्य क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपये और उत्तरी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी उद्योगों की स्थापना के लिए 33.3 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपये दे रहे हैं। इसलिए, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अधिक बुनियादी संरचना का सृजन कर सकते हैं जो कि उनके कष्टों को कम करेगा।

श्री राजो सिंह : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है, उसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से नहीं आ रहा है। प्रश्न यह पूछा गया कि गैर–बागवानी और बागवानी क्षेत्र में जो कृषि संबंधित उत्पादन होता है, उसका ब्यौरा क्या है और उसकी कौन सी श्रेणी है। यह भी पूछा गया था कि आपने किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। आपने उत्तर में बताया है कि मात्र 125 लाख रुपये की सहायता की गई, इनके यहां इतनी ही व्यवस्था है। सारे भारतवर्ष में जो दो तरह का फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, उसे बढ़ावा देने के लिए आपको व्यवस्था करनी है। आपने इसके लिए क्या प्रबंध किया है? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो पुराने कोल्ड स्टोरेज हैं, क्या उनमें ही व्यवस्था करेंगे ताकि फल–सब्जियों के भंडारण की व्यवस्था हो जाए। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में आपकी क्या योजना है, वह भी सदन को बताने की कृपा करें। आप मोटी किताब लेकर आते हैं, वही पढ़ते रहते हैं। सवाल से आपको कोई मतलब नहीं लगता है।

[अनुवाद]

श्री एन. टी. षणमुगम : माननीय सदस्य का संबंध जो उत्तर दिया गया है सिर्फ उसी से है। मैंने सिर्फ गैर–बागवानी शीतागार संयंत्रों का उत्तर दिया है। इन चार शीतागार संयंत्रों के लिए मंत्रालय द्वारा दी गई कुल सहायता नौवीं योजना में 125 लाख रुपये थी। वर्ष 2002–03 में इस तरह की दो परियोजनाओं के लिए 75 लाख रुपये जारी की गई है। इसलिए, गैर–बागवानी उत्पादों के लिए कुल 2 करोड़ रुपये दी गई है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलतबयानी न करें। 75 लाख लिखा है, 75 करोड़ रुपये नहीं है। हमारे पास जो जवाब है, उसमें 75 लाख लिखा है। अगर 75 करोड़ रहता तो हम दूसरी तरह से प्रश्न पूछते या जवाब से संतुष्ट हो जाते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन. टी. चणमुगम : इसलिए, कुल मिलाकर हमने गैर–बागवानी उत्पादों के लिए 2 करोड़ रुपये दिया है। अब तक हमने 53 इकाइयों को सहायता दी है।

हमने 1486.91 लाख रुपये दिया है। इसलिए, अब नौवीं योजना में हमने 70,000 मीट्रिक टन की क्षमता का सृजन किया है। इस समय देश में उपलब्ध शीतागारों की संख्या 31.12.01 को 4146 है और इस समय उपलब्ध क्षमता 14.96 मिलियन टन है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पता नहीं कहां से पढ़कर जवाब दे रहे हैं। प्रश्न गैर–बागवानी वाले उत्पादों के लिए शीतागार संयंत्रों की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है और मंत्री जी फलों के बारे में जवाब दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मलयसामी।

श्री एन. टी. चणमुगम : बागवानी और गैर–बागवानी उत्पादों के लिए हमारे पास 4146 शीतागार हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मलयसामी मैंने तीन बार आपका नाम पुकारा है। आप अपना प्रश्न पूछने के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं?

श्री के. मलयसामी : महोदय, मैं एक सरल और सामान्य प्रश्न पूछूंगा ताकि इसका आसानी से उत्तर दिया जा सके। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यवार शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए संभावना के संदर्भ में संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया है?

यदि ऐसा है, कितने का दोहन किया गया है? मान लीजिए 100 प्रतिशत संभाव्यता है, क्या 1 प्रतिशत का दोहन किया गया है या 2 प्रतिशत का दोहन किया है? मेरे अनुसार, सिर्फ अत्यल्प संभाव्यता का दोहन किया गया है। यदि हां, तो क्या ऐसा वित्त के अभाव अथवा इच्छाशक्ति के अभाव के कारण है?

श्री एन. टी. चणमुगम : यह सच है महोदय, कि अत्यंत कम कच्चे माल का प्रसंस्करण किया गया है। खाद्य उत्पादों का सिर्फ लगभग 2 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया गया है। इसलिए, हम यहां शीतागारों की स्थापना के लिए संयंत्रों को सहायता देना राज्य के विभिन्न भागों में फूड पार्कों की स्थापना, जिससे कोई भी फूड पार्क शुरू कर सके, के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए माहौल बनाना भी है। हम शीतागार, भांडागार, गोदाम, विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, और सामान्य अपशिष्ट जल शोधन के स्थापना के लिए फूड पार्कों के लिए 4 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम राज्य के सभी क्षेत्रों में सामान्य बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। इसलिए, कोई भी आ सकता है और फूड पार्कों में उद्योग शुरू कर सकता है। उसके लिए हम 25 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सहायता दे रहे हैं।

दसवीं योजना कार्य दल ने यह मूल्यांकन किया है कि दसवीं योजना के लिए चार मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता थी और एक मिलियन टन के आधुनिकीकरण भी अनिवार्य हैं। इसलिए, हम खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वातावरण बना रहे हैं।

स्मारकों के निकट अतिक्रमण 16-23

***163. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहांपनाह की चारदीवारी जिसमें किला राय पिथौरा, लाल कोट और सीरी शहर सम्मिलित हैं, का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है जिससे चौदहवीं शताब्दी में बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए जहांपनाह के स्वरूप को ही समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त स्मारकों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले एक अथवा दो दशकों से दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर कई अतिक्रमण होते रहे हैं जिनमें किला राय पिथैरा, जहांपनाह, सीरी, तुगलकाबाद, लालकोट इत्यादि से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। जबकि अतिक्रमणों को हटाने का मूल उत्तरदायित्व दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य स्थानीय एजेंसियों का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/संस्कृति विभाग की भी एक भूमिका प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार "निषिद्ध" अथवा 'विनियमित" क्षेत्र में अतिक्रमणों को रोकने के संबंध में है। संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर की दूरी तक और इसके आगे 200 मीटर तक संरक्षित स्मारकों के निकट अथवा उससे संबद्ध क्षेत्र क्रमशः निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जहां तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/संस्कृति विभाग द्वारा कानून के तहत की जाने वाली कार्रवाई का संबंध है, स्मारकों को अतिक्रमणों से मुक्त कराने का अभी हाल में एक अभियान चलाया गया है। लालकोट/किला राय पिथौरा को अधिकांश अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है और उसे मूलतः सुधार लिया गया है और उसका परिरक्षण किया गया है। इसी प्रकार, तुगलकाबाद क्षेत्र से काफी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और परिसर को सुधार लिया गया है/परिरक्षित कर लिया गया है। मामलों में आगे सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि किला राय पिथौरा, जहांपनाह, सीरी, तुगलकाबाद और लालकोट इत्यादि में 10 से 20 वर्षों में एनक्रोचमेंट हुआ है लेकिन उसके बावजूद सरकारी महकमे में किस प्रकार से अपनी रेस्पांसिबिलिटी को दूसरे डिपार्टमेंट्स पर शिफ्ट किया जाता है, उसका एक यह उदाहरण है, जिसमें मंत्री महोदय आगे कहते हैं कि इन अतिक्रमणों को हटाने का मूल उत्तरदायित्व दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य स्थानीय एजेंसियों का है, मतलब अनेकों संस्थाओं की जिम्मेदारी है। अनेकों की जिम्मेदारी का मतलब होता कि किसी की जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद मंत्री महोदय का कहना है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार उनके विभाग की जिम्मेदारी है, यानी लिखित में, अधिनियम के अनुसार उनके विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन वे मुंहजुबानी कह रहे हैं कि अन्य विभागों की जिम्मेदारी है। यदि ऐसी स्थिति रही, तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरानी धरोहर, जिस पर हिंदुस्तान को गौरव है और कहा जाता है कि हमारा गौरवशाली और उज्ज्वल इतिहास रहा है, वे कैसे बचेंगी?

महोदय सभी चीजें साक्ष्य के रूप में हैं, उनका प्रोटैक्शन नहीं हो पा रहा है, मंत्री जी अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी न मानकर शिफ्टिंग आफ रेस्पांसिबिलिटी के सिद्धांत को अपनाकर, अपने मंत्रालय की बजाय, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जबकि वस्तुस्थिति यह है कि एक्ट के अनुसार उनके विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कुछ अतिक्रमण को हटाने का प्रयत्न किया है, कुछ हटा भी है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अभी वहां कितना एनक्रोचमेंट है और उसे हटाने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, माननीय सदस्य ने तीन भागों में प्रश्न पूछा है। पहला यह किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर यह दिया गया है कि यह नगरपालिका का प्राथमिक उत्तरदायित्व है क्योंकि कोई भी सबसे पहले नक्शे की मंजूरी के बिना कोई निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए, ये सभी अवैध निर्माण और कब्जा नगरपालिका अधिनियम के उल्लंघन में किए गए हैं। दूसरा, दि.वि.प्रा. भी इस रूप में उत्तरदायी है कि दि.वि. प्रा. द्वारा भू–प्रयोग विहित है, जोनिंग विनियम भी दि.वि.प्रा. द्वारा विहित किया जाता है और इसका उल्लंघन दि.वि.प्रा. द्वारा अभियोजित किया जा सकता है। इसके लिए दूसरा प्राधिकरण उत्तरदायी है। जो कुछ भी इस क्षेत्र में आता है दि.वि.प्रा. को उत्तरदायित्व लेना होगा।

जहां तक एनसिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्केलोजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट का संबंध है, कार्रवाई करने की सीमाएं हैं। यदि क्षेत्र संरक्षित समारक है और यदि यह संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर की परिधि के अंदर आता है तब यह निर्माण के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र है और कोई भी वहां निर्माण नहीं कर सकता है। किंतु यदि उन 100 मीटर से बाहर है, 200 मी. तक फिर यह विनियमित क्षेत्र है जहां अनुमति के साथ कुछ निर्माण को अनुमति दी जा सकती है। यह मामले के गुण–दोष पर आधारित है। इसलिए जो उत्तर दिया गया वह यह है कि प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 100 मीटर के अंदर आने वाले क्षेत्र में निर्माण के लिए अन्य संबंधित प्राधिकारियों के अतिरिक्त भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भी उत्तरदायित्व लिया जाना है, किंतु मैं विभाग के उत्तरदायित्व से बच नहीं रहा हूं।

मुद्दा यह है कि सभा में सब लोग जानते हैं कि गैर कानूनी निर्माण और अवैध निर्माण के संबंध में मेरा विचार क्या है जानते हैं। मैंने इसे अपने नागरिक जीवन में बड़ा कैंसर माना है। इसलिए, इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान बहुत सुधार हुआ है। उस क्षेत्र, जिसका मैंने हवाला दिया है, में लाल कोट क्षेत्र में हमने पूरी सफाई की है और एक अत्यंत ही सुंदर पार्क और किला राय पिथौरा विकसित किया गया है। एक पुरानी दीवार खोदी गई है और निकाली गई है और वहां पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाई गई है। संपूर्ण इतिहास का दस्तावेजीकरण किया गया है और वहां दस्तावेजीकरण केंद्र सह भाषान्तरण केंद्र सह–सूचना केंद्र बनाई गई है। अब इसके चारों ओर लगभग चार एकड़ में ग्रीन पार्क विकसित किया गया है। जहां साकेत कालोनी और इसके आसपास की कालोनियों के हजारों लोग सुबह टहलने जाते हैं। वह न सिर्फ भारत के ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं अपितु, वर्तमान उपयोगिताएं भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

दूसरे जहां तक तुगलकाबाद क्षेत्र का प्रश्न है, वहां से अत्यधिक अवैध कब्जे हटाए गए हैं और इस सभा में शहरी विकास मंत्री के रूप में मैंने कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया था कि तुगलकाबाद में ऐसा क्यों किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : आज सदन में श्री मदन लाल खुराना जी नहीं हैं।

श्री जगमोहन : आप तो सदन में मौजूद हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरा कहना यह है कि उस क्षेत्र में अत्यधिक अवैध कब्जे हटाए गए हैं। इस क्षेत्र को हरा–भरा बनाया गया है और यहां पर सुधार किया गया है।

लाल किले के बारे में भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा कि वहां हाल ही में काफी कार्य किया गया है। यदि आप तुगलकाबाद क्षेत्र में रात में जाएं तो आप देखेंगे कि तुगलकाबाद से सूरजकुंड तक हाल में त्यौहार के अवसर पर नए विकास कार्य किए गए हैं। हमने यहां प्रकाश की पूरी व्यवस्था की है। हमने प्रकाश व्यवस्था इसलिए की है ताकि आप देख सकें किस प्रकार का संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य किया गया है। तुगलकाबाद और लाल किला क्षेत्र के आस–पास हरित पट्टी विकास संबंधी कार्य किया गया है।

हम इसी प्रकार का कार्य हुमायूं के मकबरे पर कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में, जहां अत्यधिक निर्माण है, अत्यधिक कार्य शुरू किया गया है और 50 वर्षों के दौरान पहली बार हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में बावली की सफाई करने जा रहे हैं। ये सभी कार्य किए गए हैं। ये अवैध कब्जे गत 25 अथवा 30 वर्षों से हैं और अब हमने प्रमुख क्षेत्रों पर पहले ध्यान दिया है। ये प्रमुख क्षेत्र हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन, लाल किला, लाल कोट, किला राय पिथौरा और तुगलकाबाद हैं। इन सभी क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है। अन्य छोटी–मोटी त्रुटियां हैं और मैं आश्वासन देता हूं कि हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

मैंने उप राज्यपाल और पुलिस आयुक्त के साथ बैठक की है। उन सभी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे कार्यवाही करेंगे और पुलिस बल को सक्रिय करेंगे क्योंकि हम इन पर निर्भर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपका उत्तर रोचक और विश्वसनीय था लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया गया कि इतना अत्यधिक अवैध निर्माण अभी भी कैसे विद्यमान है। प्रश्न यह था।

श्री जगमोहन : यह सच है। ये अवैध निर्माण सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत किए गए हैं। अतः जहां तक हमारा संबंध है, जहां पथ में, विशेषरूप से इस परिधि के अंतर्गत लगभग कोई निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि पूरी दीवार संरक्षित स्मारक नहीं है। जहां पथ का केवल एक–तिहाई भाग संरक्षित है और अन्य क्षेत्र जो किला राय पिथौरा में है, केवल एक भाग ही संरक्षित है। अतः 100 मीटर के अंदर दो मामलों को छोड़कर जो उच्च न्यायालय में लंबित हैं हमने लगभग सभी अवैध निर्माणों को हटा दिया है। उच्च न्यायालय ने कोर्ट कमिशनर की नियुक्ति यह जांच करने हेतु की है कि क्या यह इस क्षेत्र में है अथवा नहीं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि इसमें कुछ भी अवैध होगा तो इसे हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी रुचि का इजहार किया है कि इन्हें धरोहर को बचाने में ज्यादा रुचि है, सदन उससे आश्वस्त होगा। इसके अलावा भी जहां कहीं हमारी धरोहर, इतिहास और संस्कृति है, उसकी सुरक्षा की जाए, एनक्रोचमेंट न हो। भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र अफगानिस्तान ले जाया गया था, दूसरी शताब्दी में कनिष्क द्वारा, उसके बारे में एक्स चीफ सैक्रेट्री श्री वसुदेव सोनी ने लेख लिखा है कि भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र वहां रखा हुआ है। हमने इसके लिए पत्र भी लिखा था। क्या माननीय मंत्री जी इसकी छानबीन करेंगे और इनका विभाग, विदेश विभाग और संस्कृति विभाग सक्रिय होकर, भगवान बुद्ध का भिक्षापात्र, जो विश्व धरोहर है, जो वैशाली से निर्वाण के समय में उन्होंने वैशाली को लौटाया था वह गायब है, उसे यहां वापस लाने की कार्यवाही करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : इस प्रश्न के दो भाग हैं। प्रथम, उन्होंने पूछा है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। देश भर में कई कदम उठाए हैं और आपको ज्ञात है कि जहांपनाह में क्या किया गया है। लगभग 300 अवैध निर्माण हटाए गए हैं और एक नया क्षेत्र विकसित किया गया है।

प्रत्येक विश्व धरोहर स्मारक के संबंध में इन सभी अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है और मैंने स्वयं सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि जब तक वे इन स्माराकों के आस–पास अवैध निर्माण को हटाने में सहयोग नहीं करते हैं पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग से कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। महोदय, यह बिहार पर भी लागू है।

जहां तक देश से बाहर ले जाए गए हमारी धरोहरों को वापिस लाने की बात है, इस मामले में विदेश मंत्रालय पर निर्भर है। हम उनके संपर्क में हैं। हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि वे हमें इस मामले में सहयोग करें और हम इन्हें अधिकाधिक वापिस लाने हेतु यथासंभव प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं पंढरपुर से चुन कर आता हूं। महाराष्ट्र में शिरडी और पंढरपुर दो बहुत बड़े क्षेत्र हैं। मैं लगातार तीन साल से प्रयत्न कर रहा हूं कि भारत सरकार इन दोनों क्षेत्रों को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करे, इन्हें सरकार की सूची में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए मंत्री जी ने एनाउंस भी कर दिया था। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जब पंढरपुर क्षेत्र में हर साल कम से कम 40–50 लाख लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि से आते हैं, इसलिए उसे केंद्र की सूची में लाने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी या नहीं? आप इसके लिए जल्दी एनाउंसमेंट कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, मैंने एक विशेष समारोह में जिसमें प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, पहले ही घोषणा की थी कि पंढरपुर की जो यात्रा है, उसमें कई लोगों को वर्षा और अन्य कारणों से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है; मैंने कहा है कि हम उस क्षेत्र पर यथाशीघ्र ध्यान देंगे और इसे वैष्णो देवी मंदिर के अनुरूप ही विकसित करने का प्रयास करेंगे। सभी रास्तों में सुधार लाया जाएगा और मैंने स्वयं वहां जाने का वचन दिया है और इसमें आप सभी का, जो भी इच्छुक हों, स्वागत है। हमारी सोच रास्तों में सुधार करने और वहां जाने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है ताकि किसी को कठिनाई नहीं हो। मैंने इस उद्देश्य हेतु पहले से ही कुछ धन की व्यवस्था की है। अंतरसत्रावधि के दौरान मैं वहां की यात्रा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या अध्यक्ष भी वहां की यात्रा कर सकते हैं?

श्री जगमोहन : निश्चित रूप से, महोदय।

श्री पी. एच. पांडियन : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध कब्जा धारकों को भी संरक्षण का मौलिक अधिकार प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि किसी अवैध कब्जाधारी को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता है।

महोदय, जैसाकि आपको ज्ञात है लगभग 18 वर्ष पूर्व मुम्बई में फुटपाथ पर रहने वालों ने स्थान खाली करने से मना कर दिया और मामला उच्चतम न्यायालय तक गया, इसे वोल्गा टेलीज मामले के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि नागरिकों को रहने का अधिकार है। अब तरीका यह हो रहा है कि किसी स्थान पर अवैध

कब्जा करने से पूर्व वे यह कहते हुए स्थगन आदेश ले लेते हैं कि वे वहां रह रहे हैं, वे अग्रिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं। क्या विभाग दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण इन कदमों से अपना बचाव करेगा और दिल्ली में रिक्त सरकारी भूमि पर निगरानी रखकर इसकी रक्षा करेगा?

श्री जगमोहन : यह प्रश्न वास्तव में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित है और उन्होंने इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाया है। हालांकि यह शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है, मुझे इसका उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि उक्त अवैध कब्जाधारकों को कोई वैकल्पिक भूमि नहीं दी जानी चाहिए। व्यवहारिक रूप से, ऐसे सभी मामलों में, विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं और यह अभी भी चल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है इसका तत्काल विरोध किया जाना चाहिए और अदालत में कार्यवाही रोकने की याचिका दायर करनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहता है, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में, अदालतों में अब यही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि वे एक पक्षीय स्थगन आदेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं और वे स्वयं ही अवैध कब्जा को हटाने का आदेश दे रहे हैं।

23-4

पर्यटन सर्किटों का विकास

*164. **श्री वी. एस. शिवकुमार** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में प्रत्येक राज्य में सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों को जोड़कर पर्यटन सर्किटों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार प्रस्तावित पर्यटन सर्किट के अंतर्गत तिरूवनन्तपुरम को भी शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय संस्कृति की उन्नत छवि एवं पर्यटन का स्वस्थ संवर्धन एवं सतत पर्यटन मुहैया कराने के दृष्टिकोण, जिसमें इको टूरिज्म शामिल है, को ध्यान में रखकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने, दसवीं पंचपर्षीय योजना के दौरान हबों, जिनमें संस्कृति पर्यटन एवं साफ-सुथरे नागरिक जीवन के कारकों को समाविष्ट किया है, के विकास के लिए, प्रस्ताव तैयार किए हैं। एक ऐसा हब, कम से कम, प्रत्येक राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों में होगा। इस योजना के तहत गंतव्य एवं घरेलू पर्यटन दोनों का संवर्धन किया जा रहा है। अभिनिर्धारित किए गए पर्यटन परिपथों में तिरूवनन्तपुरम शामिल है। परिपथ में कवर किए गए अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं : कोचीन-कुमारकोम-(पश्च मल)-कोट्टायम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम (कोवलम)।

श्री वी. एस. शिवकुमार : महोदय, उत्तर में कहा है कि माननीय मंत्री महोदय ने तिरूवनन्तपुरम-कोचीन सर्किट को पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव में शामिल किया गया है। क्या आप दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित प्रावधान और परिव्यय का ब्यौरा देंगे?

महोदय, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद द्वारा हाल में कराए गए एक अध्ययन, जिसकी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है, में कहा गया है कि केरल विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ पर्यटन स्थल है। इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार पूरे केरल राज्य को प्रस्तावित पर्यटन स्थल में जैसाकि केरल सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, शामिल करने पर विचार करेगी।

श्री जगमोहन : महोदय, जैसाकि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह सर्किट हमारे द्वारा पहले ही मंजूर किया जा चुका है।

श्री वी. एस. शिवकुमार : तिरूवनन्तपुरम-कोचीन परिपथ की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

श्री जगमोहन : शुरू की गई नीति यह है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सांस्कृतिक पर्यटन अथवा स्वच्छ नागरिक जीवन का केंद्र बनाया जायेगा। और हम इसी नीति को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाएंगे। निःसंदेह केरल ने पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। हमने इस सर्किट जिसमें तिरूवनन्तपुरम भी शामिल है, 8 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है और यह धनराशि राज्य सरकार और इसका कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें किले, विरासत वाले मार्ग और अन्य ऐसे सभी प्रावधान शामिल हैं और यदि आप चाहें तो मैं इनका विवरण

भेज दूंगा क्योंकि मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। सरकार को कुल धनराशि दे दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पश्च जल के विकास हेतु अत्यधिक धनराशि दी गई है। हमारा 'यात्रा' नामक एक और कार्यक्रम है, जो शंकर यात्रा, गांधी यात्रा और विवेकानंद यात्रा के नाम पर है। ये तीन ऐतिहासिक यात्राएं हैं जिन्हें पर्यटन सर्किट से जोड़े जाने की आवश्यकता है क्योंकि इन महान व्यक्तियों के जन्म से ही जिन्होंने भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है, इसलिए हम ये 'यात्राएं' शुरू करना चाहते हैं। 'शंकर यात्रा' के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं केरल राज्य को दी जा रही हैं। उदाहरणार्थ, कैलाडी और दूसरी है गुरूवायूर टेम्पल। हमारी परियोजना से केरल को बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है।

श्री वी. एस. शिवकुमार : महोदय, यद्यपि केरल में कोवालम भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है लेकिन केरल की राजधानी तिरूवनन्तपुरम के लिए अब तक अमरीका से या यूरोप से कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं है। क्या केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जो यहां उपस्थित हैं, के परामर्श से केरल आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए अमरीका और यूरोप से त्रिवेंद्रम को सीधी उड़ान शुरू करने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे?

श्री जगमोहन : मैं इस पर निश्चय ही अपने प्रतिष्ठित साथी से बात करूंगा लेकिन अनेक चार्टर्ड उड़ानें और अन्य उड़ानें केरल के कोचीन और अन्य स्थानों के लिए शुरू की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर पर्याप्त है। माननीय सदस्य इस मामले को नागर विमानन मंत्री के साथ उठा सकते हैं।

डा. डी. वी. जी. शंकर राव : अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर्यटन क्षेत्र हमारे देश का अत्यंत संभावना वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र के संवर्धन हेतु सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इसी के साथ विशेषक प्रबंधन स्तर पर योग्य व्यवसायिकों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है। अतः आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हास्टपीटलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म' की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसके लिए केंद्र सरकार सहयोग करने को सहमत हो गई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस परियोजना में शीघ्रता करेंगे।

श्री जगमोहन : महोदय, यह एक ऐसी परियोजना है जिसकी संस्तुति आंध्र प्रदेश सरकार ने की है और मैं स्वयं वहां गया था। हमने इस परियोजना में खर्च के केंद्रीय अंश की मंजूरी पहले ही दे दी है। अब उन्हें नक्शा एवं अन्य बातों को तैयार करना है।

श्री अधीर चौधरी : धन्यवाद महोदय, पर्यटन उद्योग विश्व का धुआं रहित उद्योग है। इस सरकार के विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शन के दौर में केवल सेवा क्षेत्र ही ठीक-ठाक है।

महोदय, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन की दृष्टि से पर्याप्त आकर्षण भरा एवं सुरक्षित रहा है। यहां उत्तर में महान हिमालय और दक्षिण के अंतिम छोर पर तराई क्षेत्र है जहां हरी-भरी मनमोहक घासें हैं और यहां विशाल समुद्र है और यहीं रुचि के अनेक धर्म और ऐतिहासिक स्थान हैं।

महोदय, आज के विश्व में पर्यावरण पर्यटन की नई प्रवृत्ति विकसित हुई है और इस दृष्टि से सुंदर वन जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है उसका सुहावना पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र को अनेक अवसर दे सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कोई इस प्रकार का प्रस्ताव शुरू किया है या आप स्वयं विशेषकर इस डेल्टा क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, के बारे में कोई प्रयास कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : किसी लम्बे प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप कितने देर तक अपना प्रश्न पूछेंगे? आपको बहुत तेजी से प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब हम विकास के लिए पर्यटन को एक विशेष क्षेत्र मान रहे हैं। अब हम पर्यटन को केवल अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ही नहीं बल्कि इसे गरीबी दूर करने का साधन और अधिक रोजगार सृजन और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाले साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसे पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त पर्यटन कहा जाता है जिसे आपने पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन कहा है। यह हमारी पद्धति का एक अंग है। भारतीय पर्यटन के साथ सहज रूप से पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन जुड़ा है क्योंकि सहज रूप से पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन जुड़ा है क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल से ही हम कहते हैं कि हमें पृथ्वी से उस मात्रा से ज्यादा नहीं प्राप्त करना चाहिए जितना कि पृथ्वी अपने आप रिकवर कर सके। हम इसी नीति

का पालन कर रहे हैं। प्रथम वेद की पुस्तक हमारे पर्यावरण के विकास क्षेत्र में समाहित की गई है और मैंने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, सुंदरवन एक ऐसी परियोजना है जिसका सुझाव मैंने स्वयं राज्य सरकार को दिया था कि उसे एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए क्योंकि यह आदर्श रूप से पर्यावरण विकास के उद्देश्यों के अनुकूल है।

वहां एक 'वाटर बाडी' है, जंगल हैं अन्य साहसिक कार्य का क्षेत्र है जहां बहुत कुछ किया जा सकता है। वे इस पर पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्य करने के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए हैं। मैं पहले से ही उनके साथ विचार–विमर्श कर रहा हूं और हम निश्चय ही इसके लिए कुछ करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : केरल राज्य को सदैव पश्चिम घाट कहा जाता है। निश्चय ही त्रिवेंद्रम एक पर्यटन सर्किट रहा है। अब आपने एक विचार दिया है कि इसे विभिन्न निश्चित स्थानों से जोड़ दिया जाएगा। वाया कोवालम होते हुए पश्चिमी कुमाराकम, कोट्टायम, क्वीलोन और त्रिवेन्द्रम के घटक क्या हैं--पश्च जल विकास, सड़क विकास और वायु यातायात? इन सबको सम्मिलित किया जा सकता है।

इस विशेष सर्किट के विकास के लिए आपके मंत्रालय द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

श्री जगमोहन : महोदय, यह एक क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या से संबंधित है। उदाहरणार्थ पश्च जल, पोतघाट निर्माण, ब्लाकवेज, गमन मार्ग, विद्युत आदि...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं खर्च, वह धन जो दिया जा रहा है, के बारे में पूछ रहा हूं?

श्री जगमोहन : धन बनाई जाने वाली योजना और उस क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है। हम सभी दृष्टियों से परियोजना को देना चाहेंगे ताकि परियोजना गमन मार्ग, वायु सेवा सम्पर्क, सुविधाओं, पोतघाट समेत सभी दृष्टियों से पूर्ण हो। सबके बावजूद इस परियोजना को...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं क्वीलोन और तिरूवनन्तपुरम के बारे में पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 165–श्री सईदुज्जमा।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, मैं पंजाब से संबंधित एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। महोदय, क्या मैं पंजाब से संबंधित कोई विशेष प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : उनसे पूछें। बिना मेरी आज्ञा के आप उनसे पूछ सकते हैं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : धन्यवाद महोदय।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि वे मेरी अनुमति के बिना एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ई. अहमद : महोदय, यह विशेषाधिकार सभी सदस्यों को दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : मैं संस्कृति मंत्री को 1947 से अब तक का सबसे अच्छा मंत्री होने के लिए बधाई देना चाहता हूं। पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर के मामले में एक मामला चलाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को सीधे पूछें।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : जी, हां। महोदय, पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर परिसर को विरासत स्थल के रूप में घोषित करने हेतु एक मामला प्रस्तुत किया है। क्या यह मामला अब तक पेरिस में स्थित यूनेस्को में भेज दिया गया है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं और इसे कब तक भेजा जाएगा? धन्यवाद।

श्री जगमोहन : यह प्रश्न दरबार साहिब परिसर के विरासत स्थल के रूप में घोषित किए जाने तक ही समिति है। राज्य सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर मंत्री, 'इनटैक' और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। यूनेस्को दो वर्षों में केवल एक मद पर विचार करता है। हम यथासंभव शीघ्र ही उनको लिखेंगे।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, योजना समाप्त हो रही है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 28–31

***165. श्री सईदुज्जमा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ राष्ट्रीय

डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किए गए समझौतों की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दिल्ली में अपनी फलों एवं सब्जियों परियोजना पर भारी घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम नहीं है। मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ने अपने दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विपणन के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य सहकारिता डेयरी परिसंघों के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति का है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : जिस मकसद के लिए प्रश्न किया जाता है, उसे तोड़-मरोड़ कर यहां पेश कर दिया जाता है। मेरा सही प्रश्न था, लेकिन विभाग ने उसमें फेर-बदल कर दिया, जो कि गैर-मुनासिब बात है। स्पीकर साहब, हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं और टी.वी. में भी हमें देखने को मिलता है कि डा. कुरियन और अमृता पटेल में विवाद छिड़ गया है। इसके कारण कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत प्रभावित हो रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? विदेशों से गिफ्ट के रूप में जो मिल्क पाउडर और बटर आयल आता है, उसको अमूल डेयरी ने परिवर्तन करके डेयरी फूड बनाकर ज्यादा मूल्य पर बाजार में बेचा, जो अनुचित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की है और जो करोड़ों रुपये का सामान उन्होंने बेचा है, क्या सरकार उसको वापस लेगी या नहीं? इसके साथ ही मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है।

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): جس مقصد کیلئے سوال کیا جاتا ہے، اسے توڑ مروڑ کر یہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ میرا صحیح سوال تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ نے اس میں پھیر بدل کر دیا، جو کہ غیر مناسب بات ہے۔ اسپیکر صاحب، ہم لوگ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر کورین اور امرتا پٹیل میں جھگڑا چھڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کوآپریٹو موومنٹ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ میں منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں اس سمبندھ میں کیا کاروائی کی ہے؟ غیر ممالک سے گفٹ کے روپ میں جو ملک پاؤڈر اور بٹر ایکسپورٹ آتا ہے، اس کو امول ڈیری نے بدل کر کے ڈیری فوڈ بنا کر زیادہ قیمت پر بازار میں بیچا، جو غلط ہے۔ میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ڈپارٹمنٹ نے کیا کاروائی کی ہے اور جو کروڑوں روپئے کا سامان انہوں نے بیچا ہے، کیا سرکار اس کو واپس لیگی یا نہیں؟ اس کے ساتھ ہی میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے۔

अध्यक्ष महोदय : एक बार में एक ही प्रश्न पूछें, वरना जवाब नहीं आएगा, क्योंकि समय कम है।

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। एक सवाल उन्होंने पूछा है कि एनडीडीबी को बाहर से पैसा मिला और जो बाहर से मिल्क पाउडर मंगाया, उसको बेचा, उसका क्या हुआ। जब एनडीडीबी बनाया गया था, संसद में कानून के द्वारा 1987 में, तब सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया था। उसमें यही प्रोविजन था कि आपरेशन फ्लड में जो बाहर से मिल्क पाउडर मंगाया गया था, एनडीडीबी को आलाऊ किया था वह उसे बेचे और उसके प्रोफिट से उसमें हिंदुस्तान में डेयरी को बढ़ाया जाए। 1970 से 1996 के दौरान इसमें 1750 करोड़ रुपये इन्वैस्ट किए गए। इसमें 30 प्रतिशत उन्होंने ग्रांट दी राज्यों को, और 70 प्रतिशत लोन था। जो लोन का ब्याज आता है, उससे एनडीडीबी डेयरी डेवलपमेंट का काम इस देश में कर रहा है। माननीय सदस्य का दूसरा सवाल था कि जो जाइंट वैंचर बन रहा है, उसके बारे में पहले जो एनडीडीबी के चेयरमैन थे, उनकी रिजर्वेशन हैं, उसका मकसद क्या है। मकसद यह है कि हिंदुस्तान अब विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध हिंदुस्तान पैदा करता है लेकिन यहां उसकी मार्किटिंग की समस्या आ गई है। हमारे कोओपरेटिव फैडरेशंस इसे मार्किटिंग करने की स्थिति में नहीं हैं। अब एनडीडीबी कंपनी मदर डेयरी के साथ एक जाइंट-वैंचर करेगी जो बैसिकली मार्किटिंग के लिए है। अगर स्टेट फैडरेशंस चाहती हैं तो वे भी जाइंट-वैंचर कर सकती हैं। उनकी कोई मजबूरी नहीं है। केरल और आंध्र प्रदेश ने इस बारे में अपनी इच्छा जताई है और वे जाइंट वैंचर करना चाहती हैं। यूपी और पंजाब

की भी इस बारे में बातचीत चल रही है कि जो दूध वे किसानों से इकट्ठा करते हैं उसे बेचने के लिए वे मदर–डेयरी से जाइंट–वैंचर करें।

श्री सईदुज्जमा : माननीय मंत्री जी, एनडीडीबी का धारा प्रोजेक्ट है। माननीय कुरियन साहब जब मदर डेयरी और अमूल डेयरी दोनों के चेयरमैन थे तब उन्होंने इसका सोल–डिस्ट्रीब्यूशन, बिना टेंडर और कोटेशन करे, अमूल डेयरी को दे दिया। क्या आप उसे मदर डेयरी को वापस करने का प्रयास करेंगे ताकि अमूल डयेरी ठीक तरह से चल सके। दूसरे, माननीय कुरियन साहब के खिलाफ जो जालसाजी के मुकदमे चल रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): محترم منتری جی، این ڈی ڈی بی کا دھارا پروجکٹ ہے۔ جناب کورین صاحب جب مدر ڈیری اور امول ڈیری دونوں کے چیئرمین تھے تب انہوں نے اس کا سول ڈسٹری بیوشن، بنا ٹینڈر اور کوٹیشن کرے، امول ڈیری کو دے دیا۔ کیا آپ اسے مدر ڈیری کو واپس کرنے کی کوشش کریں گے تا کہ امول ڈیری ٹھیک طرح سے چل سکے۔ دوسرے جناب کورین صاحب کے خلاف جو جال سازی کے مقدمے چل رہے ہیں، انکے بارے میں سرکار نے کیا کاروائی کی ہے؟

श्री अजित सिंह : जो मुकदमे कुरियन साहब पर चल रहे हैं, उन पर अदालत जो तय करेगी, जो फैसला देगी, वही होगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, हमने अखबार में पढ़ा है कि मंत्री जी खाद पर बढ़ी हुई कीमत को वापस दिलवाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सईदुज्जमा जी, आप बैठ जाइए, आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री जी आपको लिखित उत्तर भेज देंगे।

[अनुवाद]

भारतीय कामगारों हेतु बीमा योजना

***166. डा. मंदा जगन्नाथ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फारस की खाड़ी को जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए किसी अनिवार्य बीमा योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 9 जनवरी, 2003 को 'प्रवासी भारतीय दिवस' के अवसर पर घोषणा की थी कि रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाने वाले भारतीय कामगारों का बीमा करवाया जाएगा। रोजगार के लिए इन देशों को जाने वाले अकुशल कामगारों हेतु एक बीमा योजना तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से परामर्श किया गया है। इस संबंध में ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डा. मन्दा जगन्नाथ : महोदय, अब से दो माह हुए जब एनआरआई कान्फ्रेंस हुई थी। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही सामने नहीं आ रही है।

अतः मेरा प्रथम अनुपूरक प्रश्न है कि इस अनिवार्य बीमा को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की है। उसके बाद 7 फरवरी और 13 फरवरी को दो मीटिंगें श्रम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों और न्यू–इंडिया–इंश्योरेंस कंपनी के बीच हुई हैं। उसमें काफी सारी स्कीमें बन गई हैं। मैं सारी स्कीमें बताने के लिए तैयार हूं। मुझे आशा है कि अगले 6 महीने में सारी स्कीमों को लागू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ : महोदय, फर्जी एजेंट अनेक लोगों को रोजगार के लिए खाड़ी एवं अन्य देशों में ले गए जहां उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार के अनेक मामले हैं। अतः क्या भारत सरकार के पास उनके विशेषकर महिला कर्मचारियों जो कि यौन उत्पीड़न सहित अन्य कठिनाइयों का शिकार होती हैं, के हितों की रक्षा हेतु कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इस बारे में चिंतित है। सरकार ने इस बारे में स्कीम भी बनाई हुई है। हमारे यहां राज्य–स्तर पर रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं। उनके खिलाफ समय–समय पर कार्रवाई की जाती है–जब भी किसी प्रकार की शिकायतें मिलती हैं तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है, कैंसिल भी किया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है तथा उनको सजा भी होती है। इस बारे में हमारे यहां 8 ऑफिस इमीग्रांट्स के लिए बने हुए

हैं, जहां शिकायत करके वे अपनी ग्रीवेंसेज दूर करा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम बात यह है कि प्रश्न में 'फारस की खाड़ी वाले देश' नहीं होना चाहिए। इसे 'अरब की खाड़ी वाले देश' होना चाहिए। फारस की खाड़ी में कोई ऐसा देश नहीं है जो वहां भारतीयों को कार्य करने की अनुमति देता है। केवल अरब की खाड़ी वाले देश भारतीयों को वहां कार्य करने की अनुमति देते हैं।

खाड़ी के देशों में अनेक प्रकार के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। वहां प्राइवेट एजेंट हैं जो उन्हें वहां भेज रहे हैं। वे श्रम शक्ति के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कानूनी रूप से जो दिया जाना चाहिए नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैंने एक बार इस मुद्दे को उठाया कि ओमान में 19 भारतीय फंस गए हैं। लेकिन हमारा दूतावास इस मामले को स्थानीय सरकार के साथ उचित रूप से नहीं उठा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ई. अहमद कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए। अन्यथा समय समाप्त हो जाएगा और आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा।

मध्याह्न 12 बजे

श्री ई. अहमद : इसलिए मैं इस पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। कर्मचारियों को खाडी के देशों में कार्य पर भेजने से पहले भी इस बीमा योजना को लागू किया जाना चाहिए था। उनके वहां जाने के बाद नहीं बल्कि वहां जाने से पहले ही उनका बीमा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, यह स्कीम उनके लिए है, जिनको बाहर जाने पर वहां एम्पलायमेंट मिलेगा। बेसिकली स्कीम का परपज था कि बाहर जो लोग चले जाते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या विकलांग हो जाते हैं या बीमारी या अन्य कारणों की वजह से नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, यह स्कीम उनके लिए एवेलेबल है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह स्कीम उन्हीं के लिए है, जिनको वहां एम्पलायमेंट मिलेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जल उपकर 34

***167. श्री जोवाकिम बखला** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रचालन और रख–रखाव लागतों को वसूल करने के लिए जल उपकर लगाने पर सिद्धांत रूप में सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट उद्योग को चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण पर जल उपकर लगाने का प्रावधान करते हुए संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 अधिनियमित किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अनुमोदित व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए एकत्र की गई जल उपकर की 80 प्रतिशत तक राशि उन्हें अदा की जाती है और शेष 20 प्रतिशत राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से देश के किसी भी भाग में विशिष्ट परियोजनाओं को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार के पास रहती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अदा की गई 25 प्रतिशत राशि का उपयोग कार्यालय प्रचालनों और स्थापना लागत के लिए किया जा सकता है और शेष राशि का उपयोग प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

34–

कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास

***168. श्री रामशकल** :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ कोई समन्वय है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात रोजगार सृजन और औद्योगिक उत्पादन की तुलना में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के संबंध में इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार धनराशि के आवंटन और निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के प्रत्येक राज्य में लक्ष्य प्राप्त करने और कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) सरकार, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत नियमित रूप से कार्य–निष्पादन की समीक्षा करती है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु एक केंद्रीय प्लान स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) समीक्षाओं के आधार पर स्थापित यूनिटों की संख्या, सृजित रोजगार के अवसर, उत्पादन तथा विगत तीन सालों में और उसके उपसंत उपयोग में लाए गए फंड्स का राज्य–वार ब्यौरा क्रमशः विवरण I, II, III IV तथा V में प्रस्तुत है।

(ग) जी, हां।

(घ) ये ब्यौरे विवरण I, II, III, IV तथा V में प्रस्तुत हैं।

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केवीआईसी ने राज्य केवीआई बोर्डों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मार्जिन मनी अग्रिम रखे हैं। उपलब्धि एवं लक्ष्य में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य केवीआई बोर्ड तथा केवीआईसी अधिकारी शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के आरईजीपी के कार्यान्वयन का मोनीटर करने के लिए प्रत्येक राज्य में ग्रामीण उद्योगों के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा, स्कीम के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

केवीआईसी द्वारा वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 तथा 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान राज्य–वार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003 जनवरी, 2003 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2032	5388	797	915
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	202	5	32
3.	असम	67	120	199	294
4.	बिहार	189	155	37	74
5.	गोवा	357	837	482	300
6.	गुजरात	169	356	83	33
7.	हरियाणा	399	2078	511	576
8.	हिमाचल प्रदेश	55	250	594	45
9.	जम्मू–कश्मीर	2472	2471	790	390
10.	कर्नाटक	4290	3083	1311	969
11.	केरल	1914	1601	1437	574
12.	मध्य प्रदेश	5864	8038	1049	376
13.	महाराष्ट्र	3350	6354	2564	965
14.	मणिपुर	50	359	11	1
15.	मेघालय	1940	623	157	170
16.	मिजोरम	176	302	9	133
17.	नागालैंड	312	4119	162	0
18.	उड़ीसा	297	199	619	389
19.	पंजाब	2625	3215	1118	1161
20.	राजस्थान	10895	3735	2647	1276

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	1	3	0	17
22.	तमिलनाडु	1048	1629	598	449
23.	त्रिपुरा	1	20	25	136
24.	उत्तर प्रदेश	652	7745	1863	1221
25.	पश्चिम बंगाल	6230	781	2892	1732
26.	अंडमान और निकोबार	29	25	50	18
27.	दिल्ली	39	37	31	0
28.	चंडीगढ़	19	0	119	3
29.	दादरा और नगर हवेली	0	6	1	0
30.	पांडिचेरी	10	59	6	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	1	0
32.	दमन–दीव	0	0	0	0
33.	छत्तीसगढ़	0	79	139	91
34.	झारखंड	0	6	191	59
35.	उत्तरांचल	0	44	269	519

विवरण-II

आरईजीपी के अंतर्गत वर्षवार/राज्यवार रोजगार (संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003 जनवरी, 2003 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14224	33328	23308	11747
2.	अरुणाचल प्रदेश	63	1212	157	444
3.	असम	469	1720	2878	4075
4.	बिहार	1323	930	552	897
5.	गोवा	2799	5022	5511	4156
6.	गुजरात	1183	2136	795	457
7.	हरियाणा	2793	13468	16786	8031
8.	हिमाचल प्रदेश	385	2500	14845	635
9.	जम्मू–कश्मीर	17304	14826	8052	4217
10.	कर्नाटक	30030	30082	20459	13740
11.	केरल	13398	9606	28325	8450
12.	मध्य प्रदेश	39048	50228	21492	5231
13.	महाराष्ट्र	23450	40124	31313	13369
14.	मणिपुर	350	2154	54	13
15.	मेघालय	13580	37389	1908	2356
16.	मिजोरम	1232	1812	214	1767
17.	नागालैंड	2184	24714	2931	0
18.	उड़ीसा	2079	1194	5711	5281
19.	पंजाब	18375	20290	27115	15802
20.	राजस्थान	66265	24410	46724	16568
21.	सिक्किम	7	18	0	236
22.	तमिलनाडु	7336	11774	11011	6284
23.	त्रिपुरा	7	120	702	1885
24.	उत्तर प्रदेश	4564	48470	43002	17033
25.	पश्चिम बंगाल	42610	4686	16159	23930
26.	छत्तीसगढ़	0	474	4445	1261
27.	झारखंड	0	36	1308	831
28.	उत्तरांचल	0	264	5333	6038
29.	अंडमान और निकोबार	203	150	376	182
30.	चंडीगढ़	133	0	805	88
31.	दादरा और नगर हवेली	0	36	14	0

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	273	222	299	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	46	0
35.	पांडिचेरी	70	354	80	1
	कुल योग	305437	350098	343010	174732

विवरण-III

आरईजीपी के तहत राज्यवार उत्पादन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28989.55	33915.08	6777.94	7781.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.13	155.72	57.23	366.27
3.	असम	4047.85	4671.91	731.12	1080.15
4.	बिहार	16166.76	16656.40	195.65	391.30
5.	गोवा	1116.99	2405.31	1609.97	1002.06
6.	गुजरात	17895.93	40371.22	244.21	97.10
7.	हरियाणा	7194.23	8736.82	5696.42	6421.01
8.	हिमाचल प्रदेश	10724.53	9965.63	4844.84	367.03
9.	जम्मू–कश्मीर	9831.96	12263.77	2277.42	1124.30
10.	कर्नाटक	50314.10	46465.65	5478.24	4049.13
11.	केरल	18877.27	21275.91	9116.22	3641.41
12.	मध्य प्रदेश	34080.41	41024.43	5594.72	2005.35
13.	महाराष्ट्र	100351.69	119476.84	7896.95	2972.14
14.	मणिपुर	5382.36	5328.77	15.65	1.42
15.	मेघालय	2119.12	2862.45	568.76	615.85
16.	मिजोरम	2277.93	3007.27	88.36	1305.76
17.	नागालैंड	2535.31	4101.73	865.50	0.00
18.	उड़ीसा	4692.95	5468.62	1531.34	962.34
19.	पंजाब	22942.65	25456.67	7301.81	7582.65
20.	राजस्थान	50159.93	57122.41	11344.94	5468.89
21.	सिक्किम	223.31	206.80	0.00	62.45
22.	तमिलनाडु	53064.85	58035.05	2943.23	2209.88
23.	त्रिपुरा	1055.24	1279.92	248.78	1353.36
24.	उत्तर प्रदेश	93948.96	102377.82	13773.26	9026.92
25.	पश्चिम बंगाल	18157.26	20336.44	4208.14	2520.23
26.	छत्तीसगढ़	0.00	218.51	1507.26	986.77
27.	झारखंड	0.00	40.83	254.20	78.53
28.	उत्तरांचल	0.00	307.47	1632.97	3150.60
29.	अंडमान और निकोबार	168.48	252.60	120.23	43.28
30.	चंडीगढ़	853.82	1085.00	239.18	6.03
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	12.97	0 00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	2920.86	3351.65	99.71	0.00
34.	लक्षद्वीप	6.15	6.45	15.75	0.00
35.	पांडिचेरी	630.50	937.81	34.45	5.74

विवरण-IV

वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 तथा 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान आरईजीपी के तहत उपयोग किए गए फंड्स

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003 जनवरी, 2003 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	381.81	842.04	1307.02	853.18

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.00	39.00	11.21	21.44
3.	असम	15.78	67.94	142.51	100.62
4.	बिहार	22.47	28.65	37.46	4.65
5.	गोवा	81.16	160.58	311.95	143.61
6.	गुजरात	22.67	41.47	46.85	26.32
7.	हरियाणा	218.35	642.28	1130.47	712.71
8.	हिमाचल प्रदेश	124.92	371.67	953.73	83.68
9.	जम्मू–कश्मीर	105.00	83.95	436.50	135.00
10.	कर्नाटक	599.38	849.37	1067.94	1444.15
11.	केरल	761.39	1063.20	1789.10	956.26
12.	मध्य प्रदेश	876.67	787.06	1096.50	523.42
13	महाराष्ट्र	837.13	955.79	1538.08	826.88
14.	मणिपुर	42.00	0	2.98	0
15.	मेघालय	75.93	53.12	110.50	58.64
16.	मिजोरम	23.00	0	16.83	135.02
17.	नागालैंड	4.32	180.74	168.89	0
18.	उड़ीसा	69.74	58.32	292.98	150.19
19.	पंजाब	904.74	1093.61	1438.62	1209.04
20.	राजस्थान	1015.24	1133.20	2211.91	1097.56
21.	सिक्किम	1.00	11.91	0	2.00
22.	तमिलनाडु	321.02	547.68	567.34	384.28
23.	त्रिपुरा	1.14	7.17	49.54	27.42
24.	उत्तर प्रदेश	1547.73	1917.53	2706.95	1130.56
25.	पश्चिम बंगाल	142.61	191.06	822.20	368.93
26.	अंडमान और निकोबार	0	1.71	22.90	15.41
27	दिल्ली	40.05	15.82	19.35	0
28.	चंडीगढ़	5.06	4.84	47.56	5.44
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	2.47	0
30.	पांडिचेरी	1.56	9.21	7.06	0.08
31.	लक्षद्वीप	0	0	3.00	0
32.	दमन और दीव	0	2.50	0	0
33.	छत्तीसगढ़	0	2.94	297.99	54.76
34.	झारखंड	0	12.37	49.34	9.87
35.	उत्तरांचल	0	13.98	318.00	53.46

विवरण-V

वर्ष 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान राज्यवार प्रक्षेपित लक्ष्य संख्या तथा उपलब्धि तथा उपयोग में लाए गए फंड्स

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि	उपयोग में लाए फंड्स
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2244	915	853.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	439	32	21.44
3.	असम	872	294	100.62
4.	बिहार	1575	74	4.65
5.	गोवा	432	300	143.61
6.	गुजरात	1315	33	26.32
7.	हरियाणा	851	576	712.71
8.	हिमाचल प्रदेश	611	45	83.68
9.	जम्मू–कश्मीर	565	390	135.00
10.	कर्नाटक	1278	969	1444.15
11.	केरल	1258	574	956.26
12.	मध्य प्रदेश	2011	376	523.42

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	1544	965	826.88
14.	मणिपुर	435	1	0.00
15.	मेघालय	613	170	58.64
16.	मिजोरम	425	133	135.02
17.	नागालैंड	345	0	0.00
18.	उड़ीसा	1018	389	150.19
19.	पंजाब	1225	1161	1209.04
20.	राजस्थान	2202	1276	1097.56
21.	सिक्किम	140	17	2.00
22.	तमिलनाडु	1195	449	384.28
23.	त्रिपुरा	460	136	27.42
24.	उत्तर प्रदेश	3691	1221	1130.56
25.	पश्चिम बंगाल	1348	1732	368.93
26.	छत्तीसगढ़	508	91	54.76
27.	झारखंड	656	59	9.87
28.	उत्तरांचल	339	519	53.46
29.	अंडमान और निकोबार	54	18	15.41
30.	चंडीगढ़	56	3	5.44
31.	दादरा और नगर हवेली	61	0	0.00
32.	दमन और दीव	65	0	0.00
33.	दिल्ली	99	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	50	0	0.00
35.	पांडिचेरी	94	1	0.08

पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण मौतें

*169. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :** 43-44
श्री मान सिंह पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सेंटर फार साइंस एंड इनवायरनमेंट) ने अपने हाल के अध्ययन में बताया है कि पर्यावरण संबंध प्रदूषण देश के बड़े शहरों में होने वाली अत्यधिक मौतों का कारण है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण संबंधी प्रदूषण में कुल वार्षिक वृद्धि और पिछले दो वर्षों के दौरान हुई मौतों की संख्या में तुलनात्मक वृद्धि का ब्यौरा और प्रतिशत क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों में तेजी लाने हेतु क्या रणनीति तैयार की जा रही है; और

(घ) उपर्युक्त रणनीति को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस गैर-सरकारी संगठन ने अपनी मैगजीन "डाउन टू अर्थ" में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें रुग्णता और मृत्यु दर की घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है जो भारत के कुछ शहरों और विश्व भर में किए गए अध्ययनों पर आधारित है। तथापि ऐसा कोई निष्कर्षात्मक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे पर्यावरण प्रदूषण और विभिन्न रोगों के होने के बीच कारण-प्रभाव संबंध स्थापित हो सके।

(ग) और (घ) प्रमुख नगरों में पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किए गए विभिन्न उपायों से श्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ (आरएसपीएम) और सल्फर डाई-ऑक्साइड के परिवेशी स्तर नीचे आ गए हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंगीकृत रणनीतियों और किए गए उपायों में प्रदूषण रोकने के लिए व्यापक नीति, संशोधित आटो-फ्यूल की आपूर्ति, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन मानदंडों को कड़ा बनाना, विशिष्ट उद्योगों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी, नगरीय और जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, वायु और जल गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करना, प्रदूषण भार का आकलन, प्रमुख नगररों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना शामिल हैं।

परिवर्द्धित विमान यातायात के कारण विश्व तापमान में वृद्धि

*170. **श्री भेरूलाल मीणा :** 45-46
श्री राव रघुनाथ चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणविदों की राय के अनुसार विश्व भर में तेजी से बढ़ते विमान यातायात के कारण पृथ्वी और वातावरण के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप विश्व तापमान में वृद्धि का खतरा खतरनाक रूप धारण कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) विमान यातायात ग्रीन हाऊस गैसों का एक स्रोत है जिससे विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुमानों के अनुसार अगले 50 वर्षों में विमान यातायात के कारण विश्व के तापमान में थोड़ी वृद्धि होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल के अनुमानों के अनुसार पिछली शताब्दी की तुलना में पृथ्वी की सतह के तापमान में 0.4 से 0.8 डिग्री सेंटीग्रड तक की वृद्धि हुई है और पिछली शताब्दी की तुलना में पूरे विश्व में समुद्र के स्तर में 0.1 से 0.2 मीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। यह भी दर्शाया गया है कि अगली शताब्दी में विश्व का औसत सतह तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और विश्व के औसत समुद्र स्तर में भी 0.09 से 0.88 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है।

सरकार द्वारा ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जनों की समस्या को हल करने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे ऊर्जाक्षम, ऊर्जा संरक्षण, वैद्युत क्षेत्र में सुधार, पुनःनवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा हेतु तेल उपयोग, वनीकरण और वनों का संरक्षण, कोयले का दक्ष उपयोग, गैस की लौ में कमी, तेल एवं वैद्युत क्षेत्र में हीट रिकवरी सिस्टम की स्थापना, तेलक्षम सिंचाई पंप सैटों का मानकीकरण और खेती की अच्छी पद्धतियों से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

वर्षा जल का संचयन

*171. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** 46-47
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रेरित किया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई है; और;

(ङ) राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल संचयन सहित जल संसाधनों का संवर्द्धन करने संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पूरे देश में 'छत के वर्षा जल संचयन सहित वर्षा जल संचयन'' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें राज्य सरकार के संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, आदि के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

नौवीं योजना के दौरान केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने ''भूजल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन'' के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र स्कीम

के अंतर्गत देश में प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण परियोजनाएं प्रारंभ की थीं। इस स्कीम के अंतर्गत 35.81 करोड़ रुपये की लागत से 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु कुल 174 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन स्कीमों को पूरा करने के लिए वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2002–2003 के दौरान 26.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को राज्य सरकारों से कई अतिरिक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुए हैं। इन अतिरिक्त प्रस्तावों के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई स्वीकृत योजना नहीं है जिसके तहत इन प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

नकली बीज विनिर्माता कंपनियों से निपटने हेतु कानून

बीज कंपनी 47-50

*172. **श्री शशि कुमार :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नकली और जाली बीज विनिर्माता कंपनियों से निपटने के लिए विद्यमान कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यमान कानून उन्हें दंडित करने हेतु अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में दंडित की गई ऐसी विनिर्माता कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में नया कानून लाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) बीज अधिनियम 1966 बीजों के अधिसूचित प्रकारों और किस्मों की गुणवत्ता को विनियमित करता है। बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अंतर्गत सभी प्रकार के बीजों के उत्पादन, आपूर्ति और उनके संवितरण का विनियमन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1999–2000 से 2001–02 के दौरान जिन डीलरों/बीज उत्पादकों के बीज घटिया स्तर के पाए गए, उनकी सूची विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार का बीज अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि गैर अधिसूचित प्रकारों और किस्मों के बीजों की गुणवत्ता का विनियमन किया जा सके और उल्लंघन करने वालों को और अधिक कड़ा जुर्माना लगाया जा सके।

विवरण

बीज डीलरों/उत्पादकों की सूची जिनके बीज विगत तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–02 तक) के दौरान घटिया स्तर के पाए गए

कर्नाटक

1. कर्नाटक राज्य बीज निगम
2. महाइको
3. आमरेश्वर टीएसआर बीज
4. राष्ट्रीय बीज निगम
5. कर्नाटक बीज बस्वानागुडी
6. बिस्को बीज टेक
7. कर्नाटक एग्रो बीज
8. हिंदुस्तान लीवर
9. अमरेश्वर एग्रिटेक
10. स्पिक पीएचआई
11. ग्रीन टेक
12. नाथ सीड्स
13. ईसीआई एग्रिटेक
14. सन एग्रो सीड्स
15. गोल्डन सीड्स
16. सोलर सीड्स
17. जुवारी

18. यागन्ती सीड्स
19. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम
20. त्रेविक बीज
21. मोनसांटो टेक्नालाजीज
22. कावेरी सीड्स
23. गोवर्धन सीड्स बड़ौदा
24. विनायक एग्रो एजेंसी
25. मल्टीप्लैक्स फर्टिलाइजर्स
26. नन्हेम्स प्रोएग्रो
27. सोमनाथ सीड्स
28. हिंदुस्तान एच.आई. टेक एग्रो प्रोटक्ट
29. प्रोएग्रो सीड्स
30. नामधारी सीड्स
31. प्रीती सीड्स
32. भद्र हाई सीड्स
33. किनारा सीड्स
34. स्पिक सीड्स
35. सीजन सीड्स
36. साई कृषि केंद्र
37. सीड मार्कफेड
38. गंगा कावेरी
39. सागर सीड्स
40. सोलर सीड्स
41. मल्टीप्लैक्स लक्ष्मीफर्ट
42. कंसालिडेटिड सीड्स
43. इंडो अमेरिकन सीड्स
44. कावेरी कोकाई सीड्स
45. न्यूजीवुड सीड्स
46. एसएससीआई हवेरी
47. श्री सीड्स निगम
48. श्री अमरेश्वर हाई सीड्स
49. अरूणा सीड्स

महाराष्ट्र

1. भारत एस लाईन हैदराबाद
2. नव भारत सीड्स प्रा लि., जालना

[हिन्दी]

गोवध 50-52

***173. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में गाय और गोवंश के वध पर कानूनी प्रतिबंध है;

(ख) सरकार का विचार देश भर में गोवध पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में गोवध और इसके अवैध परिवहन में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने गाय तथा इसकी संतति की हत्या पर प्रतिबंध लगाने/रोकने के लिए कानून बनाए हैं :

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	संघ शासित प्रदेश
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अंड. और निको. द्वीपसमूह
2.	असम	2.	चंडीगढ़
3	बिहार	3.	दादरा और नगर हवेली
4	गोवा	4	दमन और दीव

1	2	3	4
5.	गुजरात	5.	पांडिचेरी
6.	हरियाणा	6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
7.	हिमाचल प्रदेश		
8.	जम्मू–कश्मीर		
9.	कर्नाटक		
10.	मध्य प्रदेश		
11.	महाराष्ट्र		
12	उड़ीसा		
13.	पंजाब		
14.	राजस्थान		
15.	सिक्किम		
16.	तमिलनाडु		
17.	उत्तर प्रदेश		
18.	पश्चिम बंगाल		
19.	मणिपुर		
20.	उत्तरांचल		
21.	झारखंड		
22.	छत्तीसगढ़		

(ख) यह राज्य सूची में है। इसके बावजूद भारत सरकार मामले की जांच कर रही है।

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि गोहत्या तथा उसकी अवैध दुलाई बढ़ रही है। पशुओं की दुलाई के संबंध में भारत सरकार ने पशु दुलाई (संशोधन) नियम, 2001 को 26.3.2001 को अधिसूचित किया है। उक्त नियमावली का नियम 96 को इस प्रकार पठनीय है :

"96–दुलाई से पूर्व प्रमाणपत्र जारी करना"

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत मान्यताप्राप्त तथा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति अथवा पशु कल्याण संगठन द्वारा वैध प्रमाणपत्र की पुष्टि करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे पशुओं की दुलाई से पूर्व उनकी दुलाई के लिए इस जांच के अधीन जारी किया जाता है कि उक्त पशुओं से संबंधी सभी संबंधित केंद्रीय तथा राज्य अधिनियमों तथा आदेशों का ऐसे पशुओं की दुलाई से संबंधित नियमों सहित का विधिवत अनुपालन किया गया है और पशु की किसी कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल किसी प्रयोजन के लिए दुलाई नहीं की जा रही है।

ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में कैरियर दुलाई के लिए ऐसे माल को इंकार कर सकता है।

यदि कोई दुलाई एजेंसी बिना उक्त प्रमाणपत्र के पशुओं की दुलाई करता है तो वे दंड के पात्र होंगे।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पाद निर्यात जोनों की स्थापना

*174. **श्री पी. एस. गड़वी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार देश में बागवानी उत्पाद निर्यात जोनों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्र सरकार ने 45 कृषि निर्यात अंचलों (एईजैड) की स्थापना का अनुमोदन किया है। ये अंचल बागवानी उत्पादों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) सभी कृषि निर्यात अंचलों का उनके लिए फंड के प्रस्तावित आवंटन सहित राज्यवार तथा उत्पादवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुमोदित बागवानी कृषि निर्यात अंचलों की सूची

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	उत्पाद	स्वीकृत एईजैड	राज्य/केन्द्र/निजी से सहायता प्राप्त			
				राज्य सरकार	केंद्रीय सरकार		निजी
1	2	3	4	5	6		7
1.	पश्चिम बंगाल	1. अन्नानास	दार्जिलिंग, उत्तर दीनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी	0.51	4.15	(अपेडा 1.22)	30.93
		2. लीची	मुर्शिदाबाद, माल्दा, 24 परगना (उ.) और 24 परगना (द.) जिले	2.25	6.12	(अपेडा 1.93)	2.07
		3. आलू	हुगली, बर्दवान, मिदनापुर (प.), उदय नारायन–पुर और हावड़ा जिले	3.24	4.82	(अपेडा 1.71)	28.59
		4. आम	माल्दा और मुर्शिदाबाद	7.70	5.25	(अपेडा 3.27)	18.23
		5. सब्जी	नाडिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना	3.60	3.65	(अपेडा 1.45)	21.55
2.	कर्नाटक	6. खीरा	तुमकूर, बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, हसैन, कोलार, चित्रदुर्गा, धारवाड़ और बगलकोट	उ.न.	3.20	(अपेडा 3.02)	7.75
		7. रोज ओनियन	बंगलौर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोलार	0.56	1.92	(अपेडा) 0.65	3.62
		8. फूल	बंगलौर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोलार, तुमकुर, कोडगू और बेलगांव	7.37	11.71	(अपेडा 6.92)	10.20
3.	उत्तरांचल	9. लीची	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून	0.74	4.52	(अपेडा 2.21)	3.44
		10. फूल	देहरादून जिला, पंतनगर	1.43	1.55	(अपेडा 0.55)	10.78
		11. बासमती चावल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार	1.73	1.34	(अपेडा 0.00)	3.26
		12. औषधीय तथा सुगंधित पौधे	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून तथा नैनीताल जिले	4.28	5.53	(अपेडा 1.53)	9.05
4.	पंजाब	13. सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड़ और लुधियाना	0.60	11.23	(अपेडा 3.80)	14.94
		14. आलू	सिंघपुरा, जिरकपुर (पटियाला), रामपुर फुल, मुक्तसर, लुधियाना, जालंधर	0.74	8.19	(अपेडा 0.92)	1.48

1	2	3	4	5	6	7
		15. बासमती चावल	गुरुदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवाशहर जिले	1.85	11.85 (अपेडा 0.00)	9.60
5.	उत्तर प्रदेश	16. आलू	आगरा, हाथरस, फरूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, अलीगढ और बागपत	0.24	8.19 (अपेडा 0.92)	1.99
		17. आम	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी	1.10	15.38 (अपेडा 9.04)	28.23
		18. आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर	1.15	17.78 (अपेडा 5.75)	17.18
		19. बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुलेनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद	9.46	10.79 (अपेडा 0.00)	19.50
6.	महाराष्ट्र	20. ग्रेप व ग्रेप	नासिक, संगली, पुणे, सतारा, अहमदनगर	1.15	2.35 (अपेडा)	0.00
		21. आम	रत्नागिरी, सिंधदुर्ग, रायगढ़ और ठाणे जिले	16.17	9.94 (अपेडा 6.04)	9.01
		22. केसर आम	औरंगाबाद, जलना, बीड़, लातूर, अहमदाबाद और नासिक जिले	2.92	4.69 (अपेडा 0.61)	10.95
		23. फूल	पुणे, नासिक, कोल्हापुर और संगली	शून्य	7.29 (अपेडा 4.39)	10.66
		24. प्याज	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा और शोलापुर जिले	12.99	6.13 (अपेडा 0.58)	13.12
7.	आंध्र प्रदेश	25. आम पल्प तथा ताजी सब्जियां	चित्तूर जिला	6.41 3.11	11.29 (अपेडा 11.71) 8.67 (अपेडा 0.00)	10.44 13.76
		26. आम तथा अंगूर	रंगारेड्डी, मेडक और मेहबूबनगर जिलों के क्षेत्र	3.38	12.05 (अपेडा 5.65)	41.78
		27. आम	कृष्णा जिला	4.23	3.77 (अपेडा 2.32)	0.89
8.	जम्मू–कश्मीर	28. सेब	श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़गाम और पुलबामा जिले	शून्य	27.65 (अपेडा 4.30)	57.70
		29. अखरोट	कश्मीर क्षेत्र, बारामुला, अनंतनाग, पुलबामा, बड़गाम, कुपवाड़ा, और श्रीनगर–जम्मू क्षेत्र, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी व कठुआ	शून्य	17.36 (अपेडा 6.80)	10.57
9.	त्रिपुरा	30. अन्नानास	कुमारघाट, मनु, मेलाघर, माताम्बाड़ी और काकारबन ब्लॉक	1.16	8.11 (अपेडा 2.01)	6.39

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	31. आलू, प्याज व लहसुन	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर	शून्य	20.72 (अपेडा 1.00)	28.73
		32. मसालों के बीज	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और नीमच	8.43	8.06 (मशाला बोर्ड) (2.68)	15.44
		33. गेहूं	तीन सपाट तथा एक समान क्षेत्र–उज्जैन क्षेत्र जिसमें नीमच, रतलाम, मंदसौर तथा उज्जैन जिला शामिल है। इंदौर क्षेत्र जिसमें इंदौर, धार, शाजापुर तथा देवास शामिल है। भोपाल संभाग जिसमें सिहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर तथा भोपाल शामिल है।	27.55	9.03 (अपेडा 0.00)	49.48
11.	तमिलनाडु	34. फूल	धरमपुरी जिला	2.91	3.48 (अपेडा 3.48)	18.48
		35. आम	मदुराई, थेनी, डिंडीगुल, विरूधुनगर और तिरूनेवेली जिले	4.12	6.56 (अपेडा 1.51)	13.92
		36. फूल	नीलगिरी जिला	2.00	5.23 (अपेडा 1.99)	8.65
12.	बिहार	37 लीची	मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्व और पश्चिम चम्पारण, भागलपुर, बेगुसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण व गोपालगंज	0.18	4.45 (अपेडा 1.49)	7.50
13.	गुजरात	38. आम और सब्जियां	अहमदनगर, खेड़, आनंद, वडोदरा, सूरत, नवासारी वलसाड़, भरूच और नर्मदा जिले	5.34	10.02 (अपेडा 5.11)	18.36
14.	सिक्किम	39. फूल (आर्चिड्स) तथा चेरी काली मिर्च	पूर्व सिक्किम	2.40	8.09 (अपेडा 0.20)	21.82
		40. अदरक	उत्तर, पूर्व, दक्षिण और प. सिक्किम	10.06	6.67 (अपेडा 4.12)	7.88
15.	हिमाचल प्रदेश	41. सेब	शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चम्बा और किन्नौर	17.80	9.77 (अपेडा 3.42)	29.50
16.	उड़ीसा	42. अदरक और हल्दी	कंधामल जिला	1.49	1.51 (अपेडा 0.65)	3.03
17.	झारखंड	43. सब्जियां	रांची, हजारीबाग और लोहरदगा	1.93	1.93 (अपेडा 0.97)	3.23
18.	केरल	44. बागवानी उत्पाद	त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोटायम, अलपुजा, पथनुमथिरा, कोल्लम, तिरूवनंतपुरम, इडुकी तथा पलक्कड जिले	8.03	9.98 (अपेडा 0.80)	11.86

1	2	3	4	5	6	7
19.	असम	45. ताजा तथा संसाधित अदरम	कामरूप, नलबाड़ी, बारपेटा, दरांग, नौगांव, मोरीगांव, कर्बी, अंगलोंग तथा उत्तरी कछार जिले	4.93	2.27 (अपेडा 0.70)	10.33

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

59-60

*175. **श्री ए. नरेन्द्र : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार त्वरित विकास और रोजगार हेतु और अधिक निवेश आकृष्ट करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार द्वारा नई नीति के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उसमें राज्य सरकारों के किन सुझावों को शामिल किया गया है; और

(छ) इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) सरकार ने मई, 2002 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा की है। घोषणा से पूर्व, विभिन्न सभाओं, जिनमें राज्य के मुख्य मंत्रियों, पर्यटन मंत्रियों और राज्य पर्यटन सचिवों की बैठकें शामिल हैं, में नीति के मसौदे पर चर्चा की गई और नीति को अंतिम रूप देने में उनकी राय पर विचार किया गया। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :

- पर्यटन को आर्थिक विकास के एक तंत्र के रूप में प्रतिष्ठित करना;
- रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा ग्राम्य पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पर्यटन प्रत्यक्ष तथा बहुआयामी प्रभावी का दोहन;
- पर्यटन विकास के प्रमुख संचालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर ध्यान दिया जाना;
- विश्व के फलते–फूलते व्यवसाय तथा भारत की अपार पर्यटन संभावना का लाभ उठाने के लिए भारत को विश्व ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित करना;
- निजी क्षेत्र की सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल;
- भारत की निराली सभ्यता, हैरिटेज तथा संस्कृति पर आधारित एकीकृत पर्यटन परिपथ, का राज्यों, निजी क्षेत्र तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सृजन तथा विकास;
- यह सुनिश्चित करना कि भारत आने वाले पर्यटक भौतिक रूप से शक्तिवर्धक, मानसिक रूप से कायाकल्प, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों तथा वे अपने को पूरी तरह भारत के रंग में रंगा हुआ महसूस करें।

[हिन्दी]

60-61

विशेष पर्यटन क्षेत्र में राज्यों का शामिल किया जाना

*176. **श्री राजो सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों को विशेष पर्यटन क्षेत्र में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को शामिल करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या बिहार और झारखंड को विशेष पर्यटन क्षेत्र में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) विशेष पर्यटन क्षेत्रों में कुछेक राज्यों को शामिल करने का ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास नहीं है। भारतीय संस्कृति की उन्नत छवि एवं पर्यटन का स्वस्थ संवर्धन एवं सतत पर्यटन मुहैया कराने के दृष्टिकोण, जिसमें इको टूरिज्म शामिल है, को ध्यान में रखकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हबों, जिनमें संस्कृति पर्यटन एवं साफ सुथरे नागरिक जीवन के कारकों को समाविष्ट किया है, के विकास के लिए, प्रस्ताव तैयार किए हैं। एक ऐसा हब कम से कम प्रत्येक राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों में होगा।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्थिति के आकलन संबंधी सर्वेक्षण

*177. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों की स्थिति का आकलन करने के बारे में किए गए सर्वेक्षण (एसएएस) के प्रथम चरण से पता चला है कि इसका लाभ गरीब और सीमांत किसानों को नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कृषि वर्ष 2002–03 को संदर्भ अवधि मानते हुए "भारतीय किसानों की दशा–एक सहस्राब्दि अध्ययन" नामक अध्ययन के चरण–2 के रूप में स्थिति आकलन सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण का फील्ड कार्य जनवरी 2003 में शुरू हुआ और इसे दिसम्बर 2003 तक जारी रखने की योजना है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट सर्वेक्षण के फील्ड कार्य के पूरा होने की तारीख से लगभग 12 महीनों के बाद उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंधुआ बाल मजदूर

*178. **डा. चरणदास महंत** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेशम उद्योग में बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बच्चों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेशम उद्योग और अन्य उद्योगों में बंधुआ मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का बच्चों का शोषण रोकने हेतु राज्य–वार क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाल श्रम के संबंध में उनके निर्देशों के प्रवर्तन की निगरानी कर रहा है, जिसमें रेशम उद्योग जैसे खतरनाक व्यवसायों में काम से निकाले गए बच्चों का पुनर्वास भी शामिल है।

(ख) भारत सरकार ने रेशम उद्योग में लगे बाल श्रमिकों सहित खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को काम से निकालकर उनका पुनर्वास करने के लिए जिले विशेष में बाल श्रम की घटना को कम करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से कदम उठाए हैं। इस स्कीम के तहत बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में विशेष स्कूल खोले गए हैं जिनमें अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषणाहार, स्वास्थ देख–रेख आदि की व्यवस्था की गई है। अभी तक 13 बाल श्रम बहुल राज्यों के 100 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) रेशम उद्योग में बच्चों को बंधुआ श्रमिकों के रूप में नियोजित किए जाने संबंधी किसी विशेष मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

वायु सीमा का उल्लंघन

*179. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ान वर्जित क्षेत्र समेत भारतीय विमान सीमा के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(ङ) दोषी विमानचालक दल के सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) उड़ान वर्जित क्षेत्र की निगरानी हेतु कौन-सा प्राधिकरण उत्तरदायी है;

(छ) उड़ान वर्जित क्षेत्र के इस उल्लंघन को रोकने हेतु इसकी विफलता के क्या कारण हैं; और

(ज) लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों यानी 17 जनवरी, 2000 से 3 फरवरी, 2003 तक की समयावधि के दौरान विदेशी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की केवल 26 घटनाएं ही घटी हैं। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) दिनांक 20.11.2002 को लुफ्थांसा कार्गो फ्लाइट डीएलएच-8443 ने निषिद्ध/वीआईपी क्षेत्र के बतौर नामित नो फ्लाई जोन के ऊपर से उड़ान की थी। इस घटना की जांच की गई और इसे पायलट द्वारा जजमेंट की एक चूक की वजह पाया गया। लुफ्थांसा एयरलाइंस को उनके पायलट की चूक की बाबत अवगत करा दिया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

दिनांक 3.2.2003 को एक अमेरिकी रजिस्टर्ड बोइंग 757 विमान एन-610 जी जिस समय करांची से माले के लिए उड़ान पर था तब यह देखा गया कि यह एयर रूट एन-519 पर उड़ान भर रहा था जबकि यह रूट सिविल ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध नहीं था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), वायु सेना, सतर्कता ब्यूरो, कस्टम और इम्मीग्रेशन विभाग द्वारा इसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि एटीसी करांची ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया था और उन्हें रूट के प्रचालन समय के बारे में जानकारी नहीं थी। कर्मीदल और विमान को पूछताछ के बाद सेशल्स के लिए प्रचालन के लिए छोड़ दिया गया। रक्षा मंत्रालय से संबंधित उल्लंघन की दूसरी घटनाओं को उनकी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार हैंडल किया गया।

(च) और (छ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायु सेना राडार कवर एरिया पर नो फ्लाई जोन की मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार है। नॉन-राडार कवर एरिया के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाता है कि एटीसी द्वारा अनुमोदित उड़ान मार्ग नो फ्लाई जोन में घुसपैठ न करें। राडार नियंत्रक लगातार नो फ्लाई जोन के उल्लंघन की मानीटरिंग करते रहते हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनवरी, 2000 से फरवरी, 2003 की अवधि के दौरान विदेशी विमानों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन करने का ब्यौरा

क्र.सं.	उल्लंघन की तारीख	उल्लंघन का क्षेत्र	उद्गम स्थान के देश
1	2	3	4
		2000	
1.	17 जनवरी	बेलुरघाट	बांग्लादेश
2.	27 जनवरी	कूच बिहार	बांग्लादेश
3.	25 फरवरी	कारगिल	पाकिस्तान
4.	4 अप्रैल	किशनगंज	नेपाल
5.	26 जून	बेलुरघाट	बांग्लादेश
6.	16 अगस्त	गोरखपुर	नेपाल
7.	16 सितम्बर	गुरदासपुर	पाकिस्तान
8.	16 सितम्बर	गुरदासपुर	पाकिस्तान

1	2	3	4
9.	6 अक्तूबर	देहरादून	चीन
10.	25 अक्तूबर	बहराइच	नेपाल
11.	7 नवम्बर	लखीमपुर	नेपाल
		2001	
1.	19 फरवरी	छम्ब	पाकिस्तान
2.	19 फरवरी	जम्मू	पाकिस्तान
3.	21 मार्च	जम्मू	पाकिस्तान
4.	14 सितम्बर	नेपालगंज	नेपाल
5.	24 सितम्बर	दरभंगा	नेपाल
6.	2 नवम्बर	अं. नि. द्वीपसमूह	एन./के
7.	2 नवम्बर	मेचुका	चीन
8.	19 नवम्बर	मेचुका	चीन
9.	23 दिसम्बर	मुन्नाबाऊ	पाकिस्तान
		2002	
1.	8 जनवरी	जम्मू	पाकिस्तान
2.	13 जनवरी	तंगधर	पाकिस्तान
3.	11 फरवरी	गुरदासपुर	पाकिस्तान
4.	15 अप्रैल	गोरखपुर	नेपाल
5.	20 नवम्बर	दिल्ली	मलेशिया
		2003	
1.	3 फरवरी	मुंबई	पाकिस्तान

भू-जल में प्रदूषण

***180. श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह : 65 -70

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बहुत से राज्यों में भू–जल में प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भू–जल जिसका स्तर गिर रहा है में आर्सेनिक, पारा तथा अन्य हानिकारक रसायन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भू–जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ङ) जल संसाधन मत्रालय के तहत केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) नियमित आधार पर सारे देश में भूजल गुणवत्ता की निगरानी करता है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल कुल मिलाकर पीने योग्य है। तथापि, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूजल मुख्यतः औद्योगिक और घरेलू गंदे जल, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, खनन के दूषित जल, लवणीय जल प्रवेश तथा भूजल मे चट्टानी सरचनाओं के कारण खराब गुणवत्ता वाला है। ऐसे राज्यों और स्थानो के नाम जहा भूजल संदूषित पाया गया है जिसके कारण भूजल संदूषित हुआ है उसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल में किए गए अध्ययनों के अनुसार राज्य के आठ जिलों में उथले जलभृतों में आर्सेनिक पाया गया है। तथापि, इन क्षेत्रों में गहरे जलभृत आर्सेनिक रहित पाए गए हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल प्रदूषण को रोकने के उपाय करना मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भूजल प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं

(i) भू जल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया है।

(ii) जल मितव्ययता, कुशल उपयोग, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई के महत्व पर जन जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों के भीतर बहिःस्राव को सीमित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से उद्योगों को निर्देश देने, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में साझे निस्सरण उपचार संयंत्रों की स्थापना और अच्छी गुणवत्ता वाली निगरानी स्कीम शुरू करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने के वास्ते स्कीम शुरू करने जैसे अनेक उपाय अपनाए हैं।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) तथा फ्लोराइड, लौह, आर्सेनिक, नाइट्रेट और खारेपन जैसी गंभीर भू–जल गुणवत्ता समस्याओं वाली विशिष्ट उप–मिशन परियोजना के तहत ग्रामीण आबादी के लिए सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने में राज्यों की सहायता तथा मार्गदर्शन करता है। ऐसे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, जहां पर भूजल पीने योग्य नहीं है, में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति वैकल्पिक स्रोतों, सतही जल को उपयोग में लाकर अथवा जल को फ्लोराइड, लौह और आर्सेनिक रहित बनाने जैसे सुधारात्मक उपाय शुरू करके अन्य माध्यमों द्वारा की जाती है।

विवरण

विभिन्न प्रदूषक तत्वों के कारण जिले के कुछ क्षेत्रों में भूजल के संदूषण का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	लवणता	लौह	फ्लोराइड	नाइट्रेट	आर्सेनिक	भारी धातु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम	–	प्रकाशम, नेल्लोर, अनंतपुर, नलगोंडा, रंगारेड्डी, अदिलाबाद	विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर, कुर्नूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, अदिलाबाद, नलगोंडा, खम्माम	–	अनंतपुर, महबूबनगर, प्रकाशम, विशाखापत्तनम, कुडप्पा, नलगोंडा
2.	असम	–	ब्रह्मपुत्र का उत्तरी किनारा	नगांव, कारबी अंगलोंग	–	–	डिगबोई
3.	बिहार	बेगुसराय	चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, देवघर, मधुबनी, पटना, पलामू, नालंदा नवादा, बांका	गिरिडीह, जमुई, धनबाद	पलामू, गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, साहेबगंज, बांका	–	धनबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय
4.	गुजरात	बनासकांठा, जूनागढ़, भरूच, सूरत, मेहसाना, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, खेड़ा, जामनगर	–	कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, साबरकांठा	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	हरियाणा	सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, जींद, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़	–	रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद	अंबाला, सोनीपत, जींद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़	–	फरीदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	कुल्लू, सोलन, उना	–	परवानू, कलाम्ब
7.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, रायचूर, बेल्लारी, धारवाड़	–	तमकुर, कोलार, बंगलोर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर	–	–	भद्रावती
8.	केरल	एर्नाकुलम, त्रिचूर, एलेप्पी	–	पालघाट	–	–	–
9.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, झाबुआ, खरगौन, धार, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, मंदसौर, उज्जैन	–	भिंड, मुरैना, गुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सीवनी, मंडला, रायपुर, विदिशा	सीहोर	–	बस्तर, कोरबा, रतलाम, नागदा
10.	महाराष्ट्र	अमरावती, अकोला		भंडारा, चन्द्रपुर, नांदेड़, औरंगाबाद	थाने, जालना, बीड, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, धुले, जलगांव, औरगाबाद, अहमदनगर, पुणे, बुल्धाना, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली	–	–

भारत-रूसी परियोजना

1664. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक सोसायटी ने भारत–रूस के संबंधों के क्रमिक विकास से संबंधित एक प्रतिष्ठित भारत–रूस परियोजना पर कार्य करना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोवंश आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट

1665. श्री महेश्वर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गाय के प्रजनन हेतु गठित गोवंश आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार ने गोवंश की रक्षा, संरक्षण और कल्याण से जुड़े देश (केंद्र और राज्यों) के संगत कानूनों की समीक्षा करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय गोवंश आयोग की स्थापना की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग की सिफारिशों की जांच करने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। दल से 15 मार्च, 2003 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आयोग की सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय गोवंश आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं

(1) गोवंश हत्या पर प्रतिबंध को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए ताकि इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके।

(2) गोवंश हत्या पर प्रतिबंध और उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने–ले जाने पर एक केंद्रीय कानून लागू करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन किया जाए। विषय को संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची या कम से कम समवर्ती में अंतरित करके ऐसा किया जाए।

(3) इस कानून के उल्लंघन को गैर–जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाए और इसके लिए सत्र न्यायालय में मुकदमे की व्यवस्था होनी चाहिए। उल्लंघन के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास की न्यूनतम सजा हो जिसे जुर्माने के साथ दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा सके। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सबूत प्रस्तुत करने का दायित्व दोषी व्यक्ति का ही होना चाहिए।

(4) केंद्र सरकार को देश में समग्र रूप से एक स्थाई राष्ट्रीय गोवंश विकास आयोग या राष्ट्रीय गोसेवा आयोग का गठन करना चाहिए ताकि इसे कार्य करने के लिए समुचित निधि प्रदान की जा सके।

(5) गोवंश परिरक्षण और विकास के लिए पशुपालन विभाग से सस्वतंत्र एक अलग मंत्रालय बनाया जाए।

(6) पशुपालन विभाग को पुनर्गठित किया जाए और उसे आवंटित विषय में पशुओं के परिरक्षण और विकास को शामिल किया जाए न कि मीट इत्यादि के द्वारा पशु खाद्य को।

(7) देश में बूचडखानों के निर्माण या रखरखाव इत्यादि के लिए पशुपालन या कृषि विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता न दी जाए।

(8) गोमांस और बछड़े के मांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

(9) केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य मे गोसेवा आयोगों के गठन और कार्यकरण का सुनिश्चय करे और उनके संचालन के लिए उन्हें समुचित निधियां भी उपलब्ध कराए। इन आयोगों की निगरानी केंद्र में राष्ट्रीय गोसेवा आयोग द्वारा की जाए।

(10) केंद्रीय गोवंश रक्षा–प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ त्वरित पुलिस कार्यबल सृजित किया जाए। इसके पास एक विशेष बल होना चाहिए जिसे गोवंश के निर्गमन को रोकने के लिए केरल और बांग्लादेश सीमा पर लगाया जाए।

(11) केरल और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत समुचित निर्देश दिए जाएं ताकि गोवंश की हत्या के लिए निषेध लागू किया जा सके।

(12) पड़ोसी राज्यों से हत्या के लिए गोवंश के आगमन को रोकने के लिए केरल को विशेष बल दिया जाए।

(13) रेल और ट्रक आदि से गोवंश की ढुलाई के दौरान आक्सीटोसिन देकर उन पर अत्याचार तथा उनका दूध निकालने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

(14) हत्या किए गए गोवंश के चमड़े के उत्पादन को

प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया जाए।

(15) गोवंश के उन तस्करों/माफिया को रोकने के लिए पोटा जैसे कड़े कानून में संशोधन किए जाएं जो केरल और बांगलादेश को बड़े पैमाने पर गोवंश के निर्गमन में लगे हुए हैं।

(16) जर्सी जैसे आयातित गोवंश से वर्णसंकरण और उनके आयात की मनाही होनी चाहिए।

(17) स्वदेशी नस्लों को प्रोत्साहित किया जाए और संपूर्ण देश में उनके विकास तथा संरक्षण के लिए सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रजनन नीति बनाई जानी चाहिए और विशेष योजनाएं विकसित और क्रियान्वित की जानी चाहिए।

(18) रसायनिक खाद कार्य बल समिति 2001 की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए तथा इसकी समस्त सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाए।

(19) रसायनिक उर्वरकों के उत्पादन और रसायनिक कीटनाशियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाए।

(20) दसवीं योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग द्वारा गठित किए गए 11वें उपदल (मीट क्षेत्र पर) की सिफारिशों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाए।

(21) केंद्र/राज्य सरकार दोनों केस द्वारा स्वयं सेवी संगठनों के जरिए गोशालाओं, गोसदनों और पिंजरापोलों का गठन किया जाए। सरकार को ऐसी गोशालाओं के निर्माण और रखरखाव तथा दैनिक खर्च के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान देना चाहिए।

(22) सूचना और प्रसारण मंत्रालय गो दुग्ध, गो उत्पादों आदि की गुणवत्ता तथा विशेषता के संबंध में जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रमों की शुरूआत करे।

(23) राज्य से अनुरोध किया जाए कि वे गोवंश की संख्या के अनुपात में चारा एवं आहार का उत्पादन सुनिश्चित करें।

(24) पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में खड़ी फसल के भूसे जिसका उपयोग चारे के रूप में किया जा सकता है को जलाने संबंधी कार्य को एक दंडित अपराध बनाया जाए।

(25) भारतीय खाद्य निगम की पद्धति पर भारतीय चारा निगम की स्थापना की जाए जिसकी शाखाएं प्रत्येक राज्य में हों।

(26) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विशेष चारा उत्पादन अभियान शुरू किया जाए।

(27) केंद्रीय/राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दी जा रही राजसहायता की पद्धति पर राशन की दुकानों से चारे की बिक्री पर राजसहायता दें।

(28) लावारिस गोवंश को विनियमित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए राज्य सरकारें, ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को एक परिपत्र जारी किया जाए।

(29) प्रत्येक राज्य के पास एक ऐसा प्रजनन केंद्र होना चाहिए जो केवल स्थानीय प्रजनन के विकास पर ध्यान केंद्रित करें।

(30) एक ऐसा गोवंश कानून प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया जाए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक राज्य से दूसरे राज्य तक गाय और सांडों आदि के आवागमन का प्रभारी होगा।

(31) गोमांस के निर्यात एवं आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

(32) गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तथा गोवंश की हत्या को संवैधानिक अपराध माना जाए।

[अनुवाद]

74-75

शीतल पेय में सिंथेटिक स्वाद/रंग का उपयोग

1666. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं कि विभिन्न कृत्रिम रंगों और स्वाद बढ़ाने वाले कारक, विशेष रूप से वे जो लघु उद्योग द्वारा

निर्मित किए जाते हैं और जिनका इस समय सिर्फ शीतल पेयों में ही नहीं बल्कि मिठाइयों में भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, खाद्य उत्पादों संबंधी मानदंडों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुसरण करें और अनुपालन करें;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे सिंथेटिक स्वाद और रंगों के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट फल उत्पादों जिसमें शीतल पेय शामिल हैं, में निर्दिष्ट मात्रा में कृत्रिम/संश्लेषित रंग या उनके मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल करते समय ये कृत्रिम/संश्लेषित रंग शुद्ध और सभी अशुद्धताओं से मुक्त होने चाहिए। इसके अलावा, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंध के अनुसार, सभी निर्माताओं को चाहे वे छोटे हों या बड़े, भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत कृत्रिम/संश्लेषित खाद्य रंगों का निर्माण करना चाहिए और वे इन नियमों में दो विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होने चाहिए। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में दिए लेबलिंग उपबंधों के अनुसार, किसी खाद्य पदार्थ में संश्लेषित खाद्य रंगों और स्वाद बढ़ाने वाली सुंगधों, जैसी भी स्थिति हो के उपयोग की घोषणा उस खाद्य पदार्थ के लेबल पर करना अनिवार्य है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में उन प्रतिबंधित सुगंधों की सूची भी दी गई है जिनका इस्तेमाल किसी खाद्य पदार्थ में नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) इस संबंध में प्राप्त शिकायत की संबंधित विनियामक प्राधिकरण जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और फल उत्पाद आदेश, 1955 को कार्यान्वित करता है, द्वारा जांच की जाती है और उल्लंघन करने पर कार्रवाई शुरू की जाती है।

रायल्टी में छूट हेतु आंध्र प्रदेश का अनुरोध

75-76

1667. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मछुआरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अत्यंत उच्च आवृत्ति के रेडियो सेटों/तट संचार स्टेशनों पर केंद्र सरकार को भुगतान की जाने वाली रायल्टी में छूट और निशुल्क लाइसेंस की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में मछुआरों को क्या राहत दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) संचार मंत्रालय 50 से 60 किमी. की दूरी से अधिक के संचार के लिए प्रतिवर्ष प्रति लिंक 100 रुपये का लाइसेंस शुल्क तथा 4800 रुपये की रायल्टी लेता है। किंतु मात्स्यिकी यानों के लिए मेरीटाइम मोबाइल स्टेशन लाइसेंस के लिए केवल 250 रुपये प्रतिवर्ष प्रति यान लाइसेंस शुल्क के रूप में लेता है जो काफी कम है।

रोजगार सृजन

76-78

1668. श्री मोइनुल हसन :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994–2002 के दौरान रोजगार सृजन में अत्यधिक गिरावट आई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार, अनुमानित रोजगार जो कि 1993–94 के दौरान 374 मिलियन के लगभग था वह 1999–2000 के दौरान बढ़कर 397 मिलियन हो गया। 1994–2000 के दौरान रोजगार लगभग 0.98 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से बढ़ा।

[हिन्दी]

सिंचाई

76-78

ड्रिप सिंचाई योजना

1669. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत गुजरात को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त आवंटन में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार से धनराशि के उपयोग संबंधी रिपोर्ट की मांग की गई है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने मेहसाणा और बनासकांठा में जारी सूखे के संबंध में केंद्र सरकार को सूचित किया है; और

(च) इसके लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि में वृहद प्रबंधन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का पूरण/अनुपूरण के अंतर्गत गुजरात सरकार की कार्ययोजना में ड्रिप सिंचाई के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान नियत की गई धनराशि इस प्रकार है

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
2000–01	252.00
2001–02	315.00
2002–03	340.00

(ख) और (ग) जी, नहीं। वृहद प्रबंधन स्कीम के अनुसार राज्य सरकारों को यह छूट मिल जाती है कि वे कार्य योजनाओं के माध्यम से अपने राज्य की जरूरतों के मुताबिक कार्यक्रमों का चयन कर सकें।

(घ) जी, हां। राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे उनको जारी किए गए धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(ङ) दिसंबर, 2002 में गुजरात सरकार ने अपने राज्य के 13 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है जिसमें बनासकांठा जिला भी शामिल है।

(च) आपदा राहत कोष में से वर्ष 2002–03 की केंद्रीय हिस्से की संपूर्ण धनराशि, जो कि 133.46 करोड़ रुपये है, गुजरात राज्य को जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

नारियल अनुसंधान केंद्र 78

1670. श्री टी. गोविन्दन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल अनुसंधान केंद्र ने देश के विभिन्न भागों विशेषकर केरल में नारियल के वृक्षों को प्रभावित करने वाले रोग के सफल उपचार का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) नारियल के सभी प्रमुख रोगों की रोकथाम के उपाय उपलब्ध हैं। केरल में नारियल जड़ (मुरझान) रोग के प्रबंधन, कृषि क्रियाओं से रोग के बुरे प्रभाव को सुधारने तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को सूत्रबद्ध किया गया है। रोग सहिष्णु वंशक्रमों के विकास के लिए रोग सहिष्णु ताड़ों की पहचान की गई है।

नारियल के रोगों की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों को मुहैया की गई सहायता निम्न है :

राज्य	रुपये लाख में
केरल	65.09
कर्नाटक	42.98
उड़ीसा	29.18

[हिन्दी]

जलग्रहण क्षेत्रों का विकास 78–81

1671. श्री रामानन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को जिला–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या घटिया निर्माण के कारण जल भंडारण के लिए तालाबों को अयोग्य पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कृषि मंत्रालय वृहद प्रबंधन विधि के माध्यम से नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में खराब गुणवत्ता वाली भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण के कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत शामिल आवाह क्षेत्र निम्नलिखित है :

क्र.सं.	आवाह क्षेत्र	शामिल जिले
1.	चम्बल	देवास, धार, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन
2	माही	धार, झाबुआ और रतलाम
3.	माताटीला	भोपाल, गुना, रायसेन, शिवपुरी, सागर और विदिशा
4.	उकाई	खंडवा, बेतुल और खरगौन
5.	तवा	बेतुल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद
6.	रेंगाली मंदिरा	रायगढ़
7.	सरदार सरोवर	खंडवा, होशंगाबाद, उज्जैन, खरगौन, बेतुल, देवास, रायसेन, झाबुआ, सीहोर और छिंदवाड़ा
8.	सोन	सतना, शहडोल, जबलपुर, रीवा और अम्बिकापुर
9.	बनास	मंदसौर

मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती है तथा राज्य द्वारा तैयार किए गए कार्य योजना प्रस्ताव के अनुसार राज्य कृषि विभाग के लिए वृहद प्रबंधन विधि के अंतर्गत निधियां जारी की जाती हैं। नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान क्रमशः 782.00 लाख रुपये और 500.60 लाख रुपये मुहैया कराए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुंदरवन का विकास

1672. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सुंदरवन में पर्यटन के विकास हेतु केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

(i) राज्य स्वामित्व वाले ग्रेट ईस्टर्न होस्टल के भाग का उन्नयन;

(ii) आधुनिक लग्जरी सुविधायुक्त 16 डबल बिस्तरों वाले वातानुकूलित केबिन सहित एक नॉन प्रोपेल्ड हाउस बोट;

(iii) 40/50 व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए कैटामारण हुल सहित एक फास्ट फैरी;

(iv) स्थानीय आवागमन के लिए पांच छोटी इनफ्लैटेबल रिजिल हुल एफआरपी बोटें;

(v) अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान सुंदरवन में पर्यटन परियोजना के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई राशि अभी तक रिलीज नहीं की गई है।

(घ) सुंदरवन के संवेदनशील इको–सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन विभाग, बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस क्षेत्र के लिए विकास की सीमा एव परियोजना विकास के विनिर्दिष्टकारकों को अभिनिर्धारित करने के लिए कार्यबल के गठन हेतु उपयुक्त अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के नाम सुझाएं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में मत्स्य पालन के लंबित प्रस्ताव

1673. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जम्मू–कश्मीर में मत्स्य पालन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यटन दिवस

1674. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण के रूप मे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ के साथ पूर्वोत्तर में 25 जनवरी, 2003 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और पर्यटन दिवस के दिन विशेष रूप से उल्लिखित पर्यटन आकर्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इन स्थानों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा चलाई गई गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- प्रमुख पर्यटक स्थलों के प्रचार के लिए मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान।
- राज्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- पेंटिंग प्रतियोगिता एवं फोटो प्रदर्शनी।
- टूरिस्ट लॉज/स्थलों की सजावट एवं रोशनीकरण।
- बैनर एवं हवाई अड्डों पर विदेशी पर्यटकों का परंपरागत स्वागत।
- पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के बारे में साहित्य वितरित करना।

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं

- शिलांग–गुवाहाटी–काजीरंगा–तेजपुर–भलकपुंग–तवांग–मजुली–शिवसागर–कोहिमा नामक इको–टूरिज्म परिपथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- स्वीकृत परियोजनाओं की पुनरीक्षा के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ एक बैठक की गई थी।

अंगूर उत्पादकों को सहायता

1675. श्री सुबोध मोहिते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नाबार्ड (एनएबीएआरडी) ने महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादकों के लिए जल खरीदने हेतु 150 करोड़ रुपये उधार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नाबार्ड का महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के संतरा उत्पादकों को कुछ ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य सरकारों और वित्तीय बैंकों के साथ परामर्श करके अंगूर के उत्पादकों के लिए पुनर्वित्तपोषण की एक स्कीम तैयार

की है जिससे कि महाराष्ट्र के आठ चुनिंदा जिलों में सिंचाई पर आने वाली अतिरिक्त लागत को पूरा किया जा सके। यह योजना 2002–03 के दौरान चालू है। इस पुनर्वित्तपोषण पर ब्याज की दर 6.75 प्रतिशत है और नाबार्ड ने पुनर्वित्तपोषण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ग) से (ङ) नाबार्ड भागीदार बैंकों को पुनर्वित्तपोषण करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे कि वे पादप रोपण और बागवानी जैसे क्रियाकलापों के लिए वित्तपोषण कर सकें। इन क्रियाकलापों में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में संतरे के पौध रोपण का कार्य भी शामिल है।

वर्ष 2001–02 के दौरान महाराष्ट्र में पौध रोपण और बागवानी के क्रियाकलापों के लिए नाबार्ड द्वारा सहभागी बैंकों को 5049.00 लाख रुपये पुनः वित्तपोषण के रूप में वितरित किए गए।

नागर विमानन में निवेश

1676. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री सुनील खां : 83.84

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त किए गए प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दसवीं योजनावधि के दौरान शुरू की गई/पूरी की गई प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि. और भारतीय होटल निगम ने नई फोटो पहचान पत्र (PIC) प्रणाली, विमान और हैलीकॉप्टरों का अधिग्रहण, हवाईअड्डा अवसंरचना का विकास, होटल के कमरों का नवीकरण आदि जैसी विभिन्न योजनाओं पर क्रमश 5.182, 344.14, 1399.51, 1028.79, 29.82 और 24.32 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

(ख) सरकार ने बैंगलोर के समीप देवनहल्ली, हैदराबाद के समीप शमशाबाद और मोपा (गोवा) में नए अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। केरल में कन्नूर, उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब, राजस्थान में अजमेर और महाराष्ट्र में पुणे (चाकन) और नेवी मुंबई, सिक्किम में गंगटोक के समीप पकयोंग में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित करने और नागपुर हवाई अड्डे को मल्टी माडल अंतराष्ट्रीय यात्री और कार्गो हब के रूप में उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) एयर इंडिया ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 2661.39 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय उपलब्ध कराया है जिसमें, विमान कर्ज के भुगतान के लिए 1623.50 करोड़ रुपये दो ए–310–300 पट्टे पर लिए विमानों के अधिग्रहण के 277.89 करोड़ रुपये और गैर वैमानिकी परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये शामिल हैं। इंडियन एयरलाइंस ने विमान योजनाओं के लिए 3166.90 करोड़ रुपये और अन्य सहायक सुविधाओं के लिए 1073.60 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा है। विभिन्न हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नए टर्मिनल भवनों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये, टर्मिनल भवनों के विस्तार के लिए 220 करोड़, नए सिविल इन्कलेवों के विकास के लिए 110 करोड़ रुपये, रनवे और संबंधित मार्गों आदि के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 580 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पर्यावरण रक्षा एजेंसी की स्थापना

1677. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह : 84-85

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण के प्रभावशाली रक्षण में असमर्थ रहने के कारण देश में राष्ट्रीय पर्यावरण रक्षा एजेंसी की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व्यापक तरीके से पर्यावरण और वानिकी विषयों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण और क्षेत्रीय पर्यावरण प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

85-

तंबाकू की खरीद

1678. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के बिना दंड के अधिक तंबाकू उपज खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्नाटक से कुल कितना तंबाकू खरीद गया;

(ग) क्या सरकार ने उपज पर एक प्रतिशत सेवा कर का प्रभार लगाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए भी अधिसूचना जारी की थी;

(ङ) यदि हां, तो उत्पादकों के अधिक तंबाकू उपज खरीदने से तंबाकू उत्पाक किसानों को कितनी सहायता मिली है;

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी तंबाकू खरीद जारी रखने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नाराण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 2002–03 के फसल मौसम में कर्नाटक में अपंजीकृत उत्पादकों के अप्राधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू के विपणन पर सरकार द्वारा अतिरिक्त शुल्क व बिक्री पर 2 प्रतिशत के रूप में 2 रु. प्रति किग्रा की लेवी अधिसूचित की गई है।

(ङ) सरकार ने कर्नाटक के उत्पादकों से अत्यधिक मात्रा में तंबाकू की खरीद नहीं की है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिकों को जैव-प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

1679. श्री महबूब जाहेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

86

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैव–प्रौद्योगिकी के "अग्रणी क्षेत्र" में अपने युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य विश्वविद्यालयों के युवा व मध्यम स्तर के वैज्ञानिकों के लिए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में पहचान की गई है। जैव–प्रौद्योगिकी में फसल, बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। पहचाने गए क्षेत्रों में पराजीनों, अण्विक, प्रजनन, जेनोमिक्स, जैव–सूचनाओं, खाद्य टीकों, अण्विक निदान–शास्त्र, रोग निदान–शास्त्र, जीन पार्थक्य और संबंधित पहलुओं का विकास करना शामिल है।

[हिन्दी]

जल संसाधनों के उपयोग हेतु 'मास्टर प्लान'

86-87

1680. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परंपरागत जल संसाधान के उपयोग हेतु कोई 'मास्टर प्लान' बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए "मास्टर प्लान' बनाया है;

(ग) जल संरक्षण की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण,

मास्टर योजनाओं सहित जल संसाधन स्कीमों की तैयारी, आयोजना, क्रियान्वयन एवं उनका वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मास्टर योजनाएं जल संसाधनों की उपलब्धता तथा ऐसे क्षेत्र, जिसके लिए मास्टर योजना तैयार की जा रही है; की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं।

देश में वर्षा जल संचयन की परंपरागत प्रणालियों, बांध और लघु टैंकों का निर्माण, पुराने टैंकों की मरम्मत, जल विभाजक प्रबंधन आदि का उपयोग किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना' तैयार की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्रवण टैंकों, चेक बांधों, उप–सतही डाइकों, नाली प्लगों, गैबियन संरचनाओं, कण्टूर बांधों, पुनर्भरण शाफ्टों आदि जैसी 2.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से 36,453 मिलियन क्यूबिक मीटर जल के पुनर्भरण की योजना है। इसके अतिरिक्त, 37 लाख संरचनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में छत के वर्षा जल के संचयन संबंधी संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस मास्टर योजना की अनुमानित लागत लगभग 24,500 करोड़ रुपए है।

छत के वर्षा जल के संचयन, चुनिंदा संवाहक प्रणालियों को पक्का करके, जल की क्षति को कम करके, मौजूदा प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं मरम्मत करके तथा स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई तकनीकें अपनाकर भी जल संरक्षण किया जा रहा है।

रांची में किसान विद्यापीठ की स्थापना

1681. प्रो. दुखा भगत :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची में किसान विद्यापीठ की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है और कृषि विद्यापीठ स्थापित करना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

(घ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

किसान कृषि सेवा केन्द्र

1682. श्री शिवाजी माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में किसान कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

1. राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यवार किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना, उनके कार्य और निष्पादन

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या	कृषि सेवा केन्द्रों के कार्य	कार्य निष्पादन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	–कृषि उपस्करों की आपूर्ति	वर्ष 2001–02 के दौरान (अक्तूबर, 2001 तक) इन केन्द्रों का व्यवसाय 205.92 लाख रु. लक्ष्य की तुलना में 192.06 लाख रुपए का हुआ।

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	– कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग सेवाएं	इन केन्द्रों ने बहुत अच्छा काम किया है।
3.	असम	82	– कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाना	केन्द्रों ने कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है।
4.	गुजरात	18	– कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग सेवाएं – मरम्मत एवं निर्माण सेवाएं	कुछ केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। अन्य केन्द्र अपने व्यापार को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।
5.	हरियाणा	128	– कृषि यांत्रिकी एवं अन्य आदानों की आपूर्ति, कस्टम हायरिंग	वर्ष 1979–80 से इन केन्द्रों को या तो बंद कर दिया है या स्वंतत्र हो गए हैं क्योंकि सरकार से उनको कोई सहायता नहीं मिलती।
6.	कर्नाटक	16	– कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य में प्रशिक्षण – कृषि उपस्करों की आपूर्ति	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन्हें बंद कर दिया गया है।
7.	केरल	1047	– कृषि उपकरणों की कस्टम सेवाएं – कृषि उपकरणों की आपूर्ति – पौध संरक्षण, निकासी, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए उपचारी सेवाएं प्रदान करना।	निष्पादन संतोषजनक पाया गया।
8.	मध्य प्रदेश	50	– कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग	एम पी राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने सूचित किया कि अधिकांश केन्द्रों को बंद कर दिया गया है।
9.	महाराष्ट्र	258	– कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग – कृषि उपस्करों की आपूर्ति और उनके उपयोग के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना। – कृषि उपस्करों के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	130 कृषि सेवा केन्द्र अपने व्यापार जारी रख सकते हैं और शेष को बंद कर दिया गया हैं।
10.	मणिपुर	2	– कृषि उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण का प्रशिक्षण तथा कृषि आदानों की आपूर्ति – कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण	वित्तीय दबावों के कारण इन केन्द्रों का निष्पादन पिछले 2–3 वर्षों से संतोषजनक नहीं रहा है।
11.	उड़ीसा	242	– कृषि उपरकणों की कस्टम हायरिंग सेवाएं	राज्य सरकार ने उनके निष्पादन को संतोषजनक पाया और ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों पर परिणामों को प्रोत्साहनकारी पाया।

1	2	3	4	5
12.	सिक्किम	6	– कटाई पश्चात प्रचालनों की कस्टम सेवाएं	इन केन्द्रों का निष्पादन संतोषजनक बताया गया।
13.	तमिलनाडु	418	– कृषि यांत्रिकी कस्टम हायरिंग और उनकी मरम्मत एवं अनुरक्षण – कृषि आदानों की आपूर्ति – संबंधित तकनीकी सेवाएं प्रदान करना	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सेवा केन्द्र अब अधिक क्रियाशील नहीं है।
14.	उत्तरांचल	8	– कृषि आदानों की आपूर्ति – तकनीकी जानकारी का प्रचार प्रसार – कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग सेवाएं – खाद्यान्नों की खरीद	सूचित किया गया है कि कृषि सेवा केन्द्रों का निष्पादन संतोषजनक है।
15.	पश्चिम बंगाल	450	– आदानों की आपूर्ति	कोई भी कृषि सेवा केन्द्र वर्तमान में काम नहीं कर रहा है। तथापि 450 कृषि सेवा केन्द्रों में से 36 केन्द्र स्वतंत्र व्यापारियों की तरह कृषि आदानों का व्यवसाय कर रहे हैं।

2. शेष सभी राज्यों ने सूचित किया है कि वहां कोई कृषि सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं।

द्विपक्षीय समझौता 91

1683. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को द्विपक्षीय समझौता करने के किसी प्रस्ताव से इसे अर्जन के बड़े हिस्से का लाभ मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस के भविष्य में होने वाले सभी विस्तारों पर रोक लगा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) द्विपक्षीय समझौतों से होने वाली आय के बड़े भाग के रूप में इंडियन एयरलाइंस के लिए मंजूर करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल उद्योग का पुनरुत्थान 92-93

1684. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटों और रोगों के कारण केरल में नारियल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 5947 नारियल पर आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल सरकार ने 576 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ नारियल क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) केरल में नारियल की उत्पादकता 1999–2000 में 5747 गिरी प्रति हेक्टेयर से बढकर 2000–01 में 5870 गिरी प्रति हेक्टेयर हो गई है।

(ख) केरल में रूट विल्ट रोग के प्रबंधन के लिए नारियल विकास बोर्ड उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नारियल की जोतों में समेकित फार्मिंग संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें रोगग्रस्त पामों की कटाई तथा हटाना, प्रदर्शन प्लाटों का निर्धारण करना, उत्पादकता में सुधार तथा जैविक खाद यूनिट शामिल हैं। नारियल विकास बोर्ड ने अपने गठन से अब तक राज्य में नारियल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केरल सरकार को 110.94 करोड़ रु. की राशि मंजूर की है। नारियल में कुटकी (माइट) जिसकी पहली रिपोर्ट 1998 में एर्णाकुलम जिले में मिली थी, पर नियंत्रण करने के लिए केवल कुटकी (माइट) प्रबंधन के लिए 30.09 करोड़ रु. की सहायता राज्य को दी गई है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 576.14 करोड़ रु. के परिव्यय से केरल के रूट विल्ट रोगग्रस्त क्षेत्रों में नारियल की जोतों की उत्पादकता में वृद्धि संबंधी परियोजना प्रस्तुत की है जिसमें त्रिशूर और तिरूवनन्तपुरम सीमावर्ती जिलों में रोगग्रस्त वृक्षों की कटाई तथा इन्हें हटाने, उन्नत फसल प्रबंधन को अपनाने तथा पुनर्रोपण के लिए पौधों की आपूर्ति आदि पर जोर दिया गया है। इस परियोजना की कृषि तथा सहकारिता विभाग में जांच की गई थी। इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से इसके गठन से अब तक केरल सरकार को 110.94 करोड़ रु. की राशि मंजूर की है। एक निश्चित समय सीमा के तहत उच्च निवेश की आवश्यकता वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए कोष कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध अल्प वित्तीय आवंटन में से प्रदान नहीं किया जा सकता है। केरल सरकार को सलाह दी गई है कि संशोधित परियोजना, क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यनीतियों और घटकों के लिए विस्तृत औचित्य तथा तकनीकी आर्थिक व वित्तीय व्यवहार्यता आदि सहित प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए समय–सीमा के साथ, अभिज्ञात बाध्य एजेंसी या वित्तपोषण के लिए सीधे योजना आयोग को भेजी जाए। 93 – 94

वन विकास एजेंसी का गठन

1685. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में वन विकास एजेंसियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी एजेंसियां गठित की गईं;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा सहित देश में कुछ वन विकास एजेंसियों को गठित करने का कोई प्रस्ताव मिला है और इसे स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) असम, मेघालय और गोवा सरकारों के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अपने–अपने राज्यों में चुनिन्दा प्रादेशिक/वन्यजीव प्रभागों में वन विकास अभिकरणों की स्थापना की है।

(ख) स्थापित किए गए वन विकास अभिकरणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को, अपने राज्यों में वन विकास अभिकरणों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित किए गए वन विकास अभिकरणों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	17
2.	छत्तीसगढ़	12
3.	बिहार	3
4.	गोवा	0
5.	गुजरात	12
6.	हरियाणा	18
7.	हिमाचल प्रदेश	3
8.	जम्मू–कश्मीर	21
9.	झारखण्ड	4
10.	कर्नाटक	30
11.	केरल	15

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	24
13.	महाराष्ट्र	27
14.	उड़ीसा	28
15.	पंजाब	1
16.	राजस्थान	8
17.	तमिलनाडु	14
18.	उत्तर प्रदेश	31
19.	उत्तरांचल	5
20.	पश्चिम बंगाल	12
	पूर्वोत्तर राज्य	
21.	अरुणाचल प्रदेश	8
22.	असम	0
23.	मणिपुर	4
24.	मिजोरम	18
25.	मेघालय	0
26.	नागालैंड	15
27.	सिक्किम	6
28.	त्रिपुरा	9
	कुल	345

प्रयुक्त लेड और बैट्रियों का अवैध प्रसंस्करण

1686. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लेड पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी प्रयुक्त लेड एसिड बैट्रियों में से बड़े पैमाने पर लेड निकाले जाने हेतु इसके अवैध प्रसंस्करण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रयुक्त बैट्रियों से लेड निकालने हेतु प्रसंस्करण की अनुमति केवल उन्हीं इकाइयों को देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से युक्त हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) प्रयुक्त लेड एसिड बैटरियों से लेड निकालने के लिए इनके अवैध प्रसंस्करण के बारे में प्रेस रिपोर्टें आई हैं।

(ख) और (ग) सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से बैकयार्ड लेड स्मेल्टरों/कार्य करने के बाद भागने वाले प्रचालकों की जांच-पड़ताल करने और इन्हें बंद करने के लिए कहा गया है ताकि इस मंत्रालय के पास पंजीकृत इकाइयों द्वारा ही प्रयुक्त लेड एसिड बैटरियों को पुनः संसाधित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों और दूरदर्शन के माध्यम से लेड एसिड बैटरियों के प्रबंधन के बारे में सभी स्टेकहोल्डरों के बीच नियमित रूप से जागरूकता पैदा की जा रही है।

सस्ती दर पर खादी उपलब्ध कराया जाना

1687. श्री वाई. वी. राव : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आम लोगों को सस्ती दर पर खादी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) सरकार द्वारा खादी पैकेज की घोषणा 14.5.2001 को की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विपणन विकास सहायता, पैकेजिंग एवं डिजाइन सुविधाएं, ब्राण्ड बिल्डिंग, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के लिए प्रावधान है और जिसका उद्देश्य सभी को प्रतियोगी दरों पर खादी उत्पादनों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त खादी पर 10 प्रतिशत की छूट को एक वर्ष में 90 दिनों से बढ़ाकर 108 दिन कर दिया गया है।

स्मारकों का संरक्षण

1688. श्री सुशील खां : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा संरक्षित ऐसे 753 स्मारकों की पहचान की है जिनका दसवीं योजना के अन्तर्गत ढांचागत संरक्षण, संरक्षण, रासायनिक संरक्षण और विकास किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन स्मारकों की पहचान की गई है; और

(ग) विकास संबंधी ऐसी गतिविधियों के लिए राज्यवार और वर्षवार अब तक कुल कितनी धनराशि निर्धारित और आवंटित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच सौ से अधिक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहचान संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा विकास के लिए की है।

चूंकि संशोधित अनुमानों में बढ़ोतरी हुई है, अतः चालू वित्तीय वर्ष तथा साथ ही योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए स्मारक–वार अपेक्षित धनराशि के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

लाइमस्टोन और डोलोमाईट की कीमतों में कमी

1889. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने सेल के कच्चे माल संबंधी प्रभाग के भवनाथपुर लाइमस्टोन खान में उत्पादित लाइमस्टोन और डोलोमाईट की कीमतों में कमी करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भवनाथपुर लाइमस्टोन खान में लाइमस्टोन और डोलोमाईट के कार्यों को बढ़ाने की निविदा दिए जाने के बावजूद भी इन कार्यों का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सेल ने उक्त कार्यों के लिए खुली निविदा आमंत्रित करने की नीति का अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) लागत में कमी करने और चूना पत्थर तथा डोलोमाईट की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेल ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) विद्युत व्यय में कमी;

(ii) जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना; और

(iii) बेहतर पर्यवेक्षण सहित प्रभावी खनन द्वारा गुणवत्ता में सुधार।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए सहायता

1890. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों, विशेषकर आंध्र प्रदेश को, राज्यवार कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) यह विभाग दसवीं योजना (2000–03 से 2006–07 तक) के दौरान देश के सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में "कुक्कुट फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। सहायता की प्रणाली सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100 प्रतिशत है तथा अन्य राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच 80 : 20 है। इस योजना के तहत चुनिंदा राज्य कुक्कुट फार्मों को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अल्प आदान प्रौद्योगिकी प्रजनन स्टाक को बनाए रखने के लिए अपने आपको सुदृढ़ कर सकें।

(ग) इस योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस योजना के तहत राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य	स्वीकृत की गई राशि (लाख रुपए में)
असम	170.00
छत्तीसगढ़	68.00
हिमाचल प्रदेश	59.87
झारखंड	25.48
मिजोरम	70.00
उत्तरांचल	68.00
पश्चिम बंगाल	68.00

सुपारी उत्पादकों के हित में बाजार हस्तक्षेप योजना

1691. श्री ए. सी. जोस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 99-100

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सुपारी उत्पादकों के हित में बाजार हस्तक्षेप योजना (मार्किट इन्टर्वेशन स्कीम) का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी मात्रा में सुपारी की खरीद की जाती है;

(ग) क्या सभी सुपारी उत्पादकों को भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 3250 मि. टन सुपारी की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम को दिनांक 1.6.2002 से 31.8.2002 तक की स्वीकृति दी थी जिसे बाद में 31.10.2002 तक बढ़ा दिया गया था। दिनांक 31.10.2002 तक 4.16 करोड़ रु. की राशि की 756.73 मि. टन सुपारी की कुल प्रमात्रा की खरीद की गई।

(ग) से (ङ) अण्डमान एवं निकोबार सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (अधिप्रापण अभिकरण) द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम लेखों के अनुसार किसानों को 2.67 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है और 1.49 करोड़ रु. का बकाया किसानों को देय है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

1692. श्री कैलाश मेघवाल : 100-02
श्री दिनशा पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर राजस्थान में बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है और बच्चों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने के लिए नियोजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम विभाग में निरीक्षकों की कमी के कारण औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है;

(घ) ऐसे कामों में बच्चों को नियोजित करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने इस सामाजिक बुराई के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए हाल में कोई प्रयास किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 13.64 मिलियन थी, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 11.28 मिलियन थी। अतः इस दशक में बाल श्रम में कुल संख्या और प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से गिरावट आई है। राज्यवार स्थिति विवरण में दर्शाई गई है।

वर्ष 1999–2000 में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण के 55वें दौर के अनुसार देश में काम करने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 10.4 मिलियन है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें केवल उन प्रतिष्ठानों को छोड़कर जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं अथवा रेलवे प्रशासन या प्रमुख पत्तन या खान अथवा तेल क्षेत्र के अधीन हैं, सभी क्षेत्रों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,

1986 के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में राज्य सरकारों और साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है और जहां जरूरी होता है वहां आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) बाल श्रम एक जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्या है जिसे कुछ समय तक निरन्तर प्रयासों के माध्यम से हल किया जाना है। सरकार, बाल श्रम को सभी रूपों में समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समस्या की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए कामकाजी बच्चों, खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों से शुरू करते हुए, को काम से निकालकर उनके पुनर्वास हेतु एक आनुक्रमिक मार्ग अपनाया गया है।

विवरण

1971, 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्यवार विवरण

क्र.सं	राज्य	1971	1981	1991
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,,627,492	1,951,312	1,661,940
2.	असम	239,349*	**	327,598
3.	बिहार	1,059,359	1,101,764	942,245
4.	गुजरात	518,061	616,913	523,585
5.	हरियाणा	137,826	194,189	109,691
6.	हिमाचल प्रदेश	71,384	99,624	56,438
7.	जम्मू और कश्मीर	70,489	258,437	***
8.	कर्नाटक	808,719	1,131,530	976,247
9.	केरल	111,801	92,854	34,800
10.	मध्य प्रदेश	1,112,319	1,698,597	1,352,563
11.	महाराष्ट्र	988,357	1,557,756	1,068,418
12.	मणिपुर	16,380	20,217	16,493
13.	मेघालय	30,440	44,916	34,633
14.	नागालैंड	13,726	16,235	16,476
15.	उड़ीसा	492,477	702,293	452,394
16.	पंजाब	232,774	216,939	142,868
17.	राजस्थान	587,389	819,605	774,199
18.	सिक्किम	15,661	8,561	5,598
19.	तमिलनाडु	713,305	975,055	578,889
20.	त्रिपुरा	17,490	24,204	16,478
21.	उत्तर प्रदेश	1,326,726	1,434,675	1,410,086
22.	पश्चिम बंगाल	511,443	605,263	711,691
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	572	1,309	1,265
24.	अरुणाचल प्रदेश	17,925	17,950	12,395
25.	चंडीगढ़	1,086	1,986	1,870
26.	दादरा और नगर हवेली	3,102	3,615	4,416
27.	दिल्ली	17,120	25,717	27,351
28.	दमन और दीव	7,391	9,378	941
29.	गोवा			4,656
30.	लक्षद्वीप	97	56	34
31.	मिजोरम	***	6,314	16,411
32.	पांडिचेरी	3,725	3,606	2,680
	योग	10,753,985	13,640,870	11,285,340

* इसमें मिजो जिले के आंकडे भी शामिल हैं जो तब असम का हिस्सा था।

** जनगणना नहीं की जा सकी।

*** मिजोरम के संबंध में 1971 के जनगणना आंकडे असम के आंकडों में शामिल हैं।

नोट : 1991 के आंकडे 5–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

अफजल खान स्मारक का पुनर्निर्माण

1693. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतापगढ़, महाराष्ट्र में अफजल खान स्मारक का विकास करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार के 19.4.2002 के आवेदन पर केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत 23.9.2002 को धर्मशाला का पुनरुद्धार और अफजल खां मेमोरियल सोसाइटी के लिए सार्वजनिक सड़क के लिए 0.2218 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपयोग को अनुमोदित कर दिया था। इस वनेतर उपयोग को दस वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है और इसके बाद इसे जारी रखने के लिए पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। सड़क के नए निर्माण और इस पर कोलतारी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) अनुमोदन को वापस लेने का ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चिल्का झील

1694. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्का झील मानव जनित परिस्थितियों के कारण अपनी सुन्दरता और मोहकता खोती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्लभ प्रजाति के यहां कौन-कौन से और कितने प्रवासी पक्षी आते हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण चिल्का झील अपना सौन्दर्य और आकर्षण खो रही है।

(ग) चिल्का झील में बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षियों की दुर्लभ, संकटापन्न प्रजातियां हैं : स्पूनबिल्ड सैंडपाइपर, एशियन डॉविचर, स्पोटबिल्ड पेलीकन, डलमाटियन पेलीकन, बारहैडिड गूज आदि।

कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता

1695. श्रीमती रीना चौधरी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य की कुटीर उद्योग में राज्यवार कितनी भागीदारी है;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों को काई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक से भी सहायता ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान कुटीर उद्योगों सहित खादी और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों में उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कुटीर उद्योगों का भाग अनुमानतः 1.74 प्रतिशत है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) वर्तमान में कुटीर उद्योग कार्यक्रम भारत सरकार के बजटीय स्रोत से तथा बैंकों से प्रदान की गई पूर्ण वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे किसी बाह्य ऋणों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

के.वी.आई. क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान राज्यवार उत्पादन

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001			2001–2002		
		खादी	ग्रामोद्योग	कुल	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	2204.22	33915.08	36119.30	1856.46	34776.33	36632.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	155.72	160.72	4.18	212.95	217.13
3.	असम	421.62	4671.91	5093.53	403.39	5039.68	5443.07
4.	बिहार	1543.81	16656.40	18200.21	1543.81	16656.40	18200.21
5.	गोवा	0.00	2405.31	2405.31	0.00	2586.35	2586.35
6.	गुजरात	2416.05	40371.22	42787.27	1857.24	40371.22	42228.46
7.	हरियाणा	1634.92	8736.82	10371.74	2007.16	12450.88	14458.04
8.	हिमाचल प्रदेश	296.92	9965.63	10262.55	296.92	16547.23	16844.15
9.	जम्मू–कश्मीर	792.35	12263.77	12966.12	702.36	15154.38	15856.74
10.	कर्नाटक	3300.24	46465.65	49765.89	3273.55	58295.20	61568.75
11.	केरल	969.28	21275.91	22245.19	992.73	27308.37	28301.10
12.	मध्य प्रदेश	392.54	41024.43	41416.97	339.30	44849.82	45189.12
13.	महाराष्ट्र	2703.09	119476.84	122179.93	3489.91	119476.84	122966.75
14.	मणिपुर	35.00	5328.77	5363.77	35.00	5477.45	5512.45
15.	मेघालय	3.60	2862.45	2866.05	1.60	3329.00	3330.60
16.	मिजोरम	40.84	3007.27	3048.11	40.80	3110.00	3150.80
17.	नागालैंड	69.55	4101.73	4171.28	54.89	4174.52	4229.41
18.	उड़ीसा	208.81	5468.62	5677.43	221.89	7770.08	7991.97
19.	पंजाब	1252.57	25456.67	26709.24	1063.41	31845.20	32908.61
20.	राजस्थान	2497.52	57122.41	59619.93	1278.90	64731.87	66010.77

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	6.93	206.80	213.73	8.73	259.41	268.14
22.	तमिलनाडु	6040.32	58035.05	64075.37	5408.04	59961.89	65369.93
23.	त्रिपुरा	3.40	1279.92	1283.32	3.40	1822.07	1825.47
24.	उत्तर प्रदेश	11290.99	102377.82	113668.81	9920.86	101167.51	111088.37
25.	पश्चिम बंगाल	4222.01	20336.44	24558.45	4612.38	22279.48	26891.86
26.	छत्तीसगढ़	436.89	218.51	655.40	584.22	3438.37	4022.59
27.	झारखंड	314.99	40.83	355.82	154.24	350.87	505.11
28.	उत्तरांचल	0.00	307.47	307.47	808.64	3834.22	4642.86
	कुल	43013.46	643535.45	686548.91	40964.01	707277.59	748241.60
II.	**संघ शासित प्रदेश**						
1.	अंडमान–निकोबार	0.00	2522.60	252.60	0.00	349.97	349.97
2.	चंडीगढ़	0.00	1085.00	1085.00	0.00	1278.97	1278.97
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	28.37
4.	दमन–दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	113.27	3351.65	3464.92	106.96	4195.67	4202.63
6.	लक्षद्वीप	0.00	6.45	6.45	0.00	15.75	15.75
7.	पांडिचेरी	30.66	937.81	968.47	28.93	906.03	934.96
	कुल	143.93	5633.51	5777.44	135.89	6774.76	6910.65
	कुल योग	43157.39	649168.96	693226.35	41099.90	714052.35	755152.25

[अनुवाद]

विमानों के प्रकार

1696. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 107–09

(क) क्या एयर इंडिया निकट भविष्य में 18 सिंगल आइल विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है;

(ख) किन क्षेत्रों में इन विमानों को शामिल किया जाएगा;

(ग) एयर इंडिया द्वारा चौड़े विमानों की अपेक्षा सिंगल आइल विमानों को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) एयर इंडिया द्वारा खरीदे जाने वाले 18 सिंगल आइल विमानों की खरीद पर कितनी लागत आएगी और इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार अपने परिचालन से सभी चौड़े विमानों को हटाने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) एयर इंडिया ने सिंगल आइल विमानों की खरीद का अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) जी, हां। सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों और अस्सी के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शामिल किए गए बड़े आकार के विमानों का निर्माण अब नहीं होता है। इंडियन एयरलाइंस में लगभग 20 वर्षों की सेवा के दौरान इन विमानों में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित जांचों की आवश्यकता होती थी जिनके परिणामस्वरूप अनुरक्षण प्रभार में वृद्धि हुई और अनुरक्षण लागत भी बढ़ी। इन विमानों को अनिवार्य रूप से परीक्षणों और आशोधनों की आवश्यकता होती है जिसके कारण भारी व्यय होता है और काफी लम्बे समय तक इन्हें निष्क्रिय खड़ा रहना पड़ता है। 109-10

वन भूमि का अन्यत्र उपयोग

1697. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 में बगहा चिटोगनी रेल लाइन बिछाने के लिए 61.2 हेक्टेयर भूमि की की गई मूल मांग के बदले 16.17 हेक्टेयर वन भूमि ही आवंटित की थी, जिसके परिणास्वरूप रहवा और कोटरिवा नदियों का जलप्रवाह बाधित होता है और इससे 1691 हेक्टेयर वन भूमि निरन्तर 6 से 7 फीट जल में डूबी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इसके लिए मूल रूप से आपत्ति जताई थी और वह रेल मंत्रालय से 75.35 लाख रुपये की मांग करते हुए हमेशा इस मामले को उनके मंत्रालय में उठाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले को सुलझाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने जैसी सिफारिश की थी, केन्द्रीय सरकार ने 21.1.1992 को पश्चिमी चम्पारन जिले में चितौनी–बाघा–रेल एवं सड़क संपर्क के निर्माण के लिए 61.17 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग को कतिपय निर्धारित शर्तों के साथ सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया था। राज्य सरकार ने 10.8.1992 को निर्धारित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट भेजी थी। अनुपालन रिपोर्ट में राज्य सरकार ने यह बताया है कि राज्य के जल संसाधन विभाग ने बिहार सरकार से बाढ़ नियंत्रण उपायों तथा रेल एवं सड़क पुल के निर्माण के कारण मृदा अपरदन के नियंत्रण में अपने हिस्से की लागत वहन करने को कहा है। उक्त अनुपालन रिपोर्ट को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन जारी कर दिया था इसलिए, इस संबंध में भारत सरकार ने कोई वचनबद्धता नहीं दी है।

प्रदूषित भू-जल 110-11

1698. श्री विनय कुमार सोराके : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के अनुसंधान से यह पता चला है कि गंगा नदी घाटी के किनारे निवास करने वाले 449 मिलियन से अधिक निवासी प्रदूषित भू–जल के माध्यम से जहरीले आर्सेनिक पीने को बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के कुओं के सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र के कुओं में निर्धारित स्तर से पांच गुना ज्यादा आर्सेनिक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भू–जल की गुणवत्ता को लेकर इस क्षेत्र में गहरे भू–जल का क्षेत्रवार अध्ययन का सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों से होते हुए भगीरथी के पूर्वी भाग तक तथा वर्धमान, हावड़ा और हुगली जिलों से होते हुए भगीरथी के पश्चिमी भाग तक एक रेखीय भू–भाग में पश्चिम बंगाल के निचले गंगेय मैदानी क्षेत्र में कहीं–कहीं भू–जल में आर्सेनिक संदूषण की पहचान की गई है। इस समय पश्चिम बंगाल के आठ जिलों के 67 ब्लाकों में 0.05 एमजी/एल की अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक संदूषण की पहचान की गई है।

(घ) पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक संदूषण समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है :

1. पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से माल्दा जिला, दक्षिण 24 परगना जिला के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति के लिए एक स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है तथा आर्सेनिक संदूषण को दूर करने संबंधी एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में रोगविज्ञान अध्ययन प्रारंभ किया है।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय के राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत बहुत सी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जो इस प्रकार हैं :

   (i) पश्चिम बंगाल में भू–जल में आर्सेनिक प्रदूषण संबंधी उप–मिशन परियोजना।

   (ii) पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में आर्सेनिक संदूषण का अध्ययन।

   (iii) गंभीर रूप से आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विषाक्तता का आकलन करने के लिए रोगविज्ञान अध्ययन संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजना।

   (iv) आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक प्रदूषकों के नियंत्रण संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं।

   (v) भू–जल से आर्सेनिक दूर करने के लिए कम लागत वाले फिल्टर का विकास करना।

   (vi) पश्चिम बंगाल के 6 जिलों के भू–जल में आर्सेनिक उपलब्धता का भू–विज्ञानीय और भू–रासायनिक अध्ययन करना।

[हिन्दी]

खान सुरक्षा महानिदेशालय में श्रम शक्ति की कमी

1699. प्रो. रीमा वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) में निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो श्रम शक्ति के अभाव में डीजीएमएस का कार्य किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या हाल के कुछ महीनों में हुई खान दुर्घटनाओं के लिए यह कारण उत्तरदायी रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) में 167 निरीक्षण अधिकारियों की संस्वीकृत नफरी है इनमें से 133 पद भरे हुए हैं और 34 पद खाली पड़े हैं।

(ख) से (घ) खान प्रबंधन, खान अधिनियम, 1952 की धारा 18 के अन्तर्गत निर्धारित अनुसार अपनी खान में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारियों की भूमिका इन खानों के निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने तक सीमित है। कोयला एवं गैर–कोयला खानों, दोनों में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी से परिलक्षित होता है कि सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। स्टाफ निरीक्षण एकक (एसआईयू) को भी डीजीएमएस की श्रम बाल जरूरत का नए सिरे से आकलन करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर लावारिस कार्गो

1700. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों से मालिकों द्वारा कार्गो को उठाने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित है;

(ख) गत तीन वर्षों से विभिन्न हवाई अड्डों पर कितने लावारिस कार्गो पड़े हुए हैं; और

(ग) अप्रैल, 1998 से दिसम्बर, 2002 तक लावारिस कार्गो को बेचे जाने से कितनी धनराशि की प्राप्ति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार आयातित

कार्गो को उसके वैध स्वामी द्वारा सामान के अवतरण की तारीख से 30 दिन के भीतर क्लियर कराया जा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आयातित कार्गो को बिना विलम्ब शुल्क के छुड़ाने के लिए 5 कार्य दिवस निःशुल्क अवधि के रूप में उपलब्ध कराता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों यथा अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2002 तक मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर दावा रहित कार्गो पैकेजों की संख्या क्रमशः 8090, 15986, 121 और 1886 है।

(ग) मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में इन दावारहित कार्गो की बिक्री से प्राप्त हवाई अड्डावार राशि क्रमशः 5.76 करोड़ रुपए, 5.67 करोड़ रुपए, 2.47 करोड़ रुपए और 0.33 करोड़ रुपए है।

नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1701. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना से रोजगार सृजन की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) श्री सुरेश प्रभु, संसद सदस्य, लोक सभा की अध्यक्षता में नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में 13.12.2002 को एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल के विचारार्थ–विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना के वित्तपोषण के लिए विभिन्न तौर–तरीकों पर विचार करना शामिल है। परियोजना के वित्तपोषण और निष्पादन के लिए विकल्प देने तथा लागत वसूली, आदि के लिए सुझाई गई विधियों के लिए 31 जुलाई, 2003 तक एक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए इस कार्यबल को एक समय सारणी दी गई है।

[हिन्दी]

गन्ना अनुसंधान और विकास

1702. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना संबंधी अनुसंधान और विकास को प्रयोग में लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी और सिविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी और सिविल कार्यों की लागत का 33.33 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता उन प्रस्तावों को उपलब्ध है जो तकनीकी और वित्तीय तौर पर व्यवहार्य पाए जाते हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल

1703. श्री दिग्विजय पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कर्मचारी एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वार्ता के लिए एयर इंडिया कर्मचारी एसोसिएशन के नेताओं को आमंत्रित किया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संकट को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) एयर इंडिया में एयर इंडिया एम्प्लाइज

एसोसिएशन के नाम से कोई संगठन नहीं है। फिर भी एयरलाइनों की विभिन्न यूनियनों/संगठनों/गिल्ड की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने एयरलाइन कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले निःशुल्क/रियायती पासों पर आयकर के विरोध में दिनांक 20 फरवरी, 2003 को 06 बजे से दिनांक 21 फरवरी, 2003 को 06 तक एक दिन के टोकन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। वित्त मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर समुचित विचार किए जाने का आश्वासन दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित हड़ताल को वापिस ले लिया गया।

ज्वार के बीजों के कारण किसानों को वित्तीय नुकसान

1704. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के किसानों को आपूर्ति किए गए ज्वार के बीज बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं जिससे किसानों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य निगम लि. ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किसानों को आपूरित किए गए ज्वार सी वी एम–35–1 के. 144 क्विंटल प्रमाणित बीज फसल के लिए नाकाम साबित हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य बीज निगम ने प्रभावित किसानों को बीज की लागत की प्रतिपूर्ति कर दी है।

मक्का अनुसंधान निदेशालय को बंद किया जाना

1705. श्री नरेश पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईसीएआर के अंतर्गत आने वाले मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा को बंद किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष डीएमआर का वास्तविक और वित्तीय कार्य–निष्पादन क्या रहा है; और

(घ) इसके बंद होने के पश्चात अतिरिक्त पाए जाने वाले कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) मक्का अनुसंधान निदेशालय को भविष्य में बन्द करने का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) मक्का अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1994 में की गई थी। मक्का अनुसंधान निदेशालय के उद्देश्य तथा इसकी स्थापना के बाद से इसके द्वारा प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा विवरण–I तथा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) लागू नहीं।

विवरण-I

उद्देश्य

क. जननद्रव्य वृद्धि जैसे अजैविक तथा जैविक स्ट्रेसों के प्रति सहिष्णुता, गुणवत्ता सुधार, विशिष्ट, उपयोगों इत्यादि से संबंधित आधारभूत तथा कार्यनीति संबंधी अनुसंधान कार्यकलाप चलाना।

ख. निम्न अन्तर्विषयी अनुसंधान कार्यकलापों को समेकित करना :

1. पैदावार तथा गुणवत्ता में आनुवंशिक सुधार और जैविक व अजैविक स्ट्रेसों के प्रति प्रतिरोधिता लाने हेतु कार्यनीति संबंधी एवं व्यावहारिक अनुसंधान।
2. उत्पादकता बढ़ाने के लिए कारगर क्रियाओं का पैकेज तैयार करना।
3. उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में मक्का को विविध उपयोग हेतु अनुकूल बनाना।

ग. मक्का के समग्र विकास के लिए कार्यकलापों का आयोजन। उदाहरण के तौर पर फार्म अनुसंधानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व अग्रश्रेणी के प्रदर्शन इत्यादि।

घ. भारत या विदेश में जरूरतमंद एजेन्सियों के लिए मक्का अनुसंधान तथा विकास से संबंधित परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराना तथा कार्यक्रम चलाना।

ङ. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/संस्थानों के साथ मिलकर मक्का अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कारगर सहयोगी कार्यक्रम तैयार करना।

उपलब्धियां

वर्ष 1994 में मक्का अनुसंधान निदेशालय की स्थापना के बाद से निदेशालय ने देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में खेती के लिए 16 संकर किस्में तथा 6 मिश्रित किस्में रिलीज की हैं। इन किस्मों के कारण उत्पादकता 1994 के 1493 कि.ग्रा./हेक्टेयर की तुलना में 2001 में बढ़कर 2060 कि.ग्रा./हेक्टेयर हुई है। कुल उत्पादन भी 1994 के 9.1 मिलियन टन की तुलना में 2001–2002 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 13.51 मिलियन टन हो गया। पोषण की दृष्टि से उच्च गुणवत्ता प्रोटीन युक्त मक्का की संकर किस्में विकसित करने पर विशेष बल दिया गया। तदनुसार एकल संकर किस्म शक्तिमान–I तथा शक्तिमान–II जारी की गईं। इन किस्मों से समाज के जनजातीय तथा निर्धन वर्ग के लोगों को पोषण सुरक्षा मिलेगी तथा मुर्गीपालन उद्योग के लिए बेहतर चारा भी मिल पाएगा। वर्ष 2001–2002 के दौरान मक्का का उत्पादन लक्षित उत्पादन (12 मिलियन टन) से 1.5 मिलियन टन बढ़कर 13.5 मिलियन टन हुआ।

विवरण-II

वित्तीय आवंटन एवं व्यय

मक्का अनुसंधान निदेशालय के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान अलग से कोई अनुमोदित आवंटन नहीं था, क्योंकि इस निदेशालय का बजट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कुल आवंटन से पूरा किया जाता था। मक्का अनुसंधान निदेशालय के संबंध में वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान परिषद द्वारा भारतीय कृषि भारतीय अनुसंधान संस्थान को दी गई राशि के अनुरूप किया गया व्यय सारणी–1 में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान आबंटन और वर्षवार किया गया व्यय नीचे सारणी–2 में दिया गया है :

आठवीं योजना (सारणी–1) (रुपए लाख में)

वर्ष	परिषद द्वारा दी गई राशि	व्यय
1994–95	0.40	0.30
1995–96	1.44	0.76
1996–97	2.90*	2.85*

*अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सहित।

नौवीं योजना (सारणी–2) (रुपए लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1997–1998	1.57	1.57
1998–1999	1.07	1.07
1999–2000	1.17	0.96
2000–2001	1.26	1.26
2001–2002	668.11*	666.70*

*अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सहित।

मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.) के अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे

1706. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.), पूसा के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी/घरेलू दौरों का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने कौन–कौन से देशों/राज्यों का दौरा किया और प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ख) प्रत्येक दौरे पर कितनी धनराशि खर्च की गई और दौरा करने वाले प्रत्येक अधिकारी का पदनाम क्या था;

(ग) ऐसे दौरों के परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे दौरों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा किए गए (विदेशी/घरेलू) दौरों का देशवार और राज्यवार ब्यौरा विवरण–I व II में दिया गया है। देश में मक्का के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम के तहत एशियन मक्का जैव–प्रौद्योगिकी नेटवर्क के चालू अनुसंधान का नियोजन करने के लिए विदेशी दौरे किए गए थे। मक्का अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों को भी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेने तथा विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। विभिन्न राज्यों से मक्का के जननद्रव्य

के संग्रहण, मूल्यांकन और लक्षण–वर्णन के लिए तथा परियोजनओं के विभिन्न केन्द्रों में मक्का सुधार कार्यकलापों के मॉनीटरन तथा मूल्यांकन हेतु देश में दौरे किए गए थे। मक्का अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों और अन्य अधिकारियों ने राज्य की सरकारी एजेन्सियों के साथ समन्वय करने के अलावा विभिन्न फार्म एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों का आयोजन करने के लिए समय–समय पर दौरे किए।

(ख) अधिकारियों के पदनाम सहित प्रत्येक दौरे पर किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण–I व II में दिया गया है।

(ग) विदेशी बैठकों में भाग लेने से मैक्सिको, थाइलैंड और अन्य देशों से बड़े पैमाने पर उष्ण–कटिबंधी, उपोष्ण और उच्च भूमियों के जननद्रव्य के मूल्यांकन एवं चयन के अलावा विभिन्न देशों के अनेक मक्का कार्यकर्ताओं और नियोजकों के साथ आपसी तालमेल में सहायता मिलती है। इन दौरों से वैज्ञानिकों को उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से भी लाभ मिलता है। घरेलू दौरों से अनुसंधान कार्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर कार्यकलापों का समन्वयन और मॉनीटरन करने में सहायता मिलती है।

घरेलू दौरों के अलावा विदेशी दौरे मक्का कार्यक्रम के समग्र सुधार के हित में किए गए थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मक्का का उत्पादन वर्ष 1998–1999 के 11.15 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 11.84 मिलियन टन हो गया। मक्का की उत्पादकता वर्ष 1998–1999 के 1797 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 1806 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गई।

(घ) लागू नहीं।

विवरण-I

मक्का अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों (1999–2000 से 2001–2002 तक) का विवरण

क्र.सं.	वैज्ञानिक का नाम	उद्देश्य	व्यय
1	2	3	4
1.	डा. एन. एन. सिंह	1. बीजिंग, चीन में 26–30 अप्रैल, 1999 की एम्बीयोनेट नियोजन बैठक में भाग लेने के लिए 2. ब्राजील में 22–27 अगस्त, 1999 की गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की परियोजना की परामर्शदात्री बैठक में भाग लेने के लिए 3. फिलीपिन्स और इण्डोनेशिया में 7–12 नवम्बर, 2000 की 'एम्बीयोनेट' गतिविधियों पर बैठक में भाग लेने के लिए 4. इराक में 26 अप्रैल, 2000 से 8 मई, 2000 तक सम्पन्न भारतीय–इराक कार्य योजना में भाग लेने के लिए 5. काठमांडु में एशियन मक्का सामाजिक–आर्थिक कार्यशाला समूह की चौथी वार्षिक कार्यशाला 6. मक्का जननद्रव्य, जो कि भारतीय मक्का कार्यक्रम के लिए उपयोगी होगी, पर सूचना और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और डीएमआर तथा 'सिम्मिट' के बीच अनुसंधान सहयोग सुदृढ़ करने के लिए भी, 'सिम्मिट' मक्का कर्मचारियों के साथ लाभदायक पारस्परिक प्रभाव और निकटता रखने के लिए 7. फिलीपिन्स में एम्बीयोनेट गतिविधियों के लिए 8. नेपाल में नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय मक्का संगोष्ठी में भाग लेने के लिए	शून्य (समस्त व्यय मेजबान संस्थान द्वारा वहन किया गया)

1	2	3	4
2.	डा. आर. पी. सिंह	मेक्सिको में 6 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2000 तक छः सप्ताह की अवधि के लिए भौगोलिक सूचना प्रणालियों पर प्रशिक्षण देने के लिए	
3.	डा. संगम लाल	सिम्मिट, मैक्सिको में 25.9.99 से 20.10.99 तक सम्पन्न मक्का रोग विज्ञान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	
4.	डा. एच. ओ. गुप्ता	हैम्बर्ग, जर्मनी में 17–22 अगस्त, 2000 तक सम्पन्न "भावी मानव आवश्यकता" पर तीसरी आईसीएस की बैठक में भाग लेने और लेख प्रस्तुत करने के लिए	
5.	डा. पी. एच. जैदी	डीएसटी सिम्मिट, मैक्सिको द्वारा प्रायोजन के अधीन 25.2.2002 से 19.2.2003 तक 'बॉय एससीएएसटी अध्येता अवार्ड'।	

विवरण-II

मक्का अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किए गए घरेलू दौरों (1999–2000 से 2001–2002) का राज्यवार ब्यौरा

1999-2000

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	दौरे की अवधि	किया गया व्यय	उद्देश्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
			आन्ध्र प्रदेश		
1.	प्रधान वैज्ञानिक	3.4.99–11.5.99	7474/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में रोपी गई मक्का की फसल कटाई का निरीक्षण करने के लिए	
2.	तकनीकी सहायक	22.4.99–22.5.99	5465/– रु.	हैदराबाद में मक्का सामग्री की कटाई में सहायता करना	
3.	तकनीकी सहायक	20.4.99–11.5.99	3425/– रु.	हैदराबाद में मक्का सामग्री की कटाई में सहायता करना	
4.	प्रधान वैज्ञानिक	24.4.99–17.5.99	9000/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में रोपी गई मक्का की फसल कटाई का निरीक्षण करने के लिए	
5.	प्रधान वैज्ञानिक (एग्रो)	24.4.99–17.5.99	12500/– रु.	नार्म हैदराबाद में एनएटीपी बैठक में भाग लेने के लिए	
6.	तकनीकी अधिकारी	2.5.99–14.5.99	1950/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में रोपित मक्का रोग वैज्ञानिक सामग्री की फसल कटाई	
7.	तकनीकी अधिकारी	2.5.99–21.5.99	2767/– रु.	हैदराबाद में मक्का सामग्री की कटाई में सहायता करना	

1	2	3	4	5	6
8.	तकनीकी सहायक	2.5.99–22.5.99	6475/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में कटाई करने और परीक्षणों की व्यवस्था करने पर विचार–विमर्श करने के लिए	
9.	परियोजना निदेशक (मक्का)	6.5.99–9.5.99	12780/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में रोपित मक्का की फसल कटाई में भाग लेने और मूल्यांकन करने के लिए	
10.	प्रधान वैज्ञानिक	6.5.99–16.5.99	471/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में रोपित मक्का की फसल कटाई में भाग लेने और मूल्यांकन करने के लिए	
11.	तकनीकी अधिकारी	6.5.99–18.5.99	1070/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में रोपित मक्का की फसल कटाई में भाग लेने के लिए	
12.	प्रधान वैज्ञानिक	6.5.99–21.5.99	7000/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में रोपित शीतकालीन नर्सरी मक्का सामग्री की कटाई और मूल्यांकन करने के लिए	
13.	तकनीकी अधिकारी	6.5.99–21.5.99	6000/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में मक्का सामग्री की फसल कटाई में सहायता करने के लिए	
14.	परियोजना निदेशक (मक्का)	23.6.99–26.6.99	17420/– रु.	हैदराबाद में प्रजनन सामग्री और परीक्षणों की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना	
15.	वैज्ञानिक	6.9.99–12.9.99	4369/– रु.	हैदराबाद में मक्का पर संकर बीज उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम	
16.	प्रधान वैज्ञानिक	27.11.99–10.12.99	3401/– रु.	नार्म में वार्षिक हिन्दी कार्यशाला और अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में रोपित शीतकालीन नर्सरी में भाग लेना	
17.	प्रधान वैज्ञानिक	27.1.99–11.12.99	10000/– रु.	हैदराबाद में हिन्दी कार्यशाला और रबी शीत–कालीन नर्सरी के रोपण के लिए हिस्सा लेना	
18.	पीपीएसएस (एनएटीपी)	1.12.99–5.12.99	13000/– रु.	हैदराबाद में नौवें वार्षिक पोषण सम्मेलन में भाग लेने के लिए	
19.	तकनीकी सहायक	17.12.99–31.12.99	6000/– रु.	हैदराबाद में बुवाई और खरपतवार कार्य में सहायता करना	
20.	तकनीकी सहायक	17.1.2000–11.2.2000	6820/– रु.	हैदराबाद में परागण कार्य में सहायता करना	
21.	तकनीकी सहायक	17.1.2000–11.2.2000	6805/– रु.	हैदराबाद में परागण कार्य में सहायता करना	

1	2	3	4	5	6
22.	प्रधान वैज्ञानिक	28.1.2000–13.2.2000	10051/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में संकर कार्यशाला में भाग लेने के लिए	
23.	प्रधान वैज्ञानिक	28.1.2000–21.2.2000	11129/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में संकर कार्यशाला में भाग लेने के लिए	
24.	प्रधान वैज्ञानिक	28.1.2000–8.2.2000	10028/– रु.	मक्का में संकर के विकास पर एनएटीपी मिशन मोड परियोजना की बैठक में भाग लेने और हैदराबाद में मक्का कीट विज्ञान प्रजनन सामग्री पर प्रेक्षण रिकार्ड करना	
25.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	29.1.2000–3.2.2000	13347/– रु.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में संकर कार्यशाला में भाग लेना	
26.	श्री ओ. पी. भगत, तकनीकी सहायक	1.2.2000–3.3.2000	10480/– रु.	हैदराबाद में परागण कार्य में सहायता करना	
27.	डा. इकबाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	11.2.2000–28.2.2000	12269/– रु.	हैदराबाद में परागण कार्य में सहायता करना	
28.	श्री सुशील दत्त, तकनीकी सहायक	20.2.2000–11.3.2000	8000/– रु.	हैदराबाद में परागण कार्य में सहायता करना	
29.	श्री विश्वनाथ, तकनीकी सहायक	20.2.2000–16.3.2000	1599/– रु.	हैदराबाद में शीतकालीन मक्का नर्सरी की फसल कटाई कार्य में सहायता करना	
30.	श्री एस. एल. शर्मा, तकनीकी सहायक	21.2.2000–14.3.2000	3501/– रु.	हैदराबाद में शीतकालीन नर्सरी में सिल्किंग और परागण कार्य में सहायता करना	
31.	श्री पी. एच. जैदी, प्रधान वैज्ञानिक	22.2.2000–1.3.2000	7000/– रु.	हैदराबाद शीतकालीन नर्सरी में प्रयोगों का अव–लोकन करना	
32.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	10.3.2000–12.3.2000	12570/– रु.	हैदराबाद में शीतकालीन मक्का कार्यक्रम की निगरानी करना	
			बिहार		
1.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	3.5.99–15.5.99	5019/– रु.	कुशमोहट में मक्का पृथक्करण फसल कटाई का निरीक्षण करना	
2.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	3.5.99–16.5.99	3721/– रु.	कुशमोहट में मक्का पृथक्करण फसल कटाई में सहायता करना	
3.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	15.6.99–23.6.99	3000/– रु.	कुशमोहट में मक्का पृथक्करण फसल कटाई में सहायता करना	

1	2	3	4	5	6
4.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	7.8.99–13.8.99	4342/– रु.	कुशमोहट में मक्का पृथक्करण को मॉनीटर करना	
5.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	7.8.99–13.8.99	3882/– रु.	बेगुसराय में मक्का पृथक्करण उर्वरक अनुप्रयोग में सहायता करना	
6.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	29.8.99–1.9.99	1762/– रु.	विश्व बैंक परियोजना के अधीन ललितपुर के दो गांवों का भ्रमण	
7.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	12.11.99–16.11.99	3000/– रु.	बेगुसराय में मक्का पृथक्करण में बुवाई कार्य में सहायता करना	
8.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	12.11.99–16.11.99	4000/– रु.	बेगुसराय में मक्का पृथक्करण बुवाई का निरीक्षण करना	
9.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	15.11.99–26.11.99	3000/– रु.	बेगुसराय में मक्का पृथक्करण में बुवाई कार्य में सहायता करना	
10.	श्री बिन्देश्वर सैनी, एस एस ग्रेड–I	18.12.99–23.12.99	1000/– रु.	ढोली में प्रदर्शन बीज मक्का की आपूर्ति	
11.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	22.1.2000–25.1.2000	7192/– रु.	मक्का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बेगुसराय का भ्रमण	
12.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	22.1.2000–26.1.2000	4606/– रु.	मक्का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बेगुसराय का भ्रमण	
13.	डा. वी. के. यादव, वैज्ञानिक	22.1.2000–7.2.2000	6997/– रु.	बिहार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करना	
14.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	21.2.2000–1.3.2000	5000/– रु.	कुशमोहट बिहार में ईएम वंशक्रम पृथक्करण प्लाट के चयन के लिए और क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र का दौरा	
15.	डा. वी. पी. आहुजा, प्रधान वैज्ञानिक	3.3.2000–13.3.2000	5000/– रु.	कुशमोहट में प्रयोगों को मॉनीटर करना	
	कुल		70556.00/– रु.		
				राजस्थान	
1.	डा. के. एल. मीना, वैज्ञानिक	29.4.99–4.5.99	3902/– रु.	केन्द्रों को अनुदान सहायता के लिए एयूसी और एफएलडी की एयूसी एकत्र करना	
2.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	16.5.99–16.5.99	135/– रु.	बांसवाड़ा, राजस्थान में किसानों के खेतों का भ्रमण	

1	2	3	4	5	6
3.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	16.5.99–16.5.99	55/– रु.	बांसवाड़ा में परियोजना निदेशक (मक्का) को सहयोग देना	
4.	डा. इकबाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	6.9.99–17.9.99	5031/– रु.	जयपुर, बनासवाड़ा में मक्का के प्रजनन कार्यक्रम पर चल रहे परीक्षण को मानीटर करने	
5	श्री वी. के. यादव, वैज्ञानिक	25.12.99–1.1.2000	3144/– रु.	बनासवाड़ा में एफएलटी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग करने	
				उत्तर प्रदेश	
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	11.5.99–14.599	2715/– रु.	पन्तनगर में केन्द्र खोलने की प्रक्रिया को तीव्र करने तथा स्टाफ की आवश्यकता के संबंध में चर्चा करने	
2.	डा. एन. एन. सिंह परि. निदेशक (मक्का)	19.5.99–19.5.99	135/– रु.	पन्तनगर में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत चावल गेहूं प्रणाली के लक्षण–वर्णन की चर्चा करने	
3.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	21.7.99–23.7.99	405/– रु.	परियोजना निदेशालय (मक्का) को जीबीपीयूएटी, पन्तनगर में स्थानांतरित करने से संबंधित	
4.	प्रधान वैज्ञानिक	19.7.99–25.7.99	165/– रु.	पन्तनगर में ए.एम.की.आई.अओ.एन.ई.टी. परियोजना के अन्तर्गत मक्का के पत्तों का एकत्रीकरण	
5.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	29.8.99–1.9.99	220/– रु.	पन्तनगर में वैज्ञानिक के साथ जाना	
6.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	21.7.99–23.7.99	1674/– रु.	जीबीपीयूएटी, पन्तनगर के मक्का कार्यक्रम को मानीटर करने	
7.	श्री एस. एन. राय, तकनीकी सहायक	29.8.99–1.9.99	480/– रु.	पन्तनगर में रोग विज्ञान संबंधी परीक्षणों में सहयोग देने	
8.	डा. एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	18.9.99–29.9.99	6000/– रु.	पन्तनगर में मक्का परीक्षणों तथा फार्म पर चल रहे परीक्षणों को मॉनीटर करने	
9.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	29.9.99–30.9.99	270/– रु.	पन्तनगर में मक्का परीक्षणों का दौरा	
10.	डा. एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	29.9.99–30.9.99	270/– रु.	पन्तनगर में मक्का परीक्षणों का दौरा	
11.	डा. वी. पी. आहुआ, प्रधान वैज्ञानिक	29.9.99–30.9.99	332/– रु.	पन्तनगर में मक्का परीक्षणों का दौरा	

1	2	3	4	5	6
12.	डा. एन. एन. सिंह परि. निदेशक (मक्का)	14.10.99–15.10.99	270/– रु.	मोदीपुरम में एस.ए.पी. बैठक में भाग लेने	
13.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	14.10.99–15.10.99	110/– रु.	मोदीपुरम में अनुसंधान निदेशालय (मक्का) के साथ	
14.	श्री जे. के. गुलाटी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	15.1099–15.10.99	105/– रु.	मोदीपुरम में एस.ए.पी. बैठक में भाग लेने	
15.	श्री दीपक बवेजा, तकनीकी अधिकारी	15.10.99–15.10.99	816/– रु.	मोदीपुरम में एस.ए.पी. बैठक में भाग लेने	
16.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	21.10.99–27.10.99	2772/– रु.	अल्मोड़ा में उच्च भूमि मक्का के संबंध में विचारोत्तेजक सत्र में भाग लेने तथा फैजाबाद व लखनऊ में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को मानीटर करने	
17.	डा. आर. पी. सिंह प्रधान वैज्ञानिक	25.11.99–30.11.99	1500/– रु.	लखनऊ में विचारोत्तेजक सत्र में भाग लेने	
18.	श्री वी. के. यादव, वैज्ञानिक	25.11.99–2.12.99	981/– रु.	लखनऊ में विचारोत्तेजक सत्र में भाग लेने	
19.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	8.2.2000–24.2.2000	2356/– रु.	बुलंदशहर तथा ललितपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग करना	
20.	श्री वी. के. यादव, वैज्ञानिक	8.2.2000–24.2.2000	3233/– रु.	बुलंदशहर तथा ललितपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग करना	
21.	श्री दीपक बवेजा, तकनीकी अधिकारी	9.2.2000	728/– रु.	बुलंदशहर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग करना	
				हरियाणा	
1.	डा. वी. पी. आहुजा, प्रधान वैज्ञानिक	2.4.99	464/– रु.	यमुनानगर में मक्का परीक्षणों तथा प्रदर्शनों का दौरा करना	
2.	डा. आर. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.99–9.4.99	3256/– रु.	करनाल में प्रजनक बीजों के प्लांटों का दौरा करना	
3.	डा. वी. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	14.5.99	464/– रु.	एक वैज्ञानिक के साथ करनाल का दौरा	
4.	श्री आनन्द सिंह, तकनीकी सहायक	21.5.99–22.5.99	408/– रु.	करनाल से परीक्षणों के बीज एकत्र करना	

1	2	3	4	5	6
5.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	31.7.99	135/– रु.	यमुनानगर में मक्का के परीक्षणों तथा प्रदर्शनों का दौरा	
6.	श्री एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	31.7.99	135/– रु.	करनाल में सी.एम. 735 तथा सी.एम. 36 अन्तः प्रजनक बीजों की फसल का चयन करने	
7.	जौहर अब्बास, ड्राइवर	3.9.99	55/– रु.	उचानी, करनाल में सूखे से संबंधित परीक्षणों का दौरा करने	
8.	डा. पी. एच. जेदी, वैज्ञानिक	3.9.99	120/– रु.	उचानी, करनाल में सूखे से संबंधित परीक्षणों का दौरा करने	
9.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	17.1.99	135/– रु.	करनाल में चावल तथा गेहूं अनुसंधान केन्द्र में किसानों के खेतों का दौरा करने	
10.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	17.1.99	55/– रु.	परियोजना निदेशक (मक्का) के साथ करनाल का दौरा	
				पंजाब	
1.	डा. वी. पी. एस. पासवान, वैज्ञानिक	6.9.99–17.9.99	3000/– रु.	लुधियाना में लगाए गए एफ.एल.डी. तथा खरीफ परीक्षणों को मानीटर करने	
2.	डा. वी. पी. एस. पासवान, वैज्ञानिक	22.9.99–23.9.99	2524/– रु.	लुधियाना में मक्का परीक्षण का दौरा	
3.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	22.9.99–23.9.99	2410/– रु.	लुधियाना में मक्का परीक्षणों की जांच करने	
4.	श्री बिन्देश्वर सहानी, एस.एस. ग्रेड–I	10.12.99–11.12.99	418/– रु.	लुधियाना से अन्तः प्रजात वंशक्रमों के बीज लाने	
				तमिलनाडु	
1.	डा. आर. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	2.4.99–8.4.99	7045/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का की वार्षिक कार्यशाला में भाग लेने	
2.	डा. एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	3.4.99–12.4.99	8000/– रु.	कोयम्बटूर में खरीफ की मक्का पर कार्यशाला में भाग लेने	
3.	डा. एच. ओ. गुप्ता प्रधान वैज्ञानिक	3.4.99–13.4.99	6000/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का कार्यशाला में भाग लेने तथा मक्का की गुणवत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने	
4.	डा एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	3.4.99–11.5.99	7474/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का पर वार्षिक कार्यशाला में भाग लेने	
5.	डा. राजपाल सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	4.4.99–29.4.99	10000/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का पर कार्यशाला में भाग लेने	

1	2	3	4	5	6
6.	श्री एस. वैंकटेश, वैज्ञानिक	4.4.99–13.4.99	245/– रु.	कोयम्बटूर में 42वीं मक्का कार्यशाला में भाग लेने	
7.	डा. सी. दास, प्रधान वैज्ञानिक	4.4.99–12.499	4391/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का कार्यशाला में भाग लेने	
8.	डा. दयानन्द, प्रधान वैज्ञानिक	4.4.99–12.4.99	13189/– रु.	कोयम्बटूर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने	
9.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	5.4.99–12.4.99	6872/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का परीक्षणों तथा मक्का फसल उत्पादों का दौरा करने	
10.	डा. वी. पी. आहुजा, प्रधान वैज्ञानिक	5.4.99–12.4.99	8500/– रु.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में आयोजित मक्का कार्यशाला समूह बैठक में भाग लेने	
11.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	5.4.99–14.4.99	10000/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का कार्यशाला में भाग लेने	
12.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	6.4.99–12.4.99	20254/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का कार्यशाला में भाग लेने	
13.	श्री ए. के. खान, वरिष्ठ लिपिक	4.6.99–13.6.99	4000/– रु.	विलिंगटन में आई.जे.एस.सी. बैठक में भाग लेने	
14.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	9.9.99–11.9.99	17865/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का पदार्थों तथा परीक्षण का मानीटर करने तथा मूल्यांकन करने	
15.	डा. एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	6.9.99–17.9.99	9000/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का परीक्षणों को मानीटर करने	
16.	डा. आर. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	25.12.99–31.12.99	17000/– रु.	कोयम्बटूर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने	
17.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	1.1.2000–10.1.2000	16369/– रु.	कोयम्बटूर में केन्द्र की समस्या की चर्चा कुलपति से करने तथा मक्का की फसल मानीटर करने	
18.	डा. आर. पी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	1.1.2000–10.1.2000	16199/– रु.	कोयम्बटूर में मक्का परीक्षणों का दौरा करने	
			मध्य प्रदेश		
1.	डा. इकबाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	24.4.99–16.5.99	9000/– रु.	झांसी में चारा फसलों के संबंध में समूह बैठक में भाग लेने	
2.	श्री बिन्देश्वर सैनी, एस.एस. ग्रेड–I	25.5.99–29.5.99	796/– रु.	इन्दौर में भा.कृ.अ.सं. के क्षेत्रीय केन्द्र से मक्का के बीज एकत्र करने	

1	2	3	4	5	6
3.	डा. आर. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	30.7.99–31.7.99	2073/– रु.	भोपाल में प्लांटिंग तथा शेलिंग मशीन देखने	
4	डा. वी. पी. आहुजा, प्रधान वैज्ञानिक	30.7.99–31.7.99	2143/– रु.	भोपाल में प्लांटिंग तथा शेलिंग मशीन देखने	
5.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	29.9.99–1.9.99	1762/– रु.	झांसी के निकट ललितपुर में कृषि मंत्रालय की ए.एम.डी.पी. बैठक में भाग लेने	
			हिमाचल प्रदेश		
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	16.4.99–19.4.99	13649/– रु.	कुल्लू में सिंचित कृषि–पारिस्थितिकी प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के संस्थान ग्राम–सम्पर्क कार्यक्रम में भाग लेने	
			कर्नाटक		
1.	श्री ए. के खन्ना, वरिष्ठ लिपिक	4.6.99–13.6.99	4000/– रु.	विलिंगटन में एन.सी. बैठक में भाग लेने	
2.	डा. एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	6.9.99–17.9.99	6000/– रु.	मांड्या की पहाड़ियों में विभिन्न खरीफ परीक्षणों को मानीटर करना	
3.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	22.9.99–30.9.99	18133/– रु.	मांड्या में सामग्री का मानीटरन तथा मूल्यांकन करने	
4.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	1.1.2000–15.1.2000	14000/– रु.	बंगलौर में निर्माण कार्य की योजना को अंतिम रूप देने	
5.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	1.1.2000–15.1.2000	14000/– रु.	बंगलौर में निर्माण कार्य की योजना को अंतिम रूप देने	
			महाराष्ट्र		
1.	डा. आर. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.99–9.4.99	3256/– रु.	नागपुर में सार्वजनिक तथा निजी बीज उद्योगों से मक्का के बीजों पर आंकड़े एकत्र करने	
2.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	7.8.99--11.8.99	1268/– रु.	कोल्हापुर में क्यू.पी.एम. के बीज उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन करने	
3	डा. आर. सी. शर्मा प्रधान वैज्ञानिक	7.8.99–13.8.99	13000/– रु.	कोल्हापुर में मक्का पदार्थों तथा परीक्षणों का दौरा करने	
			जम्मू-कश्मीर		
1.	डा. दयानन्द, प्रधान वैज्ञानिक	9.9.99–19.9.99	11449/– रु.	निगरानी दल के साथ श्रीनगर का दौरा करने	

1	2	3	4	5	6
				आन्ध्र प्रदेश	
1.	श्री ओ. पी. भगवत, तकनीकी अधिकारी	30.3.2000– 12.4.2000	4427/– रु.	हैदराबाद में मक्का की फसल कटाई में सहयोग करने	
2.	डा. एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	3.4.2000– 18.4.2000	4083/– रु.	हैदराबाद में मक्का फसल की कटाई के संबंध में	
3.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	10.4.2000– 3.5.2000	4195/– रु.	हैदराबाद में मक्का कार्यशाला में भाग लेने	
4.	श्री विश्वनाथ, तकनीकी सहायक	7.4.2000– 11.5.2000	105/– रु.	हैदराबाद में फसल कटाई में सहयोग करने	
5.	श्री एस. एल. शर्मा, तकनीकी अधिकारी	17.4.2000– 9.5.2000	2866/– रु.	हैदराबाद में फसल कटाई में सहयोग करने	
6.	श्री वी. के. यादव, वैज्ञानिक	25.8.2001– 24.12.2001	7469/– रु.	नार्म, हैदराबाद के 71वें एफ.ओ.ए.सी.ए.आर.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने	
7.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	5.9.2000– 7.9.2000	12570/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में मक्का परीक्षण बीज उत्पादन कार्यकलापों को मानीटर करने तथा एफ.एल.डी. मक्का अनुसंधान केन्द्र का दौरा करने	
8.	डा. जे. सी. शेखर, वैज्ञानिक	17.10.2000– 4.11.2000	7315/– रु	हैदराबाद में 2000 के लिए मक्का की फसल बोने के संबंध में चर्चा करने	
9.	डा. पी. एच. जैदी, वैज्ञानिक	25.11.2000– 1.12.2000	878/– रु.	हैदराबाद शीतकालीन नर्सरी में फसल बोने तथा सूखा एवं जल एकत्रण परीक्षणों के संबंध में	
10.	डा. के. पी. सिंह, वैज्ञानिक	28.11.2000– 31.3.2001	8000/– रु.	नार्म, हैदराबाद में 72वें एफ.ओ.सी.ए.आर.एस. (टी.ए.) कार्यक्रम में भाग लेने	
11.	डा. एन. पी. गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक	5.12.2000– 18.12.2000	8000/– रु.	अम्बरपेट फार्म हैदराबाद में बरागण कार्य में सहयोग देने	
12.	डा. वी. पी. एस. पवार, प्रधान वैज्ञानिक	20.1.2001– 30.1.2001	3641/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में मक्का की फसल बोने के संबंध में	
13.	श्री एस. एन. राही, तकनीकी अधिकारी	2.2.2001– 24.2.2001	7814/– रु	एम.आर.एस. अम्बरपेट, हैदराबाद में रोपित मक्का रोग विज्ञान संबंधी पदार्थों के परागण में सहयोग करने	
14.	डा. एन. पी. गुप्ता, वैज्ञानिक	9.2.2001– 23.2.2001	4320/– रु.	अम्बरपेट, हैदराबाद में शीतकालीन नर्सरी का परागण कार्य आयोजित करना	

1	2	3	4	5	6
15.	श्री विश्वनाथ, तकनीकी सहायक	10.2.2001–1.3.2001	327/– रु.	शीतकालीन नर्सरी–हैदराबाद में सिल्किंग तथा परागण कार्य में सहयोग देने	
16.	डा. सुजेय राकेश, वैज्ञानिक	13.2.2001–2.3.2001	1623/– रु.	हैदराबाद में मक्का पदार्थों पर परीक्षण कार्य आयोजित करने	
17	डा. राजपाल सिंह वैज्ञानिक	20.2.2001–10.3.2001	6000/– रु.	अम्बरपेट फार्म, हैदराबाद में मक्का के परागण कार्य का निरीक्षण करने	
18.	श्री नानक चन्द, तकनीकी अधिकारी	26.2.2001–21.3.2001	2763/– रु.	हैदराबाद में परागण तथा फील्ड कार्य में सहयोग करने	
19.	श्री ओ. पी. भगत, तकनीकी अधिकारी	27.2.2001–26.3.2000	6000/– रु.	हैदराबाद में मक्का के परागण में सहयोग करने	
			बिहार		
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	25.5.2000–28.5.2000	7669/– रु.	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना के साथ बेगुसराय के निर्माण कार्य के संबंध में विचार–विमर्श	
2.	श्री दीपक बवेजा, तकनीकी सहायक	25.5.2000–28.5.2000	4178/– रु.	पटना में परियोजना निदेशक (मक्का) के साथ	
3.	डा. पी. एच. जैदी, वैज्ञानिक	25.5.2000–28.5.2000	4178/– रु.	कुशमाहुट तथा विष्णुपुर, बेगुसराय में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में विचार–विमर्श	
4.	श्री जे. के. गुलाटी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	25.5.2000–28.5.2000	4127/– रु.	कुशमाहुट तथा विष्णुपुर, बेगुसराय में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में विचार–विमर्श	
5.	श्री कमल वत्स, तकनीकी सहायक	14.6.98–20.6.98	1278/– रु.	बेगुसराय के लिए बीज और अन्य सामग्री ले गए	
6.	डा. वी. के. यादव, वैज्ञानिक	17.6.2000–23.6.2000	973/– रु.	बेगुसराय में एफ.एल.डी. आयोजित करने के लिए	
7.	डा. राजपाल सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	17.6.2000–27.6.2000	818/– रु.	बेगुसराय में पृथक प्लाट के लिए आर.आर.एस. जाने के लिए	
8.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	24.6.2000–27.6.2000	9430/– रु.	मक्का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा कुशमाहुट, बेगुसराय में मक्का अनुसंधान केन्द्र का दौरा करने के लिए	
9.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	24.6.2000–28.6.2000	3500/– रु.	कुशमाहुट फार्म, बेगुसराय में मक्का अंतःप्रजनन देखने हेतु	

1	2	3	4	5	6
10.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	24.6.2000– 29.6.2000	3585/– रु.	कुशमाहुट फार्म, बेगुसराय में मक्का अंत:प्रजनन देखने हेतु	
11.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	24.6.2000– 29.6.2000	1484/– रु.	बेगुसराय में कृषि गोष्ठी तथा प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए	
12.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	24.6.2000– 29.6.2000	1484/– रु.	बेगुसराय में कृषि गोष्ठी तथा प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए	
13.	डा. वी. पी. आहुजा, वरिष्ठ वैज्ञानिक	25.6.2000– 29.6.2000	3953/– रु.	डी.एम.आर.एम., कुशमाहुट, बेगुसराय में दौरा	
14.	डा. वी. पी. एस. पंवार, वरिष्ठ वैज्ञानिक	25.6.2000– 29.6.2000	4018/– रु.	डी.एम.आर.एम. कुशमाहुट, बेगुसराय में दौरा	
15.	डा. राजपाल सिंह, वैज्ञानिक	25.6.2000– 29.6.2000	3945/– रु.	डी.एम.आर.एम. कुशमाहुट, बेगुसराय में दौरा	
16.	श्री बिन्देश्वर सैनी, एस.एस. ग्रेड–I	14.7.2000– 24.7.2000	4198/– रु.	बेगुसराय में मक्का बीज देने हेतु	
17.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	14.7.2000– 25.7.2000	4000/– रु.	बेगुसराय में मक्का फसल की बुवाई हेतु	
18.	श्री ए. के. खन्ना, वरिष्ठ लिपिक	8.8.2000– 19.8.2000	7000/– रु.	बिहार में कार्यरत कर्मचारियों के समक्ष खड़ी समस्याओं के बारे में प्राथमिक रचना तैयार करने हेतु	
19.	डा. राजपाल सिंह, वैज्ञानिक	11.9.2000– 21.9.2000	4326/– रु.	बेगुसराय के खेत परीक्षण प्लांट का दौरा	
20.	श्री सतीश राय, तकनीकी अधिकारी	11.9.2000– 21.9.2000	424/– रु.	बेगुसराय में मक्का प्रदर्शन कार्य को देखने तथा समस्तीपुर के विद्युत कार्य को देखने के लिए	
21.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	18.9.2000– 28.9.2000	6321/– रु.	प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एफ.एल.डी., बेगुसराय में हिस्सा लेने के लिए	
22.	डा. संगम लाल, प्रधान अन्वेषक	18.9.2000– 28.9.2000	6391/– रु.	बेगुसराय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	
23.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	4.10.2000– 13.10.2000	3040/– रु.	कुशमाहुट, बेगुसराय में मक्का पृथक्करण चयन में मदद के लिए	
24.	डा. राजपाल सिंह, वैज्ञानिक	4.10.2000– 16.10.2000	4000/– रु.	कुशमाहुट, बेगुसराय में मक्का पृथक्करण चयन में मदद के लिए	

1	2	3	4	5	6
25.	श्री दीपक बवेजा, तकनीकी अधिकारी	5.12.2000–7.12.2000	4433/– रु.	बेगुसराय में हुई चोरी की जांच तथा अन्य कार्यों के लिए	
26.	डा. आर. सी. शर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक	5.12.2000–7.12.2000	4403/– रु.	कुशमाहुट में डकैती के तथ्यों का पता लगाने के लिए	
27.	श्री जे. के. गुलाटी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	5.12.2000–7.12.2000	3741/– रु.	बेगुसराय में चोरी की जांच तथा अन्य कार्यों के लिए	
28.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	5.12.2000–10.12.2000	3095/– रु.	बेगुसराय, बिहार में प्रजनन सामग्री की बुवाई	
29.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	20.1.2001–24.1.2001	4620/– रु.	बेगुसराय में के.लो.नि.वि. के प्रमुख अभियन्ता के साथ विचार–विमर्श के लिए	
30.	श्री जे. के. गुलाटी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	20.1.2001–24.1.2001	3029/– रु.	बेगुसराय में के.लो.नि.वि. के प्रमुख अभियन्ता के साथ विचार–विमर्श के लिए	
31.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	21.1.2001–23.1.2001	8890/– रु.	किसान मेले के लिए स्थान के चयन तथा बेगुसराय में के.लो.नि.वि. के प्रमुख अभियन्ता के साथ आर.आर.एस. परिसर के निर्माण कार्य के बारे में विचार–विमर्श के लिए	
32.	डा. एन. पी. गुप्ता, वैज्ञानिक	2.2.2001–9.2.2001	3500/– रु.	कुशमाहुट, बेगुसराय में एफ.एल.डी. प्रबंध क्रिया–कलापों को देखने के लिए	
33.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	7.2.2001–13.2.2001	3462/– रु.	कटिहार, बिहार में कृषि मेले में हिस्सा लेने के लिए	
34.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	21.2.2001–23.2.2001	8730/– रु.	मक्का कार्यक्रम की निगरानी तथा डाक्टर नॉरमन ई. बोरलॉग के दौरे को आयोजित करने के लिए	
35.	डा. वी. पी. एस. पंवार, प्रधान अन्वेषक	2.3.2001–8.3.2001	5000/– रु.	पूसा और बेगुसराय में मक्का पर रबी के परीक्षणों का जायजा लेने के लिए	
36.	डा. एस. बी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	2.3.2001–8.3.2001	5000/– रु.	पूसा और बेगुसराय में मक्का पर कृषक प्रदर्शनों को देखने के लिए	
37.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	2.3.2001–8.3.2001	2695/– रु.	आर.ए.यू. समस्तीपुर में कृषि मेले में हिस्सा लेने के लिए	
38.	श्री वी. के. यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक	2.3.2001–9.3.2001	3500/– रु.	पूसा और बेगुसराय में रबी कार्यक्रम का दौरा करने के लिए	

1	2	3	4	5	6
				हरियाणा	
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	8.4.2000	135/– रु.	पानीपत, खलीलाबाद में मक्का परीक्षण की निगरानी के लिए	
2.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	8.4.2000	55/– रु.	पानीपत, खलीलाबाद में फील्ड विजीट के लिए परियोजना निदेशक (मक्का) के साथ	
3.	श्री बिन्देश्वर सैनी, एस.एस. ग्रेड–I	13.5.2000–15.5.2000	149/– रु.	करनाल और हिसार के लिए पी.पी.एम.एस. सिंचित एग्रो पारिस्थितिकीय प्रणाली के साथ	
4.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	20.5.2000	135/– रु.	उचनी में मक्का फसल रोपण के आकलन के लिए	
5.	श्री दीपक बवेजा, तकनीकी सहायक	20.5.2000	120/– रु.	उचनी, करनाल में परियोजना निदेशक (मक्का) की सहायता के लिए	
6.	श्री जे. के. गुलाटी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	20.5.2000	105/– रु.	करनाल स्थित अ.भा.स.अ.प., मक्का की प्राथमिक सूचना एकत्र करने के लिए	
7.	श्री जौहर अब्बास, एस.एस. ग्रेड–I	20.5.2000	55/– रु.	करनाल दौरे में परियोजना निदेशक (मक्का) के साथ	
8.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	11.8.2000	135/– रु.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के करनाल केन्द्र में बीज उत्पादन प्लांट के दौरे के लिए	
9.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	24.2.2001	55/– रु.	यमुनानगर दौरे में परियोजना निदेशक (मक्का) के साथ	
				कर्नाटक	
1.	डा. एस. बी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	4.4.2000–25.4.2000	5557/– रु.	धारवाड़ में कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
2.	डा. ओम प्रकाश वैज्ञानिक	8.4.2000–18.4.2000	1517/– रु.	धारवाड़ में 43वीं वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
3.	डा. दयानन्द, प्रधान जांचकर्ता	9.4.2000–18.4.2000	4988/– रु.	धारवाड़ में वार्षिक कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
4.	डा. के. पी. सिंह, वैज्ञानिक	94.2000–18.4.2000	1517/– रु.	धारवाड़ में वार्षिक मक्का कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
5.	श्री वी. के. यादव, वैज्ञानिक	9.4.2000–18.4.2000	1390/– रु.	धारवाड़ में वार्षिक मक्का कार्यशाला में शामिल होने हेतु	

1	2	3	4	5	6
6.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	9.4.2000–18.4.2000	581/– रु.	धारवाड़ में मक्का कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
7.	डा. पी. एच. जैदी, वैज्ञानिक	9.4.2000–18.4.2000	3230/– रु.	धारवाड़ में 43वीं वार्षिक मक्का कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
8.	डा. वी. पी. आहुजा, प्रधान वैज्ञानिक	10.4.2000–18.4.2000	5262/– रु.	धारवाड़ में वार्षिक मक्का कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
9.	डा. आर. सी. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक	10.4.2000–21.4.2000	3356/– रु.	धारवाड़ में कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
10.	डा. संगम लाल, प्रधान जांचकर्ता	11.4.2000–16.4.2000	10368/– रु.	अरभवी में फसल पादपों के मानीटरन तथा मक्का कार्यशाला में शामिल होने हेतु	
11.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	12.4.2000–17.4.2000	14830/– रु.	धारवाड़ में वार्षिक मक्का कार्यशाला आयोजित करने और हैदराबाद में मक्का सामग्री के मूल्यांकन हेतु	
			पंजाब		
1.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	1.4.2000–6.4.2000	857/– रु.	पंजाब में फार्म पर परीक्षण संबंधी स्थानों का दौरा	
2.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	3.10.2000–4.10.2000	2285/– रु.	एन.ए.टी.पी. परियोजना के संबंध में कुलपति, पी.ए.यू. लुधियाना प्राधिकरण के साथ बैठक एवं विचार–विमर्श में भाग लेने हेतु	
			मध्य प्रदेश		
1.	श्री ए. के. खन्ना, वरिष्ठ लिपिक	30.5.2000–6.6.2000	3000/– रु.	इन्दौर में आई.जे.एस.सी. बैठक में भाग लेने हेतु	
2.	श्री ए. के. खन्ना, वरिष्ठ लिपिक	18.6.2000–26.6.2000	1182/– रु.	इन्दौर में आई.जे.एस.सी. बैठक में भाग लेने हेतु	
3.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	20.6.2000–24.6.2000	8824/– रु.	इन्दौर में आई.जे.एस.सी. बैठक में भाग लेने हेतु	
4.	डा. आर. सी. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक	4.12.2000–7.12.2000	2648/– रु.	सी.आई.ए.ई., भोपाल में मक्का के पौधे लगाने वाली मशीन व अन्य उपकरण देखने हेतु	
			हिमाचल प्रदेश		
1.	डा. आर. के. शर्मा, वैज्ञानिक	9.7.2000–15.7.2000	2000/– रु.	बजौरा में कपास पर कीट वैज्ञानिक परीक्षणों में टिप्पणी रिकार्ड करने हेतु	
2.	डा. एच. ओ. गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक	1.11.2000–6.11.2000	2000/– रु.	बजौरा में विज्ञान पर राष्ट्रीय सेमिनार में फसल कटाई के उपरांत प्रौद्योगिकी शीर्षक पर अग्र पर्चा	

1	2	3	4	5	6
				प्रस्तुत करने तथा पालमपुर में कृषि उद्योग अंतरा–पृष्ठ पर राष्ट्रीय सेमिनार में भी भाग लेने हेतु	
3.	डा. इकबाल सिंह परि. निदेशक (मक्का)	1.11.2000–6.11.2000	1161/– रु.	बजौरा में विज्ञान पर राष्ट्रीय सेमिनार में फसल कटाई के उपरांत प्रौद्योगिकी शीर्षक पर अग्र पर्चा प्रस्तुत करने तथा पालमपुर में कृषि उद्योग अंतरा–पृष्ठ पर राष्ट्रीय सेमिनार में भी भाग लेने हेतु	
4.	श्री विनोद पासवान, ड्राइवर	2.11.2000–4.11.2000	165/– रु.	पालमपुर में संगोष्ठी में शामिल होने वाले परि–योजना निदेशक (मक्का) के साथ स्टाफ कार चलाने हेतु	
			महाराष्ट्र		
1.	डा. एस. बी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	4.7.2000–10.7.2000	5033/– रु.	परीक्षणों के प्रवर्तन और क्यू.पी.एम. के आइसोलेशन की बुवाई के लिए कोल्हापुर का दौरा करने हेतु	
2.	डा. एस. बी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	14.10.2000–20.10.2000	7843/– रु.	कोल्हापुर में बीज उत्पादन भूखंड को देखने और फसल कटाई संबंधी सामग्री को देखने हेतु	
3.	डा. एच. ओ. गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक	26.2.2001–7.3.2001	7812/– रु.	कोल्हापुर में पादप जैव रसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रवृत्ति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने तथा पर्चा प्रस्तुत करने हेतु	
			राजस्थान		
1.	डा. वी. पी. एस. पंवार, वरिष्ठ वैज्ञानिक	15.9.2000–26.9.2000	5000/– रु.	उदयपुर, बांसवाड़ा में खरीफ प्रयोग के मानीटरन और विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों द्वारा लगाए गए फील्ड पौधों के मानीटरन करने हेतु	
2.	डा. आर. सी. शर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक	2.10.2000–6.10.2000	4000/– रु.	बांसवाड़ा में टी.एम.ओ.पी. तथा एम. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु	
			पश्चिम बंगाल		
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	19.6.2000	12663/– रु.	कुशमहुत बेगुसराय में निर्माण कार्य के बारे में वरिष्ठ वास्तुकार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कोलकाता से विचार–विमर्श करने हेतु	
2.	श्री ए. के. खन्ना, वरिष्ठ लिपिक	28.10.2000–4.11.2000	5000/– रु.	आर.एस. कलिंगपौंग में आई.जे.एस.सी. बैठक में शामिल होने हेतु	
			असम		
1.	डा. आर. सी. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक	29.8.2000–31.8.2000	17105/– रु.	जोरहाट में मक्का रोग विज्ञान संबंधी परीक्षणों का निरीक्षण करने हेतु	

1	2	3	4	5	6
2.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	29.8.2000 2.9.2000	17105/– रु.	जोरहाट में अनुसंधान केन्द्र तथा फील्डों में किसान के खेतों पर मक्के के परीक्षण के मानीटरन तथा कुलपति के साथ कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार–विमर्श करने हेतु	
			उड़ीसा		
1.	श्री विनोद पासवान, सदस्य, आईजेएससी	26.2.2000– 9.3.2000	8336/– रु.	भुवनेश्वर में केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में शामिल होने हेतु	
			उत्तर प्रदेश		
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	18.4.2000– 24.4.2000	5145/– रु.	लखनऊ में रबी और वसन्त के मौसम में फील्डों का मानीटरन करने हेतु	
2.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	12.5.2000– 17.5.2000	5155/– रु.	देवरिया/गोरखपुर में मक्का केन्द्र खोलने के लिए स्थल चयन करने हेतु	
3.	डा. संगम लाल, प्रधान जांचकर्ता	5.7.2000	135/– रु.	यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.पी.एम. परीक्षण को अंतिम रूप देने के लिए लोहरहा गांव का दौरा करने हेतु	
4.	डा. वी. के. यादव, वैज्ञानिक	5.7.2000	120/– रु.	यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.पी.एम. परीक्षण को अंतिम रूप देने के लिए लोहरहा गांव का दौरा करने हेतु	
5.	डा. वी. के. यादव, वैज्ञानिक	15.7.2000	120/– रु.	बुलंदशहर में कृषि गोष्ठी में शामिल होने हेतु	
6.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	19.7.2000– 23.7.2000	4471/– रु.	देवरिया/गोरखपुर/बहराइच/लखनऊ में मक्का कार्यक्रम के मानीटरन हेतु	
7.	डा. एस. बी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	18.9.2000– 19.9.2000	470/– रु.	बुलंदशहर में मक्के पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा किसानों के खेतों का दौरा करने हेतु	
8.	डा. आर. सी. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक	18.9.2000– 19.9.2000	470/– रु.	बुलंदशहर में यू.एन.डी.पी. के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु	
9.	जौहर अब्बास, एस.एस. ग्रेड–I	18.9.2000– 19.9.2000	55/– रु.	बुलंदशहर में दौरा करने के लिए वैज्ञानिकों के साथ जाना	
10.	डा. वी. पी. पंवार, वरिष्ठ वैज्ञानिक	1.10.2000– 6.10.2000	2000/– रु.	बहराइच और कानपुर में मक्का बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु	
11.	डा. एस. बी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	1.10.2000– 10.10.2000	5517/– रु.	बहराइच में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु	

1	2	3	4	5	6
12.	डा. संगम लाल, प्रधान जांचकर्ता	9.10.2000– 11.10.2000	2462/– रु.	झांसी/ललितपुर में यू.एन.डी.पी. के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करने हेतु	
13.	श्री सुनील महतो, कनिष्ठ लिपिक	19.10.2000– 20.10.2000	582/– रु.	लखनऊ में एस.ए.पी. बैठक में सहायता करने हेतु	
14.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	20.10.2000– 21.10.2000	5540/– रु.	लखनऊ में एस.ए.पी. बैठक में भाग लेने हेतु	
15.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	24.12.2000– 27.12.2000	8650/– रु.	रबी प्रयोगों को देखने और वाराणसी से सामग्री लाने हेतु	
16.	डा. पी. एच. जैदी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	26.12.2000– 31.12.2000	2356/– रु.	एन.डी.यू.टी., फैजाबाद में मक्के पर जलमग्न वाली परियोजना के बारे में विचार–विमर्श हेतु	
17.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	24.1.2001– 31.1.2001	5624/– रु.	फैजाबाद में फील्डों के मानीटरन हेतु	
18.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	7.2.2001– 8.2.2001	7340/– रु.	भारत के डा. बॉर्लाग के कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु	
19.	डा. आर. पी. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	4.3.2001– 8.3.2001	2522/– रु.	बहराइच में फील्ड प्रयोग और किसान मेला आयोजित करने हेतु	

2001-2002

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	अवधि	राशि (रुपये में)	उद्देश्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
			आन्ध्र प्रदेश		
1.	डा. सुजय रक्षित, वैज्ञानिक	23.4.2001– 3.5.2001	7791/– रु.	हैदराबाद में जैव सूचना नेटवर्क और फसल सामग्री पर चर्चा के लिए	
2.	डा. एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	30.4.2001– 15.5.2001	16975/– रु.	हैदराबाद में शीतकालीन मक्का नर्सरी फसल	
3.	श्री सतीश राय, तकनीकी अधिकारी	1.5.2001– 18.5.2001	4773/– रु.	हैदराबाद में फसल कटाई में सहायता के लिए	
4.	श्री जय राम, तकनीकी सहायक	1.5.2001– 18.5.2001	4788/– रु.	हैदराबाद में फसल कटाई में सहायता के लिए	
5.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	10.5.2001– 18.5.2001	11488/– रु.	हैदराबाद में मक्का प्रजनन सामग्री की कटाई	

1	2	3	4	5	6
6.	डा. आर. के. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	12.5.2001– 19.5.2001	3000/– रु.	भोपाल से जर्मप्लाज्म एकत्रित करने और मक्का पर आई.पी.एम. पैकेज को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेना	
7.	श्री विश्वनाथ, तकनीकी सहायक	1.5.2001– 20.5.2001	6000/– रु.	मक्के की फसल की कटाई में सहायता के लिए	
8.	श्री ओ. पी. भगत, तकनीकी सहायक	1.5.2001– 20.5.2001	7000/– रु.	मक्के की कटाई में सहायता हेतु	
9.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	30.4.2001– 9.5.2001	12282/– रु.	मक्का पैथोलॉजी सामग्री की कटाई शुरू करने हेतु	
10.	डा. एन. एम. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	15.1.2001– 16.1.2002	14990/– रु.	कटाई प्रक्रिया की निगरानी	
11.	डा. इकबाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	20.1.2002– 25.1.2002	4679/– रु.	परियोजना निदेशक (मक्का) की सहायता करने हेतु	
12.	डा. इकबाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	16.2.2002– 28.2.2002	7000/– रु.	मक्का पैथोलॉजी सामग्री की कटाई शुरू करने हेतु	
13.	डा. एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	16.2.2002– 28.2.2002	10343/– रु.	मक्का पैथोलॉजी सामग्री की कटाई शुरू करने हेतु	
14.	डा. एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	10.3.2002– 16.3.2002	10035/– रु.	कटाई प्रक्रिया की निगरानी	
15.	डा. सुजय रक्षित, वैज्ञानिक	8.2.2002– 16.3.2002	10592/– रु.	मक्के से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने	
16.	डा. आर. सी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	10.3.2002– 17.3.2002	7000/– रु.	मक्का बीजों की निगरानी	
17.	श्री विश्वनाथ, तकनीकी सहायक	8.2.2002– 5.3.2002	7659/– रु.	कटाई प्रक्रिया में सहायता के लिए	
18.	श्री एस. एन. राय, तकनीकी सहायक	12.2.2002– 5.3.2002	9429/– रु.	मक्का फसलों की कटाई में सहायता के लिए	
19.	डा. राजपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	16.2.2002– 7.3.2002	13140/– रु.	मक्का खरीफ की निगरानी	
			उत्तर प्रदेश		
1.	डा. जे. एस. शेखर, वैज्ञानिक	5.4.2001– 14.4.2001	7740/– रु.	कानपुर में वार्षिक कार्यशाला में भाग लेने तथा शीतकालीन नर्सरी कार्यक्रम पर चर्चा करने हेतु	

1	2	3	4	5	6
2.	श्री विनोद पासवान, तकनीकी सहायक	16.4.2001– 16.4.2001	55/– रु.	परियोजना निदेशक (मक्का) को भा.कृ.अ.स. से काशीटोला फील्ड दौरे के लिए ले जाना	
3.	डा. पी. एच. जैदी, वैज्ञानिक	31.3.2001– 16.4.2002	2352/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
4.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	2.4.2001– 5.4.2001	1152/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
5.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	7.4.2001– 10.4.2001	9179/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
6.	डा. आर. पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.2001– 11.4.2001	2220/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
7.	डा. पी. पी. एस. पंवार, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.2001– 11.4.2001	2597/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
8.	डा. एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.2001– 12.4.2001	2687/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
9.	श्री अशोक कुमार, आशुलिपिक	7.4.2001– 12.4.2001	2211/– रु.	कार्यशाला में कार्यालय संबंधी कार्य में सहायता के लिए	
10.	डा. सुजय रक्षित, वैज्ञानिक	7.4.2001– 12.4.2001	2332/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
11.	श्री वी. के. यादव, वैज्ञानिक	7.4.2001– 12.4.2001	2179/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
12.	डा. ए. एस. सेठी, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.2001– 9.4.2001	2255/– रु.	कानपुर में वार्षिक मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
13.	श्री बिन्देश्वर सैनी, वरि. वैज्ञानिक ग्रेड–I	7.4.2001– 12.4.2001	874/– रु.	कानपुर में मक्का कार्यशाला में सहायता के लिए	
14.	डा. एन. पी. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.2001– 12.4.2001	2657/– रु.	कानपुर में मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
15.	डा. ओम प्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक	7.4.2001– 12.4.2001	2332/– रु.	कानपुर में मक्का कार्यशाला में भाग लेने हेतु	
16.	डा. पी. एच. जैदी, वैज्ञानिक	6.2.2002– 13.2.2002	2405/– रु.	परियोजना निदेशक (मक्का) की सहायता करने हेतु	
17.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	1.1.2002– 5.1.2002	7355/– रु.	मक्का फसल को देखने	

1	2	3	4	5	6
18.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	22.1.2002– 24.1.2002	6935/– रु.	मक्का फसल को देखने	
			बिहार		
1.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	20.4.2001– 22.4.2001	10385/– रु.	एफ.एल.डी. को देखने हेतु	
2.	श्री सतीश राय, तकनीकी सहायक	13.8.2001– 21.8.2001	2855/– रु.	एफ.एल.डी. की प्रगति देखने हेतु	
3.	डा. वी. के. यादव, वैज्ञानिक	24.12.2001– 5.1.2002	6830/– रु.	एफ.एल.डी. की जांच करने हेतु	
4.	डा. एन. एन. सिंह, परि. निदेशक (मक्का)	19.2.2002– 20.2.2002	9690/– रु.	एफ.एल.डी. की फसल देखने हेतु	
5.	डा. वी. के. यादव, वैज्ञानिक	21.4.2001– 30.4.2001	5385/– रु.	बेगुसराय में एफ.एल.डी. और बीज उत्पादन कार्य–कलापों की देखभाल करने के लिए	
			हरियाणा		
1.	डा. पी. एच. जैदी, वैज्ञानिक	28.4.2001– 30.4.2001	630/– रु.	सूखा सहन वंशक्रम का चयन	
2.	डा. एच. ओ. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक	12.2.2002– 16.2.2002	2234/– रु.	सूखा सहन वंशक्रम का चयन	
			कोल्हापुर		
1.	श्री आर. बी. ठाकुर, तकनीकी सहायक	20.5.2001– 8.6.2001	2000/– रु.	कोल्हापुर में मक्का फसलों को देखने	
			कोयम्बटूर		
1.	डा. वी. एस. उपाध्याय, पीपीएसएस (एनएटीपी)	8.4.2001– 12.4.2001	17939/– रु.	आई.वी.एल.पी. के माध्यम तथा तकनीकी मूल्यांकन में भाग लेने हेतु	
			यवतमल		
1.	डा. पी. कुमार, प्रधान वैज्ञानिक	11.1.2002– 13.1.2002	4500/– रु.	आई.वी.एल.पी. परियोजना एकत्रित करने हेतु	
			मध्य प्रदेश		
1.	डा. एस. बी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	31.8.2001– 2.9.2001	2977/– रु.	झांसी में मक्का फसल देखने हेतु	

राज्यों के कृषि मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन

1707. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली में राज्यों के कृषि और सहकारिता मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय राज्य कृषि एवं सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन ऋण से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए 11 दिसंबर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लगभग सभी राज्य कृषि एवं सहकारिता मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। विचार–विमर्श के पश्चात कृषि ऋण एवं फसल बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों को वित्त मंत्रालय सहित सभी संबंधितों को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.) द्वारा ठेके प्रदान करने में अनियमितताएं

1708. **डा. रमेश चंद तोमर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.), पूसा द्वारा ठेका प्रदान करने के मामले में भारी अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डी.एम. आर. द्वारा प्रदान किए गए ठेकों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार ठेके की स्थिति क्या है और उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) प्रमुख लेखा परीक्षा निदेशालय (वैज्ञानिक विभाग) द्वारा बाह्य लेखा परीक्षा पहले ही की जा चुकी है। इस लेखा परीक्षा में मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा ठेके देने के मामले में किसी अनियमितता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) छोटे–छोटे मोटे कार्यों सहित डी.एम.आर. के मूल निर्माण कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्माण अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दिए गए ठेके की दर के आधार पर निर्माण कार्य भी कराया गया है। भा. कृ. अ. प. के निदेशक (निर्माण) के परामर्श से किसान गेस्ट हाऊस के निर्माण, बेगुसराय में डी.एम.आर. के क्षेत्रीय केन्द्र की भूमि आदि को समतल करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी, पटना को कार्य सौंपा गया।

(ङ) डी.एम.आर. (मुख्यालय) तथा बेगुसराय में कराया गया कार्य सन्तोषजनक है।

जैव-उर्वरकों का उत्पादन

1709. **डा. एन. वेंकटस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्मी–कम्पोस्ट आदि जैसे जैव–उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को इन जैव–उर्वरकों का उपयोग करने और जैव कृषि आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को जैव–उर्वरकों का उत्पादन करने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें कोई राजसहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान देश में जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने और उसे कारगर बनाने के लिए एक नई स्कीम 'राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना जिसमें राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना शामिल है, क्रियान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ–साथ फल एवं सब्जी वेसट कम्पोस्ट यूनिटों, जैव–उर्वरक उत्पादन यूनिटों तथा वर्मीकल्चर के लिए हैचरियों आदि जैसे जैविक आदानों की वाणिज्यिक उत्पादन यूनिटों को सहायता देना शामिल है।

(ग) और (घ) उचित दर पर जैव–उर्वरक उपलब्ध कराने तथा किसानों में जैव–उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जैव–उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए 9वीं योजना के दौरान 20 लाख रु. तक के गैर–आवर्ती अनुदान का प्रावधान किया है। इस क्रियाकलाप को राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत 10वीं योजना के दौरान जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

पौध-जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन

165-66

1710. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जयपुर में सतत विकास में 'पौध–जैव प्रौद्योगिकी' की भूमिका संबंधी विषय पर एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसमें किस विषय पर चर्चा की गई; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा भारतीय पौध ऊतक संवर्धन संस्था की ओर से "पौध–जैव प्रौद्योगिकी : सतत विकास में इसकी भूमिका" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी जयपुर में 17 से 19 फरवरी, 2003 के दौरान आयोजित की गई थी।

(ख) पादप ऊतक संवर्धन, गौण चयापचयज, चयापयी अभियांत्रिकी और आण्विक जीव विज्ञान, आनुवंशिक रूपान्तरण पद्धतियों, जैविक व अजैविक दबावों की प्रतिरोधिता, वृक्ष जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण जैनेसिस, पुनर्जनन तथा सूक्ष्म–प्रवर्धन, जीनोमिक्स व जैव–प्रौद्योगिकी तथा स्थिर विकास संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

(ग) जैव–प्रौद्योगिकी विभाग को जो जैव–प्रौद्योगिकी का मुख्य (नोडल) विभाग है, अभी तक उक्त कार्यशाला की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

आरोपित अधिकारियों के लिए सुरक्षा पास

166

1711. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया सिक्योरिटी द्वारा एयर इंडिया के दिल्ली केन्द्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर, 2004 तक वैध विमानपत्तन प्रवेश पत्र हेतु कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई;

(ख) इनमें से विभागीय और पुलिस मामलों से संबंधित कितने आवेदन हैं;

(ग) क्या नियमों के अंतर्गत इन आवेदनों के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आवेदनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) कितने आवेदन बी.सी.ए.एस. को कार्य हेतु भेजे गए और कितने आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) अभी तक दिल्ली में एयर इंडिया द्वारा नई प्रणाली के तहत एयरपोर्ट प्रवेश पत्रों के लिए 1779 आवेदन पत्र भेजे गए हैं।

(ख) 8 आवेदन।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किए गए।

(ङ) 1778 आवेदनों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को भेजा गया तथा एक आवेदन को अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए एयर इंडिया द्वारा रोक लिया गया।

इंडियन एयरलाइंस को विमान यातायात में हुआ घाटा

1712. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवसी :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए हाल ही में कोई समीक्षा कराई गई है कि इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के देश में कार्यरत अन्य विमान कंपनियों की ओर चले जाने से कितना घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस को इस कारण कितना घाटा हुआ;

(ग) इस घाटे के कारण क्या हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा निजी विमान कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपना खोया हुआ बाजार पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पैसेन्जर लोड (सीट फैक्टर) इस प्रकार हैं :

वर्ष	इंडियन एयरलाइंस	जेट एयरवेज	सहारा एयरलाइंस
2000	64.0%	71.8%	39.71%
2001	63.4%	63.1%	40.09%
2002	58.9%	61.6%	51.70%

पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू विमानन बाजार में निजी एयरलाइनों द्वारा मांग में वृद्धि के कारण विमानन क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण उद्योग के सीट फैक्टर में गिरावट आई है। निजी एयरलाइनों के प्रवेश करने से इंडियन एयरलाइंस कैपेसिटी शेयर में गिरावट हुई है जिसके परिणामस्वरूप, इसके सीट फैक्टर तथा लाभ में भी कमी हुई है।

पिछले तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइंस को हुए लाभ/(हानि) का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	शुद्ध लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए में)
1999–2000	51.42
2000–2001	(159.17)
2001–2002	(246.75)

कंपनी के लाभ पर लोड फैक्टर (प्रयुक्त क्षमता) में उतार–चढ़ाव के प्रभाव का अलग से अनुमान लगाना संभव नहीं है चूंकि प्रचालनिक लाभ इनपुट कीमतों में वृद्धि, राजस्व अर्जित करने में उतार–चढ़ाव, क्षमता उपयोगिता, विमानों की उपयोगिता और अन्य संसाधनों जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

(घ) प्रोमोशनल किराए की योजना यथा उसमें सुधार और साथ ही अपनी सेवाओं को बेहतर बनाकर इंडियन एयरलाइन्स अपनी सेवाओं को अन्य प्रचालकों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बना रही है।

ताज आर्थिक जोन के लिए नया विमानपत्तन

1713. **श्री के. पी. सिंह देव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के निकट ताज विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में एक नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली स्थित मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से मात्र 80 किलोमीटर दूर इस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की व्यवहार्यता, अर्थक्षमता और सुरक्षा की जांच कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो विमानपत्तन अवसंरचना नीति में यह

निर्धारित किया गया है कि मौजूदा विमानपत्तन की 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी विमानपत्तन की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली के निकट ऐसे विमानपत्तन के विकास के संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (च) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हब को विकसित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की तकनीकी–आर्थिक साध्यता और मौजूदा नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद ही इस प्रस्ताव के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

1714. श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन : 169
श्री वाई. वी. राव :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत ने कुछ देशों विशेषकर इटली के साथ हाल ही में सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को कौन–कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। इटली सरकार के साथ छठे सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर 25 जनवरी, 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इटली के साथ समझौते से शिक्षा, संस्कृति और कला, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संग्रहालयों, पुरातत्व, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और प्रकाशन तथा सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में परस्पर आदान–प्रदान संभव होगा।

(ग) सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाने तथा विदेशों में भारत की सांस्कृतिक छवि प्रस्तुत करने के लिए है।

[हिन्दी]

कोयला और अन्य खानों में दुर्घटनाएं

1715. प्रो. रासासिंह रावत : खान दुर्घटना
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : 170 -74

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक कोयला और अन्य खानों में खान ढहने, आग लगने और पानी भरने की कितनी घटनाएं हुईं तथा इनमें राज्यवार और वर्षवार जान–माल की कितनी क्षति हुई है;

(ख) क्या हाल ही में झारखंड जिला हजारीबाग में एक बंद पड़ी खान में आग लग गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) दुर्घटनाओं और मृत्यु के संबंध में राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरे प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है। संपत्ति की हानि के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड्स की काननपुरा खास कोलियरी के बानागढ़ सीम में 6.12.2002 को आग लगने की दुर्घटना हुई। इस खान में वर्ष 1983 में कार्य शुरू हुआ था और 28.12.1999 को इसमें कार्य बंद कर दिया गया था। कार्य बंद करते समय, प्रबंधन ने खंभों पर खड़ी बानागढ़ सीम नामक सीम को छोड़कर बाकी सभी सीमों को बंद कर दिया था। आग की घटना इस सीम के कार्यस्थल को बंद न किए जाने के कारण हुई। आग की इस घटना के पश्चात् इस कार्यस्थल के लिए अस्थाई रूप से वायु आपूर्ति काट दी गई। प्रबंधन का प्रस्ताव है कि इस समस्या से स्थाई रूप से निपटने के लिए सभी खुले स्थानों को बंद करने के लिए अवरोधकों का निर्माण किया जाए।

(घ) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में होने वाली दुर्घटनाओं

को रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इन सुरक्षा कानूनों की निरंतर समीक्षा की जाती है और समय–समय पर इनमें संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए प्रबंधन को परिपत्रों के रूप में दिशा–निर्देश जारी किए हैं। खान प्रबंधनों द्वारा इन सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षण अधिकारी खानों में अनुपालन की स्थिति को देखने के लिए उनका निरीक्षण करते हैं और चूक मामले में निम्नलिखित कार्रवाई करते हैं :

(i) दोषी की चेतावनी,

(ii) प्रमाणपत्र का निलंबन,

(iii) काम के तरीके में सुधार,

(iv) खान सुरक्षा महानिदेशालय के निष्कर्षों के आधार पर प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई,

(v) न्यायालय में अभियोजन दायर करना।

सरकार, खनिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षा सम्मेलनों, सुरक्षा सप्ताहों के आयोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों की घोषणा के रूप में भी विभिन्न अन्य उपाय करती है।

विवरण

कोयला खानें

राज्य	2000		2001		2002	
	मामलों की सं.	मृतकों की सं.	मामलों की सं.	मृतकों की सं.	मामलों की सं.	मृतकों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
			धंसाव/अवतलन			
			शून्य			
			आग			
आंध्र प्रदेश	2	4	–	–	1	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	1	–
झारखंड	–	–	–	–	1	–
मध्य प्रदेश	1	1	–	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	1	–	2	–
उत्तर प्रदेश	–	–	1	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	1	–	1	–
संपूर्ण भारत	3	5	3	–	6	–
			जल भराव			
आंध्र प्रदेश	1	–	–	–	–	–
बिहार	1	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	–	–	–	1	–	
झारखंड	–	–	2	30	2	–
संपूर्ण भारत	2	–	2	30	–	–

गैर-कोयला खान

धंसाव/अवतलन

शून्य

आग

असम	2	–	1	–	1	–
गुजरात	–	–	1	3	1	–
झारखंड	–	–	1	4	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	1	1	–	–
संपूर्ण भारत	2	–	4	9	1	–

जल-अपवाह

शून्य

[अनुवाद]

173-74

कृषि व्यापार पर प्रतिबंध

1716. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने गेहूं और गेहूं उत्पादों, जौ, मक्का, बाजरा, रागी ज्वार (खरीफ फसल के रूप में उगाई गई संकर ज्वार को छोड़कर) के अनाज और आटे, मक्खन और दलहनों, मसूर, चने के किस्मों और इनसे बने आटे के निर्यात, निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र पर से मार्च 2002 से प्रतिबंध हटा लिया है। गैर–बासमती चावल के पंजीकरण की आवश्यकता और गैर–बासमती चावल तथा दलहनों का निर्यात 5 किग्रा. के पैकेज में करने की जरूरत को भी खत्म कर दिया गया है।

इसके अलावा, रूस को काजू के निर्यात, मूंगफली के तेल का निर्यात 5 किलोग्राम या अधिक के पैकेट और काजू, पटसन और प्याज को छोड़कर कृषि बीजों के निर्यात पर से भी 31.03.2002 से प्रतिबंध हटा लिया है। मक्खन और गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के निर्यात पर पंजीकरण की आवश्यकता भी 31.3.2002 से खत्म कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने भी विभिन्न कृषि जिंसों, चीनी और खाद्य तेलों की खरीफ, स्टॉक रखने, ढुलाई आदि पर से अनिवार्य जिंस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध हटा लिए हैं। विभिन्न जिंसों के संबंध में लाइसेंसिंग की जरूरत भी समाप्त कर दी गई है।

[हिन्दी]

174-76

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पद

1717. श्री रामदास आठवले : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न

विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों के कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के तहत उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दी गई है और नई भर्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक विभिन्न श्रेणियों के तहत की गई नई भर्तियों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय (सचिवालय) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निम्नलिखित रिक्तियां आज की स्थिति के अनुसार उनके सामने दर्शाए गए वर्षों में रिक्त हैं :

पदनाम	रिक्तियों का विवरण		रिक्ति का वर्ष
	अनु.जाति	अनु.ज.जाति	
अनुभाग अधिकारी	–	1	2002
आशुलिपिक ग्रेड डी	–	1	2001
अवर श्रेणी लिपिक	1	–	2001

(ग) रिक्तियों की उपलब्धता और उपयुक्त पदधारी उपलब्ध होने पर पदोन्नति तथा नई भर्ती की जाती है।

(घ) वर्ष 2000, 2001, 2002 के दौरान और 31.1.2003 तक इस्पात मंत्रालय (सचिवालय) में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई भर्ती का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

नई भर्ती

पदनाम	2000		2001		2002		2003 (31 जन., 2003 तक)	
	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु.ज. जाति
चपरासी	1	–	–	–	–	–	1	–

पदोन्नति

पदनाम	2000		2001		2002		2003 (31 जन., 2003 तक)	
	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु.ज. जाति
दफ्तरी	2	–	–	–	–	–	3	–

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात (डीसीआई एंड एस) संगठन और इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान (आई.सी.ए.आर.) के कर्मचारियों की संख्या कम करना

1718. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई.सी.ए.आर. के कर्मचारियों की संख्या को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार को विशेष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी, स्टाफ कम करने के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर भी लागू होते हैं। स्टाफ कम करने के भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

महाराष्ट्र में औषधीय पौधों की खेती

1719. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कृषि तकनीकों और औषधीय पौधों की खेती विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय का कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि में बृहद् प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्य योजना के माध्यम से राज्यों को प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नायक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यक्रम चला सकती है। ऐसी जरूरतों में औषधिक एवं सुगंधित पौधों की खेती भी आती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में औषधिक एवं सुगंधित पौधों के विकास की कार्ययोजना के लिए वर्ष 2002–03 के दौरान 50.00 लाख रु. का परिव्यय रखा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आई.एस.एम. एंड एच. विभाग द्वारा उनकी कृषि तकनीक एवं औषधिक पौधों की खेती के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी और डा. पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ, अकोला को सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में इमारती लकड़ी की तस्करी

1720. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 जनवरी, 2003 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार को यह जानकारी है कि माफिया ने उस समय एक स्वयं सेवी की हत्या कर दी और तीन अन्य को घायल कर दिया जब उन्होंने माफिया को इमारती लकड़ी की चोरी करने से रोकने का प्रयास किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या माफिया वन अधिकारियों की सांठ–गांठ से बेरोक टोक अपना कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा माफिया को समाप्त करने और उड़ीसा में वनों को बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) सरकार को इमारती लकड़ी के तस्करों द्वारा अपनी ड्यूटी करने के दौरान एक व्यक्ति को जान से मारने तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल किए जाने की जानकारी है।

(ख) उक्त घटना 31.12.2002 को हुई जब नयागढ़ जिले के रघुनाथपुर गांव के स्व. श्री चन्द्र मणिनायक जो अंचालिका सुलिया वन सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, श्री मगुनी बेहरा और श्री पूर्ण चन्द बेहरा के साथ सुलिया वन आरक्षित क्षेत्र (कम्पार्टमेंट नं. 4) में गश्त कर रहे थे। उन पर चार सशस्त्र टिम्बर तस्करों ने हमला किया जिसमें श्री चन्द्र मणि नायक मारा गया, श्री मगुनी बेहरा घायल हो गया और श्री पूर्ण चन्द बेहरा बिना नुकसान के बच गए। नयागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दोषी भाग निकले तथा उनका कोई अता–पता नहीं चला है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमंडल के गर्म होने के कारण फसलों के उत्पादन में कमी

1721. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी भारत विशेषकर पंजाब और हरियाणा में भूमंडल के गर्म होने के परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता में संभावित गिरावट का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य सरकारों और किसानों को इस संकट से अवगत कराने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) भूमंडल के गर्म होने की सीमा में अत्यधिक अनिश्चितता मौजूद है। अतः भारतीय कृषि पर भूमंडल के गर्म होने का संभावित प्रभाव अत्यधिक अनिश्चित रहता है और यह अनुकूलन तथा न्यूनीकरण की कार्यनीतियों के साथ-साथ तापमान तथा अन्य जलवायुवीय दशाओं में वास्तविक परिवर्तन पर निर्भर करेगा।

(ख) कोई तात्कालिक संकट प्रतीत नहीं होता है। इसके बावजूद, जलवायवीय परिवर्तनों के संभावित प्रभाव और अनुकूलन विधियों को समझने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय के बहुत से चालू संसाधन संरक्षण कार्यक्रमों से जलवायुवीय परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की संभावना है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) को वित्तीय सहायता

1722. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) को जोखिम रहित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) क्या लगातार कम हो रही वर्तमान ब्याज दरों के मद्देनजर ऐसी जोखिम रहित सहायता पर देय ब्याज दर बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर सहकारिताओं को प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एन.सी.डी.सी. की ऋण देने के दरें, ऋण लेने की लागत पर निर्भर करती हैं और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। एन.सी.डी.सी. की ब्याज दरें दिनांक 1.12.2002 से कम हो गई हैं और अब राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण देने पर ब्याज की प्रभावी दरें 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ये दरें काफी प्रतियोगी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय बीज उद्योग संघ

1723. श्री दिलीप संघाणी :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री पी. डी. एलामगोवन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बीज उद्योग संघ ने केन्द्र सरकार से कृषि अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से बीज प्रौद्योगिकी खरीदने और कृषि अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से उन्हें उगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां शनैः-शनैः देश के बीज बाजार पर एकाधिकार करती जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा बीज अधिनियम, 2000 के प्रारूप में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय बीज उद्योग संघ ने भारत सरकार से विदेश से प्रौद्योगिकी खरीदने का और रायल्टी के भुगतान पर बीज उद्योग को इसे उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निजी बीज उद्योग अपने वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बीज प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए अपेक्षित पूंजी एकत्रित करने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(च) जी, हां।

(छ) सरकार का बीज अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि सभी प्रकार के बीजों की गुणवत्ता विनियमित हो सके और उल्लंघन करने वालों पर अधिक कठोर दंड लगाने का प्रावधान किया जा सके।

[हिन्दी] 181-82

बीजों की छोटी किटों का प्रावधान

1724. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड को गत दस वर्षों के दौरान जारी की गई मूंगफली, तिल रामतिल और कैस्टर के बीजों की विभिन्न किस्मों की छोटी किटें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत छोटी किटों के बीजों के वितरण में गत दस वर्षों की स्थिति को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस निर्णय को लेने में विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) झारखंड सहित 28 राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को पिछले दस वर्षों के दौरान मूंगफली, तिल, रामतिल और एरण्ड के बीजों की विभिन्न किस्मों की छोटी किटों के निःशुल्क वितरण का प्रावधान है, जिसके साथ पद्धतियों के पैकेज की मुद्रित सामग्री भी होती है।

(ग) किसानों को छोटी किटों के वितरण का उद्देश्य किसानों के लाभार्थ तिलहन फसलों की नई किस्मों को शुरू करना और उनका प्रचार प्रसार करना है। इसीलिए उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बीज की छोटी किटों के वितरण में पिछले दस वर्षों की शर्त को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] 182-83

नागर विमानन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1725. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन संबंधी अवसंरचना को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष प्रस्वात कौन–कौन से हैं और निजीकरण का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) हवाईअड्डा अवसंरचना नीति के अनुसार, हवाईअड्डा परियोजना में आटोमैटिक अनुमोदन के द्वारा 74 प्रतिशत तक और विशेष अनुमति के द्वारा 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गई है। सरकार द्वारा बंगलौर, हैदराबाद तथा गोवा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमति दे दी है। बंगलौर हवाईअड्डा परियोजना के लिए, राज्य सरकार द्वारा सीमेन्स के नेतृत्व में एक संघ को स्ट्रैटजिक संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में चुना गया है, जिसके पास संयुक्त उद्यम कंपनी में 74 प्रतिशत इक्विटी होगी। हैदराबाद हवाईअड्डा परियोजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जी.एम.आर. वासावी के नेतृत्व में पसन्दीदा बोलीकर्ता के रूप में एक संघ का चयन किया गया है। दोनों परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए. आई.) के हवाई अड्डों की, जब और जैसे उपयुक्त हो, दीर्घावधिक पट्टे के माध्यम से पुनर्संरचना किए जाने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है। पहले चरण पर दिल्ली, मुंबई,

चेन्नई तथा कोलकाता में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के पुनर्संरचना का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह पुनर्संरचना प्रक्रिया जल्द ही व्यापक रूप से विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगी।

हिमालय से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के साथ जोड़ा जाना

1726. **डा. बी. बी. एमैया :**
डा. डी. वी. जी. शंकर राव :
श्री राजैया मल्याला :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रायद्वीपीय नदियों के साथ जोड़े जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किसी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल का गठन कब किया और इसमें सदस्य कौन–कौन से हैं और इसके द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और कब तक इस पर कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के बीच सहमति पैदा करने और प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के मानकों तथा परियोजना के वित्तपोषण के लिए तौर–तरीकों संबंधी दिशा–निर्देश मुहैया कराने आदि को ध्यान में रखते हुए 13 दिसम्बर, 2002 को एक कार्यबल का गठन किया है।

दिनांक 24.2.2003 को इस कार्यबल का संघटन नीचे दिए गए अनुसार है :

1.	श्री सुरेश वी. प्रभु, संसद सदस्य (लोकसभा)	अध्यक्ष
2.	श्री सी. सी. पटेल, सेवानिवृत्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	श्री दीपक दास गुप्ता, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी	पूर्णकालिक सदस्य
4.	श्री के. वी. कामथ, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	सदस्य
5.	श्री आर.के. पचौरी, महानिदेशक, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री पियूष गोयल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मुंबई	सदस्य
7.	श्री के. कस्तूरी रंगन, अध्यक्ष, इसरो, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री जी. सी. साहू, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उड़ीसा सरकार	सदस्य
9.	डा. सी. डी. थट्टे, सेवानिवृत्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य–सचिव

इस कार्य बल को व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन कार्यक्रम, परियोजना के ठोस लाभ इत्यादि की रूप रेखा देते हुए 30 अप्रैल, 2003 तक कार्रवाई योजना तैयार करनी है। यह इस परियोजना के वित्तपोषण और निष्पादन के लिए विकल्पों तथा जुलाई, 2003 तक लागत वसूली के लिए सुझाई गई विधियों का भी सुझाव देगा।

(ग) वर्तमान अनंन्तिम प्राक्कलन के अनुसार प्रायद्वीपीय और हिमालयी दोनों ही घटकों में वर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर पहचान की गई अन्तर्बेसिन जल हस्तान्तरण संपर्क स्कीमों के कार्यान्वयन की लागत 5,60,000 करोड़ रुपए है। यह कार्यबल वर्ष 2016 की समाप्ति तक नदियों को परस्पर जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य के संबंध में सुझाव और मार्गदर्शन देने के लिए कार्यरत है।

जल बंटवारा विवाद

1727. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी जल बंटवारे को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विवादों के समाधान हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल के बंटवारे से संबंधित विवाद अधिनिर्णय के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद (आई

एस डब्ल्यू डी) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी डब्ल्यू डी टी) को संदर्भित किया गया था। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने जून, 1991 में एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। कावेरी जल विवाद के अलावा, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को तमिलनाडु अथवा केरल से दोनों राज्यों के बीच वर्तमान जल विवाद के बारे में कोई अनुरोध नहीं भेजा गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी को फरक्का के साथ जोड़ना

1728. श्री के. येरननायडू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र नदी को बंगलादेश होकर फरक्का से जोड़ने के संबंध में अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र नदी जल को गंगा की ओर मोड़कर शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाहों के विकास/संवर्द्धन के पहले चरण के रूप में, जोगीघोपा बैराज और बंगलादेश से होकर तेज जल बहाव वाली ब्रह्मपुत्र–गंगा संपर्क नहर परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1982 में एक व्यवहार्यता की रिपोर्ट तैयार की थी। प्रस्ताव के दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र नदी की बड़ी उत्तरी सहायक नदियों अर्थात दिहंग और सुबनसिरी पर दो बांधों का निर्माण करके बैकअप भण्डारों के सृजन करने की योजना है। यह प्रस्ताव भारत–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किा गया था। तथापि, बंगलादेश गणराज्य सरकार द्वारा व्यक्त आपत्ति के कारण इस प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

छोटे विमानों की समस्याएं

1729. श्री के. ए. सांगतम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दीमापुर में हाल में उड़ानों के लिए गए पचास सीटों वाले विमान ए.टी.आर.–42 में यात्रियों के साथ 15 किलोग्राम से अधिक का सामान ढोने में अनुपयुक्त हैं जिससे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों और पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना इस क्षेत्र में बड़े विमान चलाने हेतु निजी विमान कंपनियों द्वारा उड़ानें संचालित करवाने की है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) ए.टी.आर.–42–320 विमानों के मामले में, अधिकतम उपलब्ध पेलोड 4.3 टन है। प्रति व्यक्ति 75 कि.ग्रा. के हिसाब से 3600 कि.ग्रा. भार यात्री भार विमान में बैठे कुल 48 यात्रियों के बराबर बैठता है जबकि सामान और माल भाड़ा के वहन के लिए उपलब्ध शेष पेलोड लगभग 700 कि.ग्रा. है। जो प्रति व्यक्ति, औसतन 15 कि.ग्रा. बैठता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सभी अनुसूचित एयरलाइन आपरेटर सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार और यातायात मांग व वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मुताबिक किसी सेक्टर पर सेवा प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं तथापि, एलाइंस एयर क्षमता उपलब्धता के अनुसार कोलकाता और दीमापुर के बीच बी–737 विमान से सप्ताह में दो बार सेवा मुहैया कराने की साध्यता पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों में निधियों का दुर्विनियोजन

1730. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालय सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इनमें कितनी धनराशि का दुर्विनियोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला और

सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जोधपुर में हवाई अड्डा

1731. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर जिले में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण कब तक कराए जाने की संभावना है;

(ख) क्या असैनिक विमानों को वर्तमान हवाई अड्डे पर रात में उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि यह हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में जोधपुर हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) का है, जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एंक्लेव का रखरखाव करता है। जोधपुर हवाई अड्डे पर सिविल उड़ानें भारतीय वायु सेना की पूर्व अनुमति से ही रात के समय उतरती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2003 को स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया जाना

1732. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अकबर अली खांदोकर :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003 को स्वच्छ जल वर्ष घोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) वर्ष 2003 को "अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष" घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 को 'स्वच्छ जल वर्ष' घोषित किया है। इसके उद्देश्य हैं :

- स्वच्छ जल की दुर्लभता के संबंध में दावाधारकों में जागरूकता बढ़ाना
- स्वच्छ जल का संरक्षण और कुशल उपयोग
- स्वच्छ जल का परिरक्षण–गुणवत्ता और इसकी पारिस्थितिकी प्रणाली
- स्वच्छ जल संसाधनों का संवर्धन
- सूचित किए गए विषयों पर निर्णय लेने के लिए सामुदायिक भागीदारी

(ग) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वच्छ जल पारिस्थितिकी प्रणाली और स्वच्छ जल पर नए कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता के विषय में जनजागरूकता सृजित करने के लिए कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। यह जनजागरूकता देश के विभिन्न समूहों, जैसे कि युवाओं और बच्चों, महिलाओं, किसानों और ग्रामवासियों तथा नीति और विचार निर्माताओं में लाई जाएगी। केन्द्रीय अभिकरणों के तकनीकी सहयोग से राज्य सरकारें भी अपने–अपने राज्यों में अपने संसाधनों से इसी प्रकार के क्रियाकलाप शुरू करेंगी।

[अनुवाद]

देश में वर्षा में कमी

1733. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश के किन राज्यों में कम वर्षा हुई;

(ख) क्या कम वर्षा होने से देश का कुल कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान (आईएमडी) के अनुसार उन राज्यों में जहां सामान्य से –20 प्रतिशत से –59 प्रतिशत के अंतर पर वर्षा होती है उन्हें अल्प वर्षा वाला राज्य माना जाता है जबकि उन राज्यों में जहां सामान्य से –60 प्रतिशत या अधिक वर्षा हो उन्हें अपर्याप्त वर्षा वाला राज्य कहा जाता है।

मानसून 2002 में प्रमुख अल्प वर्षा वाले राज्य थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक, केरल और अरुणाचल प्रदेश जबकि राजस्थान अपर्याप्त वर्षा वाला राज्य था।

अखिल भारतीय स्तर पर मानसून 2002 में वर्षा सामान्य की 81 प्रतिशत हुई।

(ख) और (ग) द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस वर्ष खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना और कपास का उत्पादन पिछले वर्ष प्राप्त किए गए स्तर से काफी कम है। निम्नलिखित सारणी में 2002–03 के आंकड़ों के साथ–साथ पिछले दो वर्षों के आंकड़े भी दिए गए हैं।

(मिलियन मी.टन में)

	2002–03$ (द्वितीय अग्रिम)	2001–02 (अंतिम)	2000–01
खाद्यान्न उत्पादन	183.17	212.02	199.53
तिलहन	15.44	20.46	18.44
गन्ना	255.36	300.10	295.96
कपास#	8.94	10.09	9.52

$द्वितीय अग्रिम अनुमान

#प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठों में

(घ) सूखे के कारण आदान लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2002–03 की खरीफ फसलों के लिए 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक प्रति क्विंटल के एकबारगी विशेष सूखा राहत की घोषणा की है। इसी प्रकार 2002–03 की रबी फसलों के लिए भी 5 रुपए से 10 रुपए प्रति क्विंटल तक एकबारगी विशेष सूखा राहत की घोषणा की गई। अन्य उपायों में पनधारा विकास को बढ़ावा देना और नई प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन और विकास शामिल है। जहां तक तिलहनों का संबंध है, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लक्षित उपायों के अतिरिक्त खाद्य तेलों का मुक्त आयात अनुमत्य है जिससे कि घरेलू उत्पादन और उपलब्धता के अंतराल को समाप्त किया जा सके।

अकादमिक उत्कृष्टता केन्द्र के उद्देश्य

1734. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकादमिक उत्कृष्टता केन्द्र का आईएआरआई का उद्देश्य पूरी तरह इस तथ्य के बावजूद हासिल नहीं किया जा सका कि वर्ष 1995–2001 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में संकाय सदस्यों की संख्या तीन गुनी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1995–2001 के दौरान संस्थान के अंदर कितनी परियोजनाएं शुरू की गईं और कितनी परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध हैं;

(घ) क्या कई परियोजनाओं के उद्देश्य आंशिक तौर पर हासिल किए जा सके जिससे अपव्यय हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) आईएआरआई ने शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया है और एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपना स्तर बनाए रखा है। यह हाल ही में संपन्न एआरएस परीक्षा के परिणामों से स्पष्ट है, जिसमें कृषि में 71 रिक्त स्थानों में से 50 से अधिक पर आईएआरआई के छात्रों का चयन हुआ है। शिक्षण गतिविधियों में सहभागिता निभाने के अलावा, हमारे संकाय के सदस्य संस्थान की अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों में भी सम्मिलित रहते हैं।

(ग) वर्ष 1995–2001 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान (आईएआरआई) में 402 आंतरिक (इन हाउस) परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं। इनमें से 210 परियोजनाएं अप्रैल, 1994 में शुरू की गईं और 199 परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्टें आईएआरआई में उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रभागों में सक्षम प्राधिकारियों के विचार–विमर्श के दौरान अनेक परियोजनाएं संशोधित की गईं।

(घ) जी, नहीं। सभी परियोजनाओं के उद्देश्य प्राप्त किए गए; विगत कुछ वर्षों के दौरान अनाजों, दलहनों और तिलहनों, सब्जियों, फलों और फूलों की 100 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। इस संस्थान ने अनेक कृषि उपकरण, कृषि रसायन, जैव नियंत्रण रणनीतियां और विभिन्न कृषि उत्पादों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। जैव और अजैव दबाव की सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आण्विक मानचित्रण और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डब्ल्यूटीजीआरओडब्ल्यूएस मॉडलों को काम में लाकर भारत के विभिन्न राज्यों में गेहूं उत्पादन की भविष्यवाणी करने के प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

(ङ) लागू नहीं।

कृषि का विकास

1735. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान कृषि की वृद्धि दर केवल दो प्रतिशत रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के दौरान 8 प्रतिशत कृषि वृद्धि दर सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) दसवीं योजना में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समग्र वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। कृषि के लिए 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 2001–02 को समाप्त होने वाले विगत 5 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में मूल्य–वर्धन में औसतन 1.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास हुआ है। इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष पाए गए उतार–चढ़ाव का कारण प्रमुखतया मौसम की दशाओं में परिवर्तन था।

कृषि में लक्ष्यित वृद्धि पद की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और बीज मीनी किट स्कीम जैसी विभिन्न फसल उत्पादन स्कीमें दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों से जल अपवाह को कम करने तथा भूमि क्षमता और नमी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार "नदी घाटी परियोजनाओं/बाढ़ प्रवण नादियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मृदा संरक्षा तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना संबंधी स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, नवीं योजना के दौरान अपनाई गई क्षेत्रीय दृष्टि से विभेदित कार्यनीति दसवीं योजना के दौरान जारी रखी जाएगी। एक नई पहल के रूप में एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फार्म पर जल प्रबंध, वर्ष 2001–02 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मार्च, 2002 में शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमि/सतही जल का दोहन करना तथा सक्षम जल उपयोग व प्रबन्धन को बढ़ावा देना है। इन सबके अलावा, सरकार ने अन्य विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रोत्साहन पर बल, कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए विधियां, मंडी आसूचना तंत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम आदि। सरकार मूल्य नीति के माध्यम से, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन, सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीद शामिल हैं, उत्पादन में वृद्धि कराने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी करती है।

जूट की खेती

1736. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जूट उत्पादन क्षेत्र में अस्थिर मूल्य और जूट मिलों द्वारा पहल न किए जाने के कारण जूट की खेती में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान जूट उत्पादकों देने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों क्या ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान जूट की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र इस प्रकार है ;

वर्ष	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1999–2000	8.47
2000–2001	8.28
2001–2002	8.73

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि देश में जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2000 तक एक विशेष जूट विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अक्टूबर, 2000 से इस स्कीम को 26 अन्य स्कीमों के साथ इस मंत्रालय की कृषि संबंधी वृहद प्रबन्धन योजना में मिला दिया गया है जिससे की राज्यों को अपनी जरूरतों/प्राथमिकताओं के अनुसार विस्तार और विकास पूरक क्रियाकलापों को करने में सुविधा मिल सके।

हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण

1737. श्री भास्करराव पाटील :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हवाईअड्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु वित्त मंत्रालय से धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चालू योजना अवधि के दौरान देश में हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागरविमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और यह यातायात आवश्यकता, धन की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता तथा सामाजिक आवश्यकता आदि पर निर्भर करता है। योजना अवधि 2002–2007 के दौरान बड़ी संख्या में हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण/उन्नयन करने की योजना है। इनमें शामिल हैं :

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा त्रिवेन्द्रम स्थित प्रमुख हवाईअड्डों पर नए टर्मिनल परिसरों (अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू) का निर्माण; मौजूदा टर्मिनलों का मोडिफिकेशन तथा विस्तार; एकीकृत कार्गो टर्मिनलों का निर्माण, हैंगर का निर्माण; एयरोब्रिजों को बदलना; रनवे का सुदृढ़ीकरण, रिमोट पार्किंग बे, कम महत्व के रनवे आदि का सुदृढ़ीकरण तथा सुधार संबंधी उपरोक्त कार्य करना।

इसी प्रकार के कार्य जैसे कि रनवे का सुदृढ़ीकरण/विस्तार, अर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण/मोडिफिकेशन और इससे संबद्ध सुविधाएं दिए जाने का कार्य अहमदाबाद, अमृतसर, लखनऊ, हैदराबाद, गुवाहाटी, गया, विजाग, कालीकट, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची, जयपुर, औरंगाबाद, खजुराहो, अगरतला, जबलपुर, इम्फाल, वाराणसी, श्रीनगर, पोरबन्दर, डिब्रुगढ़, देहरादून, जैसलमेर, भुज, पठानकोट, पूर्णिया (सिविल एन्क्लेव) हवाईअड्डों पर किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा योजना में निम्नलिखित स्कीमों को भी शामिल किया गया है :

सैटेलाइट नेवीगेशन के लिए सैटेलाइट पर आधारित संवर्धन प्रणाली, संचार नेटवर्क डेडीकेटेड स्पीच की स्थापना, बड़े हवाईअड्डों पर फ्लाइट डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली के साथ ए.टी.सी. प्रणाली का प्रचालन।

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा ए.टी.सी. केन्द्रों पर रडार की नेटवर्किंग किया जाना।

डाटा लिंक कैपेबिलिटी सहित वी.एच.एफ रेडियो संचार उपकरण, सभी हवाईअड्डों पर सी.एन.एस. सुविधाओं तथा सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हवाईअड्डों पर क्रैश फायर टेंडर, एक्से–रे बैगेज प्रणाली, उड़ान सूचना डिस्प्ले प्रणाली तथा कार्गो प्रबंधन प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

1738. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री कैलाश मेघवाल

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की शुरूआत के बाद तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के 40 जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जिले किन-किन राज्यों में हैं;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बावजूद नौवीं पंचवर्षीय योजना में तिलहन उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है;

(च) यदि हां, तो लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कितनी कमी रही है;

(छ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर उक्त योजना में व्यापक सुधार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 1986 में स्थापित किए गए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा चलाए गए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम से उत्पादन जो 1995-96 में 10.83 मिलियन मी. टन था बढ़कर 1998-99 तक 2.75 मिलियन मी. टन पहुंच गया था। 1999-2000 से तिलहनों के उत्पादन में गिरावट दिखाई पड़ी है, क्योंकि देश में मौसम संबंधी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। 1998-99 से 2001-02 तक हुए तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 28 राज्यों के 408 चुनिन्दा जिलों में चलाया जा रहा है। राज्य जिनके अंतर्गत ये जिले आते हैं इस प्रकार हैं-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल।

(ङ) और (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001-02 में तिलहन का उत्पादन 204.60 लाख मी.टन था जबकि योजना आयोग ने 280.00 लाख मी.टन का ही लक्ष्य रखा था। उत्पादन में कमी देश में भीषण सूखा पड़ने के कारण आई है।

(छ) और (ज) इस स्कीम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों को देखते हुए इसमें कुछ संशोधन किए जाने का विचार है।

विवरण

1998-99 से 2001-02 के दौरान तिलहनों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा

(0000 टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2465.8	1375.2	2510.9	1613.4
अरुणाचल प्रदेश	23.9	25.7	25.6	28.2
असम	154.2	147.9	160.0	155.6
बिहार	189.8	156.6	131.1	125.8
छत्तीसगढ़	–	–	88.5	114.8
गोवा	2.5	2.3	3.2	2.5
गुजरात	3883.2	1733.3	1661.60	3362.6
हरियाणा	714.3	07.0	570.7	806.9
हिमाचल प्रदेश	9.9	10.2	10.1	10.1
जम्मू-कश्मीर	51.0	53.4	28.1	41.8
झारखंड	–	–	28.0	28.0
कर्नाटक	1671.3	1192.5	1538.2	1064.1
केरल	8.1	5.8	3.5	3.2
मध्य प्रदेश	5675.9	5811.3	4096.2	4442.6
महाराष्ट्र	2573.0	2668.6	2098.8	2225.9
मणिपुर	1.0	1.2	1.3	0.5

1	2	3	4	5
मेघालय	6.1	6.2	6.3	6.4
मिजोरम	7.5	7.2	5.4	5.1
नागालैंड	35.4	43.3	46.1	53.2
उड़ीसा	160.6	160.8	117.9	142.3
पंजाब	170.5	111.7	87.4	95.1
राजस्थान	3815.4	3405.8	2032.6	3127.1
सिक्किम	5.1	7.6	6.9	6.9
तमिलनाडु	1644.0	1491.5	1440.4	1433.6
त्रिपुरा	5.5	4.2	4.7	4.0
उत्तर प्रदेश	1088.7	1286.7	1144.6	1046.9
उत्तरांचल	—	—	14.5	17.7
पश्चिम बंगाल	382.5	406.2	571.0	499.4
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	0.1
दिल्ली	0.7	0.6	0.7	0.7
पाण्डिचेरी	2.2	2.6	2.3	2.3
अखिल भारत	24748.2	20715.5	18436.8	20460.8

दसवीं योजना के दौरान नागर विमानन सुविधाओं का विकास

1739. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में नागर विमानन सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में नागर विमानन सैक्टर में आउटले 12,928 करोड़ रुपए है, जिसमें 400 करोड़ रुपए के बजटीय सहायता कम्पोनैंट्स शामिल हैं। योजनावार विवरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पर्यावरण और वनों के संरक्षण में शामिल राज्यों को प्रोत्साहन

1740. **डा. महेन्द्र सिंह पाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल राज्यों हेतु अलग से नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुछ राज्यों, विशेषकर, उत्तरांचल को जिसके कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक वनाच्छादित है और जो पर्यावरण और सुरक्षा में सबसे अधिक योगदान देता है, को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नीति के कब तक घोषित किए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार इस संबंध में राज्यों के लिए अलग से कोई नीति नहीं बना रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क में पहले से ही ऐसा प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, रिट (याचिका) संख्या 202/95 में आई.ए. सं. 424 की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्याय–मित्र (एमीकस कूरे) ने आयातित काष्ठ और काष्ठ के उत्पादों पर उपकर लगाने और इस प्रकार से एकत्र की गई धनराशि का वनों की प्रचुर मात्रा वाले राज्यों के मध्य प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति के तौर पर वितरण किए जाने का सुझाव दिया था। न्याय मित्र (एमीकस कूरे) द्वारा चर्चित प्रस्ताव

पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

असंगिठत क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मजदूरी संबंधी नीति

177

1741. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र और जोखिम पूर्ण उद्योगों में लगे श्रमिकों के लाभार्थ मजदूरी संबंधी वर्तमान नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) कीमतें, रोजगार, उत्पादकता, सामाजिक न्याय, पूंजी निर्माण और अर्थव्यवस्था की ढांचागत विशेषताओं के मद्देनजर अभी तक कोई राष्ट्रीय मजदूरी नीति नहीं बन पाई है। तथापि, मुख्यतः असंगिठत क्षेत्र के कामगारों के हित का संरक्षण करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बनाया गया है क्योंकि ये कामगार निरक्षरता और सौदेकारिता शक्ति में कमी के कारण आसानी से शोषण का शिकार हो जाते हैं। इस अधिनियम में केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन का प्रावधान है।

सामाजिक आर्थिक और कृषि जलवायु दशाओं, उत्पादकता, भुगतान क्षमता अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों और स्थानीय स्थितियों जैसे कारकों में भिन्नता के कारण देश भर में न्यूनतम मजूदरी में व्यापक असमानताएं हैं। इस असमानता को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की मजदूरी की अवधारणा आरंभ की थी और राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1991) की सिफारिश के आधार पर 1996 में इसे 35/– रुपए प्रतिदिन पर निर्धारित किया था। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की मजदूरी में वृद्धि हुई है, इसमें पिछली बार 01.09.2002 को संशोधन करके इसे 01.09.2002 से 50/– रुपए प्रतिदिन किया गया है। केन्द्र सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती रही है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की मजदूरी से कम न हो।

[हिन्दी]

200

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पर्यटन कार्यालय

1742. डा. अशोक पटेल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी पर्यटकों के आने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु चीन और इंडोनेशिया समेत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पर्यटन कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन कार्यालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ने दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों, अर्थात बीजिंग, कुआलालम्पुर एवं बैंकाक में अपने तीन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव अंतिम चरणों में है।

[अनुवाद]

200 – 202

कपास के मूल्य में गिरावट

1743. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 से कपास के मूल्य में तेज़ी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 से 2002 तक कपास के मूल्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिकूल जलवायु स्थितियों के कारण देश में कपास उत्पादन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कपास की फसलें नष्ट हो गईं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कपास उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने समस्या ग्रस्त कपास किसानों हेतु कोई राहत उपाय घोषित किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 1995–96 से 2001–02 तक कपास की कुछ प्रमुख किस्मों के औसत वार्षिक मूल्यों को नीचे दर्शाया गया है :

(रु. प्रति कैण्डी स्पाट)

वर्ष	कपास की किस्में	
	जे–34	एच–4
1995–1996	16119	17776
1996–1997	16041	19003
1997–1998	18792	20261
1998–1999	16828	18964
1999–2000	16099	18461
2000–2001	17963	19676
2001–2002	14203	15559

(1 कैण्डी–355.62 कि.ग्रा.)

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि 1995–96 से 2001–02 के दौरान कपास की कीमतों में उतार–चढ़ाव आता रहा है। कुछ वर्षों में कपास की कीमतें बढ़ी थीं लेकिन अन्य कुछ वर्षों में इसमें गिरावट आई थी।

(ग) से (ङ) जहां एक ओर किसी सर्वेक्षण कराए जाने की सूचना नहीं है वहीं दूसरी ओर सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ कपास उत्पादक राज्यों में वर्षा का अकाल पड़ गया था और पानी की भीषण कमी हो गई थी। हालांकि सूखे और पानी के संकट से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो गई क्योंकि विभिन्न राज्यों में कीट और रोगों की घटनाओं में कमी आई थी।

(च) और (छ) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कपास उत्पादक सभी राज्यों में 2002–2003 मौसम के लिए कपास पर प्रति क्विंटल 20/– रुपए के विशेष सूखा राहत मूल्य की घोषणा की है। जब भी मूल्य समर्थन कार्य भारतीय कपास निगम द्वारा किया जाता है, यह विशेष सूखा राहत मूल्य दिए जाएंगे। जब भी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है, भारतीय कपास निगम को कपास के मूल्य समर्थन प्रचालन कार्य करने होते हैं।

[हिन्दी]

सिंधु जल संधि

1744. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति, 2002 द्वारा आयोजित कार्यशाला में सिंधु संधि को रद्द करने की मांग उठी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। हालांकि यह इस कार्यशाला की कार्यसूची का हिस्सा नहीं था।

(ख) सिंधु जल संधि में इसके निराकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन

1745. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
प्रो. दुखा भगत :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र ने कितनी प्रगति हासिल की है;

(ङ) सरकार ने किन राज्यों में बागवानी उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने हेतु उपाय किए हैं और ऐसे बागवानी उत्पादों के नाम क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के बागवानी उत्पादों का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार देश में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की आपूर्ति, उन्नत उच्च–उत्पाद किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार उपायों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत कवरेज, ग्रीन–हाउस निर्माण, प्लास्टिक मालिंग इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए जाते हैं। ये कार्यकलाप अब कृषि में वृहत प्रबन्धन–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने कार्यकलापों को प्राथमिकता दे सकती हैं। बागवानी विकास स्कीमों और वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) बागवानी के उत्पादन में नीचे दी गई सूचना के अनुसार सुसंगत बढ़ोतरी दर्ज की गई है :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी.टन)
1998–1999	145.16
1999–2000	149.93
2000–2001	152.50

(ङ) सरकार सभी बागवानी फसलों को कवर करते हुए देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वृहत प्रबन्धन स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) कृषि निर्यात जोन संबंधी अपनी स्कीम के अंतर्गत बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपलब्ध करा रहा है। स्कीम के अंतर्गत कवर की गई फसलों के राज्यवार ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बागवानी उत्पादों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1998–1999	4830.89
1999–2000	6424.54
2000–2001	6050.93

विवरण-I

विभिन्न राज्य सरकारों को बागवानी बढ़ाने के लिए निर्मुक्त राशियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बागवानी स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त राशि		बागवानी स्कीमों में वृहत प्रबंधन और एचआरडी के अन्तर्गत निर्मुक्त राशि	
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1560.22	204.25	2250.00	1900.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	195.35	41.35	219.50	396.00
3.	असम	42.55	21.44	523.50	350.00
4.	बिहार	26.55	31.42	1800.00	1250.00
5.	झारखंड	–	–	1095.00	600.00
6.	गोवा	150.05	21.62	200.00	150.00
7.	गुजरात	346.40	216.71	1900.00	1600.00
8.	हरियाणा	262.88	97.38	1620.00	1600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	93.28	45.87	1800.00	1280.00
10.	जम्मू–कश्मीर	266.73	132.38	900.00	1600.00
11.	कर्नाटक	3111.00	354.94	5850.00	4640.00
12.	केरल	1426.36	177.74	2315.54	2400.00
13.	मध्य प्रदेश	473.70	140.34	5000.00	4350.00
14.	छत्तीसगढ़	–	–	1339.02	998.00
15.	महाराष्ट्र	3573.80	385.97	9000.00	6560.00
16.	मणिपुर	145.78	45.03	345.00	300.00
17.	मेघालय	59.96	39.02	204.74	581.00

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	148.89	42.89	722.00	720.00
19.	नागालैंड	196.82	45.25	779.80	500.00
20.	उड़ीसा	1802.13	286.38	1487.00	1250.00
21.	पंजाब	59.40	75.23	1035.00	850.00
22.	राजस्थान	535.26	213.15	5252.00	5360.00
23.	सिक्किम	220.55	55.96	425.00	250.00
24.	तमिलनाडु	1572.53	213.92	4500.00	3360.00
25.	त्रिपुरा	91.42	38.87	630.00	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	507.91	162.48	7501.00	5508.00
27.	उत्तरांचल	–	–	1400.00	1120.00
28.	पश्चिम बंगाल	45.85	35.41	2600.00	1200.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.96	22.94	90.00	100.00
30.	चंडीगढ़	5.00	0.88	50.00	–
31.	दादरा और नगर हवेली	11.41	6.10	135.00	100.00
32.	दमन और दीव	11.00	5.07	45.00	–
33.	दिल्ली	6.30	13.38	–	80.00
34	लक्ष्यद्वीप	17.09	5.01	90.00	100.00
35.	पाण्डिचेरी	11.00	20.62	135.00	100.00

विवरण-II

बागवानी कृषि निर्यात जोनों के अंतर्गत कवर की गई फसलों के राज्य वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	कवर की गई फसलें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आम, अंगूर एवं ताजी सब्जियां
2.	असम	बैंगन
3.	बिहार	लीची
4.	गुजरात	आम व सब्जियां
5.	हिमाचल प्रदेश	सेब
6.	जम्मू व कश्मीर	सेब व अखरोट
7.	झारखंड	सब्जियां
8.	कर्नाटक	खीरा, गुलाब, प्याज एवं फूल
9.	केरल	बागवानी उत्पाद
10.	मध्य प्रदेश	आलू, प्याज, लहसुन एवं मसालों के बीज
11.	महाराष्ट्र	अंगूर, आम, प्याज एवं फूल
12.	उड़ीसा	अदरक एवं हल्दी
13.	पंजाब	सब्जियां व आलू
14.	सिक्किम	फूल, काली मिर्च एवं अदरक
15.	तमिलनाडु	फूल व आम
16.	त्रिपुरा	अन्नानास
17.	उत्तर प्रदेश	आलू एवं आम
18.	उत्तरांचल	लीची, फूल एवं औषधीय एवं सुगंधित पौधे
19.	पश्चिम बंगाल	अनानास, लीची, मैन्टोस, आलू एवं सब्जियां

[अनुवाद]

2056-07

क्योटो संधि के अंतर्गत भारत को सहायता

1746. **श्री विक्रम केसरी देव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती संधि के अंतर्गत विकसित देशों से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन वाले प्रमुख क्षेत्रों और उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एन्थ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के स्रोत वाले प्रमुख ऊर्जा, उद्योग तथा कृषि हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वैंशन के विद्यमान प्रावधानों के तहत एन्थ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने के संबंध में भारत सहित विकासशील देशों की कोई विशिष्ट वचनबद्धताएं नहीं हैं। तथापि, भारत सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के निराकरण हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, विद्युत क्षेत्र में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, स्वच्छतर ऊर्जा वाले ईंधन का प्रयोग, वनीकरण एवं वनों का संरक्षण, कोयले का सही उपयोग, गैस प्रज्वलन में कमी, तेल तथा विद्युत क्षेत्र में 'हीट रिकवरी सिस्टम' की स्थापना, ईंधन की कम खपत वाले सिंचाई पम्प सैटों का मानकीकरण और बेहतर कृषि विधियां शामिल हैं।

टूरिज्म विजन-2020

1747. डा. वी. सरोजा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टूरिज्म विजन–2020" के ब्लूप्रिंट में करीब 4 करोड़ विदेशी पर्यटकों के आने की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज "टूरिज्म 2020 विजन" का पूर्वानुमान, वर्ष 2020 तक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 19 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन का है।

गंगा-कावेरी नदियों का जोड़ा जाना

1748. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के पूर्व निदेशक ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने से संबंधित कोई अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) गंगा–कावेरी परियोजना की आकलन स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लाभान्वित होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक बुलाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) एशियन विकास बैंक के पूर्व निदेशक को गंगा और कावेरी नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, डा. के. एल. राव द्वारा यथा प्रस्तावित गंगा कावेरी संपर्क की केन्द्रीय जल आयोग द्वासरा जांच की गई थी और इसे मोटे तौर पर अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया था। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में बाढ़ नियंत्रण संबंधी कोई लाभ शामिल नहीं था और जल को ऊपर उठाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, अतः इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। जल संसाधन मंत्रालय, तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी। जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का हस्तांतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन और अन्य अध्ययनों के क्रियान्वयन और व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में स्वायत्त सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 30 संपर्कों की पहचान की है और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी की हैं। वर्तमान अनंतिम आकलन के अनुसार, प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटक दोनों में अभिज्ञात किए गए अन्तर बेसिन हस्तांतरण संपर्क स्कीमों की क्रियान्वयन लागत वर्ष 2002 मूल्य स्तर पर 5,60,00 करोड़ रुपए है। केन्द्र सरकार ने 13 दिसम्बर, 2002 को श्री सुरेश प्रभु, संसद सदस्य (लोक सभा) अध्यक्षता में एक कार्य बल की स्थापना की है जिसके निम्नलिखित विचारणीय विषय हैं :

(i) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा पुनर्स्थापना योजनाओं के संबंध में प्रत्येक प्रयोजना के मूल्यांकन के मानकों पर मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ii) राज्यों की बीच शीघ्र आम राय बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना;

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना घटकों को प्राथमिकता देना;

(iv) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए समुचित संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव करना;

(v) परियोजना वित्तपोषण के लिए विभिन्न तौर–तरीकों पर विचार करना; और

(vi) उन अन्तर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करना जिन्हें कुछ परियोजना घटकों में शामिल किया जा सकता है।

यह कार्यबल वर्ष 2016 के अंत तक नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के कार्य के बारे में सुझाव और मार्गदर्शक देने के लिए कार्य कर रहा है।

मछली घरों का निर्माण

1749. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे मत्स्य उद्योग की विफल क्षमताओं का अभी दोहन किया जाना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार को मछली घरों का निर्माण करने हेतु राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारी क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। 3.9 मिलियन टन की अनुमानित समुद्री मात्स्यिकी संसाधन क्षमता में से प्रति वर्ष 2.8 मिलियन टन का दोहन किया जा रहा है। तटवर्ती जल से क्षमता का कुल मिलाकर पूरा दोहन किया जा रहा है। तट से दूर तथा गहरे समुद्री जल से उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2002 में "भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संभागों के लिए दिशानिर्देश" अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि स्नातकों के लिए योजनाएं

1750. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि स्नातकों के कल्याण हेतु कृषि–निदानालय एवं कृषि कारोबार जैसी योजनाएं चला रही है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत दो वर्ष के दौरान कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। "कृषि क्लिनिक व कृषि व्यापार केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का उद्देश्य सभी पात्र कृषि स्नातकों को अवसर प्रदान करना है ताकि उनके द्वारा बैंक ऋण की सहायता से स्थापित आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों के माध्यम से कृषि विकास में सहायता दी जा सके। ये केन्द्र किसानों फसल के चयन, सर्वोत्तम कृषि प्रणाली कीट प्रबंधन और मूल्य प्रवृत्तियों, मंडी समाचार, फसल बीमा, पादपस्वच्छता विचार आदि जैसी मुख्य कृषि सूचनाओं पर सलाह देंगे जिन्हें उच्च गुणवत्ता नियंत्रण वाली कृषि जिंसों के उत्पादन के लिए किसान अपने दिमाग में रखेंगे। इस प्रकार स्कीम में कृषि एवं संबद्ध उद्यमों में कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है और यह विस्तार सेवाएं प्राप्त करने और तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त व्यक्तियों से भुगतान के आधार पर तकनीकी सलाह करने में किसानों की मदद करती है।

(ग) स्कीम में प्रार्थियों द्वारा उद्यम शुरू करने से पहले उन्हें व्यापक प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। कृषि

स्नातकों का प्रशिक्षण अप्रैल 2002 से शुरू हुआ। प्रशिक्षण के लिए कृषि स्नातकों से प्राप्त 16471 आवेदन पत्रों में से (10 फरवरी, 2003 तक) 1885 कृषि स्नातक पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और 1200 इस समय विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

गंगा नदी के कारण होने वाला कटाव

1751. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री अबुल हसनत खां :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से होने वाले भारी कटाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नदी के कारण होने वाले कटाव एवं बाढ़ की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा नदी के कारण कटाव की समस्या के बारे में सूचित किया है। वर्ष 1999 एवं 2000 के दौरान प्रतिवर्ष अधिकतम 480 हेक्टेयर भूमि का कटाव हुआ था।

नदी कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना एवं क्रियान्वयन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक एवं संवर्धनात्मक प्रकृति की सहायता मुहैया कराती है।

राज्य सरकार की सूचना के अनुसार नदी से कटाव एवं बाढ़ को रोकने के लिए उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्कीमें शुरू की गई हैं। राज्य सरकार को सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नौवीं योजना के दौरान "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" के नाम से जनवरी, 2001 में एक स्कीम अनुमोदित की थी। उक्त स्कीम में मालदा एवं मुर्शिदाबाद जिलों में चार स्कीमें शामिल की गई हैं जिसके लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक 22.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यह स्कीम जारी है।

निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र

1752. **श्री परसुराम माझी** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने इस्पात संयंत्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) ये राज्य वार कहां स्थित हैं; और

(ग) आज तक की तिथि के अनुसार प्रत्येक संयंत्र में कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, फिलहाल कोई प्रमुख ग्रीन-फील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया जा रहा है। तथापि, मुख्य तौर पर इस्पात की स्थानीय मांग को पूरा करने तथा विद्यमान ढांचागत सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए देश के विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्रों पर आधारित लघु प्रेरण भट्टी स्थापित किए जाने की सूचना है।

नर्मदा बांध परियोजना के कारण बेदखल हुए लोग

1753. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बांध परियोजना के कारण अपनी भूमि से बेदखल हुए लोगों के पुनर्वास करने में अत्यधिक विलंब होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनर्वास कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) नर्मदा बेसिन में 30 वृहद परियोजनाओं का प्रस्ताव है और सरदार सरोवर परियोजना अंतिम (टर्मिनल) अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों का है। ये राज्य समयबद्ध तरीके से परियोजना प्रभावित परिवारों

की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए भरसक प्रयास करते रहे हैं। तथापि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1994 में नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा दायर की गई रिट याचिका के कारण पुनर्स्थापना और पुनर्वास तथा बांध निर्माण में विलंब हुआ हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 18.10.2000 के निर्णय में प्रत्येक राज्य द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के समरूप बांध की ऊंचाई और बढ़ाने के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है और बांध की ऊंचाई को और बढ़ाने के लिए एक कार्रवाई योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अनुसार सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जून, 2002 तक 100 मीटर और जून, 2003 तक 110 मीटर तक की जानी है। वर्तमान में बांध की ऊंचाई 95 मीटर तक की गई है और इस ऊंचाई तक के सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को पहले ही पुनर्वासित कर दिया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश में ऊंचाई स्तर 95 से 100 मीटर के बीच वाले परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी कार्य लगभग पूरा हो गया है और महाराष्ट्र में एक पुनर्स्थापना स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास सहित कुछ परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की प्रक्रिया प्रगति पर है। ज्यों ही ये परियोजनाएं मानीटरी अभिकरणों की संतुष्टि स्तर तक पूरी कर ली जाती हैं तब नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को 95 से 100 मीटर तक उठाने की अनुमति देगा। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्रवाई योजना के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से आग्रह किया जा रहा है और राज्य सरकारों से सरदार सरोवर बांध के भरपूर जलाशय स्तर तक परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास को शीघ्र पूरा करने के लिए भी आग्रह किया गया है ताकि बांध को पूरी ऊंचाई तक उठाने के लिए यथासंभव इसे पूरा किया जा सके।

213-15 **नारियल उत्पादकों की समस्याएं**

1754. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के तटीय राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में नारियल उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नारियल विकास बोर्ड ने नारियल उत्पादकों की सहायता हेतु कोई योजना आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नारियल उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- वर्ष 1998–99 से 2000–01 की अवधि के दौरान केवल नारियल में एरियाफाइड माइट पर नियंत्रण के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु और उड़ीसा राज्यों को 5799.83 लाख रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई थी। इसमें से कर्नाटक को निर्मुक्त राशि 1350.40 लाख रु. थी।

- नारियल उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और मूल्य समर्थन क्रियाकलाप करती है। वर्ष 2002 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलिंग कोपरा के लिए 3300 रु./– क्विंटल तथा बाल कोपरा के लिए 3500 रु./– क्विंटल है।

- नारियल विकास बोर्ड ने नारियल के मूल्य की प्रवृत्ति में स्थिरता लाने के लिए विविध नारियल उत्पादों के लिए मंडी प्रोत्सहान क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दिया था।

- प्रति यूनिट क्षेत्र में सतत आय के लिए प्रति वृक्ष उत्पादकता में वृद्धि और नारियल आधारित कृषि प्रणाली पर जोर दिया जाता है।

- नारियल विकास बोर्ड ने नारियल उत्पादों के विविधीकरण तथा मूल्य–वर्द्धित उत्पादों को प्रोत्साहित किया।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय के अधीन विकास बोर्ड गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण, नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार के लिए समेकित फार्मिंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मण्डी प्रोत्साहन एवं सांख्यिकी, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना एवं प्रशासन, जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2001–02 के दौरान

कृमियों, कीटों तथा रोगों के प्रबंधन, संसाधन तथा उत्पाद विविधीकरण और मण्डी अनुसंधान एवं प्रोत्साहन पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए नारियल प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी शुरू की गई है। बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त धनराशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि (रुपए करोड़ में)
2000–2001	70.00*
2001–2002	27.40
2002–2003	40.00 (बजट प्राक्कलन)

*आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चक्रवात प्रभावित नारियल के वृक्षों के लिए 5.15 करोड़ रुपए की सहायता तथा नारियल में कुटकी (माइट) पर नियंत्रण के लिए 44.85 करोड़ रु. शामिल हैं।

नेफेड को हुआ घाटा

1755. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

215-17

(क) वर्ष 1996–97 से 2002–2003 तक के दौरान नेफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों हेतु वर्षवार बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों में नेफेड को वर्षवार कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या नेफेड धन की कमी के कारण वर्ष 2002–03 के दौरान, विशेषकर कोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों को काफी समय तक आरंभ नहीं कर सका था क्योंकि यह अपने ऊपर बकायों का पुनर्भुगतान बैंकों को नहीं कर सकता था और सरकार द्वारा समय पर घाटे की प्रतिपूर्ति न होने के कारण इसे चूककर्ता घोषित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावी संचालन हेतु नेफेड को हुए घाटे की समय पर प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार नेफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों में हुए घाटों की समय पर प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रामी कोष का सृजन करने पर विचार करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 1996–97 से 2002–03 तक के बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन तथा नेफेड को एमएसपी के क्रियान्वयन के कारण हुई हानि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1999–2000 से 2002–03 तक तिलहनों की कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे होने के कारण नेफेड को बड़ी मात्रा में विभिन्न तिलहनों की खरीद करनी पड़ी थी। नेफेड के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था इसी विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा के माध्यम से की गई। 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार नेफेड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 298.48 करोड़ रुपए दिए जाने थे। सरसों और कोपरे का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा था। इस भण्डार का निपटान न हो पाने के कारण नेफेड को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से बहुत अधिक अनुरोध किए जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 2002 में नकद ऋण सीमा की स्वीकृति दे दी। बाद में कुछ प्रमुख कोपरा उत्पादक राज्यों में कोपरे की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हो गई थी।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 में बजट प्राक्कलन की राशि क्रमशः 1.00 करोड़ रुपए, 25.00 करोड़ रुपए और 100.00 करोड़ रुपए थी जिसे बढ़ाकर संशोधित प्राक्कलन के स्तर पर क्रमशः 26.00 करोड रुपए, 353.00 करोड़ रुपए और 300.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के समर्थन के लिए रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

1996–97 से 2002–03 के बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन तथा एमएसपी के क्रियान्वयन में नेफेड को हुए घाटे को दर्शाने वाला ब्यौरा

(धनराशि लाख रुपए में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	अनन्तिम लाभ/हानि
1	2	3	4
1996–1997	1.00	1.00	(+) 25.89
1997–1998	100.00	95.00	(+) 0.24
1998–1999	100.00	1090.00	(–) 12.73

1	2	3	4
1999–2000	100.00	100.00	(–) 5578.64
2000–2001	100.00	2600.00	(–) 53921.64
2001–2002	2500.00	35300.00	(–) 13428.04
2002–2003 (30.9.2002 तक)	10000.00	30000.00	(–) 3667.84

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा स्मारकों का रख-रखाव

217–18

1756. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने देश में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं रख–रखाव हेतु किसी प्रतिष्ठान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कुछ जीर्णोद्धार परियोजनाओं को शुरू करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय रेल निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा संस्कृति विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्कृति निधि के सहयोग से एक लाभनिरपेक्ष न्यास "इंडियन आयल फाउंडेशन" की स्थापना, राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्धन के उद्देश्य से की है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

217–18

पशुओं की तस्करी

1757. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बंगलादेश सीमा पर पशुओं की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सीमा पर पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) चूंकि पश्चिम बंगाल में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, अतः गोपशुओं को पश्चिम बंगाल ले जाकर वहां से बंगलादेश को उनकी अवैध रूप में तस्करी की जा सकती है। बंगलादेश के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी सुरक्षा बलों द्वारा की जाती है ताकि गोपशुओं की तस्करी को भी रोका जा सके।

[अनुवाद]

218–19

रबी फसल पर शीत लहर का प्रभाव

1758. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह चेतावनी दी है कि देश में रबी फसल पर शीत लहर का दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल को होने वाले संभावित नुकसान का अनुमान लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शीत लहर चलने और रबी की फसल पर इसके प्रभाव तथा शीत लहर/न्यूनतम तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों के संबंध में दिनांक 13 जनवरी, 2003 को हिन्दी समाचार बुलेटिन जारी किया था तथा दिनांक 22 जनवरी, 2003 को एक प्रैस सूचना भी जारी की थी।

(ग) और (घ) लुधियाना, हिसार तथा पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालयों ने दिसम्बर से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चली लंबी शीत लहर और कोहरेदार मौसम के फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है। लगभग तीन सप्ताह तक चली शीत लहर से रबी फसलों की वृद्धि दर में गिरावट

आई। गेहूं पर इसका नगण्य प्रभाव देखने में आया है, क्योंकि जनवरी के अंतिम सप्ताह के बाद इस फसल ने पुनः उभरने में वांछित वृद्धि दर प्राप्त कर ली है। सरसों में 15–20 प्रतिशत तक की हानि हुई है। संवेदनशील सब्जियों/फलों/रोपण फसलों जैसे टमाटर, आलू, बैंगन, अमरूद, पपीता, बेर आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा कुछ स्थानों में 20–30 प्रतिशत तक की हानि होने का अनुमान है।

नागार्जुन सागर जलाशय

1759. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग की मंजूरी हेतु आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर जलाशय से कृष्णा जल विवाद अधिकरण के डब्ल्यूडीटी के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कृष्णा जल विवाद अधिकरण के अंतर्गत तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर जलाशय से केन्द्रीय जल आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नदियों को जोड़ा जाना

1760. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिस्थितिकीविदों ने नदियों को जोड़े जाने के प्रति अपनी आशंका व्यक्त की है कि इससे प्राकृतिक नदी जल प्रणालियों में उलट–फेर हो सकता है, जिससे जैव–विविधता को अपूर्णनीय क्षति होगी और नदियों के विशिष्ट गुणों का क्षय होगा तथा नदियों में रहने वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है;

(ग) क्या इस मामले में आम सहमति प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों के साथ किसी बैठक को आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यावरणविदों एवं भूवैज्ञानिकों के विचारों पर गौर किया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या उन्होंने भी इन प्रस्तावों के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने की मंशा रखने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (छ) परिस्थितिकीविदों ने, जल संसाधन परियोजनाओं पर पड़ने वाले माइक्रो जलवायु प्रभाव के परिणामस्वरूप होने वाले जल जमाव, बीमारियों तथा जैव विविधता को होने वाली अपूरणीय क्षति के कारण इन परियोजनाओं के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की है। चूंकि नदियों को परस्पर जोड़े जाने में व्यापक मात्रा में जल का हस्तांतरण होता है, इसलिए नदियों को परस्पर जोड़ने में निहित घटकों के संबंध में पर्यावरण संबंधी मामलों का भी समाधान करना पड़ेगा। जल संसाधन मंत्रालय, जो उस समय सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी, इसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते वर्ष 1982 में स्वायत्त सोसाइटी के रूप राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन 30 संपर्कों की पहचान की है और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अध्ययन में, नदी क्षेत्र की पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय जरूरतों को बनाए रखने के लिए अनुप्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कमी वाले मौसम में डाइवर्जन संरचना पर कुल अंतर्वाह के 10 प्रतिशत का न्यूनतम प्रवाह मुहैया कराया जाता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार की जा रही संपर्क परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय पहलू का भाग होता है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रायः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जाते हैं जबकि

परामर्शदाताओं द्वारा पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। संपर्क प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में इन सर्वेक्षणों/अध्ययनों के निष्कर्षों पर उचित रूप से विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने संसद सदस्य (लोक सभा) श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 13 दिसम्बर, 2002 को एक कार्य बल का गठन किया है इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक–आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा पुनर्स्थापना योजनाओं की तैयारी के संबंध में प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन संबंधी मानकों पर दिशा–निर्देश मुहैया कराना;

(ii) राज्यों के बीच शीघ्रता से आम सहमति बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करना;

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना घटकों की प्राथमिकता निर्धारित करना;

(iv) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव करना;

(v) परियोजना के वित्तपोषण के लिए विभिन्न तौर–तरीकों पर विचार–विमार्श करना; और

(vi) किन्हीं परियोजना घटकों में शामिल किए जा सकने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करना।

यह कार्य बल वर्ष 2016 के अंत तक, नदियों को परस्पर जोड़ने के लक्ष्य संबंधी कार्य के लिए सुझाव और दिशानिर्देश देने संबंधी कार्य कर रहा है।

जल संकट

1761. श्री एस. मुरुगेसन :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एक्सपेक्ट वाटर इमरजेंसी इन 2003" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003 में सूखे से प्रभावित होने की संभावना वाले राज्य कौन से हैं;

(ग) उन राज्यों में क्या व्यवस्था की जा रही है जो कि वर्ष 2002 में आए सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और जो अभी भी बार–बार आने वाले सूखे से पीड़ित हैं; और

(घ) जल संकट पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा कौन–सी सक्रिय योजना शुरू करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002–03 के दौरान 18 राज्यों अर्थात–आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सूखे की स्थिति की सूचना दी है। 17 राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तथापि, वर्ष 2003 के दौरान राज्यों में सूखे की स्थिति वर्ष, विशेषकर मानसून के दौरान, मौसम वैज्ञानिक घटनाओं पर निर्भर करेगी।

(ग) सूखे सहित राष्ट्रीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक राहत कार्य शुरू करना मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, आपदा राहत निधि के अंतर्गत सहायता मुहैया कराई जाती है जिसके लिए केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें 3:1 के अनुपात में अंशदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गंभीर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता देने पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रोजगार में राहत के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के तहत खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों को पेयजल को प्राथमिकता देते हुए जलाशयों में उपलब्ध जल के न्यायसंगत उपयोग की सलाह दी गई है। राज्यों को अपनी जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा खोदे गए कुओं को अपने हाथ में लेने की सलाह दी गई है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने तथा निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन में तेजी लाने के प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार योजना के तहत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल

संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। जल की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल हस्तांरित करने के लिए हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

[हिन्दी]

चालक दल की अल्कोहल जांच

1762. श्रीमती शीला गौतम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 223-24

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि इंडियन एयरलाइंस के चालक दल की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किए जाने से पहले अल्कोहल जांच की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा नियमों की अवहेलना करते हुए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में शराब प्रस्तुत की जाती है;

(ग) वे देश कौन से हैं जहां इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किए जाने से पहले चालक दल के सदस्यों की अल्कोहल जांच की जाती है और यह जांच कब-कब की जाती है;

(घ) गत छह माह के दौरान विभिन्न विदेशी विमानपत्तनों पर की गई अल्कोहल जांच का ब्यौरा क्या है और इसमें प्रयुक्त विधि क्या है;

(ङ) क्या विदेशों में ऐसी जांच नियमित रूप से नहीं की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस के हजारों यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके जीवन को खतरे में डालने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सभी विमान कर्मीदल को विमान में जाने से पहले चिकित्सीय जांच करानी होती है। यह परिपाटी, वर्ष 1973 में दिल्ली में एचएस 748 विमान दुर्घटना की अदालती जांच की सिफारिशों के बाद आरंभ हुई। इसके बाद से इंडियन एयरलाइंस की सभी घरेलू सेवाओं में विमान में जाने से पहले विमान कर्मीदल को चिकित्सीय जांच करानी होती है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों की विमान सेवाओं में ही, केवल विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को ही शराब उपलब्ध कराई जाती है और अन्य एयरलाइंसों द्वारा भी इसी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) से (च) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी स्टेशनों पर एक महीने में चार आकस्मिक विमान-पूर्व चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए। पिछले 6 महीनों के दौरान विदेशी स्टेशनों पर कोई विमान-पूर्व चिकित्सा जांच नहीं की जा सकी क्योंकि एयर इंडिया द्वारा अनुसरण किए जा रहे पैटर्न पर विमान-पूर्व चिकित्सा जांच करने की कार्यविधि का अध्ययन किया जा रहा था। इंडियन एयरलाइंस इस विकल्प का अध्ययन कर रही है और शीघ्र एयर इंडिया के पैटर्न पर विदेशी स्टेशनों पर विमान-पूर्व चिकित्सा जांच आरंभ कर देगा।

मंदिरों का रख-रखाव 224-25

1763. डा. बलिराम : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृंदावन क्षेत्र में स्थित मंदिर उन मंदिरों के न्यासियों की उपेक्षा के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मथुरा एवं वृंदावन में स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रख-रखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ग) क्या मंदिरों एवं उनके आसपास स्थित क्षेत्रों के रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वृंदावन, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में सभी चार केंद्रीय संरक्षित स्मारकों नामतः गोविंद देव मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर का परिरक्षण, संरक्षण तथा रखरखाव, मंदिर न्यासियों के सक्रिय सहयोग से कर रहा है।

(ख) इन मंदिरों के रख-रखाव तथा संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 24.25 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) और (घ) 1. मदन मोहन मंदिर, 2. गोविंद देव मंदिर तथा इसके पास–पड़ोस के लिए एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना 35.00 लाख रुपये के परिव्यय से तैयार की गई है।

पशुपालन एवं डेयरी विकास योजनाएं

1764. श्री रामरती बिन्द : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 225-27

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विकास से संबंधित किन केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पशु नस्लों के संरक्षण, बचाव एवं विकास तथा पशु रोगों के उन्मूलन हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्षवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विकास से संबंधित अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं और उत्तर प्रदेश को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	0.00	0.00	0.00
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
3.	समेकित सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	29.34	0.00	0.00
4.	कुक्कुट विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	36.00
5.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	0.00
6.	पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता	61.74	79.00	184.36
7.	व्यावसायिक दक्षता विकास	3.72	4.64	5.17
8.	राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना	19.33	37.67	30.00
9.	बुचड़खानों/पशु शव उपयोगिता केंद्रों का आधुनिकीकरण	5.57	20.00	50.00
10.	पशुधन उत्पादन के अनुमान के लिए समेकित नमूना सर्वेक्षण	34.33	42.30	33.00
11.	समेकित डेयरी विकास परियोजना	0.00	186.30	217.58

[अनुवाद] होटल + पर्यटन स्थल

नए होटलों का खोला जाना

1765. श्री जी. जे. जावीया : 225-27
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित पर्यटन स्थलों में कितने नए होटल खोले गए हैं और ये किन स्थानों पर खोले गए हैं और इनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 2003–2004 के दौरान प्रत्येक पर्यटन स्थल पर नए होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा किए जाने की अनुमानित समय–सीमा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) होटल खोलना निजी क्षेत्र की गतिविधि है। तथापि, भारत सरकार, पर्यटन विभाग के पास, परियोजना स्थिति पर होटलों का अनुमोदन करने हेतु, एक स्वैच्छिक योजना है। वर्ष 2002 में विभिन्न राज्यों में 41 होटल परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में तिलहन के उत्पादन में गिरावट

1766. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान एक प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य होने के बावजूद आंध्र प्रदेश में तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन में आई गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) तिलहन की खेती करने हेतु आंध्र प्रदेश के कृषकों को प्रेरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारयण यादव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में तिलहन का उत्पादन निम्नवत है :

(हजार टन में)

वर्ष	उत्पादन
1999–2000	1375.2
2000–2001	2510.9
2001–2002	1613.4

राज्य में गंभीर सूखे के कारण गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन में कमी हुई।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत बड़े पैमाने पर तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में नए विमानपत्तन

1767. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नए हवाई अड्डे निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) इस समय, पूर्णिया वायुसेना हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव बनाने का प्रस्ताव है। मौजूदा मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को विकसित करने संबंधी प्रस्ताव की भी जांच की जांच रही है।

[अनुवाद]

अमीरात एयरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने की अनुमति

1768. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमीरात एयरलाइंस ने पर्यटकों के आने के व्यस्ततम मौसम यथा जनवरी से मार्च 2003 तक के दौरान अतिरिक्त उड़ानों का संचालन किए जाने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो अमीरात एयरलाइंस को कितनी अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अमीरात एयरलाइंस की कितनी उड़ानों का क्षेत्रवार संचालन किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जनवरी 2003 से अमीरात एयरलाइंस

को दुबई तथा मुंबई के बीच अपनी दो अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दे दी गई है।

(घ) अमीरात से भारत के लिए इस समय प्रति सप्ताह कुल 40 उड़ानें प्रचालित की जाती हैं। जिनमें से मुंबई के लिए 18, दिल्ली के लिए 7, चेन्नई के लिए 4, हैदराबाद के लिए 8 तथा कोचीन के लिए 3 उड़ानें प्रचालित की जाती है।

पर्यटन उद्योग में सुधार

1769. श्री टी. गोविन्दन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान किन–किन राज्यों में पर्यटन उद्योग ने बेहतर परिणाम प्रदर्शित किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2001 की तुलना में, वर्ष 2002 के दौरान, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान एवं दमन और दीव राज्यों में, घरेलू पर्यटकों के भ्रमणों में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना व गंतव्य विकास, बड़े पैमाने पर राजस्व जनन वाले उत्पाद और क्षमता निर्माण शामिल हैं। अवसंरचना के विकास के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें एकीकृत परिपथों, सांस्कृतिक व पर्यटन केंद्रों का सृजन और पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक शासन अभिमुखी तत्व शामिल है।

असम में भू-क्षरण और बाढ़ नियंत्रण

1770. श्री एम. के. सुब्बा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और भू–क्षरण नियंत्रण हेतु परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसको पूरा करने की लागत और समय–सीमा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नदी कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजन एवं उनका क्रियान्वयन, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार तकनीकी उत्प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है।

असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1995 से 2003 के दौरान असम में ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ कटाव रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी 51 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा दो और परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

प्रत्येक स्कीमों की लागत और उनके पूरा होने का समय विवरण में दिया गया है। ये स्कीमें निधियों की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

असम सरकार और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी स्कीमें

क. असम सरकार

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	पूरा करने के लिए निर्धारित अनंतिम तिथि
1	2	3	4
1.	ब्रह्मपुत्र नदी और झिंजीराम चरण–I की बाढ़ से हतसिंगीमारी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए माला खोनियाघाट से कथालबाड़ी तक तटबंध का निर्माण।	162.81	पूर्ण

1	2	3	4
2.	ब्रह्मपुत्र नदी फेज–I के कटाव से गराल से माजीरगांव तक के गराल क्षेत्र की सुरक्षा।	345.67	2004
3.	ब्रहपुत्र नदी के कटाव के विरुद्ध डैनीगांव (हतिसाल नीमती) और समीपवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा।	3189.00	2004
4.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से नागाघुटी–मैजन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	1074.00	2004
5.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कैनिरजन क्षेत्र की सुरक्षा।	194.00	2003
6.	कालबोरी में कटाव के विरुद्ध खाटियापुटा चेक बंध से एन आर डाइक फेज–I तक बी/डाइक की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	149.36	2003
7.	इमागुरी से खोराई प्रपात तक बी डाइक की सुरक्षा के लिए अरीमारासुती में कटावरोधी कार्यों का सुदृढ़ीकरण (29 किमी. में चेक बंध की व्यवस्था करना)।	208.44	2004
8.	पलासबाड़ी से गुमी तक बी/डाइक की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय (पुराने कुलसीमुख में चेक बंध के निर्माण सहित सी एच 20,800 मीटर में डिफेक्टर का निर्माण)।	204.14	2003
9.	दाखिंगपट से कमलाबाड़ी, फैज–I तक की सुरक्षा के लिए कमलाबाड़ी से बी/डाइक तक पीडब्ल्यूडी मार्ग के साथ डोवेल बंध का निर्माण।	310.00	पूर्ण
10.	खुतिपुथ चेक बंध से एनआर डाइक फेज–II की सुरक्षा के लिए आर/एस से बी/डाइक।	336.95	पूर्ण
11	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कानियाजान क्षेत्र की सुरक्षा।	194.00	2003
12.	दक्षिणपट में चेक बंध का सुदृढ़ीकरण।	179.00	2004
13.	बोदाती से जामुगुरी तक 15 हजार किमी. क्षेत्र में बी/डाइक की सुरक्षा के लिए शार्ट रिटायरमेंट के प्रावधान सहित लैंड स्पर का निर्माण।	340.63	2003
14.	जलासबाड़ बेलदुबी में बालिकुची से फकीरगंज तक बी/डाइक केसीएच 33.45 किमी. से 39.75 किमी. तक रिटायरमेंट का निर्माण।	332.11	2005
15.	बेरातल–फटिंगपाड़ा क्षेत्र में खोरमाजा से बाली कुची तक बी/डाइक केसीएच 19.46 किमी. तक रिटायरमेंट का निर्माण।	343.61	2003
16.	निमाती से गोहिंगोम तक बी/डाइक का आर/एस (बिंदाली) (संशोधित)	298.95	2003
17.	सीएच 0 मीटर से सीएच 530 मीटर फेज–I तक ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए सुखेश्वर से भारालुमुख तक गुवाहाटी शहर की सुरक्षा।	231.21	2003
18.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से काकिलामुख क्षेत्र की सुरक्षा (स्पर सं. V का सुदृढ़ीकरण)।	246.84	2003
19.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से धुबरी शहर की सुरक्षा का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण।	152.85	पूर्ण
20.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सौलकुची शहर की सुरक्षा का विस्तार।	139.32	2003
21.	प्रथम एक किमी. में सुरक्षा कार्य सहित सीएच 0 मीटर से 2050 मीटर में रोंगामती से कुरूवा तक बी/डाइक के लिए आर/एस।	118.96	2003

1	2	3	4
22.	सीएच 9600 मीटर से 17100 मीटर में तेलिडांगा (निस्काटोनी) से झंजीमुख तक बी/डाइक का आर/एस।	315.53	2003
23	280 मीटर के एक खंड के लिए तिमकर डाउनपावर सं. 2 से 5 के बीच रिवेटमेंट और एप्रन के निर्माण सहित शिव मंदिर से सिख टेंपल स्टोन स्पर सं. 3 और 7 तक धुबरी शहर के सुरक्षा कार्यों का सुदृढ़ीकरण।	290.59	2004
24.	बिजालीघाट से अदाबाड़ी तक पगलादिया नदी के बी/डाइक के तट कटाव से सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय (कोरिम के 1 किमी. बिहोटिया के 2 किमी. तथा होनापारा के 4 किमी.)।	192.91	2003
25.	पटनासबाड़ी से गुमी तक एल/बी पर ब्रह्मपुत्र डाइक की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय (लैंड स्पर सं. 6 के यू.एस. पर रिवेटमेंट के साथ बोल्डर एप्रन की व्यवस्था करना)।	165.55	2003
26.	जाहिरपुर बोर कलाटा क्षेत्र में गुमी से कालाताबी तक एल/बी पर बी/डाइक की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय। (यू/एस. एवं डी/एस सुरक्षा कार्यों सहित डिफलेक्टर का निर्माण)	347.00	2003
27.	गाद मुक्त करने संबंधी उपायों सहित 14 से 18 किमी. में डिजमोर से सोनारीगांव (तीसरा आर/एस फेज–I) बी/डाइक के लिए आर/एस।	188.20	2004
28.	1B से 2315 किमी. में डिजमोर से सोनारीगांव तक बी/डाइक के लिए आर/एस।	154.63	2004
29.	सी.एच. 530 मीटर से 1055 मीटर (भारालुमुख के पारिस्थितिकी भाग तक) फेज–II में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सुखेश्वरगढ़ से भारालुमुख तक गुवाहाटी शहर की सुरक्षा।	236.62	2003
30.	30 किमी. से 15 किमी. में गुमी से कटावरोधी तक एल/बी पर बी/डाइक का आर/एस (प्रथम आर/एस)।	233.47	2003
31.	विश्वनाथ से पनपुर तक बी/डाइक का आर/एस।	487.86	2005
32.	सुनितपुर जिले के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सिंगरी सिपारिया क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	188.86	2004
33.	स्टोन स्पर सं. 1 सहित सीएच 0 मीटर से सीएच 414 मीटर में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से गोलपाड़ा शहर के सुरक्षा संबंधी कार्यों का सुदृढ़ीकरण।	179.47	–
34.	स्टोन स्पर सं. 2 से डी/एस फेज–I तक ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से गोलपाड़ा शहर के सुरक्षा कार्यों का सुदृढ़ीकरण।	348.30	2005
35.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से गुवाहाटी शहर की सुरक्षा (कछुरी बाजार से डी.सी. कोर्ट तक)।	369.11	2003
36.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से धाकुवाखान शहर सहित मटमोरा क्षेत्र की सुरक्षा (बुल–हेड फेज–I का निर्माण)।	598.61	2004

1	2	3	4
37.	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से लारकुची क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय (बी/डाइक के 29 किमी. में दरार बंद करना और सुरक्षा कार्य)	421.45	–
38.	अस्वकलांता हिल से धिंग सतरा तक उत्तरी गुवाहाटी शहर के विभिन्न खंडों में ब्रह्मपुत्र नदी के तट कटाव से सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय (सीएच 0 मीटर से 150 मीटर और सीएच 950 मीटर– 1570 मीटर)।	431.93	2004
39.	जे.बी. रोड से चेंगेलियाटी एक भागदोई बंध एल/बी की सुरक्षा के लिए आर/एस और कटावरोधी उपाय।	438.92	2003
40.	सी.एच. 19690 मीटर से सीएच 20280 मीटर और सीएच 20490 मीटर से सीएच 20590 मीटर में कटावरोधी उपायों के साथ–साथ सी.एच 19500 मीटर से सीएच 21200 मीटर में पलासबाड़ी से गुमी तक एल/बी पर बी/डाइक का सुदृढ़ीकरण।	407.56	2004
41.	ब्रह्मपुत्र नदी फेज–II के कटाव से धाकुवाखान शहर सहित नियातिमोड़ा क्षेत्र की सुरक्षा (ब्रुरू हार्ड और लैंड स्पर का निर्माण)।	541.70	–
42.	280 मीटर के एक खंड के लिए तिमकर डाउन पावर सं. 2 और 5 में रिवेटमेंट और एग्रन में निर्माण सहित शिव मंदिर से सिख टेंपल स्टोन स्पर सं. 3 तक धुवरी शहर सुरक्षा कार्य का सुदृढ़ीकरण।	388.95	2004
43.	ब्रह्मपुत्र नदी और जिंजीराम के कटाव से हतसिंगमोर और इसके समीपवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	429.90	2004
44.	अलिकाश में तटबंध के खंडित भाग को जोड़ने के लिए गुमी से कालाकोली तक एल/बी डाइक के सीएच 27800 मी. से सीएच 31150 मी. में रिटायरमेंट का निर्माण।	542.20	2004
45.	सिलीगुड़ी गांव और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हतिमोरा से अदाबाड़ी तक ब्रह्मपुत्र के आर/बी पर बी/डाइक के लिए कटावरोधी उपाय।	317.16	2004
46.	ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाले कटाव से डिब्रूगढ़ टाउन की सुरक्षा के लिए कोहाई स्पर (स्टोन स्पर सं. 2) को सुदृढ़ करना।	624.98	2003
47.	प्रोसिल्टेशन ओर ए/ई उपायों सहित सीएच 14वें से सीएच 23.15वें किमी. तक डिजोमा से सोनारी गांव (उसरा आर/एस) तक बी/डाइक के लिए आर/एस।	632.40	–
48.	ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाले कटाव से भूरागांव टाउन सहित कपूरपुरा क्षेत्र की सुरक्षा (भूमि स्पर और टाई बंध का निर्माण) फेज–I।	739.03	–
49.	ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाले कटाव से भोर गांव टाउन सहित कपूरपुरा क्षेत्र की सुरक्षा (भूमि स्पर और टाई बंध का निर्माण) फेज–I।	737.21	–
50.	बहादुरतिरी और नामीघाट क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाले कटाव से धुबरी टाउन की सुरक्षा।	518.30	

1	2	3	4
51.	असम बोंगिया सरस्वती मठ काकिला मुख में ब्रह्मपुत्र नदी का ए/ई।	408.37	–
52.	ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाले कटाव से दक्षिण सुलपाड़ा और तुमनी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ए/ई उपाय।	374.24	–
ख. ब्रह्मपुत्र बोर्ड			
1.	पगलदिया बांध परियोजना।	54290.00	12/2007
2.	धौला हाटीधुली में ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्शन (आनुषंगिक कटावरोधी उपायों सहित नदी को इसके मूल मार्ग की ओर मोड़ने के लिए उपाय)।	1071.00	3/2003

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास 237

1771. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य व्यापार और विकास संगठन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को ऐसी कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 237.47

नई पर्यटन परियोजनाएं

1772. श्री एन. एम. कृष्णदास : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास हेतु राज्यवार कितनी पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत और कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) अब तक प्रत्येक परियोजना को राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी नई पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु, पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की 239.05 करोड़ रु. की राशि की 967 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं रिलीज की गई राशि दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I पर दिया गया है।

(ग) 967 परियोजनाओं में से 282 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

(घ) पर्यटन विभाग ने चालू वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास का कार्य लिया है। ब्यौरा विवरण–II पर है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में पर्यटन हबों, जिनमें संस्कृति, पर्यटन एवं साफ सुथरे नागरिक जीवन के कारकों को समाविष्ट किया गया हो, के विकास की योजना भी है। ब्यौरे विवरण–III पर हैं।

विवरण-I

1999–2000 से 2001–2002 वर्षों के दौरान राज्यवार स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता (31.12.2002 को)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	222.22	13	299.50	6	167.85
2.	असम	15	357.35	12	338.35	7	397.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	233.24	6	49.75	14	321.90
4.	बिहार	5	89.71	13	324.48	1	1.35
5.	छत्तीसगढ़	0	0	4	120.28	3	35.00
6.	गोवा	11	279.82	10	93.30	9	93.73
7.	गुजरात	13	327.64	18	469.20	11	305.50
8.	हरियाणा	7	238.33	6	123.31	7	125.44
9.	हिमाचल प्रदेश	17	691.79	19	397.29	12	157.64
10.	जम्मू–कश्मीर	16	311.43	12	474.93	3	65.50
11.	झारखंड	0	0	6	206.49	2	80.00
12.	कर्नाटक	38	890.70	19	489.30	8	254.76
13.	केरल	15	772.28	14	717.60	11	680.08
14.	मध्य प्रदेश	16	435.85	12	262.33	11	256.37
15.	महाराष्ट्र	31	1033.90	10	282.69	10	1128.20
16.	मणिपुर	9	229.00	18	782.77	0	0
17.	मेघालय	6	80.72	5	105.59	5	87.87
18.	मिजोरम	13	297.23	14	311.19	6	73.25
19.	नागालैंड	15	281.80	8	156.53	5	41.54
20.	उड़ीसा	20	305.43	4	156.94	4	38.05
21.	पंजाब	8	175.00	6	203.50	3	17.50

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	12	131.22	22	454.96	2	5.00
23.	सिक्किम	14	127.93	31	368.62	5	108.83
24.	तमिलनाडु	27	531.95	9	122.83	20	533.67
25.	त्रिपुरा	7	340.76	12	333.23	5	114.40
26.	उत्तरांचल	0	0	7	70.19	3	65.51
27.	उत्तर प्रदेश	33	749.57	18	423.74	5	55.74
28.	पश्चिम बंगाल	6	194.01	23	432.99	17	229.85
29.	अंडमान और निकोबार	1	32.37	1	1.78	0	0
30.	चंडीगढ़	4	68.44	5	22.13	2	8.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1	30.00	1	8.00	1	3.70
32.	दिल्ली	2	24.50	2	17.70	6	55.01
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	1	5.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	17.00
35.	पांडिचेरी	10	163.89	3	26.18	3	78.61
	कुल	395	9648.08	363	8647.67	209	5609.35

विवरण-II

एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित पर्यटन परिपथों की सूची

(i) पूर्वी क्षेत्र (बौद्ध परिपथ)

बोधगया–राजगीर–नालंदा–वाराणसी।

(ii) उत्तरी क्षेत्र (हिमालयी परिपथ)

मार्ग–I–चंडीगढ़–बिलासपुर–कुल्लू–मनाली–रोह–तांगला–कलोंग–सर्चु–उप्सी–लेह

मार्ग–II–शिमला–सांग्ला–काजा–चात्रू–केलांग–सर्चु–यशी–लेह।

(iii) मध्य परिपथ (हेरिटेज, प्रकृति और वन्य जीव परिपथ)

ग्वालियर–शिवपुरी–चंदेरी–ओरछा–खजुराहो–झांसी–भोपाल–सांची और बौद्ध क्षेत्रों के आस–पास–भीमवेटका–पंचमढ़ि–कान्हा–जबलपुर (भेड़ाघाट)।

(iv) पश्चिमी परिपथ (कोंकण–रिवेरा परिपथ)

मुम्बई–अलीबाग (मांडवा)–मुराडजंजीरा–गणपतिपुले–विजयदुर्ग–मीठीबाद–कंकेश्वर–मोचेतमाड–सिंधुदुर्ग–तारकरली– शिरोड–सावंतवाड़ी–अम्बोली–गोवा कोस्टल कर्नाटक–बेकल।

(v) दक्षिणी परिपथ (पश्चजल और समुद्रतट परिपथ)

कोचीन–कुमारकोम (पश्चजल)

कोट्टायम–क्वेलन–त्रिवेंद्रम (कोवलम)।

(vi) पूर्वोत्तर परिपथ–(पारिस्थितिकी परिपथ)

शिलांग–गुवाहाटी–काजीरंगा–तेजपुर–भालकपुंग– त्वांग (अरुणाचल प्रदेश) –मजुली–शिवसागर–कोहिमा।

विवरण-III

संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक शासन के कुछेक अन्य हबों का सृजन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र के नाम	सांस्कृतिक, पर्यटन और नागरिक शासन के केंद्र
1	2	3
1.	तमिलनाडु	महाबलिपुरम
2.	पांडिचेरी	अरिकमिडु
3.	कर्नाटक	हम्पी
4.	केरल	फोर्ट कोचीन
5.	महाराष्ट्र	अजंता
6.	मध्य प्रदेश	भीमबेटका और ग्वालियर शिवपुरी काम्प्लेक्स
7.	राजस्थान	कुंभलगढ़ किला और चित्तौड़गढ़ किला
8	हरियाणा	कुरूक्षेत्र
9.	गुजरात	धोलावीरा और मोधेरा
10.	उत्तरांचल	ऋषिकेश–बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री
11.	उड़ीसा	उदयगिरी–खांदीगिरि और रघुराजपुर
12.	बिहार	बोधगया
13.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
14.	जम्मू–कश्मीर	लेह, लेह पैलेस, मोनस्ट्रीस, डल लेक
15.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन कोंडा
16.	हिमाचल प्रदेश	उपची–मनाली रोड और अन्य क्षेत्र
17.	पंजाब	अमृतसर दरबार साहिब कॉम्प्लेकस
18.	पश्चिमी बंगाल	सुन्दरबन
19.	असम	कामाख्या और मजूली आईलैंड
20.	अरुणाचल प्रदेश	त्वांग
21.	मेघालय	शिलांग
22.	सिक्किम	मोनास्ट्रीस, कंचनजंगा और तिस्ता नदी
23.	त्रिपुरा	बौद्ध स्थल (पिलक)
24.	दिल्ली	लाल किला और किला राय पिथौरा
25.	गोवा	समुद्र तट और जल क्रीड़ा
26.	चंडीगढ़	सिटी सेंटर
27.	दमन और दीव	दीव फोर्ट
28.	लक्षद्वीप	आईलैंड पर्यटन
29.	पोर्ट ब्लेयर	सेल्युलर जेल और इसके चारों ओर का क्षेत्र
30.	झारखंड	पालामू नेशनल पार्क
31.	दादरा और नगर हवेली	दादर
32.	मिजोरम	आईजॉल
33.	नागालैंड	कोहिमा
34.	छत्तीसगढ़	बस्तर और इको–टूरिज्म परियोजना
35.	मणिपुर	इम्फाल और लोकटिक लेक

पर्यावरण संबंधी परिदृश्य

2.44.45

1773. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पर्यावरण संबंधी परिदृश्य का जायजा लेने के प्रयास में, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन चार संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो इन रिपोर्टों को तैयार करने में राज्यों की सहायता करेंगे;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे राज्यों को इस संबंध में कितनी सहायता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (घ) भारत में, पार्टिसिपेटरी और वैज्ञानिक तौर पर परिशुद्ध पर्यावरण स्थिति रिपोर्टिंग प्रणाली के अभिकल्पन और प्रचालन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक आयोजना स्कीम शामिल की गई है। दवसीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 6.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। सरकार ने चार राष्ट्रीय मेजबान संस्थाओं अर्थात टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डेवलपमैंट आल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद और ईपीटीआरआई, हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों की निष्पत्ति के लिए प्रत्येक मेजबान संस्थान को भिन्न-भिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्र सौंपे गए हैं।

पर्यावरण स्थिति रिपोर्टों से नीति निर्माण और निर्णय करने हेतु पर्यावरणीय परिदृश्य की व्यवस्था हो सकेगी। सामाजिक नियोजन में पर्यावरणीय तर्कों के एकीकरण के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट तैयार करने हेतु कहा जा रहा है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट से भौतिक प्राचलों के मूल्यांकन, विकास आयोजकों को सुग्राही बनाने और राज्य स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के उपचारात्मक उपायों को आरम्भ करने में मदद मिलेगी।

खुरपका मुंहपका रोग

1774. श्री महबूब जाहेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 60 करोड़ पशुधन में से 50 करोड़ पशु खुरपका मुंहपका रोग के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या परम्परागत विधियों के प्रयोग से देश के समस्त पशुधन का टीकाकरण नहीं किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्केन्डिनेवियन वैज्ञानिक फ्रेकेट द्वारा विकसित विधि और अधिक कारगर साबित हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी उक्त विधि का परीक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 1997 की अखिल भारतीय पशुधन गणना के अनुमानों के अनुसार देश की पशुधन संख्या लगभग 48 करोड़ है जिसमें से 47.76 करोड़ पशुधन अर्थात गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी तथा सूअर, खुरपका तथा मुंहपका रोग के दायरे में आते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। यह पुरानी प्रौद्योगिकी है तथा इस समय प्रयोग नहीं की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। नीदरलैंड में 1953 के दौरान फ्रेकल टीके के विकास के बाद, पशुधन के टीकाकरण के लिए भारत में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। फ्रेकल प्रणाली शुरू होने के बाद टिशु कल्चर तरीका विकसित किया गया था और प्राइमरी सैल्स में टीका उत्पादन शुरू किया गया था। साथ ही, बेबी हेम्सटर किडनी सेल्स की सैल लाइन उपलब्ध हो गई जो खुरपका और मुंहपका रोग के टीके के उत्पादन के लिए बेहतर होस्ट सैल प्रणाली साबित हुई। यह प्रणाली अब सर्वाधिक प्रचलित हो गई है और एफएमडी टीके के उत्पादन के लिए सार्वभौम रूप से स्वीकार्य बन गई है। भारत में यह टीका इस तरीके से बनाया जा रहा है और देश में रोग के दायरे वाले पशुधन के टीकाकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मौजूदा टीके में संशोधन करने के लिए प्रयास कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप एफएमडी के विरुद्ध पशुधन को संरक्षित करने के लिए आयल एड्यूवेंट टीके की शुरूआत हुई है जिसमें बेहतर रोग प्रतिरोध क्षमता है।

[हिन्दी]

झारखंड में नागर विमानन योजनाएं

1775. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान, विशेषकर झारखंड में शुरू की गई नागर विमानन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं में आज तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन योजनाओं पर कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है,

(घ) यदि नहीं, तो कार्य को समयानुसार करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और इन योजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) नौवीं योजना के दौरान झारखंड राज्य में रांची हवाई अड्डे पर रनवे भूमि के कटाव नियंत्रण का कार्य स्वीकृत 2.92 करोड़ रुपये की राशि में से 2.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

247-48

चूककर्ता कम्पनियों द्वारा देय बकाया राशि

1776. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2003 से आज तक चूककर्ता कम्पनियों से ईएसआई और ईपीएफ के संबंध में कुल कितने बकाया देय राशि की वसूली की जानी है;

(ख) क्या यह धनराशि फरवरी, 2001 की तुलना में बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001 से 2003 के दौरान सरकार द्वारा इन कंपनियों से कुल कितनी चूकग्रस्त धनराशि की वसूली की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस धनराशि की शीघ्रतापूर्वक वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) चूककर्ता कम्पनियों से क.रा.बी. और कर्मचारी भविष्य निधि देयदाताओं से संबंधित वसूली जाने वाली कुल बकाया राशि क्रमशः 894.11 करोड़ रुपये तथा 2179.19 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001 से 2003 की अवधि के दौरान चूककर्ता कम्पनियों से कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि देयताओं के रूप में वसूल की गई राशि क्रमशः 140.24 करोड़ तथा 1370.33 करोड़ रुपये है।

(घ) क.रा.बी. अधिनियम, 1948 तथा क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी देयताओं का भुगतान न किया जाना एक अपराध है। बकायों की उगाही हेतु चूककर्ता के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत धारा–7 क, 8 घ, 8 स से 8 छ, 14 (1) (घ) 14 (ख) एवं 7 त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45 ग से 45 ङ, धारा 39 (ङ) (क) और धारा 35 (ख) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्रवाई की जाती है। 248-50

मछुआरों के विकास हेतु योजनाएं

1777. श्री शिवाजी माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : महाराष्ट्र

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से, विशेषकर महाराष्ट्र से मछुआरों के विकास और अन्य सुविधाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में भी मछुआरों हेतु अन्य राज्यों के जैसी सुविधाएं स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। मछुआरों के विकास और अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों से, विशेषकर महाराष्ट्र से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्राप्ति प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1. 7 बंदरगाहों तथा 26 जेटियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव	प्रमुख प्रस्तावित स्थलों का तकनीकी मूल्यांकन तथा स्थल दौरा पूरा हो गया है। राज्य को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक स्वीकृति लेने के बाद पूरा प्रस्ताव भेजें।
2. महाराष्ट्र में 120.29 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत से 289 घरों, 4 ट्यूबवैलों, 2 सामुदायिक हाल के निर्माण का प्रस्ताव	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है और विचाराधीन है।
3. रत्नागिरी में 17,70,300/– (80 प्रतिशत केंद्र और 20 प्रतिशत राज्य) की लागत से जागरूकता केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव	महाराष्ट्र सरकार ने मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार योजना के तहत 17.70 लाख रुपये की कुल लागत से एक जागरूकता केंद्र की स्थापना के लिए जनवरी, 2003 में परियोजना प्रस्ताव भेजा था। यह राशि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 80 : 20 आधार पर वहन की जानी है। प्रस्ताव विचाराधीन है।
4 जिला थाणे, महाराष्ट्र में क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने के लिए फ्रांसीसी सहायता से एक ताजा जल हैचरी परियोजना	दपचारी जिला थाणे, महाराष्ट्र में फ्रांस सहायता से एक ताजा जल प्रान हैचरी परियोजना हाथ में ली गई है।

अधिक सामान ले जाने हेतु मानदंड

1778. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अपनी उड़ानों में कतिपय श्रेणियों के यात्रियों को निर्धारित से अधिक सामान ले जाने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यात्रियों को अधिक सामान ले जाने की अनुमति हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उड़ान पर औसत कितना अधिक सामान ले जाने की अनुमति दी गई और इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को कितना वित्तीय घाटा हुआ है; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों पर अधिक सामान ले जाने को विनियमित करने हेतु मार्गनिर्देश निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु अनुसंधान परियोजना

1779. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसी नई अनुसंधान परियोजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस विभाग ने योजना आयोग को उभरते क्षेत्रों पर अनुसंधन परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है, जो इस प्रकार है :

(i) कृषि में बदलती जलवायु का प्रभाव

(ii) जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना

(iii) पराजीनियों पर नेटवर्क परियोजना

(iv) पशु चिकित्सा टाइप कल्चर संस्थान

(v) कीटों के जैव–वर्गीकरण विज्ञान पर नेटवर्क

(vi) राष्ट्रीय कृषि विस्तार अनुसंधान केंद्र

योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निधियां आवंटित की जाएंगी। तथापि, डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं करती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रावी नदी के जल प्रवाह को मोड़ना

1780. श्री जयप्रकाश : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान रावी नदी के जल प्रवाह को भारत की ओर मोड़ने के लिए उस पर बांध बनाने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में उक्त नदी के जल से प्रति वर्ष हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। रावी नदी पर पाकिस्तान की तरफ कुछ निर्माण कार्यों के कारण, भारत की तरफ विपरीत ढलान और नदी के आड़े–तिरछे बहने के कारण भारत में रावी नदी के बहाव पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष ऋण एवं सहायता अनुदान, साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञता से भूमि एवं संपत्ति के नुकसान को बचाने के लिए प्रति–सुरक्षात्मक कार्य किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले एवं बाद में नदी के विभिन्न स्थलों का दौरा, पंजाब सरकार के प्रस्तावों की जांच और प्राथमिकता के आधार पर विशेष कार्यों के निष्पादन का अनुमोदन भी करती है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों के खतरों पर जागरूकता शिविर

1781. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के उपयोग और प्रयोग के खतरों पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें राष्ट्रीय पौध रक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के कृषि विभागों के विस्तार कर्मियों तथा अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कृमिनाशियों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता अभियान संचालित करती हैं जो बाद में इस पहलू पर समूचे राष्ट्र के किसानों को प्रशिक्षित करते हैं।

इसके अलावा, एकीकृत कृमि प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत कृषक फील्ड स्कूलों का आयोजन किसानों को कृमिनाशियों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग में प्रशिक्षित करने हेतु किया जाता है। जिनका उद्देश्य उनके दुरुपयोग अथवा अत्यधिक उपयोग को रोकना है।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा स्वीकृत कृमिनाशियों के लेबल, लीफलैट्स और पैकेजिंग में कृमिनाशियों के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत निर्देश/सूचना भी अंतर्विष्ट है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का संख्याबल

1782. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय वन सेवा अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की वार्षिक भर्ती में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) आज तक की स्थिति के अनुसार भारतीय वन सेवा अधिकारियों की कुल संख्या, और उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आज तक की स्थिति के अनुसार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की राज्यवार प्राधिकृत संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	संवर्ग	कुल संख्या
1	2	3
1.	एजीएमयूटी	156
2.	आंध्र प्रदेश	132
3.	असम–मेघालय	118
4.	बिहार	43
5.	छत्तीसगढ़	115
6.	गुजरात	104
7.	हरियाणा	69
8.	हिमाचल प्रदेश	102
9.	जम्मू–कश्मीर	100
10.	झारखंड	130
11.	कर्नाटक	165
12.	केरल	94
13.	मध्य प्रदेश	270
14.	महाराष्ट्र	185
15.	मणिपुर–त्रिपुरा	87
16.	नागालैंड	33
17.	उड़ीसा	121
18.	पंजाब	45
19.	राजस्थान	112
20.	सिक्किम	30
21.	तमिलनाडु	145
22.	उत्तर प्रदेश	199
23.	उत्तरांचल	84
24.	पश्चिम बंगाल	112
	कुल प्राधिकृत संख्या	2751

कृषि बीमा निगम

1783. श्री वाई. वी. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि बीमा योजना द्वारा जनवरी, 2003 में कार्य आरंभ करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम ने वित्तपोषण संबंधी कार्य आरंभ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा प्रोन्नत भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसीआईएल), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां 20 दिसम्बर, 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गईं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नई कंपनी ने अभी कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है। यह कार्य करना प्रारंभ कर देगी जैसे ही बीमा विनियंत्रण और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से फसल बीमा संबंधी करोबार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।

पर्यटन का विकास

1784. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन से बड़ी संख्या में पर्यटकों के बाहर जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों

ने मेकोंग नदी मार्ग के साथ–साथ पर्यटक सर्किट को प्रोत्साहित करके लाबोज, कम्बोडिया, वियतनाम और चीन के साथ संयुक्त रूप से पड़ोसी पर्यटन की अवधारणा अपनाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रीलंका और नेपाल के साथ संयुक्त रूप से कुछ सर्किट को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य किसानों हेतु योजनाएं

1785. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य किसानों हेतु कोई विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और लाभार्थियों का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग देश में अनुसचित जाति और जन जाति के किसानों के लिए कोई विशेष स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रहा है। विभिन्न कृषि विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि उपज की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। यह स्कीमें उत्पादनोन्मुखी और क्षेत्र विशिष्ट प्रकृति की हैं जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कृषकों समेत सभी श्रेणी के किसानों को लाभ प्रदान करेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत विशिष्ट समुदायों पर विशेष रूप से केंद्रित स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए बहुत ही कम संभावनाएं हैं। किंतु, जहां कहीं संभव हो, इस विषय पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान (एस.सी.पी.) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप प्लान (टी.एस.पी.) के लिए आवंटन/कोष मुहैया करने हेतु स्कीमों/कार्यक्रमों की प्रशासनिक स्वीकृति में राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

वृक्षों की कटाई

1786. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यावरण अनुकूल वृक्षों और पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक राज्यवार काटे गए वृक्षों/पौधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में इस प्रथा को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) देश में पर्यावरण के अनुकूल वृक्षों और पौधों की अंधाधुंध कटाई किए जाने के संबंध में सरकार के पास कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं है। तथापि, अधिसूचित वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई का पता लगाया जाता है तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य संबंधित अधिनियमों तथा कुछ समय के लिए लागू नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है। वन सुरक्षा संबंधी प्रयत्नों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से स्थानीय लोगों की सहायता के माध्यम से वनों की सुरक्षा के लिए 1990 से समय–समय पर जारी किए जा रहे संयुक्त वन प्रबंधन दिशा–निर्देशों के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरुद्धार में स्थानीय वनवासियों तथा आसपास के गावों में रहने वाले लोगों को शमिल करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से तस्करी जैसे संगठित अपराध तथा वन क्षेत्रों में अवैध शिकार से निपटने के लिए उनकी वन सुरक्षा मशीनरी को मजबूत बनाए जाने के संबंध में भी अनुरोध किया गया है।

बोकारो इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रीप मिल की उत्पादकता

1787. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रीप मिल की उत्पादकता उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मैकेनाइज्ड वर्क रोल चेंजिंग सिस्टम निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) बोकारो इस्पात संयंत्र को इसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 2002 से 15 फरवरी, 2003 तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान हॉट स्ट्रीप मिल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान तप्त पत्ती मिल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है। उत्पादकता में वृद्धि मुख्य रूप से मिल के आधुनिकीकरण और "क्विक वर्क रोल चेंज सिस्टम" के कारण हुई है।

[अनुवाद]

मछुआरों को मिट्टी के तेल और डीजल भत्ता

257-58

1788. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत मछुआरों की मिट्टी के तेल और डीजल भत्ते हेतु मांग लम्बे समय से चली आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत वर्ष जुलाई में मछुआरों को मिट्टी के तेल और डीजल सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये प्रदान करने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त आश्वासन को पूरा किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केरोसीन और डीजल सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तथापि, इस मामले पर राष्ट्रीय मछुआरा फोरम की मांगों पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23.7.2002 को ली गई बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि डीजल पर मछुआरा विकास राहत दी जानी चाहिए।

जैविक रूप से संवर्द्धित खाद्य पदार्थों का आयात

1789. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जैविक रूप से संवर्द्धित खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों के आयात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मुद्दों के समाधान हेतु अंतर मंत्रालयीय बैठक बुलाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैठकों के क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित परिसंकटमय सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव अथवा सैलों के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के किसी उत्पाद का उत्पादन,

बिक्री, आयात अथवा उपयोग नहीं किया जा सकता। सतत प्रक्रिया के रूप में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव के मूल्यांकन संबंधी कार्यों में लगे विभिन्न मंत्रालयों के अंतर क्षेत्रीय समन्वय में सुधार के लिए अंतर-मंत्रालयिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसकी सबसे हाल की बैठक 26 फरवरी, 2003 को हुई थी।

निलम्बित सहायक महाप्रबंधक हेतु सुरक्षा पास

1790. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक, सुरक्षा जिन्हें 28 अक्टूबर, 2001 को ए-आई-111 पर दो अफगान नागरिकों की लंदन की यात्रा के मामले में निलंबित किया गया था, को विमानपत्तन प्रवेश पास जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके आवेदन के साथ विमानपत्तन प्रवेश पास जारी करने हेतु चार्ज सीट/दंड आदेश जैसे दस्तावेज लगे थे, जैसा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के आवेदन प्रपत्र भाग के भाग (घ) (1) के अंतर्गत आवश्यक होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें पास जारी करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) से (ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा के निलम्बन के पश्चात उनका फोटो पहचान पत्र वापस ले लिया गया। निर्धारित कार्यविधि के अनुसार उनके दुबारा कार्य ग्रहण करने तक उन्हें दूसरा हवाई अड्डा प्रवेश पास दिया गया है।

खाद्य तेल का उपयोग

1791. श्री रमेश चेन्नितला : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनुसंधान और विकास स्कंध ने भोजन तैयार करने में महंगे खाद्य तेलों के उपयोग को मितव्ययी बनाने हेतु तौर तरीके ईजाद करने के कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अनुसंधान के परिणाम को लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, जोकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक अनुसंधान संस्थान है, को कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु अनुदान दिए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने सूचित किया है कि उन्होंने भोजन तैयार करने में महंगे खाद्य तेलों की बचत पर विस्तृत कार्य किया है। महंगे खाद्य तेलों में सस्ते वनस्पति तेल मिलाए जाते हैं जिससे मिव्ययता के साथ-साथ तेल के पौष्टिक मूल्य बढ़ते हैं।

(ग) जी, हां। ये तेल भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों का विकास

1792. श्री वी. एस. शिवकुमार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके केरल में कोवलम को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। पर्यटन विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मौजूदा पर्यटक गंतव्यों में सुधार एवं नए पर्यटन उत्पादों के विकास के लिए उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास हेतु एक योजना प्रारंभ की है। एकीकृत गंतव्य विकास, इस योजना का परिणाम होगा। गंतव्यों का चयन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाता है।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग को, चालू वर्ष के दौरान, इस योजना के अधीन कोवलम गंतव्य के विकास हेतु, केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

261 **इंडिया गेट का संरक्षण**

1793. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया गेट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों को सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) विद्यमान उन एजेंसियों के क्या नाम हैं जो इस ऐतिहासिक स्मारक की अभिरक्षा कर रही हैं;

(घ) इस स्मारक के संरक्षण तथा इसके इर्द-गिर्द के पर्यावरण को बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या ये एजेंसियां ऐतिहासिक संरक्षित स्मारकों के संरक्षण हेतु निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करती हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 1920 में निर्मित इंडिया गेट, नई दिल्ली को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 2 के अनुसार सौ वर्ष से कम पुराने स्मारकों पर संरक्षण के लिए विचार नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) इंडिया गेट की मुख्य संरचना तथा इसके आस-पास के पर्यावरण का परिरक्षण तथा रख-रखाव (1) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा (2) अमर जवान ज्योति का रख-रखाव मिलिटरी इंजीनियरी सेवा द्वारा और (3) आस-पास का रख-रखाव नई दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा किया जाता है।

(ङ) से (छ) इंडिया गेट के रख-रखाव तथा पर्यावरणीय विकास के लिए जिम्मेदार संबंधित एजेंसियां अपने संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित मानदंडों को अपनाती हैं।

कावेरी जल बंटवारा विवाद

1794. श्री जोवाकिम बखला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

262

(क) क्या विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने कर्नाटक और तमिलनाडु के मंत्रियों को कावेरी जल बंटवारा विवाद का स्थाई हल निकालने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की कोई ऐसी बैठक आयोजित नहीं की गई थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कर्नाटक और तमिलनाडु के मंत्रियों को कावेरी जल बंटवारा संबंधी विवाद का स्थाई हल निकालने के लिए निर्देश दिया हो। तथापि, 5 फरवरी, 2003 को आयोजित कर्टेन रेजर स्वच्छ जल वर्ष 2003 के दौरान जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री भी उपस्थित थे उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने सामान्य रूप से पूरे विश्व में व्याप्त जल विवादों की चर्चा करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कावेरी जल विवाद का भी उल्लेख किया था।

महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

1795. श्री रामशकल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

262-66

(क) क्या देश में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार उनकी संख्या में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु उनको अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसे कितने प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए हैं अथवा खोले जाने का विचार है; और

(ङ) आज तक इन विद्यालयों में राज्य-वार कितनी महिलाओं के नाम अब तक पंजीकृत हुए?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां

1971 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रमबल 3,12,98,000 था। 1981 एवं 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल महिला श्रमबल क्रमश 4,50,00,000 तथा 8,97,67,563 था। 1991 की जनगणना के अनुसार, इन कामगारों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार, महिलाओं के स्व–नियोजन एवं उद्यम संबंधी कौशलों के विकास सहित रोजगार अवसरों में वृद्धि करने एवं उनका विस्तार करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम/योजनाएं चला रही है। केंद्रीय सरकार द्वारा देश के भिन्न–भिन्न भागों में अनेक संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें 01 राष्ट्रीय तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। राज्य–वार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी केवल महिलाओं के लिए ही 765 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/गैर–सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए अलग स्कंधों की स्थापना की है। राज्य–वार ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

इन प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता केंद्रीय तथा राज्य क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में क्रमशः 2360 तथा 46744 महिला लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की है।

विवरण-I

महिला कर्मकारों की राज्यवार संख्या (1991 जनगणना)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या
1	2	3
	भारत	89,767,563
1.	आंध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरुणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणिपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैंड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	418,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	पश्चिम बंगाल	3,662,855
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16,584
26.	चंडीगढ़	29,443
27.	दादरा और नगर हवेली	32,944
28.	दमन और दीव	11,584
29.	दिल्ली	3,14,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

टिप्पणी : 1991 में जम्मू एवं कश्मीर में जनगणना नहीं करवाई गई थी।

विवरण-II

अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र में राष्ट्रीय/क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा

क्र.सं.	संस्थान	राज्य
1.	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	उत्तर प्रदेश, नौएडा
2.	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	महाराष्ट्र (मुंबई), कर्नाटक (बंगलौर), केरल (त्रिवेंद्रम), हरियाणा (हिसार), पं. बंगाल (कोलकाता), असम (तुरा), उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद), मध्य प्रदेश (इंदौर), गुजरात (बड़ोदरा), राजस्थान (जयपुर)।

विवरण-III

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला स्कंधों का राज्य-वार वितरण

(जनवरी, 2001 के अनुसार आंकड़े)

राज्य	कुल महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/स्कंध
1	2
दिल्ली	39
बिहार	11
हिमाचल प्रदेश	16
राजस्थान	16
चंडीगढ़	01
उत्तर प्रदेश	71
मध्य प्रदेश	20
हरियाणा	41
पंजाब	78
जम्मू-कश्मीर	27
कर्नाटक	36
केरल	11
तमिलनाडु	23
आंध्र प्रदेश	38
पांडिचेरी	03
नागालैंड	03
मेघालय	01
पश्चिम बंगाल	08
उड़ीसा	29
असम	08
मणिपुर	01
त्रिपुरा	01
गुजरात	42
महाराष्ट्र	241
कुल	765

विज्ञापनों का पारिस्थितिकी पर प्रभाव

1796. श्री सुनील खां :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर में केसकल तक ककरे रोड के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की 500 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें एक सीमेंट कंपनी के विज्ञापनों से भरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रोहतांग-मनाली बाई पास के साथ-साथ चट्टानों के भरे पड़े रहने के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (घ) 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में आई.ए. संख्या 780 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.9.2002 के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से निर्धारित फारमेट में रॉक पेंटिंग और वन भूमि में होर्डिंग के बारे में सूचना मांगी है। इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 9.10.2002 को भेजी गई सूचना "शून्य" है।

लौह मिश्र धातु उत्पादकों/व्यापारियों की समस्याएं 267-68

1797. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में लौह मिश्र धातु उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कच्ची सामग्री/अर्द्ध निर्मित उत्पादों/पूर्णतया निर्मित उत्पादों पर आयात शुल्क कम किए जाने से लौह मिश्रित धातु में सभी उत्पादक प्रतिवर्ष अनवरत रूप से प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कच्चे सामान के आयात के संबंध में लौह मिश्र धातु व्यापारियों के इस क्षेत्र में बने रहने में केलकर समिति की सिफारिशें आड़े आ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां। देश में फैरो मिश्र के उत्पादक और व्यापारी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं, (i) उच्च विद्युत शुल्क, (ii) अधिशेष क्षमता और स्थिर घरेलू मांग, (iii) चीन, रूस, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से कम मूल्य पर आयात, (iv) भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से आयात जबकि इन पड़ोसी देशों से आयात पर प्रतिकारी शुल्क, बिक्री कर आदि नहीं लगता है, (v) उच्च उत्पाद शुल्क और (vi) आदान लागत, सड़क और रेल भाड़े में वृद्धि आदि।

(ख) और (ग) आयात शुल्क में कमी करने से आयात में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग प्रभावित होगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) फैरो मिश्र पर मूल उत्पाद शुल्क में 2001-02 से परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा फैरो मिश्र के उत्पादन के लिए मेटकोक पर आयात शुल्क कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है और चीनी मेटकोक पर पाटनरोधी शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। इन उपायों से देश के फैरो मिश्र के उत्पादकों और व्यापारियों को मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के अंतर्गत रिक्त पद 268-69

1798. श्री रामदास आठवले : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कोई ताजा भर्ती हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आज तक हुई भर्ती का वर्ष-वार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों की भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी हां। ग्रूप ख राजपत्रित श्रेणी में कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (फल एवं सब्जी परिरक्षण) के दो पद रिक्त हैं जिनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। ग्रुप ग में अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित निरीक्षण (फल तथा सब्जी परिरक्षण) का एक पद खाली है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन सालों के दौरान और 28.2.2003 तक विभिन्न श्रेणियों के तहत की गई सीधी भर्ती के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

2000–2001 ग्रुप क – एक पद – अनुसूचित जनजाति

ग्रुप ख – एक पद – सामान्य

ग्रुप घ – दो पद – दोनों अनुसूचित जाति के

2001–2002 ग्रुप ग – दो पद – सामान्य

ग्रुप घ – पांच पद – सामान्य

2002–2003 ग्रुप क – तीन पद जिसमें पिछड़े वर्ग का एक पद शामिल है।

ग्रुप घ – एक पद – अनुसूचित जाति

(ङ) प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों मामलों में निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य पशुओं का पुनर्वास

1799. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल के निकट एक गांव में तीन नवजात तेंदुए पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही की गई;

(ग) वर्ष 2002 के दौरान ऐसे कितने मामलों में प्रवास क्षेत्रों में वन्य पशु पकड़े गए हैं; और

(घ) ये सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि वन्य पशुओं को गांवों तथा शहरों में जाने से रोका जाए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) 29.1.03 को भोपाल के निकट गौतमपुर कालोनी में बाघ के, न कि तेंदुए के तीन नवजात शावक पाए गए थे। इस समय इन शावकों की आयु लगभग केवल तीन माह की है और अपने बलबूते पर वे जीवित नहीं रह सकते हैं इसलिए उन्हें भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है।

(ग) महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्यों से कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जहां वन्यजीव अपने प्राकृतिक निवास स्थान से भटक कर मानव निवास क्षेत्र में चले गए थे और उन्हें बंदी बनाना पड़ा।

(घ) गांवों और शहरों को पार करने से वन्य जीवों को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में आवास सुधार कार्य किए जाते हैं।
2. कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर की दीवार/जंजीर से बंधी बाड़/आरसीसी दीवार जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण।
3. निर्धारित अवधि के दौरान गश्ती दस्ते के द्वारा तेज गश्त लगाना।

[हिन्दी]

नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में अध्ययन

1800. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण ने देश में नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में कोई अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन किस तारीख को कराया गया था;

(ग) वे नदियां कौन–कौन सी हैं जिनको आपस में जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया था;

(घ) जल अभाव वाले क्षेत्रों में औसतन कितने पानी की आपूर्ति किए जाने का विचार था; और

(ङ) इससे किन–किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय, जो पहले सिंचाई

मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अतिरिक्त जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का हस्तांतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में स्वायत्त सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्कों की पहचान की है एवं 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत जून, 2002 में पूरी कर ली गई हैं। नदियों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित नदियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययनों के अनुसार जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल मोड़ने के लिए लगभग 174 बिलियन घन मीटर जल उपलब्ध है। अंतर बेसिन जल हस्तांतरण प्रस्ताव के हिमालयी घटक से जहां एक ओर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड को लाभ देने तथा ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त जल से प्रायद्वीपीय घटकों को समृद्ध करने की योजना है वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय घटक से उडीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को लाभ देने की योजना है।

विवरण

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मनिभद्र)–गोदावरी (डोलाइस्वरम)–सम्पर्क
2. गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा)–सम्पर्क
3. गोदावरी (इन्चमपल्ली निचला बांध)–कृष्णा (नागार्जुन सागर टेलपोंड) सम्पर्क
4. गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुन सागर) सम्पर्क
5. कृष्णा (नागार्जुन सागर)–पेन्नार (सोमसिला) सम्पर्क
6. कृष्णा (श्रीसेलम)–पेन्नार सम्पर्क
7. कृष्णा (अलमट्टी)–पेन्नार सम्पर्क
8. पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (गैंड एनीकट) सम्पर्क
9. कावेरी (कट्टालाई)–वैगई (गुंडार) सम्पर्क
10. पारबती–कालीसिंध–चम्बल सम्पर्क
11. दमनगंगा–पिंजाल सम्पर्क
12. पर–तापी–नर्मदा सम्पर्क
13. केन–बेतवा सम्पर्क
14. पम्बा–अचनकोविल–वैप्पार सम्पर्क
15. नेत्रावती–हेमावती सम्पर्क
16. बेदती–वरदा सम्पर्क

हिमालयी नदी विकास घटक

1. कोसी–मेची सम्पर्क
2. कोसी–घाघरा सम्पर्क
3. गंडक–गंगा सम्पर्क
4. घाघरा–यमुना सम्पर्क
5. सारदा–यमुना सम्पर्क
6. यमुना–राजस्थान सम्पर्क
7. राजस्थान–साबरमती सम्पर्क
8. चुनार–सोन बैराज सम्पर्क
9. सोन बांध–गंगा सम्पर्क की दक्षिणी सहायक नदियां
10. ब्रह्मपुत्र–गंगा सम्पर्क (मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा)
11. ब्रह्मपुत्र–गंगा सम्पर्क (जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का)
12. फरक्का–सुन्दरवन सम्पर्क
13. गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा सम्पर्क
14. सुवर्णरेखा–महानदी सम्पर्क

ओलिव रिडली कच्छपों की मौत

1801. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी

है कि 3000 से भी अधिक ओलिव रिडली कच्छप उड़ीसा तट पर मर गए जैसा कि दिनांक 9 जनवरी, 2003 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार को इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य मत्स्य विभाग भी उन कच्छपों को मारने में लगा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो कच्छपों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, हां।

(ख) प्राकृतिक मौतों के अलावा, समुद्र में चलने वाले जलयानों से ओलिव रिडली कछुओं का क्षतिग्रस्त होना, उनकी मौत का कारण बताया गया है। ब्यौरा निम्नलिखित है :

स्थान	गिने गए मृत कछुओं की संख्या
गहीरमाथा अभयारण्य	707
दिघी और पारादीप तट	2155
पारादीप से घुमसुर दक्षिण	168

(ग) और (घ) इस संबंध में दिनांक 23.1.2003 के पत्र के तहत राज्य सरकार को लिखा गया है कि वे नीड़ स्थल पर ही कछुओं की सुरक्षा, ट्रॉलरों द्वारा टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (टीईडी) के उपयोग को सख्ती से प्रवृत्त करने, क्षेत्र की दिन रात गश्त लगवाने और राज्य की विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

273-74

एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि. की सेवा

1802. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के कुछ कर्मचारी इंडियन एयरलाइंस की सहायक कंपनी एलाइंस एयरलाइंस में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर आए ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी चार वर्षों से अधिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकते; और प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने पर उन्हें पुनः उस संगठन में जाना पड़ता है जिससे वे आए हैं;

(घ) यदि हां, तो कौन–कौन से कर्मचारी हैं जो इंडियन एयरलाइंस से एलाइंस एयरलाइंस में प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्होंने चार से छः वर्ष की अवधि पूरी कर ली है परंतु अभी भी वे प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ङ) उन्हें वापस उनके संगठन में न भेजने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के सत्तर (70) अधिकारी एलाइंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर एलाइंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर द्वारा आपस में तय की जाती है। तब इंडियन एयरलाइंस को इन कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, प्रतिनियुक्ति अवधि का ध्यान रखे बिना उन्हें, वापिस बुला लिया जाता है।

274

राजस्थान में हैरिटेज होटल

1803. डा. जसवन्तसिंह यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिला–वार स्थापित हैरिटेज होटलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में हैरिटेज होटलों को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) राजस्थान में कुल 34 हैरिटेज होटलों को वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान राज्य का जिलेवार ब्रेकअप देते हुए एक विवरण संलग्न किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत में हैरिटेज होटल, भारतीय पर्यटन उत्पाद में मूल्य समाविष्ट करके, एक अनुपम अवकाश अनुभव की पेशकश करते हैं। 1.4.2002 से पहले अनुमोदित हैरिटेज होटल परियोजनाएं, निर्धारित वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर ब्याज इमदाद का लाभ उठाने के पात्र हैं।

विवरण

31 जनवरी, 2003 को राजस्थान में अनुमोदित हैरिटेज होटलों की जिले–वार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	हैरिटेज होटलों की संख्या
1.	अजमेर	1
2.	अलवर	1
3.	भरतपुर	1
4.	बीकानेर	5
5.	जयपुर	7
6.	जैसलमेर	1
7.	जोधपुर	4
8.	झुंझुनू	1
9.	पाली	3
10.	राजसमंद	1
11.	सवाई माधोपुर	1
12.	सिरोही	3
13.	उदयपुर	5

[हिन्दी]

कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

1804. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा गैर–सरकारी संगठनों ने कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में अब तक प्राप्त हुए तथा सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के संबंध में जागरूकता लाने संबंधी कोई योजना चलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे ये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 सहित पर्यावरणीय विनियमनों के कार्यान्वयन के लिए अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ कर सकें। पिछले दो वर्षों में तैंतीस प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को 250.53 लाख रुपये की राशि दी गई है। विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर, पर्यावरणीय संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली और चिंतन पर्यावरणीय कार्य समूह, नई दिल्ली जैसे गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं। इस संबंध में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कचरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए 113.24 लाख रुपये दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गैर–सरकारी संगठनों को कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी है। पिछले तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिए 2.6 लाख रुपये की राशि दी गई है।

इनके अतिरिक्त 1999–2001 के दौरान उर्वरकों के संतुलित एवं एकीकृत उपयोग की स्कीम के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना हेतु 399.52 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अपने राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के

लिए 414 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं और 8061 प्रस्तावों को क्रियान्वित किए जाने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002–2003 के दौरान पर्यावरण के बारे में इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दूरदर्शन और डिस्कवरी चैनल के साथ एक व्यवस्था भी की है।

लघु कृषि पनधारा

1805. श्री राम टहल चौधरी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु कृषि पनधारा का उचित रूप से सदुपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना तथा लघु कृषि पनधारों के अधिकतम सदुपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इन प्रयासों के फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने एकीकृत पनधारा दृष्टिकोण के माध्यम से पनधारा विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है जिसमें पनधारा समुदाय पनधाराओं के नियोजन, कार्यान्वयन और मानिटरिंग में एक निर्णायक भूमिका निभाता है।

कृषि मंत्रालय की वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना और भू संसाधन विभाग के मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छोटी पनधाराओं (लगभग 500 हेक्टेयर) का उपचार किया जा रहा है।

(घ) कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप सामान्यतया फसलन सघनता में वृद्धि, फसल प्रतिमानों में परिवर्तन और भू जल पुनःपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है।

[अनुवाद]

गुजरात की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

1806. श्री दिलीप संघाणी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितनी सिंचाई परियोजनाएं प्रतीक्षा सूची में हैं/सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) गुजरात की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 15 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा तैयार की गई दो सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। इन दो परियोजनाओं में से एक मच्छु–I सिंचाई का आधुनिकीकरण (माडर्नाइजेशन ऑफ मच्छु–I इरिगेशन) नाम की एक परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है बशर्ते इसे राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो जाएगी तथा बकरोल जल संसाधन परियोजना नामक दूसरी परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	नवीनतम अनुमानित लागत	नौवीं योजना के अंत तक व्यय
1	2	3	4	5
	ए. वृहद परियोजना			
	(क) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	जल विज्ञान परियोजनाओं (प. बंगाल)		66.30	54.43

1	2	3	4	5
2.	कम क्षमता संवर्धन के हाइड्रो प्लस मैकेनाइजेशन के प्रावधान हेतु स्कीमें		105.00	26.29
	(ख) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं			
1.	माही बजाज सागर	राजस्थान में गिनी गई	2.57	–
2.	सरदार सरोवर	12 जिले	13160.62	13075.63
	(ग) पांचवीं योजना से पहले की योजना			
	(घ) अन्य परियोजनाएं			
1.	सिदुम्बर	वलसाद	205.35	0.28
2.	झांकरी	सूरत	90.00	5.07
	कुल			
	बी. मध्यम परियोजनाएं			
1.	अजी–IV	जामनगर	96.00	81.34
2.	बलगोल	साबरकांठा	23.86	4.97
3.	भादर–II	राजकोट	107.00	67.62
4.	डेमी–III (नाबार्ड)	जामनगर	32.50	30.97
5.	गोमा (पी)	पंचमहल	47.59	12.66
6.	गुंदा (उतावली)	अहमदाबाद	37.00	29.04
7.	कोलियारी	पंचमहल	26.00	15.00
8.	लिंब–भोगावो–II	सुरेन्द्रनगर	43.00	34.67
9.	मान	बड़ोदरा	8.72	0.58
10.	मुक्तेश्वर	बनासकांठा	52.50	40.97
11.	ओजत–II	जूनागढ़	82.00	66.73
12.	सिंगुर	पंचमहल	20.00	3.10
13	उंद– II (गुंताल)	जामनगर	64.00	59.07
14.	वाराणसी	खोडा	24.00	9.60
15.	वरतु–II	जूनागढ़	58.00	52.45
16.	कुंताल	वलसाद	43.99	5.09

1	2	3	4	5
17.	ब्राह्मणी–II	सुरेन्द्रनगर	41.50	36.97
18.	चिंचल लिफ्ट सिंचाई	वलसाद	18.10	7.65
	सी. ईआरएम परियोजनाएं			
	(I) नहरों का आधुनिकीकरण			
1.	भादर (एस)	राजकोट	55.50	37.48
2.	कच्छु–I नहर का आधुनिकीकरण	राजकोट	35.36	26.08
3.	मिट्टी का पुनरुद्धार	कच्छ	32.00	28.16
	(ii) जल निकास परियोजनाएं			
4.	40 हेक्टे. से 8 हेक्टे. के ब्लाक तक वितरण प्रणाली का विस्तार		30.00	20.84
5.	मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और सुधार		42.00	41.02
6.	लवणता प्रवेश की रोकथाम (एच एल सी–I एवं II)	सौराष्ट्र और कच्छ	1185.15	330.48
7.	पुनर्स्थापना पुरानी नहर स्कीम		111.00	88.88
8.	प्राचीन नहर प्रणाली के लिए सिंचाई स्कीमों का आधुनिकीकरण		51.00	39.31
9.	कदाना राइट बैंक नहर प्रणाली	पंचमहल	30.50	27.73
10.	कदाना स्प्रेडिंग चैनल	पंचमहल	471.00	0.06
11.	उकाई से गोर्धा बीयर की संपर्क नहर		44.36	4.89
12.	केजेडआरबीसी सहित भादर मुख्य नहर का संपर्क	पंचमहल	4.13	0.08
13.	आईआरबीपी और एम साबरमती नहर	मेहसाना	13.00	0.04
14.	जल संसाधन समेकित परियोजनाएं (डब्ल्यूआरसीपी)	मेहसाना	800.00	0.00
15.	उत्तरी गुजरात में सतही जल का संवर्धन		400.00	25.00
16.	कदाना बायां तट उच्च स्तर नहर	पंचमहल	35.00	1.07
17.	धारोई आरबीएमसी का विस्तार	मेहसाना	112.00	11.83
18.	उकाई पूमा जेएलएलबी संपर्क नहर	सूरत	58.00	8.47
19.	बनास घाटी (दांतीवाड) के आधुनिकीकरण भू और सतही जल का संयुक्त उपयोग	बनासकांठा	0.50	0.00
20.	उत्तर गुजरात के लिए जल निकास		20.00	2.00

1	2	3	4	5
21.	गजनसर नहर कार्य	कच्छ	2.00	0.05
22.	धारोई बायां तट उच्च स्तर नहर	मेहसाना	36.89	0.01
23.	धारोई परियोजना सिपोर लूप नहर	मेहसाना	8.00	0.03
24.	दांतीवाड़ा सिपू संपर्क नहर		7.87	0.00
25.	पनम उच्च स्तर नहर	पंचमहल	133.00	0.37
26.	मुख्य नहर सिंगोडा को पक्का करना	अमरेली	1.10	0.00
27.	लवणता की रोकथाम (दक्षिण गुजरात)		230.00	2.46

नेशनल प्रोजेक्ट फॉर केटल एंड बफालो ब्रीडिंग

1807. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नेशनल प्रोजेक्ट फॉर केटल एंड बफालों ब्रीडिंग के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि मांगी गई है तथा जारी की गई है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके अंतर्गत कितना प्राप्त किया गया है;

(ग) राज्यवार इस पर कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार ने एनपीसीबीबी के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) परियोजना में सुधार करने हेतु क्या निर्णय लिया जा सका तथा इसमें क्या–क्या सुधार किए गए हैं; और

(छ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार परियोजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ कितना आवंटन किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर विवरण में दिया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) परियोजना स्टीयरिंग समिति ने 5.3.2002 को योजना की प्रगति की समीक्षा की है। स्टीयरिंग समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(छ) जी, नहीं। दसवीं योजना के दौरान इस योजना के तहत कोई राज्यवार वास्तविक लक्ष्य तथा निधियों का आवंटन नहीं किया गया है, क्योंकि यह राज्य दर राज्य के उनके प्रस्तावों तथा केंद्रीय दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा।

विवरण

2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान मांगी गई तथा जारी की गई धनराशि

राज्य	राज्यों द्वारा मांगी गई धनराशि (करोड़ रु. में)		जारी धनराशि (करोड़ रु. में)		टिप्पणी यदि कोई हो
	2001–02	2002–03	2001–02	2002–03	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	53.82	12.36	7.42	4.17	–

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	–	–	–	–	राज्य सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसी गठित नहीं की है, जो कि परियोजना के लिए पूर्व आवश्कता है।
मध्य प्रदेश	15.26	13.34	8.29	–	–
संघ शासित प्रदेश	–	–	–	–	संघ शासित प्रदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(ख) नौवीं योजना के तहत लक्ष्य तथा उपलब्धि

राज्य	घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
आंध्र प्रदेश	1. सचल कृत्रिम गर्भाधान यूनिटों का संरक्षण/ गठन	209	2009
	2. शुक्राणु केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	4	4
	3. हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	4	4
	4. प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	9	9
मध्य प्रदेश	1. सचल कृत्रिम गर्भाधान यूनिटों का संरक्षण/ गठन	1965	1965
	2. शुक्राणु केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	2	2
	3. हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	–	–
	4. प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	2	2

[हिन्दी]

निजी रोजगार केन्द्र

285-86

1808. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी रोजगार केंद्र खोलने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय निजी रोजगार केंद्र पहले ही सरकार की अनुमति के बिना कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों को इन निजी रोजगार केंद्रों द्वारा ठगे जाने से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (घ) रोजगार कार्यालय, राज्य/संघ शासित सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हैं। निजी नियोजन एजेंसियां राज्य/संघ शासित सरकारों के क्षेत्राधिकार में कार्य कर रही हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत आने वाली निजी जनशक्ति निर्यात रोजगार एजेंसियों तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1997 के अंतर्गत आने वाले श्रम ठेकेदारों को छोड़कर, ऐसी निजी नियोजन एजेंसियों के लिए सरकार से अनुमति/पंजीकरण/मान्यता प्राप्त करने की पद्धति नहीं है। धोखाधड़ी में मामले, यदि कोई हों तो, उन पर कानून के सामान्य प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विमान को उतारने की अनुमति

286-87

1809. श्री पी. सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एयरलाइनों को भारत के विभिन्न विमानपत्तनों पर अपनी नई उड़ानें उतारने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के पास लंबित उड़ान उतारने संबंधी आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) विभिन्न एयरपोर्टों के लिए दूसरे देशों द्वारा उनकी विमान कंपनियों के प्रचालन हेतु किए गए अनुरोध पत्रों की यातायात मांग आदि पर आधारित, जारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जांच की गई है और निम्न देशों की नामित विमान कंपनियों को जनवरी, 2002 से भारत के विविध एयरपोर्टों पर प्रचालन की अनुमति दी जा चुकी है :

देश का नाम	एयरपोर्ट जिसके लिए अनुमति दी गई
ईरान	दिल्ली
श्रीलंका	बंगलौर, गया, कोचीन
सिंगापुर	हैदराबाद, बंगलौर
कतर	हैदराबाद, कोचीन
कीनिया	दिल्ली
सऊदी अरब	कोचीन

अनर्थक्षम क्षेत्रों में एयर इंडिया को हटाना

1810. श्री सुबोध मोहिते : 287-
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार इन 50 अनर्थक्षम क्षेत्रों को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो इंडियन एयरलाइंस सर्विस से हटाये जाएंगे?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संग्रहालय 287-B

1811. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पास कुल कितने संग्रहालय हैं और इस समय इनमें से कितने बंद हैं;

(ख) संग्रहालयों को बंद करने के क्या कारण हैं और उनके बंद होने के कारण, उनके बंद होने की तारीख से आज तक कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ग) आम जनता और पर्यटकों के लिए इन संग्रहालयों को सरकार द्वारा कब तक फिर से खाले जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) 35 ऐसे संग्रहालय हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सलीमगढ़ किला में स्थित एक संग्रहालय और पुराना किला में स्थित एक अन्य संग्रहालय को छोड़कर सभी संग्रहालय जनता के लिए खुले हैं।

(ख) और (ग) सलीमगढ़ किला सुरक्षा कारणों से बंद है जबकि पुराना किला संग्रहालय, वहां पर शुरू किए गए पुनर्गठन कार्य की वजह से बंद है जिसके चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है। क्योंकि इन दो संग्रहालयों में से किसी में भी टिकट नहीं लगती थी, अतः राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 288

एलीफन्ट कोरीडोर स्कीम के अंतर्गत निधियां

1812. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 से आज की तारीख तक सरकार द्वारा एलीफंट कोरीडोर स्कीम के लिए कितनी धनराशि रखी गई; और

(ख) अब तक उसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) एलीफंट कोरीडोर के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना" के अंतर्गत देश में हाथियों की प्रचुरता वाले राज्यों को उनकी सुरक्षा और हाथियों के लिए कोरीडोरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है। फरवरी, 1992 में परियोजना के प्रारंभ से भारत सरकार ने हाथियों के कोरीडोरों के लिए 3.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं जो कि पूर्णतः उपयोग कर लिए गए हैं।

किसानों की दशा पर रिपोर्ट

1813. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ" ने किसानों की खराब स्थिति पर प्रकाश डालने वाली कोई अध्ययन रिपोर्ट प्रारूपित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या "इंस्टीट्यूट" ने अपने प्रथम चरण की अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली है और सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आर्थिक वृद्धि संस्थान ने 4–5 फरवरी, 2003 को एक सेमिनार आयोजित किया था जिसमें सरकार द्वारा प्रायोजित "भारतीय किसानों की दशा–एक सहस्राब्दि अध्ययन" शीर्षक वाले अध्ययन के चरण–1 के भाग के रूप में विशेषज्ञों द्वारा संचालित 26 अध्ययनों पर मसौदा रिपोर्टों की समीक्षा और विचार–विमर्श किया गया। सेमिनार में की गई चर्चा/ टिप्पणियों के आधार पर रिपोर्टों को अभी अंतिम रूप से तैयार किया जाना है। अतः इन अध्ययनों पर रिपोर्टों का अंतिम रूप अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

फसलों से संबंधित पूर्वानुमान प्रणाली

1814. श्री के. पी. सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल से संबंधित पूर्वानुमान प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फसलों की पूर्वानुमान रिपोर्ट को अद्यतन बनाए जाने का कार्य चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन–किन राज्यों को फसल की पूर्वानुमान रिपोर्ट को अद्यतन करने को कहा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि और सहकारिता विभाग मुख्यतया राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर कृषि वर्ष (जुलाई–जून) के संदर्भ में वर्ष के दौरान चार बार प्रमुख फसलों के उत्पादन के पूर्वानुमान तैयार करता है। ये पूर्वानुमान प्रथम अग्रिम अनुमान, द्वितीय अग्रिम अनुमान, तृतीय अग्रिम अनुमान और चतुर्थ अग्रिम अनुमान के रूप में उल्लिखित किए जाते हैं और त्रैमासिक अंतरालों पर इन्हें जारी किया जाता है। उदाहरणार्थ, कृषि वर्ष 2001–02 के संदर्भ में अनुमानों की समय–सूची निम्नानुसार थी :

प्रथम अग्रिम अनुमान	सितम्बर, 2001
द्वितीय अग्रिम अनुमान	जनवरी, 2002
तृतीय अग्रिम अनुमान	अप्रैल, 2002
चतुर्थ अग्रिम अनुमान	जून, 2002

एक कृषि मौसम के आरंभ में, जब बुवाई प्रचालन आरंभिक चरणों में होता है, विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज के बारे में राज्य सरकारों के अनुमान सामान्यतया फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए चाक्षुष अवलोकनों पर आधारित होता है। तथापि, समय बीतने के साथ समय पर रिपोर्ट देने की स्कीम पर आधारित क्षेत्र कवरेज और फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उपज दरों सहित और अधिक विशिष्ट जानकारी राज्य सरकारों के पास आ जाती है जो इस सूचना के आधार पर अपने अनुमानों को अद्यतन करते हैं और इसे कृषि और सहकारिता विभाग को भेजते हैं।

कृषि और सहकारिता विभाग फसल तथा मौसम निगरानी दल की एक साप्ताहिक बैठक आयोजित करता है जिसमें देश के विभिन्न भागों में फसल और मौसम की नवीनतम स्थिति के आधार पर फसल आसारों पर विचार–विमर्श किया जाता है। इन बैठकों में, जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र, केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि और कृषि एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न प्रभागों से विशेषज्ञ भाग लेते हैं, विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किए जाते हैं जिनका फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है जैसे वर्षा, तापमान और अन्य मौसम की परिस्थितियां, प्रमुख जलाशयों में जल की उपलब्धता और बीजों, उर्वरकों, ऋण तथा कृमिनाशियों जैसे आदानों की उपलब्धता/आपूर्ति। राज्यों से प्राप्त फसलों के संभावित उत्पादन के अनुमानों की समीक्षा फसल तथा मौसम निगरानी दल की बैठकों में सूचना के संदर्भ में की जाती है। इन आदानों का संपूरण/ अनुपूरण अंतरिक्ष

अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद से दूर संवेदी प्रौद्योगिकी के आधार पर प्राप्त सूचना और विभिन्न राज्यों में विगत की पद्धतियों और प्रचलित रुखों के साथ किया जाता है।

कृषि वर्ष 2002–03 के दौरान, देश के कई भागों में खरीफ फसलों की बुवाई विलम्बित हुई थी जिसके कारण सरकार ने सितम्बर, 2002 में खरीफ उत्पादन का केवल एक शीघ्र अनुमान जारी किया था। वर्ष 2002–03 की खरीफ फसलों को कवर करते हुए प्रथम अग्रिम अनुमान 12.11.2002 को जारी किए गए थे जबकि खरीफ और रबी दोनों फसलों को कवर करते हुए द्वितीय अग्रिम अनुमान 10.2.2003 को जारी किए गए थे। वर्ष 2002–03 के लिए अगले पूर्वानुमान अप्रैल, 2003 में लगाए जाएंगे जो खरीफ अभियान 2003–04 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन के समय ही पड़ेंगे। सभी प्रमुख राज्यों को अद्यतन की सूचना मार्च, 2003 के मध्य तक भेजने का अनुरोध किया गया है।

कारगिल विमानपत्तन

1815. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारगिल विमानपत्तन को रक्षा मंत्रालय को सौंपने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से नागरिक यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। भारत–पाक सीमा के समीप स्थित कारगिल हवाई अड्डे के सामरिक महत्व को देखते हुए, कारगिल हवाई अड्डे के प्रचालन का नियंत्रण कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रक्षा मंत्रालय के इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने जम्मू और कश्मीर से कारगिल तक आम यात्रियों के लिए अपने विमान से उड़ान शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

एयर इंडिया में लाभ में चलने वाले मार्ग

1816. श्री अमर राय प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लाभ में चल रहे एयर इंडिया के घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार के मार्गों पर निजी भारतीय/विदेशी एयरलाइंसों को भी अपनी उड़ान प्रचालित करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की एयरलाइनों का देश–वार नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के मार्गों पर निजी एयरलाइंसों को अनुमति देने के बजाय एयर इंडिया की उड़ानों में वृद्धि करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) अप्रैल, 2001 से अक्टूबर, 2002 तक एयर इंडिया ने केवल खाड़ी के मार्गों पर ही लाभ अर्जित किया है।

(ख) और (ग) निजी भारतीय एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं है जबकि विदेशी एयरलाइनों को घरेलू मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं है। भारत में विदेशी एयरलाइनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन भारत और अन्य विदेशी देशों के बीच अधिकारों के आदान–प्रदान के अनुसार है जो कि उचित तथा समान अवसरों के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए विदेशी एयरलाइनों को इन सभी मार्गों पर प्रचालन के समान अधिकार प्राप्त हैं जिनमें एयर इंडिया के विमान प्रचालित होते हैं। वास्तविक प्रचालनों का निर्णय संबंधित एयरलाइंस द्वारा, विभिन्न मार्गों पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता और तुलनात्मक लाभ के अनुसार किया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

नौवीं योजना में कृषि लक्ष्य

1817. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि का उत्पादन नौवीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक हुआ है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की कमियों, विशेषकर प्रभावित राज्यों में सूखा, बाढ़ और सिंचाई के अवसरों में कमी को दूर करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ने और कपास जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन लक्ष्य से कम था जैसाकि निम्नलिखित तालिका से पता चलता है :

नौवीं योजना में लक्ष्य और उत्पादन

(मिलियन मीट्रिक टन)

फसल	लक्ष्य	उत्पादन
खाद्यान्न	1052.00	1017.22
तिलहन*	135.50	105.68
गन्ना	1535.00	1463.64
कपास#	73.60	54.28

*इसमें मूंगफली, एरण्ड बीज, तिल, रामतिल बीज, तोरिया और सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

#170 किग्रा. की मिलियन गांठों में।

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत से घटकों पर निर्भर करती है जैसे मानसून का निष्पादन, प्रौद्योगिकीय गतिविधियां, फार्म प्रबंधन दक्षता, आदानों का समय पर प्रयोग, कृषि उत्पाद की मांग आदि। विशेष रूप से देश में कृषि उत्पादन वर्षा की मात्रा और फैलाव पर बहुत अधिक निर्भर करता है क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत निवल बोया गया क्षेत्र पानी के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। कम वर्षा सिंचाई क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित करती है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नीति में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधिक्य में कृषि की विकास दर की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, दसवीं योजना के दौरान विभिन्न फसल उत्पादन स्कीम कार्यान्वित की जा रही हैं जैसे चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और बीज मिनिकिट स्कीम। प्रमुख स्रवण क्षेत्रों से बह जाने वाले जल को कम करने, भू–क्षमता के सुधार और आर्द्रता की व्यवस्था के लिए सरकार नदी घाटी परियोजनाओं/बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण और 'झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना' की स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, नौवीं योजना के दौरान अपनाई गई क्षेत्रीय रूप से भिन्न की गई रणनीति को दसवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। एक नई पहल के रूप में 'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम मार्च, 2002 में वर्ष 2001–02 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आरंभ की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य भूजल/सतही जल का उपयोग करना और कुशल जल उपयोगिता तथा प्रबंधन का संवर्धन करना है ताकि पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाया जा सके। इनके अलावा, सरकार ने विभिन्न अन्य पहले भी की हैं जैसे नई प्रौद्योगिकियां विकसित और संवर्धित करने पर बल, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय, मंडी सूचना नेटवर्क, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम आदि। सरकार मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में भी किसानों को प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन, सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन 24 - 96

1818. श्री सुरेश चन्देल :
श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू आवश्यकता से अधिक इस्पात का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान इस्पात संयंत्रों ने इस्पात उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्ष के दौरान कितना उत्पादन और बिक्री हुई;

(ङ) क्या सरकार ने इस्पात की बिक्री हेतु विदेशी बाजारों में पैठ बनाने की व्यवस्था की है;

(च) यदि हां, तो कौन–कौन से देश भारत से इस्पात का आयात करते हैं और गत एक वर्ष में कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी बाजार में बिक्री से कुल कितनी आय हुई?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। इस्पात का उत्पादन देश की घरेलू मांग की तुलना में अधिक है, जो नीचे दर्शाया गया है :

(हजार टन)

	उत्पादन	मांग
1999–2000	28462	24595
2000–2001	30322	26635
2001–2002	31625	28925

(ग) और (घ) वर्ष 2001–02 में कार्बन और मिश्र इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.3 प्रतिशत अधिक हुआ। तथापि, जहां तक बिक्री का संबंध है, मिश्रित परिणाम के संकेत हैं। जबकि सेल, टिस्को, इस्पात इंडस्ट्रीज, लॉयड स्टील तथा एस्सार स्टील ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री के मामूली कम स्तर दशाए हैं, अन्य इस्पात कंपनियों जैसे जिंदल विजयनगर स्टील लि., जिंदल स्ट्रिप्स, नेशनल स्टील आदि ने पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाया है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नो महीनों में अधिकांश इस्पात कंपनियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री कारोबार किया है।

(ङ) सूचना मिली है कि इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज ने चीन, नेपाल और श्रीलंका सहित एशिया में कुछ नए विदेशी बाजार तलाश किए हैं।

(च) अवधि (अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002) के दौरान भारत से इस्पात का आयात करने वाले देशों के नाम और मात्रा नीचे दर्शाई गई है :

देश	मात्रा (टन)
1	2
बंगलादेश	116484
बेल्जियम	29325
चीन पी आर पी	35181
ईथोपिया	95743
हांगकांग	51581
इंडोनेशिया	153955
ईरान	134231
इटली	113621
जापान	59599
कोरिया आर पी	92952
मलेशिया	129499
म्यांमार	63545
नाइजीरिया	54617
सऊदी अरब	49097
दक्षिण अफ्रीका	30957
स्पेन	92536
श्रीलंका	101695
थाईलैंड	202632
यू ए ई	149126
यू एस ए	170607

(छ) मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में मांग, आपूर्ति और अन्य घटकों सहित विद्यमान बाजार परिस्थितियों द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। ये घटक परिवर्तनशील हैं और बदलते रहते हैं। यद्यपि, पिछले वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण बिक्री से आय कम रही। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चालू वित्तीय वर्ष की पिछली तीन तिमाहियों के दौरान बिक्री से आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

दक्षता विकास निधि

1819. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : 296-97
श्री वीर सिंह महतो :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करने हेतु दक्षता विकास निधि का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

तमिलनाडु में जल संग्रहण संचयन परियोजनाएं

1820. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में जल संचयन हेतु नई परियोजनाएं शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु की वर्तमान झीलों और तालाबों में गाद जमी हुई है और उनकी गाद निकालने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और राज्य सरकार द्वारा प्रयोग में लाई गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) तमिलनाडु की राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग को जल संचयन के लिए नई परियोजनाओं वाला कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। 9वीं योजना के दौरान केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में भूमि जल के पुनर्भरण अध्ययन पर अपनी केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्मक वर्षाजल संचयन और पुर्भरण परियोजनाएं शुरू की थीं। इस स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में क्रियान्वयन हेतु 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिसके लिए 20.2.2003 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान 137.94 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु सरकार ने झीलों और तालाबों से गाद हटाने के संबंध में केंद्रीय जल आयोग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण नदियों और तालाबों से गाद हटाने सहित सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण के साथ-साथ इनकी आयोजना, वित्तपोषण का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्वयं संबंधित राज्य सरकारों का है।

[हिन्दी]

वर्षा पर कृषि की निर्भरता

1821. श्री मानसिंह पटेल :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की दो-तिहाई कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के क्षेत्रों में औसत वर्षा का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो अल्प वर्षा वाले, औसत वर्षा वाले और औसत से अधिक वर्षा वाले चिन्हित किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में वर्षा जल का इष्टतम उपयोग करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने एकीकृत पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

(ग) और (घ) वर्षासिंचित क्षेत्रों को मुख्यतया, शुष्क, अर्धशुष्क तथा शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

शुष्क क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.6 प्रतिशत

हैं, निम्न तथा अनियमित वर्षा (500 एम.एम. से कम की औसत वार्षिक वर्षा) की विशिष्टता रखता है।

अर्ध शुष्क क्षेत्रों को और आगे शुष्क और गीले में वर्गीकृत किया जा सकता। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12 प्रतिशत है, में 500 एम.एम. से 700 एम.एम. के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है और गीला अर्धशुष्क क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.9 प्रतिशत है, में 750 एम. एम. से 1100 एम.एम. के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.1 प्रतिशत है, में 1100 एम.एम. से 1600 एम.एम. के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है।

(ङ) से (छ) कृषि मंत्रालय के वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना और भू संसाधन विकास विभाग के मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे कई चल रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य वर्षा के जल का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इन कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एकीकृत पनधारा विकास परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि

क्र.सं.	पनधारा स्कीम (शुरू होने का वर्ष)	आठवीं योजना तक नौवीं योजना के दौरान (1997–02)			आरंभ से मार्च 2002 तक उपचारित क्षेत्र		
		उपचारित क्षेत्र (लाख है.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग**						
(i)	डीपीएपी (1973–74)	68.60	1109.95	29.64	658.29	98.24	1768.24
(ii)	डीडीपी (1997–98)	8.48	722.79	15.34	519.79	23.82	1242.58
(iii)	आईडब्ल्यूडीपी (1988–89)	2.84	542.96	14.49	496.80	17.33	1039.76
(iv)	डब्ल्यूडीटीएफ	0.01	4.74			0.01	4.74
	उप–जोड़	79.93	2380.44	59.47	1674.88	139.40	4055.22
II.	**कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग**						
(i)	एनडब्ल्यूडीपीआरए (1990–91)	42.23	967.93	26.19	1005.92	68.42	1973.85
(ii)	आरवीपी और एफपीआर (1962 और 81)	38.89	819.95	8.17	470.14	47.06	1290.09
(iii)	डब्ल्यूडीपीएससीए (1974–75)	0.74	93.73	1.30	63.40	2.04	157.13
(iv)	ईएपी	10.00	646.00	5.00	1425.00	15.00	2071.00
	उप–जोड़	91.86	2527.61	40.66	2964.46	132.52	5492.07

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	**पर्यावरण और वन मंत्रालय**						
	(i) आईएईपीएस (1989–90)	2.98	203.12	1.23	141.54	4.21	344.66
	कुल योग	174.77	5111.17	101.36	4780.88	276.13	9892.05

संकेताक्षरों का ब्यौरा :

एनडब्ल्यूडीपीआरए–वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरपीपी और एफपीआर–नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण के क्षेत्रों में पनधारा विकास

डब्ल्यूडीपीएससीए–झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना

ईएपी–बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

डीपीएपी–सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

आईडब्ल्यूडीपी एकीकृत पनधारा विकास परियोजना

डब्ल्यूडीटीएफ–बंजर भूमि विकास कृतक बल

आईएईपीएस–एकीकृत वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम

जल स्रोतों का सूखना

3/1/03

1822. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में जल संकट को हल करने हेतु जल स्रोतों को बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या परम्परागत जल स्रोतों के सूखने से कुओं, तालाबों और जलाशयों का जलस्तर गिरा है और क्या सिंचित क्षेत्रों में नहरों में पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण यह समस्या और गंभीर हुई है; और

(ग) यदि हां, तो जल संकट के समाधान हेतु शुरू की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों की कमी से निपटने संबंधी स्कीमों सहित जल स्कीमों की तैयारी, आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

अधिकांश राज्यों में वर्षा का वितरण कम अथवा छिटपुट होने के कारण कुओं, तालाबों और जलाशयों के जल स्तरों में गिरावट आई है। तथापि, राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए जलाशयों में उपलब्ध जल के न्यायसंगत उपयोग की सलाह दी गई है। राज्यों को अपनी जल आपूर्ति सुधारने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड खोदे गए अन्वेषण कुओं को अपने नियंत्रण में लेने की सलाह भी दी गई है।

भारत सरकार भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण विषयक अध्ययन" संबंधी एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है।

राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने और निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन को तेज करने के प्रयासों में सहायता के लिए केंद्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। तदनुसार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2001–02 की समाप्ति तक राजस्थान राज्य सरकार को 466.17 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 1114.86 करोड़ रुपये की केंद्रीय ऋण सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है और वर्ष 2002–03 के दौरान अब तक राजस्थान राज्य सरकार को 92.06 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 155.25 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

जल संसाधनों के विकास के लिए दीर्घकालीन उपाय के

रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों/क्षेत्रों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में हस्तांतरित करके नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। योजना के हिमालयी घटक के तहत शारदा–यमुना–राजस्थान और राजस्थान–साबरमती संपर्क नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई, पेयजल, इत्यादि लाभ मुहैया कराने की योजना है।

पशुपालन योजनाओं का क्रियान्वयन

1823. प्रो. दुखा भगत : 303
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुपालन से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पशुधन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार पशुपालन के विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। योजनाओं के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है और इन योजनाओं के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए समय–समय पर आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद] 303-04

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

1824. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम समीक्षा समिति ने सामाजिक एवं चिकित्सकीय सुरक्षा लाभों के हेतु न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह 6500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालयों को न खोलने बल्कि इस प्रकार की सेवाओं को निजी चिकित्सा संस्थानों और क्लीनिकों द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) श्री एम. सी. वर्मा की अध्यक्षमता वाली समीक्षा समिति ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में व्यक्ति के लिए मजदूरी की वर्तमान अधिकतम सीमा 6500/– रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000/– रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

304-06

ग्रामीण गोदाम योजना

1825. डा. बी. सरोजा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु में ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत कितने गोदाम स्थापित किए गए हैं; और

(ख) 2002–03 के दौरान, राज्य–वार कितने गोदामों की स्थापना का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) ग्रामीण गोदामों के निर्माण/जीर्णोद्धार/विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी की केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के लिए धनराशि का कोई आवंटन नहीं है। उद्यमी परियोजना के व्यवसायिक उद्देश्य एवं आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर देश में कहीं भी गोदाम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

नाबार्ड ने 31 जनवरी, 2003 तक कुल 46,859 लाख टन क्षमता वाली 601 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तमिलनाडु में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है (विवरण–I)।

एनसीडीसी ने 7.41 लाख टन क्षमता वाली 1575 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिसमें से 10300 टन क्षमता

वाले 103 गोदाम तमिलनाडु में सहकारी क्षेत्र में मंजूर किए गए हैं (विवरण-II)।

विवरण-I

31 जनवरी, 2003 तक नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं. राज्य के नाम	योजनाओं की संख्या	क्षमता (लाख मी. टन में)
1. आंध्र प्रदेश	252	13.150
2. हरियाणा	72	10.440
3. कर्नाटक	92	0.579
4. मध्य प्रदेश	04	0.052
5. महाराष्ट्र	04	0.028
6. पंजाब	174	22.540
7. छत्तीसगढ़	03	0.070
कुल	601	46.859

विवरण-II

24 फरवरी, 2003 तक नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य के नाम	योजनाओं की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58	5050
2.	असम	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	3800
4.	बिहार	285	28500
5.	छत्तीसगढ़	110	359800
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	139	13900
8.	हिमाचल प्रदेश	40	2800
9.	झारखंड	49	4900
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0
11.	मध्य प्रदेश	191	179950
12.	मणिपुर	9	900
13.	मेघालय	19	1700
14.	कर्नाटक	26	4850
15.	केरल	160	21850
16.	महाराष्ट्र	6	61000
17.	नागालैंड	65	3250
18.	उड़ीसा	2	200
19.	पंजाब	0	0
20.	राजस्थान	22	1850
21.	तमिलनाडु	103	10300
22.	त्रिपुरा	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	31	3100
24.	पश्चिम बंगाल	207	21000
25.	उत्तरांचल	39	12900
	कुल	1575	741600

आई. टी. डी. सी. के होटलों द्वारा अर्जित लाभ

1826. **श्री अम्बरीश :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 से आज की तिथि तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों ने कुल कितना लाभ अर्जित किया है;

(ख) वर्ष 2002 के दौरान इन होटलों को त्रैमासिकी-वार आज तक कितनी हानि हुई है; और

(ग) इन होटलों के लाभ और हानि में अंतर के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) 18 होटलों के विनिवेश के पश्चात, भारत पर्यटन विकास निगम 8 होटलों का मालिक है और इन्हें प्रचालित कर रहा है। वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 (जनवरी 2003 तक) के दौरान इन होटलों ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हानि उठाई है :

(रुपये करोड़ों में)

2001–2002 (अ.)	(–)28.66
2002–03 (अ.) (जनवरी, 2003 तक)	(–)11.58

(ख) तिमाही–वार लाभप्रदता की स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) निष्पादन में सुधार के लिए जिम्मेदार घटकों में, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रबंधन और विपणन प्रयासों पर बेहतर बल दिया जाना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, व्यय में मितव्ययता करके लागत नियंत्रित करना और पर्यटन परिदृश्य में सुधार करना शामिल है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा अर्जित लाभ/हानि का तिमाही–वार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा

तिमाही	आईटीडीसी के 8 होटल लाभ/हानि		बदलाव
	2001–2002	2002–2003	2001–2002
I (अप्रैल–जून)	(–)695.75	(–)738.60	(–)42.85
II (जुलाई–सितम्बर)	(–)818.96	(–)738.31	80.65
III (अक्तूबर–दिसम्बर)	(–)619.47	79.42	698.89
IV (केवल जनवरी)	(–)266.87	239.12	505.99

कर्नाटक में मदिरा बोर्ड की स्थापना

1827. **श्री आर. एल. जालप्पा** : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॉफी बोर्ड और चाय बोर्ड की तर्ज पर मदिरा उत्पादन, विपणन और इससे संबंधित अन्य मामलों पर नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण अंगूर उत्पादक राज्य कर्नाटक में मदिरा बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक भूमि आवंटित करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) स्वदेशी शराब उद्योग के संवर्द्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु शराब बोर्ड की स्थापना पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव को अभी सुनिश्चित किया जाना है।

विद्यमान मत्स्य ग्रहण पोताश्रयों का विकास

1828. **श्री परसुराम माझी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में विद्यमान मत्स्य ग्रहण पोताश्रयों के विकास हेतु केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने 640 लाख रुपये की अनुमानित लागत से धामरा में मौजूदा मत्स्य बंदरगाह के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तथा संघ सरकार से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता मांगी थी।

(ग) इस प्रस्ताव को केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृति दी गई है और 320 लाख रुपये की समूची हिस्सेदारी राज्य को जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

कृषि सूचना केंद्र

1829. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो नेटवर्क का ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के राज्य–वार नाम क्या हैं जहां ऐसे केंद्र खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार ने देश में कृषि सूचना केंद्र स्थापित किए हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(i) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत किसानों और दूसरे छोर के उपभोक्ताओं को प्रौद्योगिकी उत्पाद, नैदानिक और सलाहकारी सेवाएं और सूचना मुहैया करने के लिए 28 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 16 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थापित किए हैं (विवरण–I)।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा वित्तपोषित सभी अनुसंधान परियोजनाओं/स्कीमों पर सूचना के केंद्रीय स्रोत के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आठ कृषि अनुसंधान सूचना केंद्र (एआरआईसी) स्थापित किए हैं। केंद्रों की सूची (विवरण–II) में है।

(iii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के प्रौद्योगिकी विस्तार (आईटीडी) घटक में नवीकरण के अंतर्गत 7 राज्यों (विवरण–III) में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (एटीएमए) के 28 जिलों के प्रत्येक ब्लाक के अंतर्गत फार्म सूचना और सलाहकारी केंद्रों (एफआईएसी) को स्थापित किया जाना विभिन्न चरणों में है।

(iv) राष्ट्र, राज्य और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाला निकनेट आधारित कृषि सूचना और संचार नेटवर्क (एजीआरआईएसएनईटी) कृषि मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है।

(v) कृमिनाशियों के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण और संबंधित सूचना के विस्तार की एक प्रणाली (डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू.सीआइबीआरसी.एनआइसी.इन) कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है।

(vi) लोगों को सुविधा देने और मूल्यों के संचरण तथा कृषि उत्पाद मंडियों से आगम सूचना के लिए कृषि विपणन, सूचना प्रणाली, (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एजीएएआरकेएनइटी.एनआइसी.इन) तैयार की गई है। कुल 810 बाजारों/संस्थानों को विवरण–iv के अनुसार व्याख्यायित हार्डवेयर और साफ्टवेयर समर्थन मुहैया किए गए हैं।

विवरण-I

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्रों (एटीआईसी) की राज्यवार स्थिति और जनवरी, 2003 तक निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य	क्र.सं.	केंद्र	निर्मुक्त धनराशि	
			केंद्रवार	राज्यवार
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	42.06585	42.06585
असम	2	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	47.58	47.58
अंड. व निको. द्वीप	3	केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, पोर्ट ब्लेयर	37.82972	37.82972
बिहार	4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	40.5175	40.5175

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	5	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	35.28566	35.28566
दिल्ली	6	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	36.32388	36.32388
गुजरात	7	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	40.82812	40.82812
हरियाणा	8	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	33.95	74.48109
	9	चौ. चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	40.53109	
हिमाचल प्रदेश	10	चौ. श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	42.59815	112.03814
	11	डा. वाई.एस. परमार, बागवानी व वन विश्वविद्यालय, सोलन	35.83883	
	12	केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	33.60116	
जम्मू–कश्मीर	13	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान व टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	39.13998	39.13998
झारखंड	14	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	34.68769	34698769
केरल	15	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसुर	42.40928	
	16	भारतीय स्पाइस अनुसंधान संस्थान, कालीकट	39.49566	
	17	सेंटर मरीन फिशरी अनुसंधान संस्थान, इरनाकुलम	33.62027	190.89869
	18	सेंटर प्लांटेशन क्रोप्स अनुसंधान संस्थान, कसरगोड	40.99148	
	19	केंद्रीय फिशरी टेक्नोलोजी संस्थान, कोच्चि	34.382	
कर्नाटक	20	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	40.60849	
	21	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	38.35827	115.43741
	22	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	36.47065	
मध्य प्रदेश	23	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	36.11925	71.44823
	24	केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल	35.32898	
महाराष्ट्र	25	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	43.74642	
	26	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, अहमदनगर	39.25564	
	27	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अंकोला	34.76	194.07148
	28	केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	34.68142	
	29	बाला साहेब सावंत कोंकन कृषि विद्यापीठ, दापोली, रतनगिरी	41.628	
मेघालय	30	आईसीआर रिसर्च काम्प्लैक्स फोर एनइएच रिजन, बारापानी	34.0644	34.0644

1	2	3	4	5
उड़ीसा	31	सेंटर इंस्टीट्यूट आफ फ्रेसवाटर अक्यूकल्चर, भुवनेश्वर	34.05636	70.91886
	32	उड़ीसा टेक्नोलोजी कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	36.8625	
पंजाब	33	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	40.73965	40.73965
राजस्थान	34	केंद्रीय अरीद जोन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	35.47284	
	35	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	33.70566	106.02869
	36	महाराणा प्रताप कृषि और टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, उदयपुर	36.85019	
तमिलनाडु	37	तमिलनाडु वेटरनी व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	42.55555	82.40955
	38	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	39.854	
उत्तर प्रदेश	39	चन्द्रशेखर आजाद टेक्नोलोजी कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	34.58646	
	40	नरेन्द्र देव टेक्नोलोजी कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद,	40.66092	145.27238
	41	भारतीय वेटरनरी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	31.275	
	42.	भारतीय वेजीटेबल अनुसंधान, वाराणसी	38.75	
उत्तरांचल	43.	जी.बी. पंत टेक्नोलोजी कृषि विश्वविद्याालय, पंतनगर	39.58	39.58
पश्चिम बंगाल	44	बीधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, नाडिया	35.154	35.154
		कुल	1666.8005	1666.8005

विवरण-II

कृषि अनुसंधान सूचना केंद्रों की सूची (एआरआईसी)

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।
2. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।
3. कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान, पूसा, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार (हरियाणा)।
5. केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, हिसार (हरियाणा)।
6. जूट एवं संबंधित रेशा प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान, कोलकाता (पश्चिमी बंगाल)।
7. जूट एवं संबंधित रेशों के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान/बैरकपुर कोलकाता (पश्चिमी बंगाल)।
8. केंद्रीय अंतर्देशीय बंदीकृत मात्स्यिकीय अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर कोलकाता (पश्चिमी बंगाल)।

विवरण-III

एन.ए.टी.पी. के आई.टी.डी. घटकों के अंतर्गत स्थापित 7 राज्यों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के जिलों की सूची

राज्य का नाम	प्रथम चरण जिला	द्वितीय चरण जिला	तृतीय चरण जिला	चतुर्थ चरण जिला
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	प्रकाशम	आदिलाबाद	विटूर
बिहार	मुजफ्फरपुर	मधुबनी	मुंगेर	ग्रामीण पटना

1	2	3	4	5
झारखंड	दुमका	जमतादा	पालामू	पश्चिम सिंहल
हिमाचल प्रदेश	शिमला	हमीरपुर	कांगरा	बिलासपुर
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अमरावती	औरंगाबाद	रतनगिरी
उड़ीसा	खुर्द	कोरापुट	गंजम	संभलपुर
पंजाब	गुरदासपुर	जालंधर	संगरूर	फरीदकोट

विवरण-IV

दसवीं योजना के दौरान कवर किए गए एगमार्क मानक

क्र.सं.	राज्य	डीएमआई	एसएएमबी/ डीओएम*	बाजारों की सं.	सकल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	54	57
2.	अंडमान और निकोबार	0	1	0	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	5	6
4.	असम	1	2	13	16
5.	बिहार	1	1	24	26
6.	झारखंड	0	2	13	15
7.	चंडीगढ़	0	1	1	2
8.	छत्तीसगढ़	0	2	26	28
9.	दादरा और नगर हवेली	0	1	1	2
10.	दमन और दीव	0	1	2	3
11.	दिल्ली	1	2	5	8
12.	गोवा	1	1	6	8
13.	गुजरात	1	2	54	57
14.	हरियाणा	0	2	34	36
15.	हिमाचल प्रदेश	1	1	14	16
16.	जम्मू–कश्मीर	1	1	24	26
17.	कर्नाटक	1	2	50	53
18.	केरल	2	1	18	21
19.	लक्षद्वीप	0	1	0	1
20.	मध्य प्रदेश	1	1	46	48
21.	मेघालय	1	1	6	8
22.	महाराष्ट्र	2	2	64	68
23.	मणिपुर	0	1	5	6
24.	मिजोरम	0	1	6	7
25.	नागालैंड	0	1	8	9
26.	उड़ीसा	1	2	27	30
27.	पांडिचेरी	0	1	2	3
28.	पंजाब	1	3	47	51
29	राजस्थान	1	2	48	51
30.	सिक्किम	0	1	3	4
31.	तमिलनाडु	1	1	28	30
32.	त्रिपुरा	0	1	8	9
33.	उत्तरांचल	0	1	15	16
34.	उत्तर प्रदेश	1	1	48	50
35.	पश्चिम बंगाल	1	2	30	33
36.	डीएमआई फरीदाबाद	5	0	0	5
	कुल	27	48	735	810

एसएएमबी – राज्य कृषि विपणन बोर्ड

डीओएम – विपणन निदेशालय

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं

1830. श्री प्रभुनाथ : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोजपुरी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तरह साहित्य अकादमी द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस भाषा को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तीर्थ स्थलों के रख-रखाव हेतु विधान

1831. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीर्थ स्थलों के रख–रखाव को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों को कानून बनाने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन राज्यों ने इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) तीर्थ स्थलों में महत्वपूर्ण पूजा स्थलों के रख–रखाव एवं प्रशासन में सुधार के लिए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने, राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे जम्मू एवं कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर अधिनियम, 1988 के मॉडल पर समुचित कानून अधिनियमित करने पर विचार करें।

इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है।

नेशनल ड्राट प्रिपेयर्डनेस एक्ट

1832. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक 'नेशनल ड्राट प्रिपेयर्डनेस एक्ट' लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव कृषि और सहकारिता विभाग के विचाराधीन नहीं है।

संकटापन्न डाल्फिनों का विलुप्त होना

1833. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जा रही यंत्रचालित नावों से अत्यधिक संकटापन्न डाल्फिनों को गंभीर खतरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तीन पूर्ववर्ती गणनाओं संबंधी आंकड़ों की तुलना में उनकी अद्यतन संख्या क्या है; और

(ग) इसका संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) यद्यपि, मत्स्यन जालों में फंसना, निवास स्थानों में गिरावट आना और प्रदूषण, डाल्फिनों की संख्या के लिए प्रमुख खतरे हैं, तथापि, पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही मशीनीकृत नावों का डाल्फिनों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होने की रिपोर्टें हैं।

(ख) हालांकि, अब तक डाल्फिनों की संख्या के लिए कोई सुव्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी संख्या से संबंधित कुछ अनुमान उपलब्ध हैं। 1980 के दशक के अंत में गंगा नदी में डाल्फिन की संख्या लगभग 3000 से 4000 होने का अनुमान था और वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर इंडिया (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया) द्वारा किए गए हाल के सर्वेक्षण में यह संख्या 1800 और 2000 के बीच है। भारत के तटवर्ती जल क्षेत्रों में पाई जाने वाली इरावड्डी डाल्फिन की संख्या का अनुमान, केवल उड़ीसा की चिल्का झील के संबंध में ही उपलब्ध है। वर्ष 1998 में चिल्का झील में लगभग 79 डाल्फिनें थीं जबकि डाल्फिनों की वर्तमान संख्या लगभग 60 होने का अनुमान है।

(ग) डाल्फिन की सुरक्षा और उनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. डाल्फिन की सभी प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में रखा गया है जिसके द्वारा कानून के अंतर्गत इन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. डाल्फिन के संरक्षण के लिए देश में सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. नदी किनारों के साथ–साथ 1000 से भी अधिक स्थानों पर डाल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चिल्का विकास प्राधिकरण ने भी गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके चिल्का क्षेत्र के मछुआरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

महाराष्ट्र से कर्नाटक को जल देना

1834. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कोयन नदी से 2 टीएमसी पानी छोड़ने का अनुरोध किया है ताकि कर्नाटक में चिककोड़ी, रायबंगा और अन्य स्थानों में पानी के संकट को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने और अपेक्षित मात्रा में जल प्राप्ति में कर्नाटक की सहायता करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 31.01.2003 के अपने पत्र में महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री से माह फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं मई, 2003 के दौरान प्रतिमाह 2 हजार मिलियन घनफीट जल छोड़ने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार को इस संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मछुआरा समुदाय द्वारा मांग पत्र

1835. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरा समुदाय ने गत वर्ष सरकार को एक मांग पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी शिकायतों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जी, हां। मत्स्यन प्रचालनों के संचालन में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं के संबंध में मछुआरा संगठनों से एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है। संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श से मांगों की जांच की गई है और प्रमुख मुद्दों पर समुचित कदम उठाए गए हैं जैसा कि विवरण में बताया गया है।

विवरण

क्र.सं.	मांग	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	मछुआरों को डीजल की आपूर्ति	दसवीं पंचवर्षीय योजना स्कीम में हाईस्पीड डीजल ऑयल पर मछुआरा विकास छूट।
2.	परंपरागत मछुआरों को मिट्टी के तेल के कोटा को बढ़ाना	सभी मछुआरा संगठनों से मत्स्यन उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल की अतिरिक्त आवश्यकता के संबंध में राज्यवार सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

1	2	3
3.	मछुआरिनों के लिए बचत–सह–राहत योजना	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के बचत–सह–राहत घटक में मछुआरिनें और अंतर्देशीय मछुआरे पहले ही कवर किए गए हैं।
4.	जल कृषि प्राधिकरण विधेयक वापस लेना	राज्य सभा में फरवरी, 2002 को पहले ही पेश किया जा चुका जल कृषि प्राधिकरण विधेयक में तटवर्ती जलकृषि से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विषयों पर ध्यान दिया जाएगा।
5.	भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को छोड़ना	मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया गया है ताकि मछुआरों और उनकी नौकाओं को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।
6.	मानसून के दौरान ट्रालिंग पर समान प्रतिबंध	तटवर्ती राज्यों के साथ परामर्श से मानसून अवधि के दौरान ट्रालिंग पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है।
7.	मत्स्यन के दौरान समुद्र सुरक्षा उपाय	मर्चेंट शिपिंग एक्ट के संगत प्रावधानों के तहत समुद्र सुरक्षा उपाय पहले से ही लागू किए जा रहे हैं। कठिनाई के समय में तटरक्षक भी मछुआरों की सहायता करते हैं।
8.	विदेशी मत्स्यन यानों द्वारा चोर शिकार पर रोक	भारतीय तटरक्षकों को हमारे मेरीटाइम जोनों की रक्षा करने और विदेशी मत्स्यन यानों के चोर शिकार को रोकने का दायित्व दिया गया है।
9.	देश में मछली का आयात	मछली का वर्तमान निर्यात विशेष रूप से होटल क्षेत्र और मूल्य वर्धन के लिए पुनर्निर्यात के लिए बहुत मामूली है।
10.	मत्स्यन और पोस्ट हारवेस्ट सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	मत्स्यन बंदरगाहों, मत्स्य उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए योजना क्रियान्वित की जा रही है।
11.	शार्क और रे पर से प्रतिबंध हटाना	शार्क और रे की केवल कुछ चुनिंदा प्रजातियों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है जिन्हें लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में समझा जाता है।
12.	मछुआरों द्वारा घरों के निर्माण के लिए बाधाओं को हटाने संबंधी तटवर्ती विनियमन जोन का कार्यान्वयन	तटवर्ती विनियमन जोन अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और विनियमन इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तित है।
13.	देश में जलकृषि सुधार	मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
14.	जम्मू द्वीप (पश्चिम बंगाल) में पारगमन मत्स्यन और मछली सुखाने के मछुआरों के अधिकारों को रोकना	मामले को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

[हिन्दी]

राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन हेतु चारा

1836. प्रो. रासासिंह रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में पशुधन को बचाने के लिए चारा उपलब्ध कराने हेतु आज तक किए गए प्रबंध और इस पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सूखा पीड़ित क्षेत्रों में चारे की कमी के कारण पशु पालकों ने अपने पशु दूसरे राज्यों में भेज दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पशु पालकों को क्या सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गौशालाएं स्थापित करने और इस संबंध में अनुदान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए हैं :

(1) 30,000 मी. टन गोपशु आहार अनाज आवंटित किया गया है।

(2) प्रभावित पशुओं को और चारा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत चारा मूल्यों को विनियमित करने और चारे की अनधिकृत जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है।

(3) सभी राज्य सरकारों को भूसा/पुआल को जलाने को रोकने के लिए कहा गया है ताकि राजस्थान को और चारा उपलब्ध कराया जा सके।

(4) पड़ोसी राज्यों में अधिशेष चारा उपलब्धता की सूचना राजस्थान को दे दी गई है ताकि वह उसकी खरीद कर सके।

(5) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चारे की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाएं।

(ख) राजस्थान से अन्य राज्यों को पशुधन का पलायन एक नियमित प्रवृत्ति है। तथापि, सूखा अवधि के दौरान यह बढ़ जाती है।

(ग) और (घ) गोशालाओं में सूखा प्रभावित गोपशु के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन सी सी एफ से राजस्थान को 11.66 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

"सेल" द्वारा रेल पटरियों का उत्पादन

1837. श्री अनन्त नायक : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान रेल पटरियों के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2003–2004 हेतु इसके उत्पादन के संबंध में अनुमान क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वर्ष 2001–02 तथा 2002 के दौरान रेल उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रैंथ (यू टी एस–90) का क्रमशः 480,000 टन तथा 650,000 टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान यूटीएस–90 रेल का उत्पादन 519,594 टन था। वर्ष 2002–03 के दौरान यूटीएस–90 रेल का उत्पादन इस अवधि के लिए लक्षित 542,000 टन की तुलना में 567,782 टन (अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक) हुआ।

(घ) यूटीएस–90 रेल के उत्पादन के लिए वर्ष 2003–04 के लिए 650,000 टन का प्रक्षेपण लगाया गया है।

पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना

1838. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना में विदेशी पर्यटकों की संख्या और विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि हेतु एक उपयुक्त नीति की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीसवीं शताब्दी के अंत तक 10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस कार्य योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी सफलता मिली है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 1992 में तैयार की गई राष्ट्रीय कार्य योजना में, विदेशी पर्यटक आगमन और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि के लिए एक उपयुक्त नीति पर विचार किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना व गंतव्य विकास, बड़े पैमाने पर राजस्व जनन वाले उत्पाद और क्षमता निर्माण शामिल हैं। अवसंरचना के विकास के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें एकीकृत परिपथों, सांस्कृतिक व पर्यटन केन्द्रों का सृजन और पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक शासन अभिमुख तत्व शामिल है।

(ङ) और (च) वर्तमान राष्ट्रीय पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार क्षमता को बढाने और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष तथा गुणक प्रभावों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है। एक अनुमान के अनुसार, रोजगार में पर्यटन का योगदान, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, दोनों, रूप में 6 प्रतिशत है।

325.20

राहत संहिता में संशोधन

1839. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को वर्तमान राहत संहिता को संशोधित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सरस्वती नदी की पहचान

326

1840. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरस्वती नदी के उद्गम स्रोत और उसके गुजरने के स्थानों का पता लगाने के लिए इतिहासकारों और विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार सीमित गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

पयर्टन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने सरस्वती नदी के बहुविध अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति का चार्टर नदी के स्रोत का पता लगाना, उसके मार्ग को पारिभाषित करना और भू–तकनीकी अध्ययन तथा पुरातत्वीय अनुसंधान के लिए मदों के लिए पहचान करना है।

(ग) और (घ) सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्षों के लिए है। अब तक तो जो मात्र व्यय हुआ है, वह गैर–सरकारी सदस्यों की यात्रा तथा ठहरने पर हुआ है। समिति अन्तरिम रिपोर्टें दो वर्ष की उक्त अवधि में किसी समय प्रस्तुत कर सकती है।

326-27

बाबतपुर हवाई अड्डे का विकास

1841. डा. बलिराम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित बाबतपुर हवाई अड्डे का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस हवाई अड्डे की धावन पट्टी का विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे को विकसित करने की है, जिसमें एक ही समय में 500 घरेलू तथा 300 अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को हैण्डल किए जा सकने वाले नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण तथा बड़े आकार वाले विमान के प्रचालन के लिए 9000 फीट तक रनवे का विस्तार किया जाना शामिल है।

(ख) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए वर्ष 2002–2003 में संशोधित अनुमान 2.5 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2003–2004 में अनुमानित बजट 12 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं।

(ग) रनवे के विस्तार के लिए बाबतपुर–मोंगरी मार्ग को पहले राज्य सरकार द्वारा पहले किया जाना है। मार्ग को मोड़ने के बाद 2 वर्ष की अवधि में रनवे विस्तार कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

भू-जल स्तर बढ़ाने की योजना

1842. श्री रामरती बिन्द : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू–जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने अपने मंत्रालय के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में भू–जल स्तर को बढ़ाने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाएं कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित/प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत देश में प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) इस स्कीम के तहत 35.81 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए कुल 174 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्कीम के तहत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं के मार्च, 2004 तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की "भूजल पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी स्कीम के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित निधियां (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	54.55
2.	असम	63.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	20.00
4.	बिहार	10.52
5.	गुजरात	20.05
6.	हरियाणा	107.17
7.	हिमाचल प्रदेश	81.65
8.	झारखंड	25.73
9.	जम्मू–कश्मीर	78.96
10.	कर्नाटक	43.30
11.	केरल	88.18
12.	मध्य प्रदेश	53.85
13.	महाराष्ट्र	126.63
14.	मेघालय	20.32
15.	मिजोरम	28.00

1	2	3
16.	नागालैंड	116.43
17.	उड़ीसा	1473.54
18.	पंजाब	361.92
19.	राजस्थान	135.66
20.	तमिलनाडु	176.41
21.	उत्तर प्रदेश	142.57
22.	उत्तरांचल	2.00
23.	पश्चिम बंगाल	156.99
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	96.07
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.92
26.	लक्षद्वीप	19.85
27.	चंडीगढ़	64.23
	कुल	3581.00

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों और फलों का उत्पादन

1843. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों और फलों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हेज आफ एशियन ब्राउन क्लाउड

1844. श्री प्रकाश पी. पाटील :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्री वाई. वी. राव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोबल मिनिस्ट्रियल एन्वायरनमेन्ट फोरम ने नैरोबी में हाल ही में हुई अपनी बैठक में हिन्द महासागर पर छाए हेज आफ एशियन ब्राउन क्लाउड (एबीसी) के बारे में गहरी चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से बादल के मंडराने के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एबीसी का मानव स्वास्थ्य, कृषि पैदावार और भारतीय उपमहाद्वीप की वर्षा पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) शासी परिषद/ग्लोबल मिनिस्ट्रियल एन्वायरनमेन्ट फोरम ने हाल में नैरोबी में आयोजित इसकी बैठक में एशियन ब्राउन क्लाउड के मुद्दे पर चर्चा की थी। यूएनईपी अध्ययन में उल्लिखित एशियन ब्राउन क्लाउड से तात्पर्य इंडियन ओसियन रिसर्च इक्सपीरीमेंट (इंडोक्स) में देखी गई धुंध (हेज) से है। धुंध (हेज) केवल एशिया क्षेत्र की ही विशेषता नहीं है बल्कि इसे विश्व के अन्य भागों में भी देखा गया है। धुंध वायुमंडल का स्थाई लक्षण नहीं है यह केवल जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान होती है तथा इसी सीजन में वर्ष 1999 में इन्डोक्स आब्जरवेशन्स की गई थी। यूएनईपी अध्ययन में व्यक्त अधिकतर चिंताएं विश्वसनीय प्रतिरूपण या प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। क्षेत्र की जलवायु तथा मौसम पैट्रन, वर्षा और फसल पैदावार तथा मानव स्वास्थ्य पर धुंध के प्रभाव पूर्ण रूप से तय नहीं किए जा सके हैं। पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार संबंधी कई पहलों द्वारा सहायता प्रदान किए जाने वाला विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत ढांचा देश में वायु प्रदूषण संबंधी चिंताओं से निपटता है।

[हिन्दी]

बिहार में विशेष पैकेज

1845. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन के विकास हेतु बिहार को विशेष पैकेज देना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पैकेज कब तक दिए जाने की संभवाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने पशुपालन, कुक्कुट और मात्स्यिकी के विकास के लिए बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है। तथापि, पशुपालन और डेयरी विभाग की उत्तरवर्ती योजनाओं को बिहार राज्य में क्रियान्वित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु द्वारा बांधों से जल निकालना

1846. श्री टी. गोविन्दन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो राज्यों के बीच हुए करार का उल्लंघन करते हुए केरल की सीमा पर स्थित बांधों से तमिलनाडु द्वारा जल निकाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केरल सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि दो राज्यों के बीच हुए करार का उल्लंघन करते हुए केरल की सीमा पर स्थित बांधों से तमिलनाडु द्वारा जल निकाला जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रनवे लाइट की स्थिति

1847. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आईसीएओ दिशानिर्देशानुसार हैदराबाद में रनवे लाइट लगाने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रनवे की लाइट की स्थिति पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। हैदराबाद हवाई अड्डे के रनवे पर प्रकाश–व्यवस्था में हवाई अड्डे के रनवे 27 और रनवे 09 के दोनों सर्किट के लिए रनवे किनारे, थ्रेशोल्ड और रनवे छोर की प्रकाश–व्यवस्था शामिल है जो मार्किंग किनारे/छोर के तीन मीटर के भीतर लगी है। रनवे प्रकाश–व्यवस्था की लगी लोकेशन्स इकाओ गाइडलाइंस के अनुरूप हैं।

(ग) रनवे प्रकाश–व्यवस्था की पोजिशनिंग पर 6.81 लाख रुपए का खर्च किया गया।

मिर्च की खरीद

1848. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफेड ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विगत में मिर्च की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में किन–किन शर्तों और नियमों को स्वीकृत किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। तथापि, आंध्र प्रदेश मार्कफेड द्वारा वर्ष 2001 के दौरान मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत मिर्चों की खरीद की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम की संस्वीकृति की प्रति संलग्न विवरण में है।

विवरण

सं. एल–15016/8/2000–एम.पी.एस (पार्ट)
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 17 अप्रैल, 2001

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
नेफेड हाउस,
नं. 1, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक के निकट,
नई दिल्ली–110014

विषय : वर्ष 2001 मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च हेतु मंडी हस्तेक्षप स्कीम।

महोदय,

मुझे वर्ष 2001 मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की खरीद हेतु मंडी हस्तेक्षप स्कीम के लिए इस विभाग का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(1) उचित औसत गुणवत्ता वाली मिर्च की खरीद 2400 रु. प्रति क्विंटल के मंडी हस्तेक्षप मूल्य पर की जाएगी।

(2) मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत केन्द्रीय तथा राज्य अभिनामित अभिकरणों यथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ (नेफेड) तथा आंध्र प्रदेश मार्कफेड द्वारा 50 : 50 आधार पर 15000 मीटरी टन लाल मिर्च की खरीद की जाएगी।

(3) यह स्कीम 20 मार्च से 15 जून, 2001 तक प्रचालन में रहेगी।

(4) उपरिव्यय मंडी हस्तक्षेप मूल्य के यथाशक्ति न्यूनतम 25 प्रतिशत या वास्तविक, जो भी कम हो, तक रखा जाएगा।

(5) इस स्कीम के तहत खरीद किए गए स्टाक को 2100 रु. प्रति क्विंटल या वास्तविक प्रचलित मंडी मूल्य, जो भी अधिक हो, की दर से बेचा जाएगा। बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए स्टाक को निर्यात किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(6) मंडी हस्तक्षेप के तहत किसानों, कृषक सहकारी समितियों एवं पंजीकृत कृषक संगठनों से मिर्च का क्रय किया जाए।

(7) स्कीम में तहत कवर किए जाने वाले राज्यों में कई केन्द्रों एवं क्षेत्रों को नेफेड तथा राज्य अभिनामित अभिकरण के मध्य पारस्परिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

(8) मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत खरीद किए गए स्टाक के लिए बेहत मूल्य सुनिश्चित करने हेतु नेफेड एक विपणन रणनीति तैयार करे। उपभोक्ताओं, उपभोक्ता सहकारी केन्द्रों तथा सहकारी विपणन समितियों के खुदरा केन्द्रों को सीधे ही बिक्री करने के प्रयास किए जाएंगे।

(9) नेफेड इस कार्यवाही में परिहार्य हानियों को कम करने के लिए मिर्च के क्रय, ग्राइडिंग और पैकिंग, परिवहन, भंडारण एवं बिक्री हेतु विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक लेन–देन के संबंध में लाभ व हानि खाता प्रस्तुत किया जाए।

(10) जनसंचार माध्यमों के जरिए विशेष प्रचार किया जाए ताकि आस–पास के क्षेत्र के किसान मंडी हस्तक्षेप स्कीम के बारे में जागरूक हो सकें।

(11) इस कार्यवाही में होने वाले हानि/लाभों, यदि कोई हो, को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से शेयर किया जाएगा।

(12) नेफेड/राज्य अभिनामित ये कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्य पूंजी की व्यवस्था क्रमशः केन्द्रीय/राज्य सरकारों के साथ करें।

(13) केन्द्रीय/राज्य अभिनामित अभिकरण क्रय एवं प्रचलित मंडी मूल्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(14) कार्यवाही के अंत में, संबंधित अभिकरण खातों के निपटान हेतु मंडी हस्तक्षेप कार्यवाही के लिए लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत करेंगे। राज्य अभिकरण

लेखा परीक्षित खाते अपनी राज्य सरकार के जरिए प्रस्तुत करेंगे। तथापि, नेफैड सीधे ही इस विभाग को लेखे प्रस्तुत करेगा।

(15) नेफेड को सेवा प्रभार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की लागत लेखा शाखा के मानकों के अनुसार दिया जाएगा।

ह./–

(जे. पी. मीणा)
मुख्य निदेशक (सहकारिता)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. प्रधान सचिव (सहकारिता), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
2. सचिव (कृषि), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
3. प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश मार्कफेड, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद।
4. आवासीय आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश भवन, नई दिल्ली।

निम्न को भी प्रति प्रेषित :

कृषि मंत्री जी के निजी सचिव/कृषि राज्य मंत्री जी के निजी सचिव/सचिव (कृषि एवं सहकारिता)/अपर सचिव (एम)/वित्तीय सलाहकार/आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार/बागवानी आयुक्त/संयुक्त सचिव (सहकारिता)।

ह./–

(जे. पी. मीणा)
मुख्य निदेशक (सहकारिता)

335.36

वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका

1849. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंगलौर और अन्य स्थानों पर वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका क्या है;

(ख) क्या ऐसे कार्यालय वन विकास सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं;

(ग) यदि हां, तो आरसीसीएफ के कार्यालय की विशिष्ट भूमिका क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे कार्यालयों से कोई सकारात्मक प्रस्ताव नहीं मिलते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार के सीसीएफएस के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकरण और उपयोगिता की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ङ) मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यतः वनों के संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ–साथ चल रही परियोजनाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980/पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करते समय मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों और बचाव उपायों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को खनन और अवैध कब्जों के नियमित करने के मामलों पर छोड़कर 5 हेक्टेयर तक के गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग के मामलों पर निर्णय लेने और राज्य सलाहकार दल के साथ परामर्श से 5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर वन भूमि वाले मामलों की जांच करने की शक्ति दी गई हैं। उन्हें राज्य सरकारों की कार्य योजनाएं अनुमोदित करने की शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं।

यद्यपि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू किए जाने से वन भूमि के वनेतर प्रयोग को काफी बड़े पैमाने पर रोका गया है तथापि अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार सतत आधार पर वैज्ञानिक वन प्रबंधन से वन आवरण में सुधार करने में सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों को उन्हें दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की मंत्रालय द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

336.71

राष्ट्रीय श्रम संस्थान

1850. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान सरकार के अन्य विभागों का कोई अध्ययन करता है;

(ख) यदि हां, तो तर्ष 2002–2003 में किए गए ऐसे अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप कितना पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव एनएलआई के वित्तपोषण को कम करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो एनएलआई को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान की संस्था की बहिर्नियमावली और नियमों और विनियमों के अनुसार, संस्थान को श्रम और श्रम से जुड़े विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था करने के इच्छुक भारत और विदेशों के अन्य संस्थानों, संगठनों, संघों और सोसायटियों के साथ सहयोग करने का अधिदेश दिया गया है। वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्थान ने सरकार के अन्य विभागों के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने कुछ अपेक्षाओं को, जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान के अंतर्गत प्राप्त निधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सका, इन हाउस कार्यकलापों के माध्यम से करके हुई बचतों से एक कायिक निधि बनाई है। यह आशा की गई है कि यह कायिक निधि भविष्य में और अधिक सुदृढ़ होगी। आने वाले वर्षों में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भुगतान वाले कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिक बल दिया गया है। 337 - 38

आंध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास

1851. श्री वाई. वी. राव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में सागर, नागार्जुन, भट्टीपरोलु और अमरावती को बौद्ध पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों का विकास करके काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास, नागार्जुन सागर (नागार्जुन–कोंडा) भट्टीपरोलु और अमरावती को, बौद्ध पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि ये स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए इन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए, इनका नियमित रूप से संरक्षण कार्य किया जा रहा है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दो संस्थानों, अर्थात अमरावती एवं नागार्जुन केन्द्रों में भारतीय प्रति यात्री के लिए 5.00 रु. एवं विदेशी प्रति यात्री के लिए 2 डॉलर अथवा 100 रु. के टिकट प्रणाली की शुरूआत पहले ही कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पशुधन नीति 338 - 39

1852. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त विश्व व्यापार की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन नीति पर चर्चा करने हेतु राज्य कृषि मंत्रियों के साथ फरवरी, 2003 में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस विषय पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी संबंधी मुद्दों के बारे में किन्हीं ठोस प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन समझौते के मुद्दों पर हुए मतैक्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राज्यों के पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी मंत्रियों के 3 फरवरी, 2003 को आयोजित सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय पशुधन नीति के मसौदों पर चर्चा की गई थी तथा पशुधन और पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता को विश्व स्तर तक सुधारने की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी।

(ग) और (घ) सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, पशुधन का आनुवंशिक सुधार, पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, रोगी पशुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई के नियमन, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के प्रावधान, अंतर्देशीय जल जलकृषि तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर जोर दिया गया।

(ङ) सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में

पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्रों में चुनौतियों के संबंध में चिंता व्यक्त की गई तथा किसानों के संरक्षण में आवश्यक उपाय करने की सिफारिश की गई।

[हिन्दी]

पर्यटन क्षेत्र में आवंटन

1853. **श्री शिवाजी विटठ्लराव काम्बले** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003–2004 के दौरान पर्यटन विकास हेतु राज्यवार, योजनावार कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : इसकी जानकारी बजट पारित हो जाने के बाद पता चलेगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा मुआवजे का भुगतान

1854. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण से कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ख) 15 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार कितने विस्थापित लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है;

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार को मुआवजे के भुगतान के रूप में अब तक कितनी धनराशि जमा कराई गई है; और

(घ) शेष लोगों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति

1855. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 10 जनवरी, 2003 के "हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किए जाने संबंधी समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या इन नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति की स्वीकृति मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या आधार हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों/अभ्यारण्यों का अनुरक्षण

1856. **श्री रामशकल :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में मान्यता प्राप्त एवं गैर–मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों/अभ्यारण्यों/वन स्जिवों के राज्य–वार नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उनके अनुरक्षण और बेहतर रख–रखाव हेतु दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ प्राणी उद्यान/अभ्यारण्य बदतर स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उनके उचित विकास और अनुरक्षण हेतु निधियों का आवंटन, यदि कोई है सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान व उसके बाद देश में विशेषकर तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों/पक्षी

अभ्यारण्यों की स्थापना एवं विकास हेतु विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों मान्यता रद्द चिड़िया–घरों, उद्यानों और अभ्यारण्यों की राज्यवार सूचियां, विवरण–I से IV में दी गई हैं।

(ख) प्राणी उद्यानों का रख–रखाव और अनुरक्षण, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आदेश के अधीन है और चिड़ियाघरों की मान्यता नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार इसे विनियमित किया जाता है। तथापि, अभ्यारण्यों/वन रिजर्वों के रख–रखाव और अनुरक्षण का कार्य, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(ग) से (ङ) जिन चिड़ियाघरों में जानवरों के रख–रखाव, अनुरक्षण और स्वास्थ्य परिचर्या का कार्य सन्तोषजनक नहीं था उनकी मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उन चिड़ियाघरों को फिर से मान्यता देने का निर्णय किया है और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराने और चिड़ियाघरों के जानवरों के बेहतर रख–रखाव और अनुरक्षण हेतु रणनीति तैयार करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ताकि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उन्हें फिर से मान्यता देने के संबंध में विचार किया जा सके।

रोजमर्रा आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के रख–रखाव और अनुरक्षण का दायित्व राज्य सरकारों का है। ऐसे क्षेत्रों के प्रभावी संरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को दी गई निधियां विवरण–V में दी गई हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों की अवधि में और उसके बाद, चिड़ियाघरों का सुधार करने के लिए कोई विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव और पक्षी अभयारण्यों को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त की गई विदेशी वित्तीय सहायता के संबंध में राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-I

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थिति
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लघु चिड़ियाघर, हड्डो	पोर्ट ब्लेयर
2.		डीयर पार्क, सत्य टैक्नोलॉजी सेन्टर	रंगारेड्डी
3.		डीयर पार्क, चित्तूर रिजर्व फारेस्ट	चित्तूर ईस्ट डिवीजन
4.		डीयर पार्क, केसोराम सिमेन्ट	बसन्त नगर
5.		डीयर पार्क, एन.एफ.सी.एल. ग्रीन बेल्ट	काकीनाडा
6.		जी.बी.के. इन्डस्ट्रीज	हैदराबाद
7.		हिमायत सागर लघु चिड़ियाघर	जिला रंगारेड्डी
8.		इंदिरा गांधी जूलोजिकल पार्क	विशाखापट्टनम
9.		जवाहर लेक टूरिस्ट काम्पलैक्स	शमीरपेट
10.		किन्नरसारी डीयर पार्क	किन्नरसारी

1	2	3	4
11.		मानस सरोवर नेचर पार्क	टेकलापड्डू–गुंटूर
12.		महावीर हरिन वनस्थली डीयर पार्क	वनस्थलीपुरम
13.		मुरूगया नी चिलकर डीयर पार्क	चिलकूर
14.		नेहरू जूलोजिकल पार्क	हैदराबाद
15.		पिल्लालमर्री डीयर पार्क	महबूब नगर
16.		साकालिगट्टू डीयर पार्क	नागार्जुन सागर
17.		सांघी डीयर पार्क	सांघी नगर
18.		श्री वेंकटेश्वर जूलोजिकल पार्क	तिरूपति
19.		वन विज्ञान केन्द्र, हंटर रोड, हनमकोंडा	वारंगल
20.		विजय विहार, डीयर पार्क	नागार्जुन सागर
21.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर जूलोजिकल पार्क,	ईटानगर
22.	असम	असम राज्य चिड़ियाघर एवं वनस्पति उद्यान	गुवाहाटी
23.	बिहार	संजय गांधी जैविक उद्यान	पटना
24.	छत्तीसगढ़	कानन पोडरी	बिलासपुर
25.		मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई
26.	दादरा और नगर हवेली	डीयर पार्क	सतमालिया
27.		बसोना बाघ सफारी	वसोना
28.	दिल्ली	डीयर पार्क	हौज खास
29.		राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली
30.	गोवा	बोंडला चिड़ियाघर	उसगांव
31.	गुजरात	फटीलाइजर नगर डीयर पार्क	बड़ौदा
32.		इन्दरौदा नेचर पार्क	गांधी नगर
33.		कमला नेहरू प्राणि उद्यान	अहमदाबाद
34.		नेचर पार्क	सूरत
35.		राजकोट नगर निगम चिड़ियाघर	राजकोट
36.		सक्करबाग जू	जूनागढ़

1	2	3	4
37.		सायाजी बाग जू	बड़ोदरा
38.		नेचर एजूकेशन सेन्टर	जामनगर
39.		सुन्दर वन नेचर डिस्कवरी सेन्टर	अहमदाबाद
40.	हरियाणा	डीयर पार्क, हिसार	हिसार
41.		लघु चिड़ियाघर, पीपली	पीपली
42.		रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक
43.	हिमाचल प्रदेश	धौलाधार नेचर पार्क	गापेालपुर
44.		हिमालयन नेचर पार्क (कुफरी)	कुफरी
45.		फेजेन्टरी एंड एवीयरी एंडमस्क डीयर फोर्म	साराहन
46.		फेजेन्टरी एट छैल	सोलन
47.		रेनुके जू/बाघ सफारी	सिरमौर
48.	जम्मू–कश्मीर	मांडा लघु चिड़ियाघर	रामनगर
49.		मानसर लघु चिड़ियाघर	मानसर
50.		श्रीनगर हिरण पार्क व चिड़ियाघर	श्रीनगर
51.	झारखंड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान	रांची
52.		बिरसा मृग विहार	कालामाटी
53.		चन्द्रपुर डीयर पार्क	चन्द्रपुर
54.		डीयर पार्क	मैथन डैम
55.		जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो
56.		सत्संग जू फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन	देवघर
57.		टाटा स्टील प्राणी उद्यान	जमशेदपुर
58.	कर्नाटक	बेल्लारी चिल्ड्रन पार्क व चिड़ियाघर	बेल्लारी
59.		भूतानल डीयर पार्क	बीजापुर
60.		चिल्ड्रन पार्क व जू	गडग
61.		डीयर पार्क, एनएमडीसी, लिमिटेड	बेल्लारी
62.		इंदिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय	अरागोडु, दावानगेरे तालुक

1	2	3	4
63.		किट्टूर रानी कन्नमा निसर्ग धाम	भूतरामनहट्टी, बेलगांव
64.		कुदेरमुख लघु चिड़ियाघर	चिकमंगलूर
65.		लघु चिड़ियाघर एएम गुड्डी बलवाना	चित्रदुर्ग
66.		लघु चिड़ियाघर, गेडेकट्टे	हसन
67.		लघु चिड़ियाघर व चिल्ड्रन पार्क	गुलबर्गा
68.		नायाडचीलूम डीयर पार्क	तुमकुर
69.		राष्ट्रीय उद्यान, वन्नेरघाटा प्राणी उद्यान	बन्नेरघाटा
70.		पिल्लीलकुला वन्यजीव सफारी, मुडुशेड्डे	मंगलौर
71.		श्री चमराजेन्द्र प्राणी उद्यान	मैसूर
72.		टाइगर एवं बाघ सफारी, थाइरेकोप्पा	शिमोगा
73.		तुंगभद्रा डेम लघु चिड़ियाघर बेल्लारी	बेल्लारी
74.	केरल	हिल पैलेस चिड़ियाघर, एरनाकुलम	थिरूवन्नतपुरम
75.		लायन सफारी पार्क, नय्यर डैम	थिरूवन्नतपुरम
76.		श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति वन	वलयार
77.		स्टेट म्यूजियम एंड जू	किरूसर
78.		थिरूवन्नतपुरम जू	थिरूवन्नतपुरम
79.	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर
80.		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जू	इन्दौर
81.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल
82.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद म्यूनिसिपल जू	औरंगाबाद
83.		महाराजा शाहजी छत्रपति जू	कोल्हापुर
84.		महाराजाबाग जू	नागपुर
85.		महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जू	शोलापुर
86.		नेचर पार्क	करंजा
87.		पल वाइल्ड एनीमल ओरफैंज	जलगांव
88.		प्रताप सिंह उद्यान एवं चिड़ियाघर	सांगली

1	2	3	4
89.		राजीव गांधी प्राणी उद्यान	पुणे
90.		संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	बोरीवल्ली (पूर्व)
91.		स्नेक पार्क, शिक्षण मंडल	कोल्हापुर
92.		सोमनाथ पराकल्प जू	चन्द्रपुर
93.		वसन्त स्मृति मृग विहार, उमरसारा	यवतमल
94.		वीरमाता जीजीबाई भौंसले उद्यान एवं जू	मुम्बई
95.		नीसरगाकवी बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	पुणे, पिम्परी
96.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इम्फाल
97.	मेघालय	लेडी हायडरी पार्क, एनीमललैंड	शिलांग
98.	मिजोरम	आइजवाल जू	आइजवाल
99.		डीयर पार्क, थेंजवल	थेंजवल
100.	नागालैंड	प्राणी उद्यान, कोहिमा	कोहिमा
101.	उड़ीसा	गांधमरदन डीयर पार्क	बोलनगीर
102.		घड़ियाल रिसर्च एंड कन्जर्वेशन यूनिट	टिकरपारा
103.		एच.ए.एल. डीयर पार्क, कोरापुत	सुनाबेडा
104.		इंदिरा गांधी पार्क जू एंड डीयर पार्क	राउरकेला
105.		कपिलश जू	धेनकनाल
106.		कुनरिया डीयर पार्क, नयागढ़ फारेस्ट	नयागढ़
107.		मोतीझारन डीयर पार्क	सम्बलपुर
108.		नन्दन कानन जैव उद्यान	भुवनेश्वर
109.	पंजाब	डीयर पार्क, वीर मोती बाग	पटियाला
110.		डीयर पार्क, बीत तालाब	भटिंडा
111.		डीयर पार्क, नेलन	लुधियाना
112.		महेन्द्र चौधरी प्राणी उद्यान	छतबीर
113.		बाघ सफारी	लुधियाना
114.	राजस्थान	बीकानेर जू	बीकानेर

1	2	3	4
115.		डीयर पार्क, श्री गोवर्धन ट्रस्ट	उदयपुर
116.		जयपुर जू	जयपुर
117.		जोधपुर जू	जोधपुर
118.		पंचवटी डीयर पार्क	पिलानी
119.		सफारी पार्क हरीदासजी की मगरी	उदयपुर
120.		उदयपुर जू	उदयपुर
121.	सिक्किम	हिमालयन प्राणी उद्यान, बुलबुले	गंगटोक
122.		रूस्तमजी डीयर पार्क	गंगटोक
123.	तमिलनाडु	अमृधि जू	वेल्लोर
124.		अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान	वंडलूर
125.		चेन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	गुइंडी
126.		चिल्ड्रन्स कॉर्नर	गुइंडी
127.		क्रोकोडाइल पालन केन्द्र	अमरावती
128.		डीयर पार्क, उधागाई, नीलगिरी	ऊटी
129.		गंगाइकोंडन डीयर पार्क, नेल्लाई	कटाबोम्मन
130.		होगाइनक्कल लघु चिड़ियाघर धर्मपुरी	धर्मपुरी
131.		कुरूम्बापट्टी प्राणी उद्यान	सेलम
132.		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेन्टर	महाबलीपुरम
133.		शिवगंगा गार्डन लघु चिड़ियाघर	थंजवुर
134.		वी.ओ.सी. पार्क लघु चिड़ियाघर	कोयम्बटूर
135.		वी.ओ.सी. पार्क लघु चिड़ियाघर, इरोड	मद्रास
136.	त्रिपुरा	सिपाहीजाला प्राणी उद्यान	सिपाहीजाला
137.	उत्तर प्रदेश	अरण्य विहार, वलीपुरा	बुलन्दशहर
138.		वनदेवी मनोरंजन पार्क	मऊ
139.		चीतल पार्क, खतौली	मुजफ्फरनगर
140.		डीयर पार्क	मुरादाबाद

1	2	3	4
141.		डीयर पार्क, कुकरेल	कुकरेल
142.		डीयर पार्क, हिंडालको इन्डस्ट्रीज लि.	सुनभद्रा
143.		घड़ियाल पुनर्स्थापना केन्द्र	कुकरेल
144.		इंदिरा मनोरंजन वन (डीयर पार्क) मेहता	लखीमपुर खीरी
145.		कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर
146.		लखनऊ प्राणी उद्यान	लखनऊ
147.		नवाबगंज डीयर पार्क	उन्नाव
148.		सारनाथ डीयर पार्क	वाराणसी
149.		त्रिवेणी एनवायरनमेन्ट पार्क, इलाहाबाद	इलाहाबाद
150.		वन प्राणी उद्यान, आई.वी.आर.आई.	बरेली
151.		विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़	गोरखपुर
152.		डीयर पार्क, इफको, बरेली	बरेली
153.	उत्तरांचल	डीयर पार्क, नारायण तिवारी देवाल	अल्मोड़ा
154.		मालसी डीयर पार्क	अल्मोड़ा
155.		पं. गोबिन्द बल्लभ पंत हाइ एल्टीट्यूड जू	नैनीताल
156.		रामपुर मंडी डीयर पार्क एंड एवीयरी	कलसी
157.	पश्चिम बंगाल	अलीपुर जूलोजिकल गार्डन	कलकत्ता
158.		कलकत्ता स्नेक पार्क, जूलोजिकल गार्डन	बडु
159.		डीयर पार्क (लघु चिड़ियाघर)	झारग्राम
160.		डीयर पार्क डव हिल	कुरसेवंग
161.		कुमारी कुनंगसाबुती डीयर पार्क, बोनपाकुरिया	बांकुरा
162.		लाइफ सांइस कारनर, विधान नगर	बर्दवान
163.		मार्बल पैलेस जू	कलकत्ता
164.		मिनी जू साइंस सीटी	कलकत्ता
165.		पदमजा नायडु हिमालयन प्राणी उद्यान	दार्जिलिंग
166.		वेस्ट बंगाल स्नेक पार्क एंड लेबोरेट्री, बाडु	24 परगना नार्थ

विवरण-II

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार देश में मान्यता प्रदान किए गए चिड़ियाघरों की सूची

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	डीयर पार्क, म्यूनिसिपल पार्क	राजमुन्द्री
2.		डीयर पार्क, तिरूमाला हिल्स	चित्तूर
3.		हिमाबिन्दू डीयर पार्क (पुल्लई डीयर पार्क)	कुरनूल
4.		सबारी लघु चिड़ियाघर, प्राथिपाडु	मिनर्वा नगर
5.	अरुणाचल प्रदेश	मियावो मिनी जू	मियावो
6.		मिनी जू	रोइंग
7.	बिहार	चित्रकूट (रिनकुन विहार) पार्क, पहाड़पुर	गया
8.		जय प्रकाश उद्यान	भागलपुर टाउन
9.	छत्तीसगढ़	इंदिरा उद्यान	विलासपुर
10.	दादरा और नगर हवेली	रवनवेल डीयर पार्क	सिलवासा
11.		मिनी जू सिलवासा	खनवेल
12.	दमन और दीव	डीयर पार्क	दीव
13.	दिल्ली	डीयर पार्क	दिलशाद गार्डन
14.			झिलमिल
15.	गुजरात	बालभवन जू	राजकोट
16.	हिमाचल प्रदेश	मिनी जू, कलापोल	धर्मशाला
17.		नेहरू फेजन्टरी	मनाली
18.		रेवलसर वाइल्डलाइफ जू	मंडी
19.	झारखंड	मुग्गर ब्रीडिंग सेन्टर	मुटा
20.	कर्नाटक	अंथारगंगे चिल्ड्रन पार्क	कोलार
21.		चिल्ड्रन्स मिनी जू	धारवाड़
22.		चिल्ड्रन्स पार्क सिरसी डिवीजन	सिरसी
23.		डीयर पार्क, हलियाल टाउन	उत्तर कन्नाड जिला
24.		डीयर पार्क, श्री क्षेत्र सोगल	सोनदत्ती

1	2	3	4
25.		काइवाड़ा तपोवन चिंतामणी तालुक	कोलार
26.		कारागुडा डीयर पार्क	कारजागी
27.		केम्पाबुडी डीयर पार्क	बंगलौर
28.		केम्पेगोड़ा वन्धाना, सवानादुर्गा	मगड़ी तालुक
29.		मिनी डीयर पार्क	चिकमंगलूर
30.		मिनी जू एट इंडुवल नेचर पार्क (प्राकृति वन)	मांडया
31.		मिनी जू एट कोंडाजी डीयर पार्क	चित्रदुर्ग
32.		मिनी जू एट मिनाकर गुरकाई	कोलार
33.		नेचर पार्क	रायचूर
34.		सोराकायलहल्ली चिल्ड्रन एंड डीयर पार्क	कोलार
35.	केरल	क्रोकोडाइल फार्म	कालीकट
36.		क्रोकोडाइल फार्म, नरूयर डेम	थिरूवंनतपुरम
37.		डीयर पार्क एट कालीकट	कालीकट
38.		डीयर पार्क, पोनमुडी	थिरूवनंतपुरम
39.		मिनी जू	कोडानाडु
40.		पारससिंकुदवाड़ स्नेक पार्क	कन्नूर
41.	मध्य प्रदेश	घड़ियाल पालन केन्द्र, देवड़ी	मुरैना
42.		कटायघाट सूरमया, कटनी	कटनी
43.		मृगनयनी डीयर पार्क	पंचमढ़ी
44.		नंदन वन	रायपुर
45.		एस.एफ.आर.आई. जू	जबलपुर
46.		विक्रम वाटिका, एम.सी. उज्जैन	उज्जैन
47.	महाराष्ट्र	अमीता जू एंड ब्रीडिंग फार्म	बाम्बे
48.		आम्टेज एनीमल पार्क एंड ओरफेनेज कम रेसक्यू होम	गडचिरौली, अल्लापल्ली
49.		एवीकल्चर एंड कैप्टिव ब्रीडींग	ठाणे
50.		एसेल वर्ल्ड स्नेक पार्क	वर्ली मुम्बई

1	2	3	4
51.		सूर्यावन जू	रायगढ़
52.		टिकुजी नी वाड़ी जू	ठाणे
53.	मेघालय	रामकृष्ण जू	शिलांग
54.		टूरा जू	अखोनगिनी टूरा
55.	उड़ीसा	चिल्का डीयर पार्क	पुरी
56.		डीयर पार्क, पापाढांढी	नवरंगपुर
57.		हरीशंकर डीयर पार्क	बोलनगीर
58.		म्यूनिसिपलिटी डीयर पार्क	कटक
59.		पंथनीवास डीयर पार्क, चांदीपुर	बालासौर
60.		रिजनल सांइस सेन्टर, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
61.		तापतापानी डीयर पार्क	पारलाखेमुंडी
62.		ट्राइबल म्यूजियम	कोरापुट
63.		डीयर पार्क, बेहरामपुर युनिवर्सिटी	बेहरामपुर
64.	राजस्थान	कोट जू	कोटा
65.		मृग वन	चित्तौड़गढ़
66.	तमिलनाडु	मंजूनाथ लघु चिड़ियाघर (मोबाइल) नेसप्पकम	मद्रास
67.		लघु चिड़ियाघर	कोर्टल्लम
68.	उत्तर प्रदेश	चीतल ग्रांड मोटेल्स प्रा. लि.	मुजफ्फरनगर
69.		डीयर पार्क, एयर फोर्स	मेरौरा
70.		इंदिरा पार्क	बिजनौर
71.		कतरनियाघाट घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र	बहराइच
72.		लक्ष्मण पहाड़ी मृग विहार (डीयर पार्क)	बांदा
73.		लिटिल स्कोलर्स एकेडेमी, अमरोहा	अमरोहा
74.		लघु चिड़ियाघर एवं प्रजनन फार्म	मेरठ कैंट
75.		वन चेतना केन्द्र	आगरा
76.		वन चेतना केन्द्र कुमारगंज	फैजाबाद

1	2	3	4
77.		वन चेतना केन्द्र, वृन्दावन	मथुरा
78.		वन विहार	जौनपुर
79.	उत्तरांचल	वन चेतना केन्द्र, बुक लैंड इस्टेट	मसूरी
80.		वन्य जन्तु विहार, डाक पत्थर	देहरादून
81.	पश्चिम बंगाल	बेल्लीलियस पार्क	हावड़ा
82.		चित्रा टूरिंग, जे.एन. सरकार स्ट्रीट	कलकत्ता
83.		कारपोरेशन पार्क, जोगमाया	हावड़ा
84.		डीयर पार्क, बेलारी श्री राम कृष्णा, आश्रम	हावड़ा
85.		गर चुमुक (उलुघाटा) डीयर पार्क	उलुघाटा
86.		गरमंदारान हुगली जिला परिषद	हुगली
87.		कृष्णा सायर पार्क स्नेक पार्क	बर्दमान
88.		रामाकृष्णा मिशन विद्यालय, स्टूडेन्ट होम	नरेन्द्रपुर
89.		रैफेल एकेडमिक एंड वोकेशनल स्कूल, दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
90.		स्नेक पार्क रेपटाइल, रिसर्च एंड स्नेक बाइट ट्रीटमेंट	डीघा, मिडवावोर

विवरण-III

राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

अंडमान

1. कैम्पबेल खाड़ी
2. गलाथिया
3. महात्मा गांधी मेराइन
4. मिडल बटन
5. माउंट हैरिट
6. नार्थ बटन
7. रानी झांसी मेरिन
8. सैडल पीक
9. साउथ बटन

आंध्र प्रदेश

10. कासुब्रह्मारेड्डी
11. महावीर हरिना वानस्थली
12. मृगुवाणी
13. श्री वेंकटेश्वरा

अरुणाचल प्रदेश

14. माउलिंग
15. नामदाफा टाइगर रिजर्व

असम

16. काजीरंगा
17. मानस टाइगर रिजर्व
18. नमेरी
19. डिब्रू सखोवा
20. ओरांग
i. एडीशन
ii. एडीशन
iii. एडीशन
iv. एडीशन
v. एडीशन
vi. एडीशन

बिहार

21. बाल्मिकी टाइगर रिजर्व

छत्तीसगढ़

22. इन्द्रावती टाइगर रिजर्व
23. कांगेर वेल्ली
24. गुरुघासीदास

गोवा

25. भगवान महावीर

गुजरात

26. गिर

27. मेराइन
28. वानसदा
29. वेलावडार

हरियाणा

30. सुल्तानपुर

हिमाचल प्रदेश

31. ग्रेट हिमालयन
32. पिनवेल्ली

जम्मू कश्मीर

33. सीटी फारेस्ट
34. दाचीगांव
35. हिमिस हाई आल्टीच्यूट
36. किस्तवाड़

झारखंड

37. बेतला (पलामू)

कर्नाटक

38. अंशी
39. बांदीपुर टाइगर रिजर्व
40. बनेरघाटा
41. कुद्रेमुख
42. नागरहोल

केरल

43. एरावलीकुलम
44. पेरियार टाइगर रिजर्व
45. साइलैंट वैली

मध्य प्रदेश

46. बांधवगड़
47. फासिल
48. कान्हा टाइगर रिजर्व
49. माधव
50. पन्ना
51. पेंच
52. सतपुड़ा
53. वन विहार
54. संजय

महाराष्ट्र

55. बुगामल (टाइगर रिजर्व)
56. नवेगांव
57. पेंच
58. संजय गांधी
59. टाडोबा (टी आर)

माणिपुर

60. केबुल लामजाओ

मेघालय

61. बालफरकम
62. नोकरेक

मिजोरम

63. ब्लू माउंटेन (फांगपुई)
64. मूर्लेन

नागलैंड

65. इन्तान्की

उड़ीसा

66. नार्थ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व
67. भीतरकनिका

राजस्थान

68. सरिस्का टाइगर रिजर्व
69. रणथम्भौर
70. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
71. डेजर्ट नेशनल पार्क

सिक्किम

72. खांगचेडजोंगा

तमिलनाडु

73. गुंडी
74. इंदिरा गांधी
75. मन्नार की खाड़ी
76. मुडुमलाई
77. मुकुरथी

उत्तर प्रदेश

78. दुधवा टाइगर रिजर्व

उत्तरांचल

79. कार्बेट टाइगर रिजर्व
80. गंगोत्री
81. नंदा देवी
82. वैली आफ फ्लावर्स
83. राजाजी
84. गोबिन्द पशु विहार

पश्चिम बंगाल

85. नियोरा वैली
86. सिंगालीला
87. सुन्दरबन (टी आर)
88. बक्सा (टी आर)
89. गुरूमारा

विवरण-IV

वन्यजीव अभ्यारण्यों की सूची

अंडमान

1. एरीयल
2. बम्बू
3. बैरन
4. बेटिमाल्व
5. बेले
6. बैनट
7. बिंघम
8. बिल्टर
9. बल्फ
10. बॉडोविले
11. ब्रश
12. बुचानन
13. चैनल
14. सिनके
15. सिथब्रर्थ बे
16. क्लाइड
17. कोन
18. करल्यू
19. करल्यू (बी.पी.)

20. डिफेंस
21. डाट
22. डाटरल
23. डंकन
24. ईस्ट
25. ईस्ट ऑफ इंगलिश
26. एग्ग
27. एलट
28. एंट्रेंस
29. गलाथिया बे
30. गान्डर
31. गूस
32. गुरजन
33. हेम्प
34. इंटरव्यू
35. जेम्स
36. जंगल
37. क्लांगतुंग
38. क्याड
39. लैंडफाल
40. लटाउचे
41. लोहाबरू क्रोकोडाइल अभयारण्य
42. मैंग्रोव
43. मान्स/बास्क
44. मायो
45. मेगापोढ
46. मोंटोगुमरी
47. नरकोंडम
48. नाथ
49. नार्थ ब्रदर
50. नार्थ रीफ
51. आलीवर
52. आचिड
53. आक्स
54. ओस्टर
55. ओस्टर
56. पेजट
57. पाकिंसन
58. पैसेज
59. पैट्रीक
60. पीकाक
61. पिटमैन
62. प्वाइंट
63. पोटानमा
64. रेंजर
65. रीफ
66. रोपड
67. रोज
68. रोवे
69. सैंडी
70. सी सपेंट
71. शीयारमे
72. सर हूजरोज
73. सिस्टर
74. स्नेक
75. स्नेक
76. स्नाक
77. साउथ ब्रदर
78. साउथ रीफ
79. साउथ सैंटीनल
80. स्पाइक
81. स्पाइक
82. स्टोट
83. सूरत
84. स्वाम्प
85. टेबल (डेल ग्रागो)
86. टेबल (एक्सल सीयर)
87. ताला बेचा
88. टैम्पल
89. तिलेनचौंग
90. ट्री
91. ट्रिलबाइ
92. टाफ
93. टटल
94. वेस्ट
95. वाफ
96. वाइट क्लिफ

आंध्र प्रदेश

1. कोरिंगा
2. एटुरनाग्राम
3. गुंडला बह्मावेश्वर
4. कोंडिया
5. कावल
6. किनेर साहनी
7. कोलेरू
8. कृष्णा
9. मंजामाडुगु
10. मंजीरा
11. नागार्जुन सागर
12. नेलापट्टू
13. पाखल
14. पापीकोंडा
15. पोचारम
16. प्रणहिता
17. पुलिकेट
18. रोलापाडा
19. सीरी लंकामलेश्वरा
20. सीरी पेनुसिला नरसिम्हा
21. सीरी वेंकटेश्वरा
22. कम्बलपोंडा

अरुणाचल प्रदेश

1. दिबांग
2. इगलनेस्ट
3. ईटानगर
4. कम्बलांग
5. कान्हे
6. लाली (डेरिंग)
7. नेहाऊ

8. पाकफुई
9. सेसा आर्चिड
10. टेलवैली
11. यार्डिसुबसेरबसे

असम

1. बर्नाडी
2. बारोडेबम बीलमुख
3. बुराचापोड़ी
4. चक्रशिला
5. बीपर बील
6. गरमपानी
7. गिब्बन
8. लाओखोआ
9. पबितरा
10. पाडुमणि बर्जिन बोरजान
11. पानी बिहिंग
12. सुनाई रूपा
13. ईस्ट कार्बिंग एंगलांग
14. कार्बी किएंगलांग
15. नाम्बोर

बिहार

1. बेरीला झील पक्षी अभयारण्य
2. भीम बंध
3. गौतुबुद्ध
4. कैमूर
5. कंवरलेक
6. नागीडैम
7. नक्ती डैम
8. राजबीर
9. उदयपुर
10. बाल्मिकी (टी.आर.)
11. विक्रम शिला

चंडीगढ़

1. चंडीगढ़ सीटी बोर्ड
2. सूखा

छत्तीसगढ़

1. अचानक मार
2. बादल घोल
3. बर्नावापरा
4. बहरामगढ़
5. गोमारदा
6. पामेड़
7. सेमरसोट
8. सितनदी
9. तैमूर पिंगला
10. उदन्ती वाइल्ड बफलो

दमन और दीव

1. फूदम

दादरा और नगर हवेली

1. दादरा एव नगर हवेली वन्यजीव अभयारण्य

दिल्ली

1. भाटी
2. इंदिरा प्रियदर्शिनी

गोवा

1. भगवान महावीर
2. बोंडला
3. चौराव (डा. सलीम अली)
4. कोटि गांव
5. मेडी
6. नेत्रावेल्ली

गुजरात

1. बलराम अम्बा जी
2. बारदा
3. धुमकल (शूल पानेश्वर)
4. गोगा (जी.आई.बी.)
5. गिर
6. हिंगोलगढ़
7. जम्बूगोड़ा
8. जैसूर
9. कच्छी मरुस्थल
10. खिजाड़िया
11. कच्छ बस्टर्ड
12. मेराइन
13. नल सरोवर
14. नारायण सरोवर
15. पानिया
16. पोरबंदर
17. पूर्णा
18. रामपुरा
19. रतनमहल
20. थोल
21. वाईल्ड आस

हरियाणा

1. आबूशहर
2. बिन्दवास
3. बीर बरवान
4. बीर शिकारगढ़
5. छीचिला
6. कालसेर
7. खप्परवास
8. नाहर
9. सरस्वती

हिमाचल प्रदेश

1. बांदली
2. चैल
3. चूड़धार
4. दारंगघाटी-I और II
5. दारंगघाट
6. धोलाधार अभयारण्य
7. गग्गुल सिया–बेही
8. गोबिन्दसागर
9. कालाटोप और कज्जार
10. कानावाड़
11. कियास
12. किब्बर
13. कुग्गती
14. लिप्पाआसरांग

15. मामजाथल हासारांग
16. मनाली
17. नैनादेवी
18. नारगू
19. पौंगडैम झील
20. रक्षम चितकुल (अभयारण्य)
21. रेणुका
22. रूपीभामा
23. सच्चुताहूनाला
24. सैंज
25. शिकारीदेवी
26. शिल्ली
27. शोखन
28. सिम्बलवाड़ा
29. शिमला ववाटरक कैचमैंट
30. तालरा
31. तीर्थन
32. तुंडाह

जम्मू-कश्मीर

1. बलताल (थाजवास)
2. चांदथांग
3. गुलमर्ग
4. हीरापोरा
5. होकेसर
6. जसरोटा
7. कराकोरम
8. थाजवास
9. लच्छीपोड़ा
10. लिम्बर
11. नन्दिनी
12. ओवेरा
13. ओवेरा–आडू
14. सूरेनसर मन्सर
15. मन्सर
16. राम नगर राखा

झारखंड

1. दालमाह
2. हजारीबाग
3. कोडरमा
4. लावालांग
5. माऊवा दांडा नर
6. पलामू (बेटला)
7. पालकोट
8. पारसनाथ
9. तोपचाची
10. उधवा

कर्नाटक

1. आधिचुनचुनगिरी
2. अरकाबीरथीटू
3. अटिवेरी
4. भादरा
5. बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर
6. ब्रह्मागिरी
7. कावेरी
8. डाडेली
9. दोरजी अभयारण्य
10. घाट परवाह
11. गोदावी
12. मेलकोट टैम्पल
13. मुकाम्बिका
14. नुग्गु
15. पुष्पागिरी
16. राणेबेन्नूर
17. रंगाथिट्टू
18. शरवती वैल्ली
19. शेतीहाली
20. शोमेश्वर
21. तालाकावेरी

केरल

1. अरलाम
2. चिमोनी
3. चिनार
4. इड्डुक्की
5. नैय्यर
6. पाराम्बीकुलम
7. पीचीवझानी
8. पेपारा
9. पेरियार (टी आर)
10. शेन्दुरूनी
11. थाथेकाड
12. वायानाड

महाराष्ट्र

1. अम्बाबारवा
2. अंधेरी
3. अनेर डैम
4. भामरागढ़
5. भीमशंकर
6. बोर
7. चंदोली
8. छपराला
9. दयोलगांव रेहकारी
10. ध्यान गंगा
11. गोताला पोतराम घाट
12. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (नानग)
13. जायकवाड़ी
14. कलसूभाई हरीश चन्द्रागढ़
15. करनाला
16. काटेपूर्ण
17. कोयना
18. मलवान (मेराइन)
19. मयूरेश्वर सूप
20. मेलघाट (टी आर)
21. नगजीरा
22. नेगांव मयूर डब्ल्यूएलएस नन्दूर मैडमेश्वर
23. मयूर मैडमेश्वर
24. नरनाला
25. पेनगंगा

26. फसाड़
27. राधा नगरी
28. सागरेश्वर
29. तनसा
30. तिपेश्वर
31. वान
32. यावल
33. येदशी रामलिंग घाट

मध्य प्रदेश

1. बंगदारा
2. बोरी
3. फेन
4. गांधी नगर
5. गंगाऊ
6. घाटी गांव जी आई वी
7. करेरा जी आई वी
8. पेन घड़ियाल
9. खेवेनी
10. नरसिंहगढ़
11. नेशनल चम्बल
12. न्योरा देही
13. ओरछा
14. पंचमढ़ी
15. पालपुर (कूनो)
16. पनपाथा
17. पेंच
18. रालामंडल
19. रातापानी
20. सेलाना
21. संध्याडुबरी
22. सरदारपुर
23. सिंघोरी
24. सान घड़ियाल
25. विरानगंगा

मणिपुर

1. बुन्निंग
2. जीरीमाफरू
3. केहलम
4. यगोपोपकी लोकचाओ
5. जेलाड

मेघालय

1. बाघनारा
2. नालखल्लेम
3. सिज्जु

मिजोरम

1. दाम्पा (टी आर)
2. खम्मामलुंग
3. लेंगटेंग
4. नगेनपुआई
5. तवी
6. थोरांगटंग

नागालैंड

1. साकिम
2. पुलीबादज
3. रंगापहाड़

उड़ीसा

1. बेसीपल्ली
2. बालखुंड–कोणार्क
3. भीतरकनिका
4. चांदका डम्पारा
5. चिल्का
6. डबरीगढ़
7. गहीरमाथा मेराइन
8. हदगढ़
9. करलापाड
10. खोलासुन्नी
11. कोटगढ़
12. कुलदीहा
13. लकाड़ी वेल
14. नन्दनकानन
15. सतकोसी गोर्ज
16. सिमलीपाल
17. सुनाबेटा
18. ऊषाकोठी (बादरामा)

पंजाब

1. अबोहर
2. बिर एशवान
3. बीर नाडसन
4. बीर बुनेरहरी
5. बीर गोसांज
6. बीर गुरदयालपुरा
7. बीर महेश वाला
8. बीर मोतीबाग
9. हरिके झील
10. तखानी रेहमपुर

राजस्थान

1. बांदाबरेठा
2. बस्सी
3. भेसरोड़गढ़
4. दारा
5. जयसामंद
6. जामवा रामगढ़
7. जवाहर सागर
8. केलादेवी
9. केसर बाग
10. कुम्बलगढ़
11. माउंट आबू
12. नाहरगढ़
13. नेशनल चम्बल
14. फुलवर की नाई
15. रामबढ़ विश्वधारी
16. राम सागर
17. साजनगढ़
18. सरिस्का (टी आर)
19. सवाई मानसिंह
20. शेरगढ़
21. सीतामाता
22. ताल छप्पड़
23. तोड़गढ़ रवली
24. वन विहार

सिक्किम

1. बरसे (रोडोडेनड्रोन)

2. फोम गुगला
3. क्योंग गोसला अल्पाइन
4. मायनाम
5. शिंगबा (रोडोडेनड्रोन)
6. पांगोलाखा

तमिलनाडु

1. अन्नामलाई (इंदिरा गांधी)
2. चित्रांगुड़ी
3. कालाकाड टाइगर रिजर्व
4. कांजीरांगकुलम
5. कारावेती
6. कारीकिल्ली
7. कोन्थानकुलम/कंडाकुलम
8. मेलासानावनूर किलसेलवनूर
9. मुंडनमुनाई
10. मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व
11. प्वाइंट कैलीमेर
12. पुलीकैट वर्ड
13. श्रीविल्लीपुत्थूर ग्रिजल्ड स्कवरल
14. उडाया मारथंड पुरम
15. वाडुवूर
16. वालनाडू ब्लैक बर्थ
17. वेदनथांगल बर्ड
18. विलाड बर्ड (डब्ल्यू एल एस)
19. वेटांग गुडी
20. वेटांग गुडी पट्टी

त्रिपुरा

1. गुमटी
2. रोआ
3. सिपाहीजाला
4. तृष्णा

उत्तर प्रदेश

1. बखीड़ा
2. चन्द्रप्रभा
3. हस्तिनापुर
4. कैमूर
5. कतरनिया घाट
6. किशनपुर
7. लाखबाऊसी
8. मागीरसामी
9. नेशनल चम्बल
10. नवाबगंज
11. ओखला
12. पार्वती आरगा
13. पटना
14. रानीपुर
15. समान
16. समसपुर
17. सांडी
18. स्वहागी बारवा
19. सुहेलवा
20. सुराहताल
21. सुरसरोवर
22. टर्टल
23. विजयसागर

उत्तरांचल

1. अस्कोट
2. बिनसार
3. गोबिन्दपशु विहार
4. केदारनाथ
5. मसूरी
6. सोना नदी

पश्चिम बंगाल

1. बल्लावपुर
2. केतुहदारी
3. बक्सा (टाइगर रिजर्व)
4. चपरामरी
5. हल्लीडे
6. जलदापाड़ा
7. जोरेपोखरी
8. लोथियांग आईलैंड
9. महानंदा
10. नरेन्द्रपुर
11. विभूति भूषण (परमदान)
12. रायगंज
13. रमनबागान
14. सजनाखाली
15. सेनचाल

विवरण-V

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 2002–03 के दौरान राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को जारी निधि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी निधियां		
		राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभ्यारण्यों का विकास	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.75	एन.ए.	एन.ए.

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	82.72	50.00	21.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	97.69	35.00	35.875
4.	असम	133.25	108.00	65.70
5.	बिहार	00	एन.ए.	25.00
6.	चंडीगढ़	14.00	एन.ए.	एन.ए.
7.	छत्तीसगढ़	74.05	एन.ए.	32.48
8.	दादरा और नगर हवेली	15.25	एन.ए.	एन.ए.
9.	गुजरात	67.07	एन.ए.	एन.ए.
10.	हरियाणा	18.75	एन.ए.	एन.ए.
11.	हिमाचल प्रदेश	91.30	एन.ए.	एन.ए.
12.	जम्मू--कश्मीर	99.90	एन.ए.	एन.ए.
13.	झारखंड	29.89	45.00	18.00
14.	कर्नाटक	515.83	80.00	175.705
15.	केरल	147.55	111.88	63.75
16.	मध्य प्रदेश	191.13	एन.ए.	637.798
17.	महाराष्ट्र	168.20	एन.ए.	404.287
18.	मणिपुर	64.50	00	एन.ए.
19.	मेघालय	40.25	41.00	एन.ए.
20.	मिजोरम	208.20	00	98.32
21.	नागालैंड	107.84	49.00	एन.ए.
22.	उड़ीसा	78.45	98.928	32.88
23.	राजस्थान	229.48	एन.ए.	294.92
24.	सिक्किम	116.45	एन.ए.	एन.ए.
25.	तमिलनाडु	136.11	71.20	125.00
26.	त्रिपुरा	89.89	3.00	एन.ए.
27.	उत्तर प्रदेश	131.31	एन.ए.	32.75
28.	उत्तरांचल	76.79	82.00	168.00
29.	पश्चिम बंगाल	161.46	86.47	168.33
	कुल	3208.06	861.478	2399.895

एन.ए. : उपलब्ध नहीं है।

लम्बित विकासीय परियोजनाएं

1857. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :
प्रो. दुखा भगत :
श्री आर. एल. जालप्पा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में स्वीकृत/शुरू की गई पर्यावरण और वन क्षेत्र संबंधी विभिन्न विकासीय परियोजनाओं/योजनाओं का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित/नियुक्त निधियों का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है तथा किस हद तक उनका उपयोग किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं/योजनाओं के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का परियोजनावार/योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में प्राप्त उन नए प्रस्तावों और परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं तथा ये किस वर्ष से लंबित हैं;

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुपालन के संबंध में अपना निर्णय दिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत चालू वर्ष एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग, तापीय वैद्युत, खनन, नदी घाटी और पन बिजली एवं अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में कुल 473 विकासात्मक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्षवार एवं राज्यवार अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या का स्थूल ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 350 से अधिक बड़े प्रस्ताव, जिनमें 20 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि का वनेतर उपयोग शामिल है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी हेतु प्राप्त हुए थे। इनमें से 194 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई थी, 14 को अस्वीकृत कर दिया गया था, 6 को सूचना के अभाव के कारण रद्द कर दिया गया था, 23 को लौटा दिया/राज्यों द्वारा वापिस ले लिया गया था और इस समय 33 मामले मंत्रालय के विचाराधीन हैं और 81 प्रस्तावों के बारे में राज्यों से ब्यौरे मांगे गए हैं। पिछले तीन वर्षों में वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण–II में है।

(ख) से (घ) जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय और/या वानिकी मंजूरी प्रदान की जाती है उन परियोजनाओं के प्रस्तावकों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है जो इसके लिए आवश्यक राशियों का प्रबंध करते हैं। मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय/वानिकी मंजूरी प्रदान करते समय जो शर्तें लगाई जाती हैं उनकी मानीटरिंग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।

(ङ) इस समय 138 प्रस्ताव पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित हैं जिनका मुख्य कारण पूरी सूचना प्राप्त न होना है। 24 फरवरी, 2003 तक की स्थिति के अनुसार लंबित प्रस्तावों का राज्यवार स्थूल ब्यौरा भी विवरण II और III में दिया गया है। इस समय 33 बड़े प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

(च) प्रायः परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय पूरी सूचना प्राप्त होने से 90 दिनों के भीतर ले लिया जाता है।

(छ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय–समय पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के बारे में आदेश जारी किए हैं जो मुख्यतः प्रतिपूरक वनीकरण करने, वनभूमि पर अतिक्रमण को विनियमित करने पर रोक, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों को आरक्षण के बाहर करने पर रोक से संबंधित हैं जिन पर न्यायालय आदि की अनुमति के बिना कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है।

विवरण-I

चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क. पर्यावरणीय मंजूरी

क्र.सं.	राज्य	2000	2001	2002	2003 (24 फरवरी, 2003 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18	16	18	4
2.	असम	–	–	1	–
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	3	–
4.	अरुणाचल प्रदेश	4	1	–	–
5.	बिहार	3	4	–	–
6.	छत्तीसगढ़	–	4	6	–
7.	दिल्ली	1	–	1	–
8.	गोवा	4	6	–	–
9.	गुजरात	17	9	8	2
10	हरियाणा	2	4	3	1
11.	हिमाचल प्रदेश	2	2	3	–
12.	झारखंड	–	–	1	–
13.	कर्नाटक	10	10	9	2
14.	केरल	3	7	–	1
15.	लक्षद्वीप	–	–	1	–
16.	मध्य प्रदेश	3	1	5	1
17.	महाराष्ट्र	15	19	27	4
18.	मेघालय	–	2	–	–
19.	मिजोरम	–	2	–	–
20.	उड़ीसा	2	4	7	–
21.	पांडिचेरी	–	1	–	–
22.	पंजाब	4	2	5	–
23.	राजस्थान	7	5	10	–
24.	तमिलनाडु	22	31	36	16
25.	त्रिपुरा	–	1	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	9	8	–	–
27.	उत्तरांचल	2	1	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	5	1
29.	अन्य	7	3	6	1
	कुल	139	146	155	33

विवरण-II

2000–2002 (31.1.2003 तक) के दौरान वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों, जिनमें 20 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि का अन्यत्र प्रयोग शामिल है, की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त किए गए प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	सूचना के अभाव में अस्वीकृत	राज्यों से लौटाए/ वापिस ले लिए गए	मंत्रालय के पास विचाराधीन	राज्यों से मांगा गया विस्तृत ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	2	0	0	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	18	1	0	0	0	2
3.	आंध्र प्रदेश	18	10	1	0	2	2	3
4.	अंडमान और निकोबार	4	1	1	0	0	0	2
5.	बिहार	4	3	0	0	1	0	0
6.	चंडीगढ़	1	1	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	28	6	0	0	1	2	19
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
10.	गोवा	14	0	0	0	0	0	14
11.	गुजरात	7	3	0	0	2	2	0
12.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	11	6	0	0	1	1	3
14.	झारखंड	12	7	0	1	0	1	3
15.	कर्नाटक	28	18	1	1	1	5	2
16.	केरल	6	1	0	1	0	1	3
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	1	1	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	27	12	1	0	1	8	5
20.	महाराष्ट्र	68	42	3	0	4	5	14
21.	मिजोरम	2	2	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	5	0	0	0	0	0	2
23.	उड़ीसा	28	19	1	2	3	1	2
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
25.	राजस्थान	13	6	1	0	1	3	2
26.	तमिलनाडु	3	2	1	0	0	0	0
27.	त्रिपुरा	14	11	2	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	उत्तर प्रदेश	13	10	1	0	1	1	0
29.	उत्तरांचल	23	15	0	0	5	0	3
30.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	1
	योग	354	194	14	6	23	33	81

विवरण-III

24 फरवरी, 2003 तक पर्यावरणीय मंजूरी हेतु शेष परियोजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रतिक्षारत प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	असम	1
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
4.	अरुणाचल प्रदेश	1
5.	बिहार	–
6.	छत्तीसगढ़	4
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	27
10.	हरियाणा	2
11.	हिमाचल प्रदेश	–
12.	जम्मू–कश्मीर	1
13.	झारखंड	1
14.	कर्नाटक	9
15.	केरल	3
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	2
18.	महाराष्ट्र	25
19.	मणिपुर	–
20.	मेघालय	–
21.	मिजोरम	–
22.	उड़ीसा	2
23.	पांडिचेरी	1
24.	पंजाब	–
25.	राजस्थान	4
26.	सिक्किम	–
27.	तमिलनाडु	16
28.	त्रिपुरा	–
29.	उत्तर प्रदेश	5
30.	उत्तरांचल	–
31.	पश्चिम बंगाल	6
32.	अन्य	3
	योग	138

[अनुवाद]

जलचर पालन क्षेत्र में मूल्यों में तीव्र उतार-चढ़ाव

1858. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जलचर पालन संबंधी क्षेत्र मूल्यों में तीव्र उतार–चढ़ाव से जूझ रहा है जिसके परिणामस्वरूप मछुआरों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एवं मत्स्यन विभाग मछुआरों का संरक्षण करने में असमर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो देश में जलचर पालन क्षेत्र का संरक्षण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जलकृषि में कीमतों में किसी भारी उतार–चढ़ाव की खबर नहीं है जिससे गंभीर हानि हो रही हो। तथापि, अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रसंस्कृत झीगों की कीमत में उतार–चढ़ाव आ रहा था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने के उद्देश्य से बाजार संवर्धन प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा देश में जल कृषि के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं–आर्टिमिया साइस्ट पर आयात शुल्क में कमी, सतत कृषि प्रणालियों पर जलकृषि किसानों को प्रशिक्षण और आदानों का पैकेज, जल परीक्षण किटों का वितरण, रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, एंटी–बायोटिक अपशिष्टों के लिए मोबाइल प्रयोगशाला तथा उत्पाद परीक्षण सुविधाएं।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के तहत रिक्त पद

1859. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के तहत इन विभागों और उपक्रमों में काम कर रहे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई और नई भर्तियां भी की गई हैं,

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न श्रेणियों के तहत की गई भर्तियों का वर्ष–वार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.ज./अ.ज.जा. के लोगों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय कि गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) से (च) कृषि एवं उद्योग मंत्रालय 1.9.2001 को अस्तित्व में आया। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के कर्मचारियों के संबंध में काडर नियंत्रक प्राधिकरण है और इस प्रकार विभिन्न वर्गों/श्रेणियों के अंतर्गत प्रोन्नतियां और भर्तियां समग्र रूप से की जाती हैं और कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय के लिए विशिष्ट रूप से नहीं की जाती हैं। कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

शीतकालीन खेल परिसर

1860. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आतंकवादियों की वजह से कश्मीर में शीतकाल के दौरान पर्यटन में बढ़ोतरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु देश के अन्य भागों में शीतकालीन खेल परिसरों की स्थापना करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू शीत ऋतु के दौरान शीत पर्यटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एण्ड माउंटेनियरिंग 13 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः शुरू हो गया है। और संस्थान द्वारा दो स्की पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं। राज्य सरकार ने गुलमर्ग की

ओर शीत खेलकूद प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

387

फूलों की घाटी को क्षति

1861. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने, 22 दिसम्बर, 2002 के "द हिन्दुस्तान" में छपी रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरांचल सरकार को पर्यावरण और फूलों की घाटी को होने वाली संभावित क्षति को रोकने हेतु कार्रवाई करने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रमुख वन्यजीव वार्डन, उत्तरांचल के नोडल अधिकारी ने 'वैली आफ फ्लावर्स' के निकट गोविन्दगढ़–धांगरिया रोड के निर्माण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है।

भारतीय तिलहन उत्पादकों को सहायता

1862. श्री नवल किशोर राय : 387-88
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैदावार की तुलना में अमरीका और यूरोपीय देशों में तिलहन उत्पाद सस्ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार तिलहन उत्पादकों को कितनी राजसहायता दी जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कुछ तिलहन उत्पाद स्वदेशी तिलहन उत्पादों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हैं। भारत में इन तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता निम्नलिखित कारणों से काफी कम है :

(1) तिलहन अधिकतर वर्षासिंचित परिस्थितियों में उगाए जाते हैं।

(2) तिलहन छोटे और मार्जिनल किसानों द्वारा उगाए जाते हैं।

(3) तिलहन बहुत से कृमियों और रोगों से प्रवृत्त हैं।

इसके अलावा संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों में तिलहन उत्पादन बहुत अधिक राजसहायता प्राप्त हैं।

(ग) और (घ) तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए 28 राज्यों में 408 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न आदानों जैसे बीजों के उत्पादन और वितरण बीज मिनिकिटों के वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सैटों, राइजोबियम कल्चर और सूक्ष्म पोषकों के वितरण आदि पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों में उत्पादन प्रौद्योगिकी की प्रचार–प्रसार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

322 – 89

कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट

1863. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरवाट आ रही है जबकि कृषि उत्पादन की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

(ख) क्या सरकार द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध

उठाए लिए जाने के पश्चात देश में सस्ते कृषि उत्पादों की बाढ़ सी आ गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का किसानों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या देश में लंबित कृषि योजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि हेतु योजना परिव्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) 1993–94 = 100 आधार वर्ष के साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) के अनुसार 8 फरवरी, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान गैर–कृषि जिंसों के लिए 4.8 प्रतिशत की तुलना में कृषि जिंसों के लिए थोक मूल्य सूचकांक में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001–02 की संगत अवधि के दौरान कृषि जिंसों के लिए थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि गैर–कृषि जिंसों के संबंध में 0.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक होकर 3.6 प्रतिशत थी। कृषि और गैर–कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों की अनुक्रमणिका के अनुसार (आधार : त्रैवार्षिक समाप्ति 1990–91) यद्यपि व्यापार की शर्तों की अनुक्रमणिका में उतार–चढ़ाव आ रहा है, वर्ष 1991–92 से 2000–01 के दौरान अनुक्रमणिका 100 से ऊपर रहा जो कि दर्शाता है कि व्यापार की शर्तें कृषि के अनुकूल रही हैं।

(ख) और (ग) देशीय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से आयात का निरंतर प्रबोधन किया जा रहा है। मूल्य की दृष्टि से खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और फलों तथा सब्जियों को कवर करते हुए अन्य के साथ, संवेदनशील मदों के आयात ने अप्रैल–नवम्बर, 2001 की तुलना में अप्रैल–नवम्बर 2002 के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। संवेदनशील मदों के आयात में वृद्धि में सहायता करने वाले प्रमुख घटक खाद्य तेलों के आयात के मूल्य में वृद्धि रही है जिसने घरेलू उपलब्धता और मांग के बीच अंतराल को भरने की मदद की है। खाद्य तेल आयात की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कच्चे पाम आयल का आयात बढ़ गया है और परिष्कृत पाम आयल का कम हो गया है जिससे देश संसाधन क्षमता के बेहतर उपयोग की ओर बढ़ा है।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित वर्ष 2003–04 के लिए प्लान स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु लगभग 3290 करोड़ रु. के प्रस्तावित परिव्यय की तुलना में 2167 करोड़ रु. का परिव्यय योजना आयोग से मंजूर किया है।

[हिन्दी]

सीकरी का रख-रखाव

1864. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत मुखर्जी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 दिसंबर, 2002 के नवभारत टाइम्स के पृष्ठ सात पर "फतेहपुर सीकरी की दुर्दशा देख निराश हुए यूनेस्को प्रतिनिधि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यूनेस्को द्वारा फतेहपुर सीकरी के पुनरुद्धार के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है और किस तिथि को इस प्रकार की धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, यह समाचार सही नहीं है। उप–निदेशक, विश्व दाय केन्द्र ने यूनेस्को के एक परामर्शक के साथ फतेहपुर सीकरी का दौरा किया था तथा महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारकों तथा उस स्थल का निरीक्षण किया था जहां एक पर्यटक सुविधा केन्द्र तथा एक पार्किंग स्थल के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने केवल यह सुझाव दिया कि विकास गतिविधियों से विश्व दाय स्थल की संपूर्णता तथा प्रमाणिकता में दखल नहीं होना चाहिए, जिसे, किसी भी स्थिति में, सदैव ध्यान में रखा जाता है।

(ग) फतेहपुर सीकरी के पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को ने कोई धनराशि नहीं प्रदान की है।

(घ) एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम, अपेक्षित संरचनात्मक मरम्मत कार्यों, पर्यावरण का विकास करने के लिए, तैयार किया गया है तथा शापिंग प्लाजा, कार पार्किंग, निर्वचन तथा प्रलेखन केन्द्र को विकसित करने के लिए एक महा योजना तैयार की गई है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रबंधन और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी नए नियम

1865. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रबंधन संबंधी नए नियमों के मद्देनजर वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार कृषि वस्तुओं के लिए वर्तमान मूल्य नीति को जारी रखना चाहती है जो प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर विचार करती है और राज्य सरकार द्वारा चिन्हित अन्य एजेंसियों के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.), भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.), राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी परिसंघ (नेफेड) और तंबाकू बोर्ड, आदि सार्वजनिक एवं सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद प्रचालनों का आयोजन करती है। कृषि जिंसों के लिए मूल्य नीति पर निरन्तर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यकता महसूस होती है, आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

गैर-संगठित श्रमिक

1866. श्री शिवाजी माने :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संगठित दैनिक और स्थाई मजदूरों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं है तथा वे अपने बुढ़ापे में कोई सहारा प्राप्त नहीं कर पाते;

(ग) यदि हां, तो क्या दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने उनके बुढ़ापे संबंधी प्रावधानों हेतु कुछ प्रभावी उपाय सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999-2000 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में लगभग 36.9 करोड श्रमिक हैं जिनमें से 23.7 करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं।

(ख) कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 1.7.2001 से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित की है। बीड़ी श्रमिकों, गैर-कोयला खान श्रमिकों तथा सिने श्रमिकों आदि जैसी कतिपय श्रेणियों के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं।

(ग) तथा (घ) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक व्यापक विधान की सिफारिश की है। सरकार का विचार चालू बजट सत्र में एक विधेयक लाने का है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

मोर के पंखों का अवैध व्यापार

1867. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोर के पंख बेचने वाले पंखों के शाफ्ट को काट देते हैं ताकि शाफ्ट में जिससे मोर के मारे जाने का पता चलता है, छिप जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार में उपलब्ध पंखों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शाफ्ट के बिना मोर के पंखों को बेचने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (घ) देश के अधिकांश क्षेत्र में मोर पाए जाते हैं। हर वर्ष मोर की पूंछ के पंख प्राकृतिक तौर पर झड़ते हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा धार्मिक और अन्य प्रयोजनों के लिए उन्हें एकत्र कर लिया जाता है। कीटनाशों से उपचारित बीजों का उपभोग करने के कारण मोरों की मृत्यु की घटनाएं और अधिकांशतः मांस के

लिए मोरों के अवैध शिकार के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। तथापि, ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि मोर के पंखों को केवल प्राप्त करने के लिए ही उनको मारा जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और कानून लागू करने वाले अभिकरणों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि खून के धब्बों को छिपाने के लिए बिक्री से पहले मोर की पूंछ के पंखों की शाफ्ट काट दी जाती है। मोर की पूंछ के पंखों का कोई व्यवस्थित बाजार नहीं है। शाफ्ट–कटे मोर की पूंछ के पंखों की बिक्री के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

एच आर क्वायल की कीमतें

1868. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत अप्रैल से एच आर क्वायल की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत की 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मूल्य वृद्धि ने संबंधित उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति पर काबू पाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं। इस्पात क्षेत्र के विकेन्द्रीकरण तथा उदारीकरण के पश्चात, खुले बाजार में कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसमें उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। सरकार की कीमतों के ऐसे संचालन में कोई भूमिका नहीं है।

राष्ट्रीय जल नीति

1869. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति में गैर–सरकारी संगठनों के विचारों को अंतर्विष्ट करने हेतु विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय में राष्ट्रीय जल नीति में गैर–सरकारी संगठनों के विचारों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञों की किसी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अगस्त–अक्तूबर, 2002 के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर सात कार्यशालाओं का आयोजन करके गैर–सरकारी संगठनों के साथ राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई योजना पर विचार–विमर्श किया गया था। इन कार्यशालाओं में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

भर्ती एजेन्सियों के शिकार

1870. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बेहतर भविष्य की खोज में कतर गए मजदूरों को भारत में भर्ती एजेन्टों द्वारा उत्पीड़ित किया गया है जिन्होंने उन्हें दीर्घावधि वीजा की जगह अल्पावधि वीजा दे दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में हुए विचार–विमर्श के दौरान इस मुद्दे को जोर–शोर से उठाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की जांच करने और उन्हें वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) सरकार को कतर में नियोजित कामगारों से प्रतिज्ञात दीर्घावधि वीजाओं के बजाय अल्पावधि वीजा दिए जाने के बारे मसय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान खाड़ी क्षेत्र में अनिवासी भारतीय नागरिकों से संबंधित मामलों को सामान्य तौर पर उठाया गया था।

(ङ) जब कभी अनियत वीजाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास एवं कतर की संबंधित कंपनी के साथ उठाया जाता है। यदि कंपनी, समस्या का समाधान करने में असफल रहती है, तो

मामले को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कतर के समुचित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

कावेरी नदी के जल प्रवाह में कमी

1871. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों से तमिलनाडु में कावेरी नदी में जल प्रवाह भारी मात्रा में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल जल प्रवाह का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कावेरी के वर्तमान जल स्रोतों और सहायक नदियों में गाद जमा हो गया है और उन्हें गाद मुक्त किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित व वितरित और उपयोग में लाई गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) कावेरी नदी पर तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में जल वर्ष 1980–81 से 1989–90 के दौरान औसत अन्तर्प्रवाह 229.16 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी फीट) था। इसकी तुलना में तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में जल वर्ष 1992–93 से 2001–2002 के दौरान औसत अन्तर्प्रवाह 261.9 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी फीट) है।

(ग) से (ङ) दूसरी नदियों की तरह कावेरी नदी में भी गाद जमा होती है। कावेरी डेल्टा में नदियों, नालियों और चैनलों में बाढ़ आने के कारण, विशेष तौर पर गाद जमा होती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान कावेरी डेल्टा की गाद हटाने पर तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नुसार है

वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपए लाख में)
1999–2000	924.42
2000–2001	264.07
2001–2002	60.60

व्यय में कटौती

1872. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने व्यय में कटौती करने और मिव्ययिता के उपायों को अपनाने संबंधी सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वर्ष प्राप्त परिणाम का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) एयर अंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ने मिव्ययिता संबंधी उपाय लागू किए हैं और व्यय में कटौती संबंधी कदम उठाए हैं। एयर इंडिया द्वारा किए गए उपायों में रिक्त पदों को समाप्त करना, सेवानिवृत्ति की आयु को कम करना, विदेशी स्टेशनों के आकार को छोटा करना व इन्हें बन्द करना, एजेंसी कमीशन को कम करना आदि शामिल हैं। इसी तरह, इंडियन एयरलाइंस द्वारा किए गए उपायों में भर्ती पर प्रतिबंध, ओवर टाइम भुगतान में कमी, फ्यूल टैंकरिंग, सामग्री खपत में बचत, सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करना आदि शामिल हैं।

(ग) परिणामस्वरूप, एयर इंडिया और इंडियन एयर–लाइन्स ने वर्ष 2001–2002 के दौरान क्रमशः 23.68 करोड़ तथा 73 करोड़ रुपए की बचत की है।

[हिन्दी]

विशिष्ट प्रदर्शन कला परियोजनाएं

1873. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) "विशिष्ट प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" के अंतर्गत उनके मंत्रालय द्वारा कौन–कौन से कार्यक्रम, गतिविधियां और योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, दिनांक 1.4.1998 से आज की तिथि तक उक्त कार्यक्रमों, गतिविधियों और योजनाओं के लिए प्रदान की गई सहायता का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) "विशिष्ट प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और

व्यक्तियों को वित्तीय सहायता'' स्कीम के अंतर्गत रंगमंच समूहों, संगीत मण्डलियों तथा प्रदर्शन कला की सभी विधाओं के एकल कलाकारों को, गुरु शिष्य परंपरा को प्रोत्साहित करने और प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए अनावर्ती तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य ब्यौरे संस्कृति विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसे प्रति वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत किया गया व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	योजना	गैर–योजना
1998–1999	477.84 लाख रु.	90.43 लाख रु.
1999–2000	641.85 लाख रु.	99.90 लाख रु.
2000–2001	729.46 लाख रु.	99.23 लाख रु.
2001–2002	709.00 लाख रु.	94.68 लाख रु.
2002–2003*	755.40 लाख रु.	–

*ये आंकडे वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने के लिए अनुमोदित व्यय सहित आज तक के हैं।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा ऋण देना

1874. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री के. येरननायडू :
श्री किरीट सोमैया :

397-98

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड राज्य सहकारिताओं को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दे रहा है जबकि सहकारी बैंक 16–18 प्रतिशत की दर पर कृषि ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों हेतु दिए गए ऋण की ब्याज दर कृषि ऋण से कहीं कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि ऋण पर ब्याज दर घटाकर उसे औद्योगिक और व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज दर के समकक्ष लाने का है';

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) अल्पावधिक मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) ऋणों के लिए नाबार्ड सहकारी बैंकों को 5.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कराता है। तथापि, पुनर्वित्त सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का लगभग 22 प्रतिशत ही है। सहकारी बैंकों को अन्य महंगे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। दूसरे, नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त करता है जिन्हें और आगे कुछ अंश रोककर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दिया जाता है। किन्तु अन्ततः कर्जदार से 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत की सीमा के बीच ब्याज दर चार्ज की जाती है।

(ग) और (घ) उद्योग और व्यापार उद्देश्यों के लिए ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर कुछ मामलों में कम है। इसका मुख्य कारण कम जोखिम महसूस की गई लागत और प्रति इकाई कम पर्यवेक्षण लागत है।

(ङ) से (च) जी, हां। यह मामला कृषि ऋण को तुलनात्मक रूप से कम और सामर्थ्य योग्य ब्याज दरों पर वितरित करने के लिए कृषि मंत्री जी के स्तर पर वित्त मंत्रालय में उठाया गया।

(छ) प्रश्न नहीं होता।

बंगलौर/हैदराबाद विमानपत्तन की व्यवहार्यता

1875. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सईदुज्जमा :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री विनय कुमार सोराके :

398-9

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तकों द्वारा बंगलौर और हैदराबाद के विमानपत्तनों को अव्यवहार्य माना जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण इन परियोजनाओं में विलम्ब होने की संभावना है;

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार बंगलौर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड की दीर्घावधि शून्य ब्याज वाले ऋण की 100 करोड़ रुपए की राशि देने हेतु सहमत हो गई है;

(च) क्या सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण से निजी धनराशि से निर्मित विमानपत्तनों को हटाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के प्रामोटर इन परियोजनाओं को राज्य के उपयुक्त सहयोग के बिना अव्यवहारिक समझते हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य बंगलौर हवाईअड्डे को रियायती दरों पर भूमि व अन्य संबंधित अवसंरचना उपलब्ध कराने के साथ-साथ 400 करोड़ रुपए की राज सहायता के लिए वचनबद्ध है। आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद हवाईअड्डे के लिए दी जाने वाली राज सहायता को अंतिम रूप दिया जाना। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002-03 के बजट में इन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए रियायती पैकेज की घोषणा की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) मौजूदा भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण अधिनियम संघ के सशस्त्र बलों के हवाईअड्डों को छोड़कर बाकी सभी हवाई अड्डों पर लागू होता है।

संसद के चालू सत्र में एक व्यापक संशोधन बिल लाने का प्रस्ताव है, जो सुरक्षा और विमान यातायात नियंत्रण के मामले छोड़कर अन्य बातों के साथ-साथ निजी हवाईअड्डों को मौजूदा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम की परिधि से बाहर रहने का प्रावधान उपलब्ध कराएगा।

रेल पटरियों का उत्पादन

1876. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को वर्ष 2002-2003 के दौरान रेल विभाग से रेल पटरियों के उत्पादन हेतु आदेश मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेल द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भारतीय इस्पात उद्योग मूल्यों में वृद्धि के कारण संकट की लंबी अवधि से उबर गया लगता है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना उपलब्ध कराना कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

(ग) सेल ने आर्डर की 80 प्रतिशत मात्रा सप्लाई की है और आर्डर तथा बकाया मात्रा को शेष अवधि के दौरान सप्लाई करने की योजना है।

(घ) लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों के मूल्यों में वृद्धि होने से भारतीय इस्पात उद्योग, जो काफी समय से विकट परिस्थिति में चल रहा था, को उबरने की आशा है।

संकटापन्न प्रजातियों पर बांध निर्माण के प्रभाव

1877. श्री अम्बरीश : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय उद्यानों और पक्षी अभयारण्यों के निकट निर्मित बांधों और जलाशयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सूचना एकत्र की जाएगी और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जनवरी, 1994 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक (जिसे बाद में जून, 2002 के दौरान संशोधित करके 100 करोड़ रुपए किया गया) लागत वाली जल विद्युत, वृहद सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति कानूनी तौर पर अनिवार्य है। इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है। इन सुरक्षा उपायों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय

के अंतर्गत नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरणीय मानीटरी समिति पूरे देश में जल संसाधन परियोजनाओं की मानीटरी करती है। विभिन्न राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समितियां इस समिति की सहायता करती हैं।

रुग्ण चीनी मिलें 401

1878. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने कर्नाटक में रुग्ण चीनी मिलों को वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा कर्नाटक में कितनी चीनी मिलों को सहायता उपलब्ध कराई गई है और प्रत्येक रुग्ण चीनी मिल को कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) नाबार्ड में वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक में रुग्ण चीनी मिलों से संबंधित लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह रुग्ण या किसी भी प्रकार की चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता।

401-03

वर्षा जल का संचयन

1879. श्री के. पी. सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु प्रत्येक राज्य में कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं; और

(ग) वर्षा जल संयचन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी सहायता स्वीकृत/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, वर्षा जल संचयन सहित जल संसाधनों के संवर्द्धन के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण एवं निष्पादन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देशभर में छत के वर्षा जल संचयन सहित वर्षा जल संचयन और जन-जागरूकता कार्यक्रम पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

नौवीं योजना के दौरान, "भूजल पुनर्भरण अध्ययन" पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत देश में प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की थीं। इस स्कीम के अंतर्गत, 35.81 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए कुल 174 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। इन स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या एवं आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की "भूजल पुनर्भरण अध्ययन" स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या एवं आवंटित निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	आवंटित निधियां (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55
2.	असम	1	63.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	20.00
4.	बिहार	2	10.52
5.	गुजरात	3	20.05
6.	हरियाणा	8	107.17
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65
8.	झारखंड	5	25.73
9.	जम्मू-कश्मीर	8	78.96
10.	कर्नाटक	2	43.30
11.	केरल	13	88.18
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	4	126.63
14.	मेघालय	1	20.32
15.	मिजोरम	1	28.00
16.	नागालैंड	3	116.43
17.	उड़ीसा	8	1473.54
18.	पंजाब	17	361.92
19.	राजस्थान	18	135.66
20.	तमिलनाडु	10	176.41
21.	उत्तर प्रदेश	10	142.57
22.	उत्तरांचल	1	2.00
23.	पश्चिम बंगाल	7	156.99
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	18	96.07
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	12.92
26.	लक्षद्वीप	2	19.85
27.	चंडीगढ़	7	64.23
	कुल	174	3581.00

[हिन्दी]

बिहार में जड़ी-बूटियों की खेती

1880. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में जड़ी बूटियों की खेती कराने और वहां उससे संबंधित उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय कृषि में वृहत प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों को संपूरण/अनुपूरण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी महसूस की गई जरूरतों जिनमें औषधीय तथा सुगन्धदायक पौधों की खेती शामिल है, के अनुसार विकासात्मक कार्यक्रम चला सकती हैं। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर को इस स्कीम के अंतर्गत जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना/रख–रखाव और नर्सरी केन्द्रों की स्थापना/रख–रखाव जैसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता मुहैया की जा रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड भी बिहार सहित देश में जड़ी–बूटी, औषधीय पौधों की खेती के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कपास का उत्पादन

1881. श्री परसुराम माझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी की जांच से यह बात सिद्ध हो गई है कि उड़ीसा के कुछ क्षेत्र विशेषकर केबीके जिले कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के इस क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कपास उत्पादन के अंतर्गत और क्षेत्रों को लाने हेतु कपास उत्पादकों को क्या सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कपास पैदावार को किसानों के बीच प्रचारित करने के लिए कपास पर आधारित प्रौद्योगिकी अभियान के मिनी मिशन–II के तहत सघन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना उड़ीसा समेत देश के 13 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों को कुल 64.00 लाख रुपए आवंटित किए गए थे जिसमें से 45.00 लाख रु. मुख्य रूप से वर्ष 2002–03 के दौरान केबीके जिलों में उपयोग के लिए निर्धारित किए गए।

(ग) योजना के तहत, उत्पादन प्रौद्योगिकी पर आधारित निर्देशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, समेकित कीट प्रबंधन और किसानों/विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण और किसानों

को आदानों की आपूर्ति जैसे बीज, स्प्रेयर, जैव–कारक, फिरोमोन ट्रैप और पानी बचाने वाले यंत्र जैसे स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में राज्यों को आवंटित धनराशि निम्नवत है :

(रुपए लाख में)

वर्ष	आवंटन
2000–01	144.45
2001–02	219.49
2002–03	64.00

सब्जी खरीद केन्द्रों की स्थापना

1882. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आलू, टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों के दामों में भारी गिरावट के कारण छोटे किसानों ने कर्नाटक के कोलार, बंगलौर और हासन शहरों में आंदोलन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में उचित मूल्यों पर कुछ सब्जी खरीद केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

405 - 07

दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग और उत्पादन

1883. श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान दूध और दुग्ध उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा के दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया गया है और इसका मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूध का उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई व्यापक योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2002–2003 के लिए प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन 88 मिलियन टन है। दूध की मांग/आवश्यकता के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के लिए दुग्ध उत्पाद का निर्यात निम्नानुसार है :

मात्रा : मीट्रिक टन
मूल्य : करोड़ रुपए

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1999–2000	6134.42	37.21
2000–2001	11068.86	83.90
2001–2002	24773.13	182.45

(घ) जी, हां। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एपिडा कदम उठा रहा है।

(ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात/गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 के तहत मानक निर्धारित किए गए हैं। संयंत्रों के निरीक्षण और स्वीकृति के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2. भारत के हित प्रतिलक्षित हों, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कोडेक्स एलीमेंट्रेयस आयोग द्वारा मानक तैयार करने के लिए विचार–विमर्श में नियमित योगदान।

3. इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना, एचएसीसीपी, आईएसओ–9000 आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली के क्रियान्वयन, पैंकिंग विकास, बाजार

विकास, आदि के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. भारतीय उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापार मेलों में भागीदारी।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान द्वारा सेमिनार का आयोजन

407

1884. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलंबो स्थित अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में भारत में एक सेमिनार का आयोजन कर भारत की जल संरक्षण संबंधी समस्याओं पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों की राय में भारत में भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की मेगा परियोजना के गंभीर दुष्परिणाम होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार इस मेगा परियोजना की लागत 5,76,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इसकी परिपक्वता अवधि 40 वर्ष होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सेमिनार में यह निष्कर्ष निकला कि भारत को अव्यवहार्य मेगा परियोजनाओं के स्थान पर छोटे/स्थानीय हल निकालने चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के निकट हों; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) प्रश्न के उत्तर के लिए सूचना एकत्र की जा रही है एवं इसे सदन के सभा पटल रख दिया जाएगा।

उत्पादन दर

1885. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
प्रो. दुर्गा भगत :

407-09

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के सिंचित और असिंचित भूमि की उत्पादन दर में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो सिंचित भूमि की औसत उत्पादन दर कितनी है;

(ग) असिंचित भूमि की औसत उत्पादन दर के संबंध में क्या अनुमान है; और

(घ) सिंचित और असिंचित भूमि का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ प्रमुख फसलों के लिए सिंचित और गैर-सरकारी सिंचित भूमि पर उत्पादन की औसत दर नीचे तालिका में दी गई है :

उत्पादकता कि.ग्रा. प्रति हे. में

फसल	असिंचित भूमि पर	सिंचित भूमि पर
चावल	951	2421
मोटे अनाज	88	1524
तिलहन	538	766
दलहन	746	919
कपास	177	315

(घ) कृषि उत्पादन और उत्पादकता को सुधारने के उद्देश्य से पनधारा विकास परियोजनाओं की प्रोन्नति, पूर्वी भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रोन्नति पर बल देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय, बाजार सूचना नेटवर्क, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि जैसी सरकार ने कई पहलें की हैं। इसके अलावा मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार किसानों को प्रोत्साहन देती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी हस्तक्षेप योजनाएं शामिल हैं। इन सबके अलावा राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए वृहत प्रबंध पद्धति भी सरकार द्वारा अपनाई गई है जो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित उनके सामने आ रही विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाने और विभिन्न योजनाओं के घटकों की पुनरावृत्ति को दूर करने तथा कृषि के संपूर्ण विकास को लक्षित करने में राज्यों को लोच प्रदान करती है।

भारत फ्रांस द्विपक्षीय समझौता

1886. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में भारत–फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले पर हाल ही में कोई उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) भारत ने 16 जुलाई, 1947 को फ्रांस के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। हवाई सेवाओं संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर की अंतिम दौर की बातचीत दिल्ली में 25–26 नवंबर, 1997 को हुई थी। इन चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों के लिए कैपेसिटी इन्टाइटलमेंट, मार्ग अनुसूची, कोड–शेयरिंग, कार्गो सेवाएं तथा एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और एयर फ्रांस के बीच सहयोग पर चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

खजुराहो के खंडहरों से प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी

409–10

1887. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खजुराहो के खंडहरों के प्राचीन कलाकृतियों की बड़े पैमाने पर तस्करी रोकने हेतु पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। सरकार ने खजुराहो में एक पुरातात्विक संग्रहालय के निर्माण को अनुमोदित किया है जिसमें उन पुरावशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास हैं। खजुराहो के केन्द्रीय संरक्षित क्षेत्र से चोरी के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) खजुराहो में 2.234 हेक्टेयर माप का एक भूमि का टुकड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है।

इस समय ग्रिल सहित एक चारदीवारी निर्माणाधीन है जिसके लिए 31.16 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) खजुराहो में संग्रहालय भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस समय इसके निर्माण की समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि योजनाएं अभी भी बनाई जा रही हैं।

पशुपालन और बागवानी के विकास हेतु लंबित परियोजनाएं

410

1888. डा. बलिराम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश में पशुपालन और बागवानी विभाग से संबंधित लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार का पशुपालन और बागवानी से संबंधित कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बचाव दल का गठन

410–11

1889. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य शुरू करने के लिए बचाव दल के गठन हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल के कुछ भाग सूखा प्रवण हैं और बचाव दल न होने के कारण वहां प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग मरते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे दल का गठन कर उसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय देश के किसी भी भाग में भेजने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग में महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भू-संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा पश्चिम बंगाल में चार जिले कवर किए गए हैं। ऐसी मौतों के संबंध में पश्चिम बंगाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव कृषि और सहकारिता विभाग के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार, झारखंड और राजस्थान के स्मारकों का संरक्षण

1890. **श्री राजो सिंह :**
डा. जसवंतसिंह यादव 411 - 24

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार, झारखंड और राजस्थान में स्मारकों के संरक्षण पर वर्षवार और स्मारकवार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार, झारखंड तथा राजस्थान राज्यों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव एवं संरक्षण पर वर्षवार तथा स्मारकवार किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (2002-2003) में आवंटित निधियां निम्नलिखित हैं;

(आंकड़े लाखों में)

बिहार	90.00
झारखंड	10.80
राजस्थान	114.00

विवरण

राज्य : राजस्थान

क्र.सं.	स्मारक का नाम	तीन वर्षों के दौरान संरक्षण हेतु खर्च की गई राशि		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
	अजमेर जिला			
1.	अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर	22,861	23,797	7,25,000
2.	बादशाही हवेली अजमेर	–	–	35,000
3.	तारागढ़ पहाड़ी का द्वार, अजमेर	10,788	15,087	5,75,000
4.	आना सागर बांध पर संगमरमर मण्डप एवं बुलस्ट्रेड तथा आना सागर बांध के पीछे संगमरमर हमाम के खंडहर, अजमेर	1,75,993	56,285	2,90,000
5.	साहेत बाजार भवन अर्थात बाग, अजमेर	–	–	4,81,000
6.	अब्दुल्ला खान तथा उसकी पत्नी की कब्रें, अजमेर	–	–	4,98,000

1	2	3	4	5
7.	अकबर द्वारा बनवाई गई कोस मीनारें, अजमेर जयपुर रोड	–	–	3,20,000
8.	महल बादशाही, पुष्कर	6,600	5,613	6,40,000
अलवर जिला				
9.	प्राचीन स्थल, भानगढ़	25,03,347	36,79,722	22,94,235
10.	शिव मंदिर, नीलकंठ	9,93,179	9,91,025	21,17,441
11.	लाल मस्जिद, तिजारा	5,27,536	6,55,492	6,64,995
बांसवाड़ा जिला				
12.	शिव मंदिर एवं खंडहर, अर्थुना	2,63,238	93,318	2,32,669
बरल जिला				
13.	मंदिरों के खंडहर, अतरू/गणेशगंज	43,889	2,35,056	1,21,098
14.	प्राचीन खंडहर एवं संरचनात्मक अवशेष, कृष्णविलास	1,90,754	50,291	1,15,339
15.	पुराना मंदिर, मूर्तियां एवं अभिलेख, शेरगढ़	11,805	7,013	19,940
भरतपुर जिला				
16.	प्राचीन किला एवं इसके स्मारक, बयाना	1,00,000	–	38,415
17.	जहांगीर का द्वारपथ, बयाना	1,00,000	–	–
18.	सिराजुद्दौला, बयाना	1,75,100	14,880	–
19.	उषा मंदिर, बयाना	71,348	11,628	15,250
20.	चौकबुर्ज द्वार एवं चौक बुर्ज तथा अष्टधातु द्वारों पर पहुंचने के पुलों सहित किला दीवारें, भरतपुर	4,41,215	73,563	79,960
21.	डीग भवन (महल), डीग	4,81,835	4,00,594	4,98,673
22.	काठचा बाग, डीग	–	50,950	1,19,894
23.	चौरासी खंभ मंदिर, कानन	7,456	32,287	24,933
24.	यक्ष की विशाल प्रतिमा, नोह	45,769	5,591	2,765
25.	लाल महल, रूपवास	4,298	7,506	3,020
भीलवाड़ा जिला				
26.	महल काल तथा दो अन्य मंदिर, बिजोलिया	20,988	498	9,490
27.	शैल अभिलेख (बारहवीं शताब्दी) बिजोलिया	–	–	25,000

1	2	3	4	5
28.	पारसनाथ मंदिर के अन्दर शैल अभिलेख (बारहवीं शताब्दी) बिजोलिया	–	–	75,000
29.	कनेरी की पुतली के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, खादीपुर	5,454	–	11,040
बूंदी जिला				
30.	महल में स्थित हरदोती स्कूल भित्ति चित्र, बूंदी	1,80,448	1,14,260	70,043
31.	प्राचीन टीला, केशवराय पाटन	–	–	1,337
चित्तौड़गढ़ जिला				
32.	मंदिर समूह, बादोली	14,317	438	25,020
33.	संपूर्ण चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़	3,11,332	6,67,414	14,61,390
34.	महानल मंदिर तथा मठ, मेंटल	1,14,909	97,250	3,13,946
35.	प्राचीन स्थल एवं अवशेष, नागरी	9,000	2,47,400	1,80,741
दौसा जिला				
36.	वाउड़ी, अबनेरी	1,47,013	40,680	58,409
37.	हरसत माता का मंदिर, अबनेरी	28,515	25,331	49,320
38.	बंजारों की छतरी, लालसोट	51,274	50,000	2,24,000
धौलपुर जिला				
39.	बाबर का उद्यान, धौलपुर/झोर	8,448	5,532.	12,090
डूंगरपुर जिला				
40.	सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ	2,74,202	1,74,458	1,49,533
श्री गंगानगर जिला				
41.	प्राचीन टीला, गंगानगर	–	–	19,000
हनुमानगढ़ जिला				
42.	प्राचीन टीला, भद्रकाली	11,331	7,511	–
43.	किला भटनेर, हनुमानगढ़	1,79,519	2,50,708	3,00,000
44.	प्राचीन टीले, कालीबंगन	14,874	–	1,30,000
45.	प्राचीन टीला, कालीबंगा	–	–	49,984
जयपुर जिला				
46.	जामा मस्जिद, आमेर	5,46,522	5,94,250	7,49,000

1	2	3	4	5
47.	लक्ष्मी नारायण मंदिर, आमेर	39,916	42,766	45,000
48.	श्री जगतसिरोमणि मंदिर, आमेर	9,41,449	6,33,176	6,99,000
49.	सूर्य मंदिर, आमेर	–	4,50,000	7,07,009
50.	उत्खनित स्थल, वैरत	4,31,428	8,62,288	1,45,000
51.	उत्खनित स्थल			7,95,410
52.	पुण्डरीक जी की हवेली कक्ष चित्र, ब्रह्मपुरी	2,10,293	59,220	1,19,816
	जैसलमेर जिला			
53.	किला तथा प्राचीन मंदिर, जैसलमेर	18,00,827	39,27,749	12,31,142
54.	प्राचीन स्थल, लोद्रुव पाटन	4,636	26,932	23,990
	झालवाड़ जिला			
55.	बौद्ध गुफाएं एवं स्तम्भ, विन्नायगगा/डाग	14,567	10,685	22,817
56.	बौद्ध गुफाएं, हाठियागोर	13,086	12,243	22,156
57.	चन्द्रभाग के निकट स्थित पुराने मंदिर, झालरापाटन	81,443	81,138	44,399
58.	बौद्ध गुफाएं, स्तम्भ, प्रतिमाएं, कोलवी/डाग	93,196	20,405	61,098
	जोधपुर जिला			
59.	किला, मंडोर	3,66,663	2,82,643	10,74,881
	कोटा जिला			
60.	शिव मंदिर तथा दो अप्रकाशित गुप्त अभिलेख, चारचोमा	11,770	10,080	25,003
61.	मंदिर, किला दीवार एवं मूर्तियां, दारा/मुकंदरा	4,82,438	17,495	5,38,788
62.	मंदिर एवं अभिलेख, कांसवा	1,14,620	42,229	4,97,682
	राजसमंद जिला			
63.	पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष, गिलुंड	3,445	22,800	28,570
64.	सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ किला, कुम्भलगढ़	7,85,354	3,64,226	6,79,391
65.	घाट एवं अभिलेख, मण्डप एवं तोरण, नवचौकी/राजसमंद	78,726	–	49,153
	सवाई माधोपुर जिला			
66.	रणथम्भौर किला	7,42,770	12,53,123	11,00,000

1	2	3	4	5
सीकर जिला				
67.	हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ, सीकर	8,61,770	5,60,958	11,67,122
68.	बीसल देव जी का मंदिर, बीसलपुर	9,128	2,018	1,00,000
69.	हाथी भाटा, खेड़ा/करोरे	1,609	3,212	20,000
70.	किला में उत्खनित स्थल एवं अभिलेख तथा बिचपुरिया मंदिर में युप स्तम्भ, नागर	25,785	3,582	70,000
71.	उत्खनित स्थल, रैर/नेवाई	3,936	4,941	40,000
72.	स्मारक समूह, टोडाराय सिंह	1,08,800	18,665	1,90,000
उदयपुर जिला				
73.	प्राचीन खंडहर, कल्यानपुर	49,349	10,292	14,960
74.	सास बहू मंदिर, नागदा	1,39,186	31,829	59,639
बिहार				
1.	डा. राजेन्द्र प्रसाद का आवासीय मकान	7,39,228.00	31,641.00	17,632
2.	उत्खनित अवशेष, नालंदा	21,74,262.00	25,45,624.00	18,66,429
3.	हसन शाह सूरी का मकबरा, सासाराम	3,19,139.00	21,276.00	6,27,903
4.	उत्खनित अवशेष, कुमराहर	11,39,293.00	5,63,063.00	–
5.	उत्खनित अवशेष, कोलहुआ	4,69,349.00	6,96,256.00	6,22,104
6.	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम	11,60,027	7,61,739.00	7,88,308
7	उत्खनित अवशेष, अन्तिचाक	9,16,516.00	10,34,045.00	13,05,644
8.	बौद्ध अवशेष, राजगिर	4,05,550.00	40,454.00	4,13,126
9.	बौद्ध स्तूप, केसरिया	1,17,869.00	–	2,05,410
10.	रेजे स्तूप, बैशाली	60,680.00	21,793.00	86,821
11.	टूटी मूर्तियां, दतियाना	46,934.00	–	1,91,868
12.	मुखदुमशाह मानेरी का मकबरा, मानेर	51,932.00	–	5,75,510
13.	ग्राहम का मकान, पटना	4,97,909.00	4,21,573.00	1,20,560
14.	मुंडेश्वरी देवी मंदिर, रामगढ़	46,814.00	4,67,388.00	49,428
15.	टूटी मूर्तियां, घेजान	13,517.00	–	–

1	2	3	4	5
16.	चौरासी मुनि गुफा, पथरघाट	28,232.00	1,44,118.00	1,10,936
17.	शैलकृत मंदिर, कहालगांव	7,497.00	4,100	24,530
18.	बौद्ध मूर्ति, कुरसराय	6,308.00	–	4,05,407
19.	शमशेर खान का मकबरा, शमशेर नगर	6,308.00		
20.	इब्राहिम बाउ का मकबरा, बिहारशरीफ	792.00	755	3,69,644
21.	रुकमीनी अस्थामा, जगदीशपुर, नालंदा	312.00	410	3,000
22.	राजा बलि का गढ़, मधुबनी	6,402.00	–	–
23.	ध्वस्त किला, चॉकीगढ़	5,100.00	–	15,725
24.	नया उत्खनित स्तूप, राजगीर	68,472.00	–	–
25.	प्राचानी टीला, नालंदा	8,963.00	1,06,074	–
26.	प्राचीन स्थल, कुर्कीहार, गया	73,851.00	–	–
27.	शिव मंदिर, कोंच	60,000.00	4,500	6,000
28.	उत्खनित अवशेष गोसाइखांडा सन्दलपुर, पटना	2,98,143.00	1,21,263	1,68,513
29.	उत्खनन अवशेष, बुलंदीबाग	1,84,535.00	–	31,369
30.	उत्खनित अवशेष, केसरिया	–	5,77,029.00	–
31.	ग्रियाक, राजगीर	–	1,44,000.00	1,79,783.00
32.	उत्खनित टीला, राजगीर	–	2,89,033.00	–
33.	सुजात कुटीर, बकरौर	–	1,00,000.00	85,000.00
34.	विशाल स्तूप, नन्दनगढ़	–	5,712.00	–
35.	अशोक स्तम्भ, रामपुरवा	–	6,426.00	6,663.00
36.	रोहतास किला, रोहतास	–	19,744.00	17,599.00
37.	कुर्कीहार	–	10,607.00	8,800.00
38.	बाराबार एवं नागार्जुन गुफा	–	30,000.00	4,400.00
39.	अशोक स्तम्भ, अरेजा	–	3,978.00	11,663.00
40.	मीर अशरफ मस्जिद, चौकसिकरपुर	–	5,860.00	82,942.00
41.	बख्तियार खान मकबरा, चैनपुर	–	–	5,930.00

1	2	3	4	5
42.	टूटी मूर्तियां, गुनेरी	–	–	2,00,742.00
43.	बौद्ध मंदिर, घेजान	–	–	1,64,001.00
44.	दफन टीला, नन्दनगढ़	–	–	2,43,688.00
45.	राजा विशाल का घर, वैशाली	–	–	5,807.00
झारखंड				
1.	जामा मस्जिद, हदफ	71,672.00	2,28,288.00	2,63,966.00
2.	टूटी मूर्तियां, बेनीसागर	14,000.00	–	–
3.	टूटी मूर्तियां, रांची	–	15,000.00	–
4.	टूटी मूर्तियां एवं प्राचीन हौज, बेनीसागर	–	–	2,28,084.00

[अनुवाद]

विमानपत्तनों को स्वीकृति देने हेतु मानदंडों में ढील

1891. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी विशेष मामले में विमानपत्तनों को स्वीकृति देने हेतु मानदंडों में ढील देने की कोई घटना हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान

1892. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का अधिकतम उपयोग करने हेतु जैव–प्रौद्योगिकी में अनुसंधान हेतु 40 करोड़ रुपये अलग से रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं का पता लगाने हेतु जो जैव–प्रौद्योगिकी के कार्यकरण का भाग हो सकती हैं अभी तक तीन समितियां गठित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) की संरचना परिवर्तित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि में जैव–प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनेक परियोजनाओं को निधि मुहैया की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय पादप जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली केवल जैव–प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें अन्य फसल–जिंस वाले संस्थानों से सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने योजना आयोग से फसल पादपों में पराजीनियों पर नेटवर्क के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जैव–प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास

हेतु संस्थाओं की पहचान के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जिसके तहत आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जीईएसी) कार्य करती है, के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना

1893. श्री एच. डी. देवगौड़ा :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की एक सहायक कंपनी द्वारा स्थापित मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड राज्य डेयरी सहकारी संघ/यूनियनों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियां स्थापित करने की कोशिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई हैं;

(ग) संयुक्त उद्यमों में शेयर भागीदारी की प्रणाली क्या है;

(घ) क्या इससे सदस्यों के नियंत्रण और सहकारी डेयरी संघों/यूनियनों की स्वायत्तता में कमी नहीं आएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या एनडीडीबी ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि सहकारिता के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की सरकार की योजना के क्रम में सहकारिता का संयुक्त उद्यमों में बहुसंख्यक नियंत्रण होना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक दो संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल करने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) संयुक्त उद्यम में रखी जाने वाली इक्विटी मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड और संबंधित राज्य सहकारिता डेयरी परिषद के बीच 51 : 49 के अनुपात में है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) उक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गए पत्र पूरे करने दीजिए और तब इसकी शुरूआत कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7055/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : महोदय, मैं श्री बालासाहिब विखे पाटील की ओर से वर्ष 2001–02 के लिए लोक उद्यम समीक्षा (खंड) । से III की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7056/2003]

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कॅयर बोर्ड कोच्चि के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2001–2002 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7057/2003]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2001–2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7058/2003]

(5) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7059/2003]

(7) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2001–2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7060/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7061/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजिम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7062/2003]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (खोई हुई संपत्ति) विनियम, 2003, जो 10 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 28(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7063/2003]

(3) (एक) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7064/2003]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं श्री दिलीप सिंह जूदेव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 133(अ), जो 4 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के माथेरान तथा उसके आसपास के क्षेत्र को माथेरान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7065/2003]

(2) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7066/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2003 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 18 फरवरी, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि

राज्य सभा 27 फरवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 2003 के बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 फरवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 फरवरी, 2003 को पारित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

तैंतालीसवां, चौंवालीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2002–2003) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) "निम्न वर्गीकरण, जिससे 352.30 लाख रुपए की हानि हुई" के बारे में लोक लेखा समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) "2 जीएचजेड माइक्रोवेव सिस्टम की अधिप्राप्ति" के बारे में लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) "स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (1995–1996) तथा (1998–1999)" के बारे में लोक लेखा समिति (11वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिदेदन तथा लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सैतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बजट में उर्वरकों और डीजल के मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, के बारे में

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो मैं 'शून्य काल' का भी अत्यंत नियोजित तरीके से प्रयोग करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि आप सहयोग करेंगे तो प्राथमिकता की मांग करने वाले प्रत्येक सदस्य को अक्सर दिया जाएगा और सभी मामलों को लिया जाएगा। यह मेरा अनुरोध है। मैं एक के बाद एक मुद्दे लूंगा। प्रत्येक सदस्य को केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाएगी उससे ज्यादा नहीं। जब एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाएगी तो अन्य सदस्यों को उनसे संबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी। मैं इन मुद्दों पर बहस की अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए कृपया सहयोग कीजिए, मुझे सूची के अनुसार कार्य करने दीजिए। नेताओं को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। यही प्रक्रिया है। नेताओं को अपने आप प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे सूची के अनुसार शुरू करने दीजिए। पहला विषय श्री रामजीलाल सुमन द्वारा उठाया जाना है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, वैसे तो जब बजट पर संपूर्ण चर्चा होगी, तब हम बोलते, लेकिन प्रस्तुत बजट की

वजह से खाद और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस पर पूरे देश के किसानों में भयंकर प्रतिक्रिया हुई है। यूरिया के 50 रुपए वाले बैग पर 12 रुपए, डी.ए.पी. बैग पर 10 रुपए दाम बढ़े हैं। पोटाश के दाम भी बढ़े हैं। इसी वित्तीय वर्ष में डीजल के दाम 25 परसेंट बढ़े हैं। जिस दिन बजट में डीजल के दामों के बढ़ने की घोषणा हुई, उस समय दिल्ली में डीजल के दाम 21 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में मध्य रात्रि को एक रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। कोलकाता में 22 रुपए 60 पैसे यानी 1.37 रुपए की वृद्धि हो गई, चेन्नई में डेढ़ रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ गए और वह 23 रुपए 28 पैसे हो गए। इस तरह से कम से कम 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार किसानों पर पड़ा है। खाद और डीजल के दाम बढ़े हैं। एक तो वैसे ही किसान बाढ़ और सूखे से प्रभावित था। इसके बाद किसान पर अतिरिक्त भार डालना मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत में न्यायसंगत नहीं है। किसानों के उत्पादों के मूल्य बढ़ नहीं रहे हैं। अभी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीफ की फसलों के मूल्य तय किए हैं लेकिन उसने गेहूं और जौ के दाम नहीं बढ़ाए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। न केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी के लोगों ने बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वेंकैय्या नायडू, तेलुगू देशम के श्री येरननायडू, समता पार्टी, शिव सेना, कृषि मंत्री श्री अजित सिंह, खाद्य मंत्री श्री शरद यादव, हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री कुमारी जयललिता, पूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि आदि सब ने भारत सरकार से अनुरोध किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है।

श्री रामजीलाल सुमन : उन्होंने अनुरोध किया है कि डीजल के दामों में जो वृद्धि की गई है, वह जल्दी खत्म की जाए और खाद के बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लिए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री का बयान कल समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ यह छपा है कि किसी भी कीमत पर खाद के बढ़े हुए दाम वह वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके इस बयान को लेकर भयंकर प्रतिक्रिया किसानों के बीच हुई है।

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। प्लीज बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन : भारत सरकार ने यदि खाद और डीजल के बढ़े दाम नहीं घटाए तो चप्पे-चप्पे पर लड़ाई होगी, किसान लड़ाई लड़ेंगे, संसद में लड़ाई होगी और संसद के बाहर लड़ाई होगी। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, हम सभी अपने को इससे संबद्ध करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में मेरे पास चार नोटिस हैं—श्री रघुनाथ झा, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और जगमीत सिंह बराड़ का भी नोटिस है। मैं नॉर्मल कोर्स में सबको एसोसिएट करने के लिए कहता हूं लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है इसलिए दो-दो मिनट तीनों मैम्बर्स को दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जब बजट पर चर्चा होगी, आप उस समय भी इस विषय पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं तो कम से कम आप सुनिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : वित्त मंत्री का अखबारों में यह बयान आया है कि वह किसी कीमत पर खाद के बढ़े दाम वापस नहीं लेंगे। इसे लेकर गंभीर प्रतिक्रिया हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसानों के विषय में इस सदन में चर्चा भी होने वाली है लेकिन फिर भी मैंने दो-दो मिनट बोलने का समय दिया है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैंने आपको बोलने का समय दिया है। आप जरा कोआपरेट कीजिए। सभी को बोलने का चांस मिलेगा। मैं सभी के नोटिस लेना चाहता हूं लेकिन आपके सहयोगी सुनते नहीं हैं।

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से और देश के करोड़ों-करोड़ किसानों की तरफ से मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। रसायनिक खाद और डीजल

की बढ़ाई गई कीमतों को लेकर विशेषकर उन राज्यों में बहुत भयंकर प्रतिक्रिया हुई है जो देश में हरा इनकलाब लेकर आए। आज जब आड़े वक्त में किसान सूखे और बाढ़ से पीड़ित हैं और किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हैं, ऐसे मौके पर इकोनामिक सर्वे की जो रिपोर्ट है कृषि वृद्धि 4.9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत पर आ गई है। किसान का इतना बड़ा गला घोंटना ठीक नहीं है। मैं ये सब देखकर हैरान हूं। कृषि मंत्री यहां विराजमान हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह अजीब किस्म का बजट है। एयरकंडिशनर्स, मोबाइल फोन, कारें, कम्प्यूटर सस्ते कर दिए गए हैं लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिस प्रकार से इन्होंने लग्जरी आइटम्स सस्ती कर दी, कार पर टैक्स कम कर दिया लेकिन किसानों के लिए, उनके क्रेडिट के लिए कुछ नहीं हो रहा है।

ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि फर्टिलाइजर, डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए वरना एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, जैसा बॉर्डर पर हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि आने वाले दिनों में यह खतरे की घंटी है। इसलिए ये बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में श्री सुमन, श्री बराड़ साहब ने जो कुछ कहा और सरकार ने किसानों पर कुठाराघात करने का काम किया है, मैं और हमारी पार्टी खुल्लमखुल्ला इसका विरोध करती है...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग इन्हें बोलने दीजिए। झा जी, आप चेयर को अड्रेस करके कहिए।

श्री रघुनाथ झा : आप लोग मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट से बड़े घरानों को लाभ हुआ है लेकिन हमारा प्रदेश बिहार न केवल बाढ़ से बल्कि सुखाड़ से बुरी तरह प्रभावित है। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसानों की हालत बहुत ही खराब है। इस सरकार ने इन सारे मुद्दों के बावजूद किसानों पर भार बढ़ाकर इतना बड़ा जुल्म किया है। इसकी कोई इन्तहा नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री सदन में अविलंब आकर इस बात की घोषणा करें। अगर खाद व डीजल के दामों को वापस नहीं किया गया तो किसानों पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए हम इस मूल्य वृद्धि का घोर विरोध करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का किसान तबाह है। वह बाढ़ से तबाह है, सुखाड़ से तबाह है और इस सरकार से तबाह है। इस बजट में डीजल और खाद के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है और हर महीने डीजल के मूल्यों में बार-बार वृद्धि होती रहती है, उससे किसान तबाह है। जब हम लोगों ने यह सवाल उठाया तो माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मूल्य वृद्धि वापस नहीं करेगी, किसानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही खाद और डीजल के मूल्य नहीं घटाएंगे, इससे देश के किसानों में गहरा रोष है। देश के तमाम किसान मायूस हो रहे हैं। इस बजट को सुनने और जानने से उन्हें लगा है कि जो बड़े आदमियों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उनके दाम घट गए हैं। जैसा सोना, हीरे-जवाहरात के दामों में कमी आई है लेकिन किसानों के इस्तेमाल की चीजों में मूल्य वृद्धि की गई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार डीजल और खाद के दामों में की गई वृद्धि को वापस ले। इससे देश का किसान तबाह हुआ है। यदि इस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। किसान उसे रोकेंगे, घेरेंगे। देश के कोने-कोने से इसका विरोध होगा और एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा।

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने यह विषय उठाया। इसके अलावा मेरे सामने लिस्ट में दूसरे 19 विषय हैं। मेरा कहना है कि इस विषय पर बजट में चर्चा हो सकती है और इस सदन के सामने जो दूसरे विषय हैं...।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी मुद्दे पर एक विशेष प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। इसलिए इस मुद्दे पर माननीय सदस्यों को बोलने का बहुत अवसर है। लेकिन चूंकि चार सदस्यों ने सूचना दी है इसलिए मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। यदि मैं पूरी सभा को अनुमति दूं तो मुझे विश्वास है कि अनेक सदस्य बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया नेताओं को बोलने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको ज्ञात है कि मंत्री महोदय बजट प्रावधानों के संबंध में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। मंत्री महोदय केवल इतना ही कह सकते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त वे क्या कह सकते हैं? अतः बजट चर्चा के दौरान आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को बजट के चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। इस पर एक विशेष प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ (फ़रीदकोट) : कृषि मंत्री सामने बैठे हैं, वे जवाब दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : आप प्रत्येक दल के नेताओं को केवल एक मिनट की अनुमति दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : यह बहुत बड़ा मुद्दा है।

[अनुवाद]

महोदय, हमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। प्रधान मंत्री की राहत पैकेज को क्रियान्वित नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वहां किसानों को जो लोन दिए हैं, आंध्र प्रदेश सरकार जोर देकर उनसे वसूल कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आप अपनी सीट पर जाकर कहिए।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण सदन के समक्ष अन्य मुद्दा उठाने के इच्छुक हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप इसे वापिस लेने का आश्वासन दें...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : मेरी पार्टी पहले से ही इसकी मांग कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात अध्यक्षपीठ को संबोधित करके कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आप इतनी अच्छी सदस्या हैं। आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कर रही हैं। श्री येरननायडू कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि मुख्य आधार है। भारतीय कृषक इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वर्ष 2003–04 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यदि सरकार 8 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना चाहती है तो कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश करना होगा और हमें कृषि क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देना होगा...*(व्यवधान)* लेकिन कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के स्थान पर उन्होंने मूल्य वृद्धि कर दी है...*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, माननीय सदस्य जब बोल रहे हैं तो इसमें व्यवधान नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. जगन्नाथ, मैं आपसे सहमत हूं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, 14 राज्यों में इस समय सूखे की स्थिति व्याप्त है। इसीलिए हमने उर्वरकों और डीजल के बढ़े हुए मूल्य तत्काल वापिस लेने का अनुरोध किया है। तेलगू देशम पार्टी की यही मांग है।

महोदय, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के हजारों तम्बाकू कृषकों द्वारा उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन और रास्ता रोको प्रदर्शन पुनः शुरू किया गया। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि तम्बाकू कृषकों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। तम्बाकू बोर्ड ने उपकर के माध्यम से 50 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई है। अब तम्बाकू कृषकों को और अधिक लाभकारी मूल्य देने हेतु बाजार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की योजना की आवश्यकता है। हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं और रास्ता रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। सात एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोका गया है। अतः सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। आप सब लोग बैठिए। सुनील खान जी, क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों खड़े रहते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : यूरिया को गरीब किसानों का उर्वरक कहा जाता है। कृषक इस बजट से और अधिक आशा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय के निदेश पर, हम वित्त मंत्री से आम बजट पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् कल उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे हमने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी उर्वरक में मूल्य वृद्धि को वापिस नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हालांकि हम सरकार में सहभागी हैं फिर भी हम इस मुद्दे को सभा में उठाना चाहते हैं। किसान पहले से ही सूखा और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। अतः वे उर्वरक में मूल्य वृद्धि को तत्काल वापिस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं अपने दल डीएमके की तरफ से वित्त मंत्री जी से उर्वरक में की गई मूल्य वृद्धि को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग आज खेती और कृषि पर निर्भर करते हैं। क्या कारण है कि समूचे देश में सभी मोर्चों पर सरकार विफल हो रही है और केवल किसानों के मोर्चे पर, जहां अन्न का भंडार भरा है, वहां केवल किसानों पर ही उर्वरक और डीजल के दाम बढ़ाकर किसान की कमर को तोड़ने का काम सरकार द्वारा किया गया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसानों की कोई परवाह न कर किसानों के काम आने वाले उर्वरक एवं डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं जिससे किसानों में बहुत रोष है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उर्वरक एवं डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक इन बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, सरकार के घटक दलों की भावनाओं को आपने सदन में देखा है और सरकार भी जानती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को घटक दलों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उर्वरक और डीजल पर बढ़े हुए दामों को वापस लेने के मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए और दामों को वापस लेने हेतु सदन में प्रस्ताव लाना चाहिए और इन बढ़े हुए दामों को तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : ये सदस्यगण एन. डी.ए. सरकार के साथ हैं और फिर भी ये सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। वे यहां शोर क्यों कर रहे हैं। वे विचित्र प्रकार के सहयोगी हैं। वे केवल यहां शोर करते हैं और प्रधान मंत्री जी के साथ मामले को सुलझा लेते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि आपके नेतृत्व में सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाए और किसानों के ऊपर जिस प्रकार से खाद एवं डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उन्हें वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा। पूरी समस्या सुलझ जाएगी यदि वे इन मुद्दों के प्रति निष्ठावान हो जाएं।

श्री के. येरन्ननायडू : हम अत्यधिक निष्ठावान हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें सरकार से समर्थन वापिस लेने दीजिए। उन्हें यह कहने दीजिए कि या तो सरकार उर्वरक मूल्य में वृद्धि को वापिस ले ले अन्यथा वे सरकार से समर्थन वापिस ले लेंगे। उन्हें यह कहने दीजिए।

श्री के. येरन्ननायडू : यह समाधान नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि सरकार इन उपायों को वापिस नहीं लेती है तो उन्हें सरकार से समर्थन वापिस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दल के नेता हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी एन.डी.ए. सरकार के सहयोगी दल हैं और जो सरकार द्वारा खाद एवं डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि उसे इन बढ़े हुए दामों को शीघ्र वापस लेना चाहिए और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उनसे मेरा आग्रह है कि वे वित्त–विधेयक को पारित करते समय उसके विरोध में मतदान करें ताकि सरकार को अहसास हो और सरकार इन बढ़े हुए दामों को वापस लेने पर विवश हो जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाएं। मैंने श्री चन्द्रकांत खैरे को बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। आप लोग जनता के प्रश्नों को 'जीरो आवर' में उठाना चाहते हैं या नहीं। 'जीरो–आवर' जनता के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने के लिए है। रघुनाथ झा जी, आप भी बैठिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। खैरे जी आप अपना भाषण प्रारम्भ करें और मुझे संबोधित करके बोलें।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : दासमुंशी जी, मुझे अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात कहने की इजाजत दी है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो आपको बैठना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे जी, आप अध्यक्ष को संबोधित करके बोलिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रयोग में आने वाली चीजों खाद एवं डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इस विषय में हम उनके साथ हैं कि किसानों की इन दोनों चीजों के दाम सरकार को नहीं बढाने चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के किसानों के उपयोग की चीजें जो वे खेती में इस्तेमाल करते हैं जैसे खाद, डीजल और मिट्टी का तेल इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। देश के 75 प्रतिशत किसानों पर इससे बोझ बढ़ा दिया गया है।...*(व्यवधान)* इनके लिए हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अगर किसानों को थोड़ी राहत दी जाए तो एन.डी. ए. की सरकार के बारे में कुछ गलतफहमी नहीं रहेगी। यहां वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे विनती करूंगा कि किसानों के बारे में आप थोड़ी राहत दीजिए। मिट्टी का तेल और डीजल के बारे में भी राहत देनी चाहिए, यह शिवसेना की मांग है। ...*(व्यवधान)* आप हमें सिखाइए मत।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, किसान सूखे और बाढ़ से त्रस्त हैं और आत्महत्या कर रहे हैं...*(व्यवधान)* उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)* ऐसे समय में इस सरकार ने देश के किसानों के विरुद्ध कठिन परिस्थितियां उत्पन कर दी हैं...*(व्यवधान)* यह आश्चर्य की बात है कि इस सरकार के सहयोगी दल यहां एक आवाज में बोल रहे हैं, दर वृद्धि को वापिस लेने की मांग कर रहे हैं और वित्त मंत्री जी सदन से बाहर कह रहे हैं कि वे इसे वापिस नहीं लेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इन्हें नाटक नहीं करना चाहिए, ये नाटक कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* नाटक चल रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आप यह गलत बोल रहे हैं कि हम नाटक कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : इस विशेष मुद्दे पर सभी सहयोगी दल एक आवाज में बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, ये फार्मर्स का विषय है।...*(व्यवधान)* महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य राजनीति खेल रहे हैं।...*(व्यवधान)* किसानों के बारे में कांग्रेस के माननीय सदस्य राजनीति खेल रहे हैं, इनके मन में किसानों के प्रति कोई आस्था नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, आप कृपया बोलें। ये भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक वरिष्ठ सदस्य की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं एक अनुशासित सदस्य हूं। मैं अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

देश में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। यह सभी जानते हैं। दूसरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला किसान अब स्वयं इसकी भीख मांग रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने किसानों के लिए एक खराब और शर्मनाक बजट प्रस्तुत किया है। कृषि मंत्री ने भी कहा है कि उर्वरक में की गई वृद्धि औचित्यपूर्ण नहीं है। श्री येरननायडू, जो सरकार का अपने दल के 29 सदस्यों के साथ समर्थन कर रहे हैं, ने इसी प्रकार की बात कही है। लेकिन दुर्भाग्यवश वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, मतदान करना हरेक समस्या का समाधान नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : इसी प्रकार श्री पलानीमनिक्कम ने इस वृद्धि का विरोध किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, अब मैं आपके विषय पर आना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन कृपया अब बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणूका चौधरी, इस मुद्दे पर कोई बहिर्गमन नहीं।

(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : इस एन.डी.ए. सरकार में यह रीति बन गई है कि पहले मूल्य बढ़ा दो और फिर भाजपा के लोग मूल्य कम करने की मांग करें तब इस मूल्यवृद्धि को वापस ले लो।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : मेरी पार्टी की ओर से, हम किसानों का समर्थन करते हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसान खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। किसानों के लिए उर्वरक आवश्यक कच्चा माल है। खाद के बिना वह खेती नहीं कर सकेगा। दो वर्ष पहले, यही मुद्दा उठाया गया था जब इसी प्रकार की वृद्धि की गई थी। इस सभा में अत्यधिक आवेशपूर्ण तर्क–वितर्क और वाद–विवाद के बाद इसे वापस ले लिया गया। किसान असंगठित हैं। गांवों और जिलों में भी किसान असंगठित हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें किसानों को, जो असंगठित हैं, एकजुट होकर संसदीय समर्थन देना चाहिए। इसलिए मैं सभी सदस्यों और सरकार से भी यह आग्रह करता हूं कि वे किसानों के बचाव के लिए आगे आएं तथा उर्वरक के मूल्य में की गई वृद्धि को कम करें।...*(व्यवधान)* उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि किसानों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और यदि यह वृद्धि वापस नहीं ली गई, तो खेती में उनकी रुचि नहीं रह जाएगी। इसलिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए और अधिक खाद्यान्न के उत्पादन के लिए, हमें किसानों का समर्थन करना है। मेरी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री यहां बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री ने खुद इसका विरोध किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप खुद कुछ नहीं सुनेंगे और उनका विरोध करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : किसानों के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है, इनकी नकली आस्था है। ये किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : किसानों के बारे में आप क्या जानते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम यहां किसानों के कारण ही बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी को हमें कोई सीख देने की आवश्यकता नहीं है। हम बहिर्गमन नहीं कर रहे हैं। सभी गठबंधन पार्टियां उर्वरक मूल्य में वृद्धि के मुद्दे पर एक हैं। हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं और हम उर्वरक के मूल्य में वृद्धि की वापसी की सरकार से मांग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, हम संसद के अंदर बैठकर और इस मुद्दे पर वाद-विवाद करना चाहते हैं। उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि वापस ली जाए। हमारा इस मुद्दे पर निश्चित विचार है। किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। हमारे नेता, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि को वापस लेना चाहिए। हमें किसानों का समर्थन करना होगा और उनके बिना हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं हो सकेगा। यदि वे खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते हैं, देश में मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए, ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, हम सरकार से उर्वरकों के मूल्यों में की गई वृद्धि वापस लेने का अनुरोध करते हैं। और ऐसा दो वर्ष पहले भी किया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रहलाद सिंह जी, आप शुरू कीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत बड़े लेवी घोटाले की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सन् 2000 से लेकर 2001-2002 में मैं जिस जिले से संसद सदस्य हूं, वहां पर धान का बहुत अधिक उत्पादन होता है। उसका एक पैमाना होता है, 2001 में वहां पर 5,57,366 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। 2002 में 4,45,869 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। अध्यक्ष जी, सूखा पड़ा है, लेकिन वहां पर लेवी की मात्रा बढ़ती जा रही है। मैंने वहां के जिला कलेक्टर को भी लिखा है। धान का उत्पादन कम हुआ है, सूखे के बाद वहां पर लेवी की मात्रा बढ़ती गई है और जिन व्यापारियों के नाम का मैंने उल्लेख किया है, जिनकी मिलों में 100 क्विंटल धान भी चावल बनाने लायक क्षमता नहीं है, उन्होंने 1-1 हजार क्विंटल की लेवी दी है, ऐसे प्रामाणिक तथ्य सामने आए हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ सूखे के कारण धान का उत्पादन घटा है। लेकिन लेवी की मात्रा में बढ़ोतरी कैसे हो गई। जिन उद्योगपतियों के पास धान से चावल बनाने की क्षमता एक हजार क्विंटल की थी, उन्हें दस हजार क्विंटल की लेवी कैसे दे दी। ऐसे प्रमाण होने के बावजूद भी वहां की राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जिस जिले से आता हूं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, वहां पर साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन तक धान पैदा होता है, लेकिन सूखे के बाद भी वहां दो-दो

लाख क्विंटल की लेवी वसूल की गई है और किसानों को लाभ नहीं मिला। वहां पंजाब से चावल गया। यहां पर केन्द्रीय सरकार अपने मजदूरों के लिए जो धान खरीदती है, वह पालिश करके वहां दिया गया। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार वहां एक टीम भेजे, जो इस घोटाले की जांच करे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से इस समय देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद वहां राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत कम हैं, जितने होने चाहिए थे, उतने नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने लगभग 28 प्रस्ताव भारत सरकार के सामने प्रेषित कर रखे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से भारत सरकार द्वारा अभी तक एक ही प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। मेरा अनुरोध है कि शेष प्रस्तावों पर भी ध्यान देकर वहां राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की अनुमति दी जाए और उन सबके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली 27 तारीख को नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। मैं अपनी बात सदन को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। एक सांसद के साथ कहां तक पुलिस जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रुकिए। मैं देखता हूं कि राज्य सरकार के पास से क्या सूचना आई है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से संगठित अपराध माफिया द्वारा नियोजित तरीके से पत्रकारों की हत्या किए जाने के समाचार प्रकाश में आए हैं। मेरे खीरी संसदीय क्षेत्र में अमर उजाला समाचार पत्र के संवाददाता श्री चन्द्रभान चौरसिया की दिनांक 9 जनवरी, 2003 को शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, संगठित अपराधियों तथा भ्रष्ट राजनेताओं के गठबंधन को उजागर करने के लिए समाचार लिखे थे। एक अन्य पत्रकार श्री देवेन्द्र प्रकाश मिश्र, संवाददाता, अमर उजाला को इसी माफिया द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि पुलिस द्वारा अपराधियों के तन्त्र को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। असली अपराधियों को जेल भेजने की बजाय आनन–फानन में बेगुनाहों को जेल भेजकर मामले की फाइल बंद कर दी गई है। जबकि असली मुजरिम प्रकाश में आ चुके हैं।

जनपद खीरी सीमावर्ती जनपद है। मुझे आशंका है कि इस क्षेत्र में अपराध माफिया के पैर जमा लेने तथा भ्रष्ट प्रसासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें संरक्षण दिए जाने के दूरगामी परिणाम अत्यंत ही घातक होंगे। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि पत्रकार चन्द्रभान चौरसिया की हत्या किए जाने के समूचे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट करें, जिससे कि भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी एवं अपराधियों के नैक्सेस से पर्दा उठ सके। पूरे जनपद से नागरिकों तथा पत्रकार संगठनों ने भारत सरकार को, प्रधान मंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को अपना संदेश भेजा है, प्रतिवेदन भेजे हैं। उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न के बारे में राज्य सरकार से इंफार्मेशन मांगी है, जो अभी तक नहीं आई है। इंफार्मेशन आने के बाद तुरंत मैं आपको जो कुछ कहना है, वह कहने की इजाजत दूंगा। मैं समझता हूं कल तक इंफार्मेशन आनी चाहिए। मैं फिर एक बार उन्हें आज फैक्स भेज देता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों के विषय में पिछले दिनों सदन में कई बार चर्चा हुई, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज गन्ना किसानों का करोड़ रुपया चीनी मिल–मालिकों के ऊपर बकाया है। भारत सरकार की गलत नीति के कारण पूरे देश के अंदर गन्ना किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। आज स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि स्पेशल शूगर डवलपमेंट फंड से जिन चीनी मिल–मालिकों को आशा और प्रत्याशा में भारत सरकार ने धनराशि दी थी कि वे गन्ना किसानों के बकायों का और मजदूरों के बकाए का भुगतान करेंगे, उन चीनी मिल–मालिकों ने इस धन को हड़प लिया है। आज तक चीनी मिल–मालिकों ने गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया नहीं दिया है। मैं उदाहरण के रूप में तीन चीनी मिलों को आपके सामने रखना चाहता हूं। कुशी नगर जनपद के अंतर्गत जो कप्तानगंज चीनी मिल है, उसके ऊपर किसानों का सात करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। इसी तरह से मेरे लोक सभा जनपद क्षेत्र के अन्दर सीसवा बाजार चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। संत कबीर नगर के अन्दर मै. खलीलाबाद शुगर मिल पर किसानों का 5 करोड़ 37 लाख रुपया बकाया है, मजदूरों का 6 करोड़ 55 लाख रुपया बकाया है तथा बिक्री–कर का 7 लाख रुपया बकाया है। उक्त चीनी मिल ने इतनी धोखाधड़ी की है कि मिल को 27 करोड़ 66 लाख रुपए, एक या दो

रुपए नहीं, विभिन्न बैंकों और शुगर डवेलपमेंट फंड से प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद भी उस चीनी मिल–मालिक ने किसानों के बकाए की अदायगी नहीं की है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के गिरोह ने उक्त चीनी मिल के लिए 35 करोड़ रुपए की पुनः ऋण पत्रावली स्वीकृत करके भारत सरकार को भेजी है। इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत तौर पर प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा और स्वयं वित्त मंत्री जी से मिला। उस संदर्भ में वित्त मंत्री जी ने भारत सरकार के संबंधित विभाग को यह निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर उसे धन अदायगी मत करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, राज्य सरकार ने निर्लज्जता की सीमा को पार करके मै. खलीलाबाद शुगर मिल को फिर से 12 करोड़ रुपए देने का निर्णय ले लिया है, जिस मिल–मालिक पर 27 करोड़ 66 लाख रुपए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का बकाया है और 12 करोड़ रुपए मजदूरों और किसानों का बकाया है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार 12 करोड़ रुपए देकर किसानों का गला घोंट रही है और जनता के धन को लुटाने का काम कर रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि मै. खलीलाबाद शुगर मिल, जिस पर कि 27 करोड़ 66 लाख रुपए, ब्याज और पैनल्टी सहित, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का न देने का आरोप है, अगर उसे राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाएगा, तो निश्चित ही तौर पर जनता के धन की बर्बादी होगी। इसलिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को यह निर्देशित करे कि उक्त चीनी मिल को धन आवंटित न करे और उक्त चीनी मिल द्वारा किसानों को बकाया धन वापिस कराया जाए।

इसी संदर्भ में भारत सरकार ने गत वर्ष कहा था कि गन्ना किसानों को उनके उत्पादन के मूल्य का भुगतान कराया जाएगा। कल ही वित्त मंत्री जी ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में 95 रुपए से 100 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य पर गन्ने का मूल्य दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी इस कीमत पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान आक्रोषित हैं और जगह–जगह आन्दोलन कर रहे हैं। किसान जब आन्दोलित हैं, तो किसानों पर गोलियां और लाठियां चलाई जा रही हैं। मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जब सदन में यह निर्णय लिया गया है, तो उस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा आन्दोलित किसानों पर गोली और लाठी चलाने का जिसने निर्देश दिया है, लोकतन्त्र को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करें।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं इनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करती हूं।

(दो) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न भागों में रायगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के कथित उत्पीड़न के बारे में 450-53

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और पूरी सभा का संरक्षण चाहता हूं और मैं सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय से, इसके प्रत्युत्तर की आशा करता हू।

मैंने एक गंभीर स्थिति के बारे में एक सूचना गृह मंत्रालय को एक प्रति भेजते हुए दी थी। मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं किंतु शायद इस हस्तक्षेप के माध्यम से सच्चे भारतीय नागरिकों के अधिकारों के रक्षार्थ मेरे आंदोलन की शुरूआत है।

महोदय, पंजाब और बंगाल दो राज्य हैं, जिन्होंने भारत के विभाजन और राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान दंगों को झेला है। सैकड़ों लोग पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बंगाल, बंगाल से पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में विस्थापित हुए हैं।

महोदय, हम सभी इस देश में अवैध अप्रवास के कब्जे के विरुद्ध हैं। हम सभी उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत में आईएसआई और अलकायदा की ओर से काम कर रहे हैं। किंतु यह सरकार का पहला कर्त्तव्य है कि वह देखे कि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक का उत्पीड़न नहीं हो। बड़ी संख्या में बंग्लाभाषी लोग बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम के मुसलमान और हिंदू दो दशकों से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। वे छोटे–मोटे कार्यों में लगे हैं जैसे दिहाड़ीदार मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, दिल्ली में खान, सिलाई और कढ़ाई इत्यादि का कार्य करते हैं। पिछले एक महीने से उनका गंभीर किस्म का उत्पीडन शुरू हुआ है। यद्यपि वे अपना पहचान पत्र, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र, मुख्याध्यापक का प्रमाण–पत्र, संसद सदस्य अथवा जिला परिषदों के सदस्यों से प्रमाण–पत्र दिखा चुके हैं, फिर भी उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है।

महोदय, पिछले एक माह से गुड़गांव, नौएडा और पानीपत और यहां तक कि विवाह के पंडालों से भी लोगों को पुलिस उठा रही है कि वे बांग्लादेशी हैं क्योंकि वे बांग्ला बोलते हैं। उनके द्वारा अपने सभी पहचान संबंधी दस्तावेज देने के बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। एक माह पहले, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन गया था और पुलिस अधीक्षक से मिला। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की बताई। मैंने उनसे यह भी कहा कि उनके पूर्वजों ने राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लिया था। फिर भी, उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। कल, जब मैंने गुड़गांव के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने मुझे शिक्षा दी कि हम अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य नहीं निभा रहे हैं। मैंने उनसे कहा : "अब बहुत हो गया। आपको सत्यापित करना चाहिए कि क्या ये लोग जो पश्चिम बंगाल अथवा त्रिपुरा के हैं इस देश के वास्तविक नागरिक हैं अथवा नहीं।" उन्होंने सुनने से मना कर दिया।

महोदय, जो लोग इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और जो हमारी स्वतंत्रता के दिन से ही राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें इस तरह से दंडित किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और विशेषकर गृह मंत्रालय से यह मांग करता हूं। मैंने श्री आडवाणी को एक पत्र लिखा कि सभी सीमावर्ती राज्यों के संसद सदस्यों को उनके विचार जानने के लिए बुलाया जाए, सरकार अपने विचारों को स्पष्ट करे और परिस्थिति को समझे। अन्यथा, इससे गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मैं आपको एक विशेष उदाहरण देता हूं। रतवा और आनंद टोला नामक स्थान में, एक विशेष समुदाय के लोगों जिन्हें 'चेन मंडल' कहा जाता है यहां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से रहते हैं। उन लोगों के परिवार के सदस्यों को विवाह के पंडाल से भी उठा लिया गया और उन्हें पुलिस ने पीटा भी है। उन्हें गालियां भी दी गई हैं।

कल, गुड़गांव में, चकोलिया के लोग, जो मेरे चुनाव क्षेत्र के हैं, को उठा लिया गया क्योंकि वे बांग्ला भाषा बोलते हैं। उन्हें पुलिस थाने में उत्पीड़ित किया गया। पुलिस कहती है कि उन्हें सरकार से यह निदेश मिला है। यदि सभी बांग्ला भाषी लोगों को भगाने का यह तरीका है तो इससे गलत संदेश जाएगा।

महोदय, में गृह मंत्री से मांग करता हूं कि वे सरकार की नीति को स्पष्ट करें और हमें बताएं कि क्या सरकार इंदिरा गांधी मुजीबर्रहमान समझौते पर टिकी हुई है। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या यह नियम उन पर लागू है जो इस समझौते के दायरे में आते हैं।

यदि सरकार शीघ्र ही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सीमावर्ती राज्यों के सभी संसद सदस्यों की बैठक नहीं बुलाती है तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी और हमारे पास दिल्ली में एक मोर्चे का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे गलत संदेश भी जाएगा। महोदय, सरकार इस मुद्दे पर चुप है। बांग्लादेशी का मतलब कोई भी बांग्ला भाषी नहीं है। वे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? इसलिए, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें और इसके लिए मैंने सुबह सूचना भी दी है। हमारी समस्याओं को समझने के लिए सीमावर्ती राज्यों के संसद सदस्यों की बैठक बुलानी चाहिए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, गैरकानूनी अप्रवासियों के नाम पर, सरकार पूरे भारत में बांग्ला बोलने वाले लोगों को उत्पीड़ित कर रही है। इससे बंगाली विद्रोह पैदा हो सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर शून्य काल के दौरान चर्चा हुई है। मैं इस पर आगे चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

अब, श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह अतिराष्ट्रीयता का प्रश्न नहीं है।

मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी का आभारी हूं जिन्होंने इसे एक बार फिर उठाया है क्योंकि यह उचित ही है कि इस मुद्दे को देश के सर्वोच्च मंच पर उठाया जाए। मैंने और श्री हन्नान मोल्लाह दोनों ने माननीय उप–प्रधानमंत्री को लोगों के नामों का ब्यौरा देते हुए पत्र लिखा है। श्री लक्ष्मण मंडल के विरुद्ध यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है कि वह 'लक्ष्मण खान' है, इससे उसे मुस्लिम बताया जा रहा है, मानो इस देश से सभी मुसलमानों को निकाल बाहर करना है। यह नीति सही नहीं हो सकती है। इसी प्रकार, जिनके हिन्दू और ईसाई नाम हैं उनके नाम के आगे मुसलमान उपनाम लगाया जा रहा है, क्योंकि हम इसे पहला नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्राथमिकीयां दर्ज की गई हैं। यहां तक कि उन्हें न्यायालय के सामने भी पेश नहीं किया गया। उन्हें पुलिस स्टेशन की हवालात में पीटा गया। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

क्या हम भाषा के आधार पर एक बार फिर इस देश

को बांटने जा रहे हैं? इसलिए, इस सभा के सभी पक्षों से, महोदय, आपके माध्यम से, अपील करता हूं कि इस विषय को आम दिनचर्या का विषय मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। यह विषय कहीं अधिक गंभीर है। हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था जब ऐसा कुछ अन्य राज्यों में हुआ था। अब यह भारत की राजधानी के निकट गुड़गांव में और नौएडा के बड़े भाग में हो रहा है। आतंकपूर्ण स्थिति व्याप्त है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस पर उत्तर दे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी और सोमनाथ जी ने जो मामला उठाया है और जैसा आपका निर्देश है, मैं गृह मंत्री के संज्ञान में पूरा विषय रखूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी सभा और विशेषकर सरकार से अपील करना चाहती हूं कि किसानों की ओर पूर्णतः अकाल्पनिक और असंवेदनशील रवैया अपनाया जा रहा है इससे ज्यादा खेतीहर समुदाय के लिए अपमानजनक बात हो ही नहीं सकती जो एक सरकार द्वारा इस देश में सूखे और जैव प्रौद्योगिकी के होने वाले प्रभाव के बारे में कही गई है।

पिछले वर्ष काफी चर्चा के पश्चात् बीटी कॉटन को इस देश में आने की मंजूरी दी गई थी। आज यह भयावह बात है कि जिस बीटी कॉटन को हम लाए थे हमें वह फल नहीं दे रही है जिसकी हमें आवश्यकता है। महबूबनगर जिले में भालापुर में कॉटन के बीज देने के पश्चात् कॉटन फसल अच्छी नहीं हुई। अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हमें इस फसल को ठीक रखने के लिए अतिरिक्त कीटनाशक पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी। हम उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। जिससे 10–12 क्विंटल उत्पाद प्राप्त होता था वह घटकर एक क्विंटल पर पहुंच गया। अतः केन्द्र सरकार जब तक हमारे बीटी कॉटन उगाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं करवाएगी कि वहां क्या हो रहा है यह देखने के लिए कि यह हमारे उत्पादन को किफायती बनाएगा या नहीं तो हमें इस समस्या को हल करने के लिए नीतिगत निर्णय लना होगा।

आज सूखा की स्थिति में भी सरकार ने इस पर कभी विचार नहीं किया है कि हमारे यहां अधिक मुर्गी पालन और मछली पालन किया जाता है जिसके आज भी बीज उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहां मक्का और अनाज के पौधे की फसल नष्ट हो गई है। मैंने प्रधान मंत्री, सरकार और कृषि मंत्री को लिखित रूप में दिया है कि आयात शुल्क व्यवस्था सहित सूखा उपाय के रूप में मक्का और अनाज के पौध का आयात करने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपने पशुधन को खिला–पिला सकें और उन्हें जीवित रख सकें। और यह शुल्क मुक्त हो। इस सरकार को अपनी नींद से बाहर आना होगा। जब तक यह सरकार जागेगी तब तक यह देश डूब चुका होगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पर आपका और इस अगस्त हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर इशू पिछले कम से कम 45 साल से चल रहा है। वहां के मराठी भाषी लोग इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि मराठी भाषी एरिया को महाराष्ट्र के साथ जोडना चाहिए। ऐसी उनकी मांग भी है। मेरी सरकार से अपील है कि यदि महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर इशू सॉल्व करना है तो विशाल गोमांतक का जो प्रस्ताव है, उस पर भारत सरकार विचार करे। अध्यक्ष महोदय, बाला साहेब ठाकरे जी ने भी विशाल गोमांतक संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें दोनों पार्टियों की भूमिका एक ही है।

श्री रामदास आठवले : हमारी मांग है कि विशाल गोमांतक बनाकर इस समस्या को हल करना चाहिए। हम इस बारे में भारत सरकार की तरफ से जवाब चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको भी इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। वहां मराठी लोगों के साथ

अन्याय हो रहा है। यह सवाल त्वरित हल होना चाहिए।... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, आपने इसके लिए प्रयास किया था।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मामले को संसद में उठाने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1996 से महिला आरक्षण विधेयक संसद की अनुमति प्राप्त करने के लिए लटका पड़ा है। सरकार ने दिसम्बर 1999 में इस विधेयक को पुरस्थापित किया था और इस सभा के साथ–साथ यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि कुछ निहित स्वार्थ के कारण यह विधेयक इस सभा में पारित होने से किस प्रकार रोका गया।

सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाया है और इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हमें समझ में नहीं आता कि सरकार का ढुलमुल रवैया क्यों है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सरकार को निदेश दें कि इस सत्र में ही इस विधेयक पर विचार करवाएं और इसे पारित करवाएं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में हजारों तम्बाकू उगाने वाले किसान आंदोलन कर रहे हैं। वे 'रास्ता रोको' आंदोलन करने जा रहे हैं और ऐसे अन्य आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। गुजराल समिति की सिफारिशें हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष हेतु सरकार हस्तक्षेप करे जिसके लिए व्यापारियों ने भी एक सिंडीकेड बनाया है जो निम्नतम स्तर पर मूल्यों पर नियंत्रण कर रही है। सभी किसानों ने व्यापारियों की इस पहल का बहिष्कार किया है और आंदोलन के लिए मंच तैयार किया है। आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान है।

हाल ही में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने प्रबीर सेनगुप्ता समिति को तम्बाकू बोर्ड और अन्य कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है लेकिन मूल्य स्थिरीकरण कोष और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजनाओं के बारे में पूछने के बजाय प्रबीर सेनगुप्ता समिति ने तम्बाकू बोर्ड को समाप्त करने की सिफारिश की है। किसानों के भारी आंदोलन करने के पश्चात् 1975 में तम्बाकू बोर्ड ने कार्य करना शुरू किया था। इस परिप्रेक्ष्य में, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार सेनगुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू न करे और मांग करते हैं कि गुजराल समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि मूल्य स्थिरीकरण किया जा सके और तम्बाकू उगाने वाले किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, पूरे राष्ट्र को दक्षिण अफ्रीका में हो रहे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान पर भारतीय क्रिकेट टीम की शानदान जीत पर गर्व है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने अपनी टीम को पहले ही मुबारकवाद दे दी है।

श्री अजय चक्रवर्ती : हमें विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर गर्व है। हम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अपनी हार्दिक बधाई देते हैं। मैं आपसे और अपने माननीय सहयोगियों को अनुरोध करता हूं कि हमें अपना आभार व्यक्त करने और अपने खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत संकल्प को पारित करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने यह संदेश पहले ही भेज दिया है।

श्री अजय चक्रवर्ती : इससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और हमारे खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे और हम विश्व कप जीतेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : हाल ही में केरल में आदिवासियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी जहां एक आदिवासी की मृत्यु हो गई और कई लापता हो गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उन स्थलों का दौरा किया है और उन्हें इस घटना की जांच करने के लिए कहा गया है। केरल सरकार अत्यंत हठी है और वे न्यायिक जांच के आदेश नहीं देना चाहती...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मुझे भी इस पर बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद आप भी इनके साथ स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : मैं इससे संबद्ध नहीं हूं लेकिन मैं इससे

असंबद्ध हो रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य सभा को आधा सच आधा झूठ बताकर गुमराह कर रहे हैं। प्रत्येक को आदिवासियों के साथ सहानुभूति है लेकिन राधाकृष्णन उस संदर्भ में राज्य सरकार की बुराई कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : पुलिस का गोली चलाना न्यायोचित नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : वर्तमान राज्य सरकार ने आदिवासियों को भूमि दी थी लेकिन मेरे मित्र के दल की सरकार ने उन्हें एक खड भूमि तक नहीं दी...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : राज्य में नेता ने भूख हड़ताल की है...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : उन्हें दल के सचिव ने स्वयं आदिवासियों के नाम पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासियों पर सहानुभूति जताई है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, एक विधायक ने भूख हड़ताल की है जो सीपीआई (एम) विधायी दल के सचिव भी हैं। वे सचिवालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : उन्हें स्वयं के दल ने बताया है कि वे आदिवासियों पर हथियार हमले से सहमत नहीं हैं। अतः माननीय सदस्य इसके बारे में गलतबयानी पैदा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : उनकी भूख हड़ताल शुरू किए चौथा या पांचवां दिन हो गया है लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश देना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर है।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, भारत की सेंट्रल जेलों में जो अब सुधारात्मक केन्द्रों के रूप में ऊपर उठे हैं, अपराधियों और आतंकवादी गतिविधियों के केन्द्र बनते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* कारावास में रहने के पश्चात् भी विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठन ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जो सभी कठोर उपाय किए गए हैं, को तोड़ने में सफल हो रहे हैं। इसी प्रकार की एक घटना पश्चिम बंगाल में हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह पाया गया है कि अफताव अंसारी जिसे लगातार अनुरोध करने के पश्चात् यूएई से वापस लाया गया था जिसने अमरीकन सेंटर पर आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी और कादिम शू कम्पनी के मालिक श्री प्रभोराज वर्मन का अपहरण करने के बाद सुर्खियों में आया था इसने दुबई में अपने सैल्यूलर फोन का प्रयोग करते हुए और अपने सहयोगियों को निदेश देते हुए अपनी जघन्य गतिविधियां जारी रखी हैं।

अतः यह अत्यंत चिंता का विषय है कि जेल में रहते हुए भी वे अपनी गलत गतिविधियां जारी रख सकते हैं। अतः इसका पूरा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[अनुवाद]

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधायी कार्य करेगी।

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक*— पुरःस्थापित

458-59

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, अपने साथी श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.03 में प्रकाशित।

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.05½ बजे

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण* **

[अनुवाद]

459-60

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : महोदय, मैं अपने साथी श्री जसवंत सिंह की ओर से सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा–पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मंत्री जी वित्त विभाग के प्रभार में हैं या नहीं और अगर इसमें हैं तो इन्हें कहना पड़ेगा कि मैं प्रस्ताव करता हूं। इसमें संसदीय कार्य मंत्री या दूसरे विभाग के मंत्री को कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें कहना पड़ेगा कि हम प्रस्ताव पेश करते हैं।...*(व्यवधान)* अगर ये वित्त विभाग में हैं तो स्वयं कहेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : वरिष्ठ मंत्री की ओर से राज्य मंत्री यह नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी, अभी उन्होंने विधेयक पुरःस्थापित किया है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है कि इसे साधारण तरह से न लिया जाए। ये अगर वित्त विभाग के प्रभार में हैं तो यह अधिकार इन्हें है। अगर संसदीय कार्य मंत्री और दूसरे मिनिस्टर गायब हैं तो ये प्रस्ताव कर सकते हैं। ये स्वयं कहेंगे, अपने सहयोगी की तरफ से क्यों बोलेंगे। ये स्वयं कहें कि हम पेश करते हैं। हमें इनके पेश करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये स्वयं कहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जो अभिमत दिया गया है, वह यह है कि यह अर्थव्यवस्था संबंधी विधेयक है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मामले से संबंधित है। विधेयक को वित्त मंत्री के नाम से सूचीबद्ध किया गया है। राज्य मंत्री को पूरा अधिकार है कि वह चर्चा में हिस्सा लें, हस्तक्षेप करें अथवा उत्तर दें। मैं केवल आपका मार्गनिर्देशन चाहता हूं कि क्या इस तरह के वित्त विधेयक जो कि पूरी तरह वित्त संबंधी मामले से संबंधित है, प्रभारी मंत्री, जो इस विषय पर कार्य न कर रहे हों, विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं। बस इतना ही।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इनके नाम पर लेटर लिखकर कहा है कि वे अपना जो बिल है, उसे ये इंट्रोड्यूस करेंगे और एक कापी भी इन्हें दी है, इसलिए ये कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग से संबंधित जो राज्य मंत्री हैं, वे इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई दूसरा करेगा। इसमें आपकी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप व्यवस्था देने का कष्ट करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, वह सीमा–शुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क के प्रभारी मंत्री हैं। वह संबंधित मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अध्यक्षपीठ से श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन के माध्यम से इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी है। अतः मैंने अनुमति दे दी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 7067/2003.

अपराह्न 2.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में अफीम की फसल को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य में एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी] 461

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेषकर नीमच, मंदसौर और रतलाम में गत मास असमय भारी वर्षा व विनाशकारी ओलावृष्टि के कारण कई फसलों को जहां भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं अफीम की फसल को भी भारी हानि हुई है। उक्त अफीम उत्पादक जिलों में कतिपय स्थानों में 60 से 70 प्रतिशत तक की हानि हुई है। यद्यपि इस तथ्य की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई, किन्तु मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा हानि का आकलन न किए जाने से अफीम उत्पादकों में भारी क्षोभ है व उन्हें आशंका है कि यदि यथासमय हानि का आकलन नहीं होता है तो उनके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित औसत न देने के फलस्वरूप उनके लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। ऐसी दशा में उन्हें फसल की हानि होने से आर्थिक हानि व लाइसेंस निरस्त होने की दशा में भी भारी हानि होगी, इस प्रकार अफीम किसान को दोहरी हानि से पीड़ित होना पड़ेगा।

अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि तुरन्त ही निरीक्षण दल भेजकर हानि का आकलन करवाएं ताकि अफीम उत्पादकों को भारी आर्थिक हानि से राहत प्राप्त हो सके व वे भावी हानि से बच सकें। 461-62

(दो) महाराष्ट्र में जलगांव रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यता

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय जलगांव शहर महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक शहर है तथा मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के अंतर्गत जंक्शन स्टेशन है। विश्वप्रसिद्ध अजंता गुफाएं जलगांव शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिन्हें देखने हेतु देश–विदेशों से भारी संख्या में पर्यटक जलगांव आते हैं। जलगांव रेलवे स्टेशन पर और अधिक यात्री सुविधा मुहैया कराने के लिए तथा जलगांव रेलवे स्टेशन का विकास करने के लिए जलगांव रेलवे के अधिकारियों के साथ नागपुर में इस संबंध में भी बात हुई थी और उन्होंने भी इस बारे में आश्वासन दिया है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जलगांव रेलवे स्टेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए जलगांव स्टेशन को भुसावल का उपनगरीय स्टेशन का दर्जा बहाल करने का कष्ट करें।

(तीन) वकीलों के हड़ताल करने के अधिकार को गैर-कानूनी घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने की आवश्यकता 462

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, समस्त न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में की जाने वाली हड़ताल को गैर–कानूनी करार देकर दिसम्बर माह 2002 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो अधिवक्ताओं के हक में नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस आदेश के पुनरावलोकन हेतु उच्चतम न्यायालय में केस लगाया जाए। अगर इससे समस्या का समाधान नहीं होता है तो संविधान में संशोधन किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांगें और उनके अधिकार जनतांत्रिक ढंग से उन्हें प्राप्त हो सकें। हमारे देश के अधिवक्ता संविधान के वॉच डॉग के रूप में कार्य करते हैं तथा न्यायालयों के कार्य को सुचारु रूप से चलाने तथा न्यायोचित न्याय दिलाने में मदद करते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पुनरावलोकन किया जाए तथा यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन कर अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांगें एवं उनके अधिकार जनतांत्रिक ढंग से उन्हें दिलाए जाएं।

[अनुवाद] 462-63

(चार) केरल हाई-टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम) : महोदय, मैं केरल हाई–टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केलटेक), त्रिवेन्द्रम को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाए जाने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा।

केलटेक की स्थापना रक्षा और अंतरिक्ष की हाई–टेक हार्डवेयर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। इसने तकनीकी रूप से बहुत अच्छा कार्य किया और उत्पाद की गुणवत्ता

[श्री वी. एस. शिवकुमार]

को भी सराहा गया। हार्डवेयर के उत्पादन में प्रौद्योगिकी को इंजीनियरों और तकनीशियनों के दल द्वारा देश में ही विकसित किया गया था जो कि उच्च गुणवत्ता की गारंटी देते हुए और जटिल कार्य कर सकते हैं। तथापि अनेक कारणों से कम्पनी रुग्ण हो गई और उसे बी.आई.एफ.आर. को सौंपना पड़ा।

तथापि, इस कम्पनी की रक्षा और अंतरिक्ष के लिए हार्डवेयर आवश्यकताओं को महसूस करते हुए कम्पनी के महत्व को ध्यान में रखते हुए डी.आर.डी.ओ. और इसकी मदद के लिए आगे आए। अब यह कम्पनी सभी प्रकार के ऋण से मुक्त है और यह कम्पनी ऐरोस्पेस उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्ति की ओर अग्रसर है। इसमें विस्तार और विविधताओं की काफी क्षमता है और अपने आरम्भिक कदम के रूप में कम्पनी ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में कुछ सामरिक कार्य किए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस यूनिट को किसी भी रक्षा संबंधी संगठन में विलय के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

463-64

(पांच) भारतीय निर्माण उद्योग को अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : महोदय, चूंकि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने की पेशकश की है, इसलिए भारतीय निर्माण उद्योग अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण का कार्य कर सकती है और अपनी प्रतिमा दिखा सकती है। इस प्रयोजन से भारतीय ठेकेदारों का चयन किया जा सकता है और उनके द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। भारतीय निर्माण उद्योग को विदेशों में कार्य के अवसर प्रदान करने और अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता देने की बजाय प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारों को कार्य के लिए भुगतान की अदायगी के लिए धनराशि जारी करनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने मुख्य मंत्री द्वारा की गई पहल के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में हैदराबाद में राष्ट्रीय निर्माण अकादमी की स्थापना की है। यह अकादमी इंजीनियरों, तकनीशियनों, कुशल कामगारों और व्यापारियों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इस संस्थान ने अफगानिस्तान सरकार के इंजीनियरों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। अतः भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, हैदराबाद को अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्य के लिए तरीके निकाले जाएं और अफगानिस्तान के लिए प्रशिक्षण और निर्माण कार्य में शामिल कर लिया जाए।

(छह) पशुपालन के विकास के लिए अधिक धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

464

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति हो या परिवार अथवा देश सभी के लिए आवश्यक है कि वह प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ता चले किन्तु यह तभी संभव है जब वह अपने संसाधन, क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रगति पथ का चयन करे। देश की सामर्थ है 94 प्रतिशत अकुशल श्रमिक वर्ग, साधन है नवयुवक का पसीना और आवश्यकता है अधिक से अधिक रोजगार के अवसर। इसलिए हमें देश में उद्योगों को चुना होगा जिनमें अकुशल श्रमिक काम कर सकें और जो थोड़े पैसे से शुरू हो सकें तथा अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकें। इस कसौटी पर पशु–पालन उद्योग खरा उतरता है। अभी देश में इस उद्योग के माध्यम से 19 मिलियन लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पादन में इस उद्योग की भागीदारी 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 1.1 प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह मात्र 0.6 प्रतिशत आवंटित की गई है जो कि अत्यधिक कम है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि तत्काल सरकार पशुपालन उद्योग पर पुनः विचार करे और कम से कम इस मौजूदा प्रतिशत को 3 प्रतिशत तक बढ़ाए।

(सात) महाराष्ट्र में अचलपुर-मूर्तिजापुर-यवतमाल छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

464-65

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, अचलपुर–मुर्तीजापुर–यवतमाल यह नैरो गेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने हेतु मैंने कई बार नियम 377 के अंतर्गत सदन में मामला उठाया है और माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखे हैं।

75 वर्ष पूर्व यह लाइन आज 21वीं सदी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इस रेल लाइन पर सेगकर, अंजनगाव,

सूर्ज, दर्यापुर, अचलपुर यह बड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र है। जो बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद करते हैं। संतरा, केला, गन्ना, गेहूं, सोयाबीन का बड़ी मात्रा में यहां उत्पादन होता है। शहानुर नामक बड़ा डैम यहां पर खेती को पानी देता है। नैरो गेज रेल लाइन के स्टेशनों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। भारतीय रेल इंग्लिश कम्पनी को रॉयल्टी देकर वह ट्रेन चलती है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि इस रेल लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने हेतु इस मार्ग का सर्वेक्षण का काम शुरू करें।

(आठ) उत्तर प्रदेश में मऊ में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रोआर्गेनिज्म को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता 465

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी, जिला मऊ (उ.प्र.) में प्रस्तावित राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर को 27 जनवरी, 2000 के वित्त मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरित करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

उक्त अंतरण के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से बार–बार उत्तर आया कि विचार किया जा रहा है। तीन वर्षों से अधिक समय तक विचार करने के बाद एन.आई.एस.एस.टी., मऊ का अंतरण सैद्धांतिक रूप में आई.सी.ए.आर. को होने के बावजूद अभी तक आई.सी.ए.आर. द्वारा प्रस्तावित नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रोआर्गेनिज्म का प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि आई.सी.ए.आर. के संस्थान एन.बी.ए.आई.एम. को तत्काल प्रारंभ करें।

[अनुवाद]

(नौ) तमिलनाडु में रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेद्दानायकन पलायनी कस्बे को इंटीग्रेटेड स्माल एंड मीडियम टाउनशिप डेवलेपमेंट स्कीम में सम्मिलित किए जाने तथा इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता 465-66

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार इंटीग्रेटेड स्माल एण्ड मीडियम टाउनशिप डेवलपमेंट संबंधी योजना कार्यान्वित कर रही है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेद्दानायकन पलायम एक मीडियम टाउन है और उमसें अवसंरचनात्मक विकास की कमी है। यह केन्द्र में स्थित है। लेकिन वहां नगर में कोई सड़कें नहीं हैं और न ही जल उपलब्ध है। नगर पंचायत ने नगर के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध के लिए अनेक संकल्प पारित किए हैं।

अतः भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि 'पेद्दानायकन पलायम' और इसके आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए कम से कम एक करोड़ रु. का आवंटन किया जाए। स्थानीय निकाय केवल मूलभूत सुविधाओं को ही विकसित नहीं कर सकती है बल्कि इसके राजस्व के स्रोत को उत्पन्न करने के लिए वाणिज्यिक परिसर का निर्माण भी कर सकती है।

मैं एक बार फिर भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे 'पेद्दानायकन पलायम' को योजना में शामिल करे और पर्याप्त धनराशि का आवंटन करे।

(दस) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में रानीनगर रेलवे जंक्शन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता 466-67

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, रानीनगर नेपाल, भूटान और सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के गेटवे के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत सरकार, राज्य सरकार और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित किए जाने के बाद वहां विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से अनेक उद्योगों ने अपना उत्पादन आरम्भ कर दिया है और रानीनगर से रेलगाड़ी द्वारा सामान भेजने की अपर्याप्त रेल सुविधाओं के कारण सड़क के रास्ते भारत के विभिन्न भागों में अपने उत्पाद भेजना आरम्भ कर दिया है। यदि रानीनगर जंक्शन को लोकोशेड, अतिरिक्त बुकिंग कार्यालय, रैक के लिए स्थान और हल्दीबारी से कोलकाता बरास्ता रानीनगर सुपरफास्ट गाड़ियां आरंभ की जातीं तो रेलवे विभाग को आज की अपेक्षा अधिक राजस्व मिलता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जलपाईगुड़ी जिले में रानीनगर रेलवे जंक्शन की व्यवहार्यता के लिए और जलपाईगुड़ी और बेलाकोबा के बीच एनएफआर में इस रेलवे

[श्रीमती मिनाती सेन]

जक्शन के उन्नयन की संभाव्यता का पता लगाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने हेतु इसका तत्स्थानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

467

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में उत्तरी मालदा के चंचल सब-डिवीजन के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं इस सभा में बार-बार दोहराता रहा हूं कि मालदा जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नए उपमंडलीय मुख्यालय चांचल के लिए अपेक्षित मूलभूत सहायता की ओर राज्य सरकार और योजना आयोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह उत्तरी मालदा का मुख्य केन्द्र है जो कि प्रत्येक एक वर्ष के बाद बाढ़ों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

आज तक उपमंडलीय अस्पताल, इंजीनियर कालेज, चंचल कालेज के विज्ञान संकाय और प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण तथा उत्तरी मालदा में बाढ़ प्रबंधन रतुआ खंड में गंगा और फुलोहर नदियों में कटाव आदि के लिए वार्षिक योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिसके कारण उपमंडल में बयान न की जाने वाली तकलीफें और अनिश्चितता बनी हुई है।

राज्य सरकार, योजना आयोग और केन्द्र सरकार विशेषकर कि मानव संसाधन विकास के जल संसाधन डैस्क को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

अतः मेरा योजना मंत्रालय से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के साथ मालदा के चंचल उपमंडल के विकास हेतु समुचित कार्यवाही करने के लिए तुरंत बैठक करे।

अपराह्न 2.24 बजे

सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

467 - 510

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 14 और 15 दोनों पर एक साथ चर्चा करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : उपस्थित नहीं। श्री प्रबोध पण्डा।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा 20 जनवरी, 2003 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सभा में क्या हो रहा है, मैं जानना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा : ऐसा लगता है कि वह किसी अन्य कार्य से गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री महोदय ने अभी विधेयक पुरःस्थापित किया और सभा से चले गए...*(व्यवधान)* अब, सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया गया है और उत्तर देने के लिए अन्य मंत्री उपस्थित हैं। इसको विचारार्थ लेने के लिए एक अन्य मंत्री खड़े हैं...*(व्यवधान)* यह प्रक्रिया नहीं है। यह सभा का अपमान है। यह कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही है और सरकार के अधिकारों का दुरुपयोग है। क्या इस तरह से संसद को कार्य करना चाहिए?...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री महोदय वापस नहीं आ जाते, यहां कोई कार्य नहीं हो सकता है। यह कोई तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अडसुल, एक अन्य वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, कुछ समस्या है। वह अभी यहां वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं विधेयक पुरःस्थापित करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं केवल एक बात आपको सूचित करना चाहूंगा। हमें बताया गया है कि वित्त

मंत्री जिनके नाम के सामने यह कार्य की मद सूचीबद्ध है, ने श्री जिन्जी रामचन्द्रन को प्राधिकृत किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, महोदय, कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। कार्यसूची की यह मद वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह के नाम में सूचीबद्ध थी। लेकिन उन्होंने श्री जिन्जी रामचन्द्रन को प्राधिकृत किया है...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : वह यहां उपस्थित थे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं। वह यहां उपस्थित नहीं थे। वह अभी आए हैं। लेकिन अन्य मंत्री महोदय खड़े हुए और कहा कि वह विधेयक पुरःस्थापित करेंगे...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह यहीं उपस्थित थे और अभी कुछ क्षण के लिए बाहर गए थे...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह सरकार इस तरह से कार्य करती है ! यह म्यूजिकल चेयर की तरह है।...*(व्यवधान)* महोदय, अब उन मंत्री महोदय को अपनी टिप्पणियां वापस लेनी होंगी, केवल तभी उन्हें विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं उसी विभाग से संबंध रखता हूं। इसमें गलत क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह कोई तरीक़ा है !

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, इंट्रोडक्शन के बाद चूंकि नियम 377 के अधीन मामले चल रहे थे। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने सोचा होगा कि मैं पानी पी आऊं। वह पानी पीने चले गए। उन्हें नहीं लगा कि इसी बीच नियम 377 के अधीन मामले खत्म हो गए हैं। बहुत स्वाभाविक मिस्टेक है, फिर भी मैं चाहती हूं कि मंत्री जी एपोलोजाइज करके शुरू करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब आप केवल अपना खेद व्यक्त कर सकते हैं।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ मिनट के लिए बाहर चला गया था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ठीक है...*(व्यवधान)*

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा हो रही थी और मैं कुछ मिनटों के लिए बाहर चला गया...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम आपका पूरा सम्मान करते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप विचारार्थ विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रबोध पण्डा : मैंने संकल्प प्रस्तुत किया क्योंकि इससे अध्यादेश प्रतिस्थापित होना है जिसे बजट सत्र बुलाने से कुछ दिन पहले प्रख्यापित किया गया है। सरकार जानती थी कि बजट सत्र आरंभ होने वाला है लेकिन फिर भी इसने ऐसा किया। मैं नहीं समझता कि क्या जल्दी थी क्योंकि इस महत्वपूर्ण बजट सत्र से कुछ दिन पहले ही इसे प्रख्यापित किया गया था। अतः यह एक प्रकार का 'अध्यादेश राज' है।

संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में इस माननीय सभा के अनेक माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इस परम्परा को नहीं अपनाना चाहिए। इस सभा में व्यापकता के साथ यह विचार प्रस्तुत किया गया और यह आशा की गई कि अब से सरकार ऐसे तरीकों को नहीं अपनाएगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बजट सत्र को बुलाने से थोड़ा पहले ही इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया। यह संसद की उपेक्षा और संसद के लोकतांत्रिक मानदंडों की उपेक्षा करने जैसा है। वह 'अध्यादेश राज' द्वारा ही कुछ कर रहे हैं। अतः मैं इसके विरुद्ध हूं।

सीमा–शुल्क न केवल भारत के लिए, बल्कि विश्व के अधिकतर विकासशील देशों के लिए भी कर राजस्व का मुख्य

[श्री प्रबोध पण्डा]

स्रोत रहा है। अतः इस पर आराम–आराम से चर्चा नहीं करनी चाहिए। विकसित देशों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली अत्यधिक राज सहायता के कारण गैर–प्रतिस्पर्द्धात्मक उच्च शुल्क दरें लगाई जाती हैं जिसे प्रभावी रूप से मोल–भाव करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारी टैरिफ नीति राजनीति प्रधान होनी चाहिए। इस पर आराम–आराम से चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह केवल नाम निर्देशन की सुविधा का प्रश्न नहीं है अथवा केवल अंकों के वर्गीकरण का प्रश्न नहीं है। यह केवल विदेशी प्रतिभागी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। अतः यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर पूर्णता के साथ विचार करना चाहिए।

इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन विनियमों का दबाव है जिन्होंने आयात शुल्क को कम करने, अंकों के वर्गीकरण और नाम निर्देशन देने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान और अधिक लाभकारी और आकर्षक हो जाए। अतः यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी व्यापारियों को सुविधा देने के लिए है। सीमा–शुल्क बजट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट पर चर्चा आरम्भ होने से पहले ही सरकार ने यह विधेयक पेश किया था जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा था मेरे विचार में सीमा–शुल्क से संबंधित मामलों पर आराम–आराम से विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की यह नियमित परम्परा बन गई है।

यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार, एनडीए, ने अपना शाब्दिक अर्थ खो दिया है। तात्पर्य यह है कि यह राष्ट्रीय सरकार है, जबकि यह राष्ट्र विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। इसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है लेकिन यह लोकतांत्रिक प्रणाली की उपेक्षा कर रहे हैं। इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह अपने छिपे हुए कार्यों को आगे लाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोई गठबंधन नहीं है। आज भी 'शून्य काल' के दौरान न केवल विपक्ष के सदस्यों बल्कि यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कही जाने वाली सरकार के सदस्यों ने भी अनेक मुद्दे उठाए जिन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वास्तव में उनके बीच कोई गठबंधन है या नहीं।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दें कि बजट सत्र आरम्भ होने से पहले, इस अध्यादेश को पेश करने की क्या जल्दी थी? अतः मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यह सभा इसे स्वीकार करेगी।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : उपाध्यक्ष महोदय, व्यापार और वाणिज्य तथा वाणिज्य मंत्रालय के अन्य संबंधित विभागों की तात्कालिकता के कारण इस अध्यादेश की जगह पर हमने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। उन्होंने यह विषय कस्टम्स को संदर्भित कर दिया क्योंकि टैरिफ कोड विशेषज्ञ सीमा–शुल्क में कई स्पष्टीकरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई संगठन हैं। इसके पीछे एक पदनाम रखने का और सीमा–शुल्क, वाणिज्य इत्यादि से संबंधित विषयों में सौहार्द्र कायम करने का विचार था। यही कारण है कि पहले भी इस पर बातचीत की गई थी। वाणिज्य मंत्रालय और निर्यात संवर्धन बोर्ड ने भी व्यापार, उद्योग निर्यात, आयात इत्यादि को सुगम बनाने के लिए इसकी सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि इस विषय पर तत्काल विचार किया जाए। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने मदों का वर्गीकरण किया। हम सीमा–शुल्क और टैरिफ के लिए छः अंकों के सांख्यिकी को अपना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे आधार के रूप में आठ अंकों को लेते हैं और कुछ अन्य आधार के रूप में दस अंकों को लेते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, तो इससे कारोबार की लागत में कमी आएगी। फिर हम आंकड़ों को कम्प्यूटर में डाल सकते हैं। हमारे लिए इस प्रकार का उपाय करना आवश्यक है।

इसीलिए, एनडीए सरकार ने इस अध्यादेश को जारी किया है। हमारी संसद अथवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। हमने तात्कालिकता के कारण अध्यादेश जारी किया था। अब, हमने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है जो इस अध्यादेश का स्थान लेगा जो जनवरी में प्रख्यापित किया गया था। यह 3 फरवरी से लागू हुआ था। इसके पीछे विचार व्यापार और उद्योग के कारोबार लागत को कम करना था। हम आराम से सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार और उद्योग के विहित लोग हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाए। इससे शीघ्रतापूर्वक आंकड़ा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। इसलिए हमने यह विधेयक पुरःस्थापित करने का नीतिगत फैसला किया है।

मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सीमा–शुल्क के बारे में अपने विचार प्रकट किए।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह विधेयक शुल्कों में कमी अथवा वृद्धि करने के लिए नहीं है। इस विधेयक से सिर्फ कतिपय प्रक्रियाओं को सरल करना है और व्यापार तथा उद्योग से आंकड़ों के एकत्रीकरण को सुगम बनाना है। सिर्फ यही उद्देश्य है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की कोई हानि नहीं होगी। इससे कर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजस्व संग्रह पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह आयातकों और निर्यातकों द्वारा समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। इससे कितना आयात किया गया है, आयातित वस्तुओं के प्रकार इसकी मात्रा इत्यादि के बारे में जानना आसान होगा। हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। चूंकि उन उपायों को तुरन्त करना आवश्यक था इसलिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

मैं माननीय सदस्य को अपना विचार प्रकट करने के लिए धन्यवाद देता हूं और माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 20 जनवरी, 2003 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यजनक है कि सरकार और वह भी वित्त मंत्रालय तात्कालिकता का कारण स्पष्ट किए बिना ही अध्यादेश के माध्यम से एक के बाद एक विधान लाने का प्रयास कर रहा है।

महोदय, मंत्री जी ने अभी–अभी कहा कि यह विधेयक आयात–शुल्क में कमी अथवा वृद्धि करने के लिए नहीं है। यह मात्र कतिपय मदों की अनुसूची में परिवर्तन करके व्यापार प्रबन्धन को सुगम बनाना और साथ ही वाणिज्य मंत्रालय में वाणिज्यिक आसूचना सांख्यिकी विभाग को सक्रिय बनाना है।

महोदय, मैं इस विधेयक के वाल्यूम पर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह डिक्शनरी के आकार से बड़ा है। माननीय मंत्री जी आया करते हैं कि वह सभा में चर्चा से 72 घंटे पहले इस विधेयक को परिचालित करेंगे और माननीय सदस्य इस विधेयक के प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ेंगे और फिर वाद–विवाद में भाग लेंगे। मुझे आश्चर्य है यदि स्वयं माननीय मंत्री ने इस विधेयक के सभी उपबंधों को पढ़ा होगा। मैं पृष्ठों और अध्यायों को उद्धृत करके माननीय मंत्री को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री उनका उत्तर नहीं दे सकेंगे।

महोदय, क्या संसद के साथ व्यवहार का यही तरीका है? क्या संबंधित अनुसूचियों में वस्तुओं और मदों के वर्गीकरण के महत्वपूर्ण विषय पर एनडीए सरकार को संसद से इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस विधेयक का स्तर क्या है? यह विधेयक सिर्फ धारा 11 में संशोधन करने और प्रथम अनुसूची को प्रतिस्थापित करने के लिए एक अन्य धारा 11(क) जोड़ने के लिए है। यह इससे अधिक कुछ भी नहीं है। अब, यदि सदस्य यह पता करें कि छः और आठ अंकों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए किन मदों को जोड़ा गया है, तब उन्हें पूरा विधेयक पढ़ना होगा। यही कारण है कि संसद ने अपने विवेक से स्थायी समितियों का गठन किया है। स्थायी समितियों के पास संपूर्ण विषय का अध्ययन करने और सुझाव देने का पर्याप्त समय होता है। उद्योग भवन में वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कतिपय नौकरशाहों ने इस दस्तावेज को तैयार किया है तथा मंत्री को एक अध्यादेश जारी करने और बाद में इसे संसद से पारित कराने के लिए कहा है। संसद को हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। हम भी इसमें योगदान कर सकते हैं। इस सभा में विख्यात विशेषज्ञ हैं जिन्होंने काफी समय तक वित्त मंत्रालय और सीमा–शुल्क विभाग में अथवा सार्वजनिक जीवन में भी कार्य किया है और जो जानते हैं कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है और किन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत और लाया जा सकता है। हम इस संपूर्ण अवधारणा को और बेहतर बनाने के लिए अच्छे सुझाव दे सकते थे। किंतु समय कम है। यदि सरकार की मंशा छः और आठ दोनों अंकों में समुचित तरीके से वर्गीकरण करके टैरिफ व्यवस्था का व्यापक आधार प्रदान करना था और इसे प्रथम अनुसूची में प्रतिस्थापित करना था, तब उन्हें अध्यादेश प्रख्यापित किए बिना इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए था और इसे पीठ के इस अनिवार्य निदेश के साथ स्थायी समिति को भेजना चाहिए था कि इसे बजट सत्र के अगले भाग में सभा में फिर से लाया जाए तथा अनुदानों की मांगों और वित्त विधेयक को पारित करने से पहले इस पर विचार किया जाए। उस स्थिति में स्थायी समिति में अधिक समुचित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से सब कुछ किया जाता। किंतु, अब माननीय मंत्री ने सोचा कि वह मात्र 72 घंटे पहले विधेयक को परिचालित करेंगे, कोई

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

भी माननीय सदस्य इसे नहीं पढ़ सकेंगे वह सिर्फ इसे सरसरी तौर पर पढ़ सकेंगे और फिर इस विधेयक पर अपनी सहमति देंगे और फिर वह टेलीविजन के सामने जाएंगे और कहेंगे कि उन्होंने इस विधेयक को पारित किया। तरीका यह नहीं है।

महोदय, कभी–कभी मीडिया प्रतिपक्ष पर आरोप लगाता है कि प्रतिपक्ष सभा का अत्यधिक समय लेता है और सभा की कार्यवाहियों में अड़चन डालता है और सरकार अपना कार्य नहीं कर पाती है। इस बार मीडिया को यह नोट करना चाहिए कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। इतने बड़े विधेयक को मात्र 72 घंटे पहले परिचालित किया गया है और सदस्यों ने इसे समुचित रूप से पढ़ा भी नहीं, यहां तक कि माननीय मंत्री भी विधेयक में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों को नहीं जानते हैं। क्या माननीय मंत्री मुझे बता सकते हैं कि क्यों मधुबनी चित्रकला और कलमकारी चित्रकला को आठ अंक में संबद्ध कर दिया गया है और उन्हें इंग्लैण्ड में तैयार करके यहां आयात करना है। इसका आधार क्या है? क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे?...*(व्यवधान)* वह यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है। गो मांस के आयात को एक विशेष श्रेणी में रखा गया है और दूसरी श्रेणी में प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरह से क्यों किया गया है? अब, यदि हम इन सभी प्रश्नों को पूछना शुरू कर दें, तब इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय पर्याप्त नहीं होगा।

महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी के साथ पूर्ण सहानुभूति है। मैं न तो उन पर आरोप लगाना चाहता हूं, न ही उन्हें परेशान करना चाहता हूं और न ही उनका अपमान करना चाहता हूं। किंतु सभा में आने और सभा की स्वीकृति लेने का यह तरीका नहीं है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि इसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी, न ही इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने और न ही इस तरह से इस विधेयक को लाने की जल्दबाजी थी। यदि यह अध्यादेश नहीं लाया जाता तो आसमान नहीं गिर पड़ता। ये प्रस्ताव सामान्य विधेयक के रूप में आ सकते थे। हम भी अपने विचार दे सकते थे। मैंने कम से कम एक मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय में काम किया है जहां वाणिज्यिक आसूचना के निदेशक को सुगम बनाने के लिए काफी पहले वर्गीकरण और श्रेणीकरण का काम शुरू कर दिया जाता था।

किंतु कई क्षेत्र हैं जिस पर हम विचार भी नहीं कर सकते सिवाय उगलने के जैसा कि आपने हम लोगों से चाहा है, इसलिए यह एनडीए सरकार की सदैव ही संसद को इस तरह के विधेयकों को जल्दबाजी में बिना तात्कालिकता बताए हुए अध्यादेश मार्ग से पारित कराकर दरकिनार करने की बुरी रीति है। 1 फरवरी से इस अध्यादेश को लाकर 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच व्यापार परिमाण में कितनी वृद्धि हुई है? आपने किन विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित किया है? मैं आपसे मांस, पशुपालन, दुग्ध, फूडस्टॉक और पक्षी आयात के विनिर्दिष्ट मदों पर डीजीसीआई रिपोर्ट से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के आंकड़े की मांग करता हूं। क्या आप कुल हथियार आयात पर आंकड़ा दे सकते हैं, आप इन हथियार अधिष्ठापनों और पृथक व्यवस्था में आयात शुल्क को किस तरह से वर्गीकृत करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं। एक बुद्धिमान मंत्री के रूप में आप कहेंगे कि यह आपका काम नहीं है, वाणिज्य मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, आप यहां पर तकनीकी सुविधाओं का उत्तर देने के लिए हैं।

[अनुवाद]

लेकिन इससे यहां सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे। यदि यह एक सामान्य विधेयक होता, मैं इस प्रकार का प्रश्न नहीं करता। लेकिन चूंकि आपने अध्यादेश पुरःस्थापित किया है आपको इसकी तात्कालिकता की जानकारी देनी होगी।

तात्कालिकता की चार आधार पर व्याख्या की जा सकती है। प्रथम आपके द्वारा अध्यादेश नहीं लाने पर व्यापार कार्य 1 फरवरी से लेकर बजट प्रस्तुत होने तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता। आप बताएं कि यह किस प्रकार प्रभावित हुआ होता और इस व्यवस्था से कैसे प्रभावित नहीं होगा। दूसरे उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि कोई अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होगी और न ही कोई अतिरिक्त व्यय आएगा क्योंकि शुल्क में वृद्धि अथवा कमी नहीं की गई है। मैं आपकी व्याख्या से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन क्या आपने वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में सीमा–शुल्क के प्रशुल्क व्यवस्था में दी गई रियायतों की तुलना की है? क्या ये विश्व व्यापार संगठन की घोषणाओं और दोहा समझौते के अनुरूप है? आप सदन को इसके उपबंधों के बारे में विस्तार से बताकर इन प्रश्नों का उत्तर दें।

तीसरे, आपको सदन को बात से भी संतुष्ट करना है कि खंड 11(क) और प्रथम अनुसूचित में संशोधन करने से कोई ऐसा अन्य क्षेत्र नहीं बचेगा जिसे इस क्षेत्र में आठवें अथवा छठे अंक में वर्गीकृत किया गया है। अन्यथा यदि आप यह

कहें कि अभी भी संशोधन अथवा नई व्यवस्था की आवश्यकता है, मैं इसे गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। आप यह भी कह सकते हैं कि सभी बातों पर व्यापक रूप से ध्यान दिया गया है।

चौथी बात यह है कि भविष्य में भूमंडलीकरण के विद्यमान परिप्रेक्ष्य और फार्म उद्योग और कृषि उद्योग की भारतीय आवश्यकता के विद्यमान परिप्रेक्ष्य में, ऐसे कौन–कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार यह जरूरी महसूस करती है कि आयात पर निर्भरता में कमी की जाए अथवा शुल्क में वृद्धि की जाए और ऐसे कौन–कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार यह महसूस करती है कि इस क्षेत्र को विश्व–व्यापार संगठन के अनुरूप बनाकर और अधिक व्यापक बनाया जाए। इसका कारण है कि अंतरमंत्रालयीन बैठक नहीं बुलाई गई है और यह बाद में अगले वर्ष होगी। आपकी इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा और उसके पश्चात् विधेयक को अपने विचार के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, आप इन बातों की व्याख्या किए बिना केवल यह नहीं कह सकते हैं कि इस विधेयक से व्यापार बढ़ेगा और प्रक्रिया सरल होगी क्योंकि आपको पता नहीं है कि प्रक्रिया किस प्रकार सरल की जाए। इसके संबंध में अब अधिकारी ही आपको जानकारी देंगे। हालांकि हम आपसे विधेयक पारित किए जाने के प्रयास में अड़चन अथवा आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहे हैं बल्कि हम स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हैं कि सीमाशुल्क प्रशुल्क क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण मामले पर सदन को इतने हल्के–फुल्के ढंग से लेना दुर्भाग्यपूर्ण है।

आपने शुरू में ही एक गलती की है। आपने कहा कि यह अधिनियम पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा सीमा–शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 का स्थान नहीं ले रहा है। यह 1975 के अधिनियम का संशोधन है और यह संशोधन भी केवल धारा 11 और प्रथम अनुसूचित को प्रतिस्थापित करने तक सीमित है। अतः यह अधिनियम का पूरी तरह स्थान नहीं ले रहा है। अतः मैं महसूस करता हूं कि मंत्री महोदय को मेरे द्वारा उठाए गए चार प्रश्नों का उत्तर विधेयक को पारित कराने से पूर्व सदन की संतुष्टि के लिए देना होगा। अन्यथा यदि सरकार यह समझती है कि आज पारदर्शिता व्यवस्था का अंग है उसे विधेयक की स्थायी समिति को भेजना चाहिए। इस अध्यादेश के व्यपगत होने से अत्यधिक कठिनाई नहीं होगी, आप संसद के विद्यमान सत्र की समाप्ति के पश्चात् एक और अध्यादेश जारी कर सकते हैं और व्यापार कार्य चला सकते हैं। लेकिन पूरे विधेयक की जांच संसद की स्थायी समिति द्वारा विस्तार से की जानी चाहिए और इस पर सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कांग्रेस दल की तरफ से मेरा यही कहना है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : मैं सीमा–शुल्क प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 2003 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री दासमुंशी ने इस बात को समझाने का भरसक प्रयास किया है कि इस समय किसी के साथ विचार किए बिना अथवा विश्वास में लिए बिना इसमें संशोधन लाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महोदय, मैं समझता हूं कि इसके व्यापक स्वरूप की वजह से थोड़ी समस्या पैदा हुई है। यह महसूस हो रहा है कि इस परिमाण से समस्या उत्पन्न हुई है। हम विशाल शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं लेकिन वे भी शरीफ होते हैं ! यह भी कुल मिलाकर इसी प्रकार का मामला है।

मैं समझता हूं कि पिछले सत्र अथवा इससे पूर्व में ही सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पारित किया है। आज कम्प्यूटरीकरण का दौर है। इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए अथवा भ्रामक स्थिति व्याप्त नहीं होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप आप विधेयक में फुटवीयर का मामला ही लें और मैं श्री दासमुंशी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया कुछ देर मेरी बात सुनें। फुटवीयर विभिन्न आकार के हो सकते हैं। यदि आपने संसदीय सौध में सूर्य देवता की मूर्ति देखी है, तो आपने देखा होगा कि वे हिन्दू धर्म के संभवतः एकमात्र देवता हैं जो बूट पहने हुए हैं। घुटने तक की गलीसेश (गनबूट) किसी अन्य देवता द्वारा नहीं पहनी जाती है। नारद जी लकड़ी की खड़ाऊं पहनते हैं। लेकिन ये दोनों फुटवीयर की श्रेणी में ही आएंगे। इस विधेयक में यही करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी प्रकार के फुटवीयर एक श्रेणी और एक अध्याय में होने चाहिए। विभिन्न वर्गों के लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

अब, मैं धारा 11(क), जिसका वे उल्लेख कर रहे थे और अनुसूची पर आता हूं। अनुसूची में यह कहा गया है :

> "धारा, अध्याय और उप–अध्याय के शीर्षक केवल संदर्भ हेतु दिए गए हैं; विधिक उद्देश्यों हेतु वर्गीकरण का निर्धारण शीर्षक के शब्द और किसी संबंधित धारा अथवा अध्याय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा...।"

मैं एक अध्याय का उदाहरण देता हूं जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरलीकरण किस प्रकार किया गया है। पश्चिम

[श्री अनादि साहू]

बंगाल का होने के कारण उनकी मछली और अन्य जल उत्पाद में अधिक रुचि होगी। मैं समझता हूं कि इसे समुद्री उत्पाद का नाम देना अधिक उचित होगा। आप देखेंगे कि शब्दावली को इतने रुचिकर ढंग से दर्शाया गया है ताकि एक अथवा किसी अन्य विभाग के महज यह निर्णय लेने में कोई भ्रामक स्थिति नहीं बने कि कौन–कौन सी विभिन्न प्रजातियों वाली वस्तुएं सीमा–शुल्क अधिनियम 1975 में आती हैं। शब्दावली को सरल बनाया गया है। उदाहरणस्वरूप पशु, मांस, खाने योग्य मांस, मछली और मेरुदण्डरहित जलचर। एक मद में तो ये आते हैं।

अब मैं मछली और मेरुदंडरहित जलचर प्राणियों पर आता हूं। मेरुदंडरहित प्राणि अन्य कई प्रकार के हो सकते हैं। अतः कुछ सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है। सीपी खाने की एक अच्छी वस्तु है जो इसे पसंद करते हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं कि फ्रांस के लोग सीपी को किसी अन्य वस्तु से अधिक पसंद करते हैं। घोंघा मेरुदंडरहित प्राणी है। लेकिन हमने इसे प्रशुल्क में नहीं दर्शाया है। अब इसे सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। सीपी और घोंघा मेरुदंडरहित प्राणी हैं अतः इन्हें एक ही श्रेणी में रखा जाए। इसीलिए प्रत्येक अध्याय की परिभाषा अलग–अलग है।

मैं कुछ वस्तुओं की परिभाषा हमारे विद्वान मित्रों को बताना चाहता हूं। कोलकाता में लोगों द्वारा झींगा और केकड़े जैसे समुद्री जीवों को पसंद किया जाता है। ये वहां उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ हैं। वहां पथरीले क्षेत्र के समुद्री जीव भी उपलब्ध हैं। 15 अथवा 20 दिन पूर्व डिस्कवरी चैनल में इस समुद्री जीव की विभिन्न प्रजातियों, समुद्री तल पर इसका रहने और इन्हें किस प्रकार पकड़ा जाता है, इत्यादि दिखाया गया था। इस विधेयक में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि ये एक ही श्रेणी में आने चाहिए।

मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब मैं मछली का उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। अब मैं फुटवीयर और अन्य बातों का उल्लेख करूंगा। इसमें रबड़ वाले फुटवीयर भी शामिल किए जा सकते हैं हालांकि रंग में परिवर्तन आ सकता है। प्लास्टिक पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसका तल्ला और ऊपरी भाग अलग–अलग हो सकते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इसके संबंध में सभी मंत्रालयों में किसी किस्म की भ्रामक स्थिति उत्पन्न नहीं हो और एक सरलीकृत और सुचारु प्रक्रिया अपनाई जा सके। उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि शब्दावली की विद्यमान सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। यह शब्दावली की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली है। इसमें सामंजस्य होना चाहिए।

यह एक वित्त विधेयक नहीं है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह एक वित्त विधेयक है। इसका वित्त विधेयक से कुछ लेना–देना नहीं है। कोई राजकोषीय परिवर्तन अन्य बातें वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगी। प्रशुल्क में कोई परिवर्तन संबंधी बातें वित्त विधेयक में आएंगी। इसमें केवल शीर्षक को बदलना होगा। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :

> "सीमा–शुल्क की विद्यमान दरों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है अतः इसमें कोई राजस्व प्रभार अंतर्ग्रस्त नहीं है।"

अतः इसका वित्त विधेयक से कुछ लेना–देना नहीं है। केवल शब्दावली में परिवर्तन किया गया है। अब प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु हम छः अंक से आठ अंक का उपयोग करेंगे। विभिन्न विभाग हैं और विभिन्न वस्तुओं के मद में इनकी भिन्न–भिन्न व्याख्या है। हमारे पास परिभाषा की केवल एक ही प्रणाली होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप तांबा और इसके मिश्र धातु। अध्याय–74 में स्पष्ट रूप से परिष्कृत तांबे का उल्लेख है। यहां कहा गया है कि तांबे का उपयोग उद्योग और अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। प्रयोगशालाओं में भी तांबे का उपयोग किया जा सकता है। इसमें व्यापक शब्दावली का उल्लेख किया गया है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे परिष्कृत तांबा, तांबा मिश्रित धातु, मुख्य मिश्र धातु, छड़, खाका बनाने का कार्य, तार, प्लेट, शीट्स, स्ट्रिप्स और वरक इसके उप–शीर्षक भी हो सकते हैं। विभिन्न विभागों के मध्य कतिपय मतभेद और कठिनाइयां हो सकती हैं। इस प्रकार की कठिनाइयों और मतभेदों को दूर करने के लिए इस विधेयक में उपशीर्षक दिए गए हैं। विभिन्न उपशीर्षकों के लिए टिप्पणी दी गई है ताकि गुणवत्ता तथा अन्य पहलुओं की ओर ध्यान दिया जा सके।

चूंकि आज हम विश्व व्यापार संगठन और उदारीकृत प्रणाली में कार्य कर रहे हैं इसलिए हमें चाहिए कि इसकी व्याख्या वाले भाग की तरफ से ध्यान देने से पहले अविलम्ब इस बात पर ध्यान दें कि क्या किया जाना चाहिए। अनेक कानूनी कठिनाइयां आएंगी। इसलिए यह अध्यादेश शुभ इरादे के साथ लाया गया है। यह अध्यादेश किसी समय विशेष में

किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए लाया गया है। मैं इसे अत्यंत सामान्य तरीके से बता रहा हूं। मैं इसकी संवैधानिकता में नहीं जा रहा हूं। किसी समय विशेष में किसी कार्य विशेष को उचित तरीके से किया जाना है। अध्यादेश को संसद में लाया जाना है ताकि विधेयक पारित किया जाए और सब कुछ ठीक रास्ते पर आ सकेंगे। इसे इस समय स्वयं पूरा किया जाना है। इसके विषय में उद्देश्य एवं कारणों का कथन अत्यंत स्पष्ट रहा है। इसके भारी–भरकत स्वरूप के कारण हमारे मित्रों को परेशानी हुई है क्योंकि उन्हें इसको विस्तार से पढ़ना होगा। उनकी संख्या कई है। यह अत्यंत आसान है। छह अंक से हमें आठ अंक पर जाना है और हमें विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न मिश्रित धातुओं, विभिन्न संजात की परिभाषाएं देते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया, क्या आप एक मिनट रुकेंगे? मैं केवल एक मिनट लूंगा।

कृपया पृष्ठ संख्या 461 देखें। उस पृष्ठ पर आपको बागवानी की वस्तुओं या मृदा तैयार करने या खेती के लिए वानिकी की मशीनरी, लान या खेल के मैदान के रोलरों की परिभाषा मिलेगी। यह एक श्रेणी है। इसी पृष्ठ में कृपया मद संख्या 8432 को देखें। यहां भी लान या खेल के मैदान के रोलरों का उल्लेख किया गया है। यह दूसरी श्रेणी है। यहीं हमें स्पष्टीकरण चाहिए। यह सही नहीं है। आपने किसी चीज का उल्लेख किया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं।

श्री अनादि साहू : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। उदाहरण के लिए हंसिया को लीजिए। मैं उसकी बात करूंगा। वास्तव में इसकी व्याख्या करना मेरी ड्यूटी नहीं है। हंसिया लान में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। वे पूर्णतः अलग हैं। यह अलग हो सकता है। उस विशेष मद का आयात उपशीर्ष पर निर्भर करेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं केवल अध्याय की ही बात नहीं कर रहा हूं। हमें उपशीर्ष को भी देखना है और फिर इसके बारे में कहना है। मैं माननीय सदस्य श्री दासमुंशी से इस उपशीर्ष को पढ़ने का अनुरोध करूंगा। इसे अलग से नहीं देखा जा सकता। यह बहस का मामला नहीं बल्कि सूचना के आदान–प्रदान का मामला है...*(व्यवधान*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री साहू, आप नामकरण के भ्रम में पड़े हैं। मेरा कहना है कि यदि इस पर स्थायी समिति

में चर्चा होती तो हम उपशीर्ष और वर्गीकरण के मामलों में भी अधिक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। यह विवाद नहीं है। इसीलिए मैंने एक उदाहरण दिया है...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : यह झगड़ा नहीं है। ठीक है, मैं अब निरसन अधिनियमों की बात करूंगा। संसद ने अपने विवेक से सोचा कि उन निरसन अधिनियमों को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। 1100 निरसन अधिनियम प्रचलन में नहीं थे। मैं गृह मामलों की स्थायी समिति का एक सदस्य हूं। स्थायी समिति ने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया क्योंकि करने को कुछ था ही नहीं। हम 950 अधिनियमों को पढ़ने में सक्षम थे। हमने कहा कि उनका निरसन किया जाना चाहिए। यदि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए तो भी ठीक वही होगा क्योंकि स्थायी समिति को उसके नामकरण से कुछ नहीं करना है। नामकरण उचित तरीके से किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1975 में सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक पर एक चयन समिति में गहराई से विचार किया गया और इसके बाद इसे सभा में लाया गया। हो सकता है आप मुझसे सहमत न हों लेकिन मैं सच बता सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : व्याख्या के प्रश्न पर मेरे विचार से श्री दासमुंशी के विचार भिन्न हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? यह छह अंकों से आठ अंकों का हो जाएगा। वित्तीय जिम्मेदारी का महत्व है और इस प्रकार के सारे मामलों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमने सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है। हमने अनेकों विधेयक पारित कर दिए हैं ताकि हम सरलीकरण की प्रक्रिया को अपना सकें। हमने स्वयं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी परिवर्तन कर दिया है। हमने कम्पनी विधि में परिवर्तन कर दिया है। हमने कम्प्यूटरीकरण, उदारीकरण की शुरूआत की है। इसमें चूंकि एक भिन्न विभाग सम्मिलित होगा इसलिए इसमें कोई भ्रम न हो। किसी एक विभाग द्वारा एक प्रकार की और दूसरे विभाग द्वारा दूसरे प्रकार की व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए। अतः प्रक्रिया का सरलीकरण समय की मांग है।

इस साधारण विधेयक के स्थायी समिति के पास भेजे जाने की क्या आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें इस प्रकार की हजारों व्याख्याएं हैं। यह कम्प्यूटरीकृत है। मेरी राय में सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग

[श्री अनादि साहू]

इन वस्तुओं को बदलने के लिए किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने विधेयक को पढ़ा हो। उन्होंने कहा होगा कि ऐसा विधेयक के रूप में रहना बेहतर होगा। लेकिन, मेरी राय में उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें इसकी व्याख्या वाले भाग को ही बदलना है। इसे अनुसूची में ही किया जा सकता और सरकार की नियम बनाने की शक्ति पर विचार करना चाहिए था। सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पण को ध्यान में रखा जाना था। नियम बनाए जा सकते थे और उन्हें 30 दिनों के अंदर सभा पटल पर रखा जा सकता था ताकि सदस्य इन बातों को देख सकें। वे इतना भारी–भरकम विधेयक लाए हैं। इसी कारण सदस्य इसे पसंद नहीं कर रहे हैं अन्यथा यह अत्यंत साधारण विधेयक है।

अंततः मैं सुझाव दूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए। मेरे विचार से श्री दासमुंशी ने रोष में छोड़ दिया है। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इस विधेयक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए और इसे पारित किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, शुरू में ही मैं कहना चाहता हूं कि 27 दिन पहले यदि मैं संक्षेप में कहूं संसद सत्र की शुरूआत के समय पर यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। इतनी जल्दी क्या थी? मुझे इसके बारे में पता नहीं है और वित्त मंत्री भी इस संबंध में विश्वास नहीं दिला सके। यदि सत्रारम्भ तक प्रतीक्षा करते तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ता। हम इसे विधेयक के रूप में ला सकते थे।

किसी भी प्रणाली में एकरूपता लाना और उसे साधारण बनाने का कदम स्वागत योग्य है विशेषकर तब जबकि हमारा व्यापार और अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो। हम सहमत हो सकते हैं या हम असहमत हो सकते हैं। हमने जिस तरह से विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया है और जिस तरह से उसके सामने हार स्वीकार कर ली है वह राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है और मुझे उस पर गंभीर आपत्तियां हैं।

लेकिन समन्वित खंडों में अपने देश की कतिपय विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था विशेषकर उन समस्याओं का जिनका सामना देश कर रहा है। सर्वप्रथम आयात और निर्यात की प्रक्रिया में अनेक वस्तुओं का वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण ऐसा अनुकूल क्षेत्र रहा है जिनका प्रयोग विगत समय में राज्य सरकारों द्वारा अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने और कुछ निश्चित वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। दूसरी तरफ कुछ व्यापार लाबियां जिनको इन वर्गीकरणों, पुनर्वर्गीकरणों या विवाद के क्षमतागत क्षेत्रों की जानकारी थी इन स्थितियों का भरपूर शोषण किया। बीजक प्रणाली की अनियमितता से उन्होंने लाभ उठाया और उन्हें लाभ दिया जा रहा है। इसको सिद्ध करने का एक ठोस उदाहरण है। मैसर्स फ्लोरिडा रिसर्च ग्रुप इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारत ऐसा देश है जहां उसके निर्यातकों ने एक वर्ष में बीजक पद्धति की अनेक अनियमितताओं द्वारा 8 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा जमा की है और उन्होंने इस वर्गीकरण की व्याख्या अपने तरीके से करके लाभ प्राप्त किया है।

ऐसे आयातक हैं जिनकी निर्यात करने की बाध्यताएं होती हैं। हमने देखा है कि 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक भी गलत वर्गीकरण करके कमजोर क्षेत्रों का लाभ उठाकर, कभी भी निर्यात की बाध्यताओं को पूरा नहीं करते। अनेक महत्वपूर्ण समितियों के प्रतिवेदनों में कहा गया है कि विशेषकर आभूषण बनाने के लिए सोना के आयात में लगी निर्यातोन्मुखी इकाइयों ने इस प्रकार की निर्यात बाध्यताओं को कभी पूरा नहीं किया।

महोदय, ऐसे वर्गीकरण के फलस्वरूप निर्धारित किए गए सीमा–शुल्क के कारण न केवल कतिपय व्यावसायिक वर्ग के मन में भ्रम पैदा हुआ, अपितु इससे आम नागरिक भी बुरी तरह प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए कपड़ा की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, जैसे टू पीस, थ्री पीस, शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए कपड़े, शरीर के निचले हिस्से के लिए कपड़े आदि। उन्हें अनेक तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हमने अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बहुपक्षीय बनाने का निश्चय किया है। यहां नोट करने लायक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होने और आर्थिक सुधारों के मार्ग पर चलने का एक प्रमुख कारण यह दिया गया है कि हमें अपने निर्यात से लाभ मिलेगा और हम निर्यात के लिए जो कुछ आयात करते हैं उससे लाभ मिलेगा और संपूर्ण वैश्विक निर्यात निष्पादन के संदर्भ में हमारा हिस्सा आधा प्रतिशत है। आर्थिक सुधारों के एक दशक बाद भी हमने निर्यात के क्षेत्र में अच्छा निष्पादन नहीं किया है लेकिन हम वह सब कुछ आयात कर रहे हैं जिसे आयात नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बहुपक्षीय प्रणाली में सम्मिलित होने के फलस्वरूप उन 1429

मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है जिनका उत्पादन हम कर सकते हैं।

ये सारे कार्य उन मामलों में भी हो रहे हैं जहां हमने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। एक ही तरह की वस्तुएं अलग वर्गीकरणों के अंतर्गत आयातित की जा रही हैं जबकि वे समान हैं। ऐसा कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 6 अंक से 8 अंक के नाम वर्गीकरण की सर्वस्वीकृत तरीके से मैं समझतता हूं प्रणाली में कुछ और पारदर्शिता आएगी। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इस नामकरण का अनुकरण करें तो हमारी व्यापार सांख्यिकी और आयात के मुकाबले निर्यात की मात्रा का लेखाकरण अच्छी तरह किया जा सकेगा। इन अर्थों में यह स्वागत योग्य उपाय है।

किंतु विवाद के कई अन्य क्षेत्र भी हैं। उदाहरण के लिए, माप की इकाई। माप की इकाई में न सिर्फ एक देश से दूसरे देश में, अपितु एक मद से दूसरे मद में भी अंतर है। यहां तक कि वस्तुओं और जिंसों के एक ही समूह में हम पाते हैं कि वस्तुएं इस प्रकार से मापी जाती हैं जिससे व्यवस्था में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं आती है। उस रूप में, आठ अंक की पद्धति शुद्ध करने का प्रयास लाभप्रद होगा। मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि सिर्फ व्यवहार के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि क्या इस प्रकार का विधान हमारे लिए लाभप्रद होगा अथवा नहीं।

मैं अपने मित्र के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि 10 या 15 दिनों के लिए अथवा जो भी कम से कम समय संभव था, के लिए यदि इसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाता तो उन्होंने इस पर ठीक से विचार किया होता बजाए इसके कि इस विधेयक को जिस दिन लाया गया उसी दिन उस पर चर्चा करने के लिए हमें कहा जा रहा है। आप उसी दिन विधेयक को पारित कर रहे हैं मानो यह अत्यंत ही महत्वहीन विधेयक है। हमारे राजस्व वसूली के मामले में सीमा–शुल्क अत्यन्त ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यद्यपि इसमें टैरिफ में कोई भी परिक्षेत्र शामिल नहीं है किंतु, वर्गीकरण, पुनर्वर्गीकरण, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, छः अंक से आठ अंक की नामावली, सामंजस्य बिठाना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के साथ जोड़ना, माप की अलग–अलग दवाइयां, फिर भी एकरूपता लाना, निःसंदेह एक स्वागत योग्य कदम है। मैंने शुरू में ही बात कही है। सरलता सुनिश्चित करना स्वागत योग्य कदम है। कतिपय बाध्यताओं के अंदर हम व्यवस्था को एकीकृत कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए किंतु भारत की कुछ विशेष किस्म की समस्याएं हैं। मैंने अपने आयातकों और निर्यातकों की सोच के बारे में उल्लेख किया है। मैंने 'इनवाइसिंग' के मामले में की जा रही अनियमितताओं का उल्लेख किया। हम डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने के परिणामस्वरूप हानि झेल रहे हैं। हम पर दबाव डाला गया है। भारत मुख्य रूप से कृषि आधारित देश है जिसके 75 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि कार्यकलापों में संलग्न हैं, मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाए जाने से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद आएंगे। जिसे हम दुग्ध उत्पाद कहते हैं, उसे वह अलग नाम दे देंगे। इसलिए कई संबंधित बातों को देखना है। मैं समझता हूं कि जो कुछ आगे लाया गया है उसके बावजूद भी कई क्षेत्र होंगे जिनके जांच किए जाने की आवश्यकता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा। किंतु पहली बार देखकर मैं पाता हूं कि कुछ क्षेत्र हैं जिस पर कतिपय अन्य समितियों द्वारा विचार किया गया है। मैं अभी भी सोचता हूं कि इस विधान को संबंधित समिति को भेजा जाना चाहिए। यह हो सकता है कि उन्हें अपना प्रतिवेदन 10, 15 या 20 दिनों में अथवा शीघ्रातिशीघ्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है। किंतु उचित यह होगा कि इस तरह का महत्वपूर्ण विधेयक जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाए। इसे सत्र शुरू होने के मात्र 27 दिन पहले अध्यादेश के माध्यम से प्रख्यापित नहीं किया जाना चाहिए था। एक बार फिर मैं इस सरकार को सावधान करता हूं कि महत्वपूर्ण बातों को दुस्साहसूपर्ण तरीके से नहीं लेना चाहिए। यह अत्यंत ही जटिल क्षेत्र है। इस तरह के क्षेत्र में उन्हें अत्यन्त ही सावधानी से प्रवेश करना चाहिए यानी समिति को सामूहिक विवेक का लाभ उठाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि छः अंक से आठ अंक की नामावली सहायक होगी। इससे पारदर्शिता और एकरूपता आएगी और प्रक्रिया सरल होगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। हमारे लिए एकीकरण के अंग के रूप में ऐसा करना हमारी विवशता है। किंतु फिर भी मैं समझता हूं, कई संबंधित क्षेत्र हैं जिनका अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सकता है, यदि उन्हें स्थायी समिति को सौंप दिया जाता। इसलिए, मैं अभी भी आग्रह करता हूं कि सरकार इसे स्थायी समिति के पास भेजे और कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करे। सत्र की समाप्ति से पहले यदि माननीय मंत्री लाना चाहते हैं, तो वे पुनः इसे ला सकते हैं और इसे पारित करा सकते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : माननीय उपाध्यक्ष

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

महोदय, मैं सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2003 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक मुख्य रूप से सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में संशोधन करता है। यह कतिपय कारकों और भारत सरकार के कतिपय विभागों द्वारा पहले ही स्वीकार और की गई कतिपय कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप है। इसलिए, बाध्यताएं, बाध्यताओं के रूप में हैं।

श्री रूपचंद पाल और श्री दासमुंशी ने जो कहा है वह ठीक है कि संभवतः तात्कालिकता इस प्रकार की नहीं थी कि हम इसे और अधिक विचार करने के लिए समिति को नहीं भेज सकते थे। किंतु मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक इस प्रकार का है और हममें से सभी ने काम किया है जिसमें पूरे ब्यौरे की जरूरत होती है। समितियों पर भी इतना ही दबाव है। कभी–कभी अत्यन्त ही कम सदस्य उपस्थित होते हैं जहां सूक्ष्म ब्यौरों पर विचार किया जाना होता है और जब इस पर विचार किया जाता है उनके पास भी इतना ही कम समय और संसाधन उपलब्ध होता है। इसलिए, अंततः संसद को ही इस पर विचार करना होता है और इसे ही हां या ना कहना होता है।

इस अवधारणा के बारे में कि अध्यादेश क्यों लाया गया और संसद को बार–बार दरकिनार क्यों किया गया, इस बारे में मैं यही कहूंगा कि मैं उस अवधारणा से सहमत नहीं हूं क्योंकि संसद को दरकिनार करने का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे आप अध्यादेश पारित करें अथवा आप इसे पारित नहीं करें, इस विधेयक को संसद में आना ही होगा। इस पर संसद में विचार करना होगा। इसलिए, इस प्रकार का निष्कर्ष कि यह संसद में निश्चित तथ्य के रूप में रखा जा रहा था और संसद इसे निश्चित तौर पर पारित करने के लिए दबाव में है, मैं इसे थोड़ा अनुचित मानता हूं क्योंकि इस विधेयक को संसद में आना ही है। सिर्फ एक ही विषय है जिस पर प्रश्न किया जा सकता है कि यह कितना तात्कालिक है अथवा यह कितना आवश्यक है कि आप एक अध्यादेश पारित करते हैं और उसके बाद इसे संसद में लाते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। किंतु यदि कोई भी सोच रहा है कि यह संसद को दरकिनार करने का प्रयास है, तो ऐसा सोचना अनुचित है। यह भी कहा जा रहा है कि हम इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. के सम्मुख झुक रहे हैं। सचमुच इस समय हम इस विषय में सक्रिय बन गए हैं और न सिर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. की जरूरतों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। यह एक मामला है जिसमें हमें स्वयं आठ अंक मानकीकरण के लिए कहना चाहिए। मदों की संख्या बढ़ गई है। एक प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि क्या यह अंतिम बात है और इसमें कुछ जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। यह अंतिम बात नहीं है। और जैसे–जैसे मद बढ़ेंगे इसे अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें वृद्धि भी होगी और नई बातें शामिल की जाएंगी। और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मदों और क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसमें कतिपय मात्रा में परिवर्तन होता रहेगा। किंतु ये परिवर्तन लेखा संबंधी परिवर्तन हैं। हम यहां जो बात कर रहे हैं और सुधार के प्रति हमारी जो चिन्ता है और जिसे हम यहां पारित कर रहे हैं, उसका आधार यह है कि इन परिवर्तनों में निम्नलिखित आधार होंगे। हमें इसे अवश्य देखना चाहिए और संपूर्ण विषय के विभिन्न सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान देना स्थायी समिति का काम है। किंतु संसद को और हमें परिवर्तन के आधार पर चिंता है। परिवर्तन का आधार रिपोर्ट में अत्यन्त स्पष्ट है जिसे हम सबने पढ़ा है। मैं एक या दो बातों को यहां पढ़ना चाहता हूं कि :

> "वाणिज्य विभाग, उद्योग और व्यापार से संबंधित मामलों को देखने वाले मंत्रालय और उद्योग, संघों तथा विशेषज्ञों के परामर्श से राजस्व विभाग द्वारा विकसित नामावली की सामंजस्यपूर्ण पद्धति पर यह आधारित है।"

इसलिए, यह अंतर–विभागीय है। इसमें मानो एक ही विभाग नहीं है। इसमें सामंजस्य, मानवीकरण और इसे आधुनिक चीज बनाने जिसके आधार पर हम सीमा–शुल्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति कर सकते हैं और सीमा–शुल्क के क्षेत्र में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होनी है। इस विधेयक का यही मुख्य उद्देश्य है।

अब, छः अंक से बढ़ाकर आठ अंक करने का मुख्य उद्देश्य लगभग टेलीफोन नम्बरों में दो अंक जोड़ने के समान ही है। आप अंकों की संख्या में वृद्धि मदों के क्षेत्र और दायरे को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमने दो इसलिए जोड़ा है कि अधिक संख्या के आने की संभावना है और आप दूसरी व्यवस्था में जाना चाहते हैं।

अब 'कोड' के विस्तार का मुख्य उद्देश्य सीमा–शुल्क की दर और वस्तुओं को संगत वर्गीकरण प्रदान करना है। यह आयात प्रक्रियाओं और प्रलेखीकरण को सरल करने के सतत प्रयास का अंग है। किंतु जो मुख्य मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं

वह यह है कि यह विधेयक वास्तव में प्रक्रियाओं के सरलीकरण और प्रलेखीकरण के लिए है। हम ऐसा कर सकने के लिए आधुनिक प्रक्रिया अपना रहे हैं, किंतु इसके साथ ही, हमें उन परिवर्तनों को करने के लिए संसद का समर्थन चाहिए।

अब, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अधिकांश मुद्दों पर चर्चा की है। मानकीकरण, बढ़ी हुई विदेश व्यापार की आवश्यकता, दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता, और मूलरूप से इस सामंजस्यपूर्ण पद्धति की आवश्यकता इस विधेयक की मूल आवश्यकता है।

इसलिए, सरकार की दृष्टि से पर्याप्त तात्कालिकता है और यही कारण है कि यह अध्यादेश लाया गया। यह उतना ही तत्कालिक है। मैं देख सकता हूं कि इसकी तात्कालिकता इसलिए है कि यह अंतरविषयक, अंतरविभागीय और कुछ विभाग पहले ही आठ अंकों वाला सामंजस्यपूर्ण कूट शुरू कर चुके थे। इसलिए उन विभागों के साथ, जब तक कि यह विधेयक पारित नहीं हो जाता है, काम करना अत्यंत कठिन था। इसलिए, उस कमी को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया था।

अब इस विधेयक पर विचार कर लिया गया है। मैं सहमत हूं कि इस विधेयक में अंतर्विष्ट पृष्ठों की संख्या के अनुपात में यदि समय आवंटित किया जाता तो ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा सकता था। किंतु यदि इसके पीछे सिद्धांत सही हैं, उनकी तात्कालिकता की आवश्यकता सही है, मैं समझता हूं, इस संसद और हमारे लिए बिना और विलम्ब के इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चियपन (शिवगंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सीमा–शुल्क प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 2003 के माध्यम से सीमा–शुल्क टैरिफ के मामले में यथास्थिति बनाकर रखी गई है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा है कि :

> "अर्थव्यवस्था में न केवल आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किए गए हैं और सीमा–शुल्क दरों में कमी की गई है बल्कि प्रतिस्पर्द्धा में भी सुधार हुआ है जिससे इसके बाह्य भुगतान संतुलन की निहित शक्ति का प्रदर्शन होता है।"

माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान इस प्रकार की बातें कही हैं।

इसमें सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यह आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के आंसू हैं। हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीमा–शुल्क के कारण बर्बाद हो चुकी हैं और यह वृद्धि संसद में बारंबार देखने को मिल रही है मानो इसमें केवल आंकड़ों संबंधी परिवर्तन ही किया गया है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पहली बार सेना से जुड़े एक व्यक्ति ने बजट प्रस्तुत किया है। वे शायद ग्रामीण लोगों को नहीं जानते होंगे। वे शायद पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों को नहीं जानते होंगे। लेकिन यहां दो राज्य मंत्री भी हैं जिनका संबंध किसी राजघराने से नहीं है बल्कि वे भी गरीब परिवारों से ही आए हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सीमा–शुल्क प्रशुल्क पुनः आम व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्ति को बर्बाद करने जा रहा है। यह कैसे होता है वह स्पष्ट हो जाएगा। सीमा–शुल्क प्रशुल्क में संशोधन विश्व–व्यापार संगठन के अनुरूप एक बाध्यता है। हमें कानून बनाकर विश्व व्यापार संगठन को सूचित करना है। यह हमारी बाध्यता है। इसे पूरा करना होगा। अन्यथा हमसे पूछताछ की जाएगी, जब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। धारा 22 में कहा गया है :

> "राष्ट्रीय विधान :
>
> प्रत्येक सदस्य इस समझौते के उपबंधों को लागू होने, इसके कानूनों, विनियमनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का इस समझौते के उपबंधों के अनुरूप होने को इसे लागू होने की तारीख से अनधिक तारीख तक सुनिश्चित करेगा।"

इस बाध्यता को अब विधेयक पारित करके पूरा कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ हमें घरेलू उद्योग में यदि इसमें कोई क्षति, होती है तो इसके संरक्षण का भी अधिकार प्राप्त है। गैट की धारा छः में कहा गया है कि :

> "जब तक इसका प्रभाव किसी स्थापित घरेलू उद्योग की पदार्थ संबंधी क्षति अथवा पदार्थ संबंधी गुण पर पड़ता है, तब तक किसी घरेलू उद्योग की स्थापना में संकट, गंभीर संकट का खतरा..."

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

ये सभी अर्हताएं हैं जिससे सरकार अन्य सरकारों के साथ विचार करके यह तय करती है कि हमारे लोग संरक्षित हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा किया है अथवा नहीं। नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे किसानों को बारंबार बर्बाद करना चाहते हैं। वे उन्हें रोजगार विहीन बनाना चाहते हैं। वे उनकी क्रय–शक्ति को क्षीण बनाना चाहते हैं। वे उन्हें अन्नदान पर निर्भर रहने देना चाहते हैं जिसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले केवल एक–चौथाई व्यक्ति को ही मिलेगा। हालांकि शेष लोगों को एक अथवा 5 अथवा 20 एकड़ भूमि होने के बावजूद भी उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की यही स्थिति है। इस प्रकार विधवाओं, विकलांग लोगों, नेत्रहीनों और अशक्त लोग दुग्ध उत्पाद पर जी रहे हैं। वे मक्का खा रहे हैं। वे अपने पशुधन पर निर्भर हैं। उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर सीमा–शुल्क किस दर पर लगाया जाएगा जो उनके दुग्ध और क्रीम को यहां डंप कर देंगे। सरकार उन पर केवल 30 प्रतिशत शुल्क लगाएगी। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग दुग्ध उत्पादन, चिड़ियों के अंडों, प्राकृतिक मधु और अन्य चीजों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्रीम निकाले गए दूध और शिशुओं के दुग्ध पाऊडर पर 60 प्रतिशत सीमा–शुल्क लगाया गया है क्योंकि यह संगठित लोगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आती है। ये उत्पादन नेस्ले के हैं। वे सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और सीमा–शुल्क 60 प्रतिशत पर निर्धारित करा सकते हैं। लेकिन गरीब लोग व किसान जिन्होंने संसद हेतु मतदान किया है, को 30 प्रतिशत अधिक शुल्क देना पड़ रहा है क्योंकि उनका दूध बाजार में नहीं बिकेगा। इसका कारण है कि आयातित दूध आ रहा है। पूर्ण मलाईयुक्त दुग्ध और शिशुओं के दुग्ध पर 30 प्रतिशत शुल्क है क्योंकि इसके उत्पादक और बिक्रीकर्ता गरीब लोग हैं।

इसी प्रकार मांस का भी उदाहरण लिया जा सकता है। सामान्य लोग, पशुधन पालने वाले यादव वर्ग के लोग मांस पर निर्भर हैं। उनके मांस का उत्पादन कितना है। आयातित मांस पर केवल 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा। हड्डी रहित अंग और इसके टुकड़े वाले मांस पर 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा क्योंकि वे इस प्रकार के टुकड़े हड्डी के साथ नहीं खाते हैं। बकरे, भेड़, इनकी जीभ, यकृत और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को पश्चिमी देशों से डंप किया जाएगा जिन पर 30 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यह दर बगैर टुकड़े वाले मुर्गे ताजा अथवा प्रशीतित दोनों पर ही लागू है। इसके टुकड़ों और अपशिष्ट पर ताजा अथवा प्रशीतित दोनों पर ही 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। मेढ़क के पांव के अपशिष्ट पर 30 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है। सांप और कछुए सहित सरीसृप प्राणियों पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। ये सभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। ये लोग जो इसका निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। 30 प्रतिशत शुल्क लगाकर आयात करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार हाथी दांत चूर्ण और इसके अपशिष्ट पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। हम उन्हें नारीकुर्वा कहते हैं लेकिन वे जिप्सी हैं। अनुसचित जाति वर्ग के ये लोग पक्षियों के खुर, पंजे, नाखून और चोंच पर निर्भर हैं। इन पर 30 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है। इसी प्रकार भैंस के सींग पर 30 प्रतिशत लगाया गया है। कछुए के बाह्य आवरण पर 30 से 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है। मूंगा और इसी प्रकार के अनुपयोगी पदार्थों पर बजट में शुल्क में कमी करके 30 प्रतिशत से भी कम कर दिया गया है।

बागान स्वामियों जैसे लोगों के पुष्प बाजार में मंदी है क्योंकि आयातित पुष्प पर केवल 30 प्रतिशत सीमा–शुल्क लगाया गया है। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। साथ ही साथ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो यह सिद्ध करेगा कि लोग किस प्रकार मारे जा रहे हैं। सोयाबीन लोगों द्वारा उत्पादित एक कृषि उत्पाद है। बीज के मामले में केवल 20 से 30 प्रतिशत शुल्क प्रभारित है। इसे आयात किए जाने के पश्चात् इसे कच्चे तेल और परिष्कृत तेल में बदलकर पैक करके अधिक दर पर बेचा जा रहा है। अब 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है। एक दिन के अंदर इसकी कीमत में 60 रुपए प्रति टिन की वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को 60 रुपए अधिक व्यय करना होगा। इसी प्रकार मैं बता सकता हूं कि हम सोयाबीन तेल पर निर्भर हैं। हमारी खपत 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इसकी 55 प्रतिशत आवश्यकता निर्यात से पूरी की जाती है क्योंकि कृषकों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। उन्हें सोयाबीन की खेती नहीं करने की सलाह दी गई है। बाजार में किसी भी तिलहन का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है।

हमारे कृषक आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन हम विदेशियों को हमारे बाजार में उनका सभी माल डंप करने की अनुमति दे रहे हैं। मलेशिया और अन्य देश अपने उत्पाद भारत में

डंप कर रहे हैं। हम इससे तेल प्राप्त करके इन्हें अपने उन लोगों को बेच रहे हैं जिनके पास कोई क्रय–शक्ति नहीं है। इस समय हम इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

इसी प्रकार मत्स्यन कारोबार में लगे हमारे लोग भी पीड़ित हैं। मछली, शीरा और अन्य जलचर के मामले में केवल 20 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। झींगे पर यह 30 प्रतिशत है। यहां हमें स्वदेशी झींगे का उपभोग करने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह पर्यावरण संबंधी कारणों से प्रतिबंधित है। जेली फिश और अन्य के मामले में उपयोग की यह छूट केवल 30 प्रतिशत है। हमारे स्थानीय मछुआरे बेरोजगार हैं क्योंकि उन्हें समुद्र तट और समुद्री क्षेत्र में कोई संरक्षण नहीं मिलता है। मछली पकड़ने के कार्य में उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा यांत्रिकृत बीट और अन्य सामान के साथ आने के कारण बाधा आती है। वे मत्स्यन इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह वन्यजीव अधिनियम और अन्य इसी प्रकार के कानून से प्रतिबंधित है। लेकिन निर्यात के मामले में 30 प्रतिशत सीमा–शुल्क लगाकर इसकी अनुमति दी जा रही है।

स्वदेशी कपास पर 10 प्रतिशत ओर सूत पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। कपास उत्पादक अधिकांश किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। हम समाचार पत्रों में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का समाचार पढ़ते हैं। कपास के निर्यात को 10 प्रतिशत शुल्क लगाकर ही अनुमति देने के कारण वे कैसे प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। ये आम लोग जो अपनी जीविका के लिए कपास की खेती पर निर्भर हैं आत्महत्या कर रहे हैं।

आयात–शुल्क में कमी करके इसे 30 प्रतिशत करने और त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करके वे सोच रहे हैं कि सभी बातें सुचारु रूप से की गई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ह्विस्की, रम और वोदका जैसे स्प्रिट पर 210 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। इसका कारण यही है कि ये संगठित लोग हैं और अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर दबाव बना सकते हैं। अन्य मद्य उत्पादों पर 170 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, दूध, चीनी और क्रीम पर 60 प्रतिशत, डामर कोयला और गेहूं पर 50 प्रतिशत, मीठे बिस्किट पर 45 प्रतिशत, बटर और पनीर पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद, पुष्प, साग–सब्जियां, रंग–रोगन के पदार्थ सोयाबीन, बादाम तैल, जैतून तेल, चीनी, कन्फेक्शनरी, तम्बाकू संबंधित उत्पाद, रसायन, भेषज सामग्री, उर्वरक, सौंदर्य प्रसाधन और साबुन पर 35 प्रतिशत शुल्क है।

मैं संसद के माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों के पास दबाव डालने हेतु कोई गुट नहीं है। वे अत्यधिक संगठित नहीं हैं लेकिन हम संसद सदस्यों, जिन्हें उन्होंने चुनकर यहां भेजा है, को उनके लिए दबाव बनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चावल और कृषि उत्पादों और मत्स्यन संबंधी उत्पादों के सीमा–शुल्क में बढ़ोतरी करनी चाहिए। यह कम से कम अल्कोहल पर लगने वाले शुल्क के बराबर होना चाहिए। इसके बाद ही किसान अपने बीज बो सकते हैं, और उत्पादन के बाद स्थानीय बाजार में इसकी बिक्री कर सकते हैं। अमरीका किसानों को संरक्षण दे रहा है, ब्रिटेन और यूरोपीय देश किसानों को पेंशन दे रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को भुखमरी का शिकार बना रहे हैं।

इसी के साथ यह बात भी है कि अमरीका, यूरोप के देशों और अन्य देशों से आने वाले उत्पाद यहां पाटे जा रहे हैं क्योंकि कृषकों की कोई लॉबी नहीं है। अतः लगभग 90 प्रतिशत लोग मर रहे हैं। उनकी खरीद क्षमता समाप्त हो गई है।

मत्स्य पालन में लगे हुए गरीब लोगों की कोई लाबी नहीं है। वे आंदोलन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं लेकिन इससे इस देश में कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों के हित में सीमा–शुल्क में वृद्धि क्यों नहीं की जाती है? मंत्री महोदय कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन इसकी अनुमति नहीं देगा। विश्व व्यापार संगठन इसकी अनुमति दे सकता है यदि आप उस खंड को लागू करें जिससे मैंने पहले पढ़ा। यदि आप ऐसा करें तो आप सीमा–शुल्क बढ़ा सकते हैं और लोगों को कृषि में सही तरीके से लगाने की अनुमति दे सकते हैं। कृषि में लगे हुए लोगों को बजट में क्या दिया गया है? उन्हें दिए गए ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देने को कहा गया है।

क्या कृषकों को वित्तीय सहायता दी गई है? इसका उत्तर है 'नहीं'। लेकिन यह उद्योगपतियों को दी जा रही है जो धन की मांग नहीं कर रहे हैं और जिन्हें शेयर बाजार की चिंता नहीं है। उन्हें ये सब कुछ प्राप्त करने की अनुमति है। बचत बैंक खाता आदि जैसी सभी लघु जमाओं पर ब्याज कम कर दिया गया है और गरीब श्रमिकों के भविष्य निधि पर ब्याज दर एक प्रतिशत कम कर दी गई है।

महोदय, कृषक अपने कृषि संबंधी ऋणों, मध्यावधि ऋणों,

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

अल्पकालिक ऋणों और दीर्घकालिक ऋणों पर 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। वे ऋणग्रस्त हैं। किसी को उनकी चिंता नहीं है। जब हम चिल्ला रहे हैं, जब हम बहस कर रहे हैं और जब हम कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं सदस्य इसके बारे में सुन रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? उन उत्पादों के लिए सीमा–शुल्क क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम आम आदमी के साथ अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है वे सीमा–शुल्क का सभी लाभ ले रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी सहमति जाहिर की है जिसमें 6–अंकीय वर्गीकरण के स्थान पर 8–अंकीय वर्गीकरण का प्रस्ताव है। इसे कम्प्यूटराइज करने के लिए देश और दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड में एकरूपता रहने से सहूलियत होगी और यह ठीक बात भी है। मैंने देखा है कि जनरल रेट्स 35 प्रतिशत था जिसे घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। सबसे पहले चैप्टर में 'गधा' पर शुल्क 20 परसेंट कर दिया गया है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : आप आधे बिहार से ले लें, बाहर से नहीं मंगाने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि उत्पाद अधिक है। उस पर सीमा–शुल्क अधिक रहे, यहां आने में उसका दाम बढ़ जाए। इससे सरकार को आमदनी अधिक होगी और खेती उद्योग को सुरक्षा मिलेगी। इसलिए यह प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए। जिन चीजों की यहां कमी है, उस पर संतुलित रेट होना चाहिए जिससे यहां उपभोक्ता को कस्टम ड्यूटी कम लगे। लेकिन कभी रेट 14–क्लास का होता है, कभी 15–क्लास का होता है और कभी 35 से 30 कर दिया। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि इस साल वर्ष 2002–03 में जो टारगेट था, वह कितना है? मुझे मालूम है कि इस बार 20 परसेंट रेवेन्यू में कमी का अनुमान है। इसे लागू करने में करप्शन भी है। इस 20 परसेंट रेवेन्यू लॉस का क्या कारण है? सरकार इसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? मेरे ख्याल से बिना विचार किए ही यह 35 प्रतिशत से 30 प्रतिशत किया गया है। इसमें संतुलित रेट होना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान दूध का उत्पादन करता है लेकिन उसे दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता है। यदि विदेशों से आने वाले दूध पर कस्टम ड्यूटी कम करेंगे तो ज्यादा दूध आ जाएगा और डम्पिंग हो जाएगा। उस समय दुग्ध उत्पादक किसान का क्या होगा? सरकार ने जो रेट तय किया है, यह सुविचारणीय नहीं है, इसे सुविचारणीय करना चाहिए। जितनी आइटम, जितनी मोटी किताब और सामान सब उसमें लिखा हुआ है–मुर्गी की टांग विदेशों में लोग नहीं खाते क्योंकि उसमें ज्यादा फैट होता है। बाकी सारी मुर्गी का मांस खा लेते हैं, लेकिन मुर्गी की टांग फ्रिज में रखी रहती है। उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी तो सब मुर्गी की टांग बाहर से यहां आ जाएगी। इससे यहां के मुर्गी–पालक किसानों का क्या होगा?

अपराह्न 3.45 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

अगर ये रेट बढ़ा देंगे तो वे कहेंगे कि फालतू रखी हुई है फ्रिज में, और मुफ्त में यहां भेज देंगे। फिर कैसे कंपीटीशन होगा? डब्लू.टी.ओ. से सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। यही एक तरीका है। यहां का जो उत्पादित सामान है जिसका हमारे देश में बाहुल्य है, उस पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा कर देनी चाहिए। डब्लू.टी.ओ. के दबाव में विदेश वाले कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं तो इन्होंने फार्मूला रखा है कि हम भी उसके कंपीटीशन में कस्टम ड्यूटी कम कर दें। फिर जो यहां उत्पादित कृषि–जन्य पदार्थ हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा? लघु उद्योगों का संरक्षण कैसे होगा? इसलिए यह कस्टम की दर सुविचारित नहीं लगती। इस पर एक्सपर्ट लोगों को विचार करना चाहिए और आइटमवाइज–किस आइटम पर कितनी दर लगाई जाए, वह तय करना चाहिए। ये फार्मूला चलाते हैं कि 35 परसेंट से घटाकर 30 परसेंट कर दो। पहले 35 परसेंट था और अब 30 पर आ गए हैं। किसी आइटम पर 5 परसेंट है, किसी पर 15 परसेंट तो किसी पर 25 परसेंट है। लेकिन ज्यादातर पर 30 परसेंट हमने देखा है। ऐसा लचर फार्मूला चलने से, डब्लू.टी.ओ. के दबाव में, हमारी पूरी आशंका है कि जो हमारे यहां उत्पादित सामान अधिक मात्रा में है, जब विदेश से यहां आ जाएगा तो उसकी हमारे यहां डंपिंग होगी और डंपिंग होने से किसानों का भारी अहित होगा। इसलिए इनके राज में हमें लगता है कि किसानों का हित होने वाला नहीं है। इसमें लॉबी

भी काम कर रही है। शुरू में संकेत हो गया था कि कस्टम ड्यूटी घटेगी जिससे सारे व्यापारी लोग सजग हो गए। आप सहार हवाई अड्डा देखिए, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे हवाई अड्डा हो या बंदरगाह हो, जहां विदेशों से सामान आता है, वहां कस्टम अधिकारी की पोस्ट बिकती है। जो ज्यादा पैसा देगा, उसी अधिकारी की नियुक्ति वहां होती है। इस कारण 20 प्रतिशत देश की आमदनी हमारे टार्गेट से कम होती है। भ्रष्टाचार ही इसका एकमात्र कारण है।

हमारी पहली आशंका है कि जो किसान द्वारा उत्पादित सामान है, उसकी सुरक्षा इससे नहीं होगी। दूसरा, जो टार्गेट हमारा था कस्टम से आमदनी का, उसका 20 प्रतिशत नुकसान हो रहा है। तीसरे, जो करप्शन हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर होता है, जहां भ्रष्ट अधिकारी सीटें खरीदकर पोस्टिंग पा लेते हैं, इन तीनों मामलों में सरकार का क्या उत्तर है, वह स्पष्ट करें। विदेश से जो शराब आती है, उस पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है?...*(व्यवधान)* आम बाहर से आएगा। इस तरह तो जो यहां का सामान है, जो हम दुनिया में भेजते हैं, उस पर क्यों कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं? विदेश से शराब आएगी—क्या आपके यहां विदेशी लोग ज्यादा हैं? क्यों उसकी कस्टम ड्यूटी कम की? इससे सरकार को भी घाटा होगा। मान लीजिए कोई बड़ा भारी पीने का अभ्यासी है तो वह ज्यादा दाम पर खरीदे। इससे सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये कौन से गणितज्ञ का अर्थशास्त्र चलाते हैं? यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्रालय से चले गए लेकिन उनका अर्थशास्त्र अभी सरकार को छोड़ नहीं रहा है।

सभापति महोदय, इन सभी सवालों पर मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें, तभी हम समर्थन करेंगे। यह विधेयक इतना मोटा है कि इसे पढ़ने में ही बहुत समय लग जाता है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को सुविचारित करने के बाद ही पास करने की जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। मैं भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में जल्दबाजी में आर्डीनेंस कर दिया गया है। हर आइटम पर विश्लेषण करके इसे लाना चाहिए था। कौन सी बात देश के हित में होगी, किस बात से देश और प्रदेश का अहित होगा, इन सभी सवालों पर अच्छी तरह विचार–विमर्श करके इस विधेयक को सदन में पारित कराने हेतु लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है और सरकार ने जल्दबाजी में इसे आर्डीनेंस के रूप में लागू कर दिया और अब इस विधेयक को पारित कराना चाहती है।

सभापति महोदय, सरकार हमें बताए कि 1 फरवरी से आर्डीनेंस लागू करने के बाद इससे देश में क्या प्रभाव पड़ा है? रेट में घट–बढ़ करने से आमदनी घटी है या बढ़ी है या उद्योग पर, कृषि पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्या आपने उसकी समीक्षा की है? यदि की है, तो सदन को बताएं कि आप ठीक रास्ते पर हैं या नहीं। इससे देश के लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है, इससे देश का अहित हो रहा है, देश के लोग सशंकित हैं और देख रहे हैं कि उनके हितों का संरक्षण कैसे होगा, देश के लघु उद्योगों में उत्पादित सामान से देश का हित कैसे होगा, इस बारे में जब तक सरकार साफ तौर से नहीं बताएगी, तब तक हम इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे। इस विधेयक के पास होने में हम बाधा उत्पन्न करेंगे।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : माननीय सभापति जी, सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2003 और सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही अच्छा विधेयक है। मेरे से पूर्व वक्ताओं में श्री दासमुंशी जी और कई अन्य माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्ताव रखा कि इसे जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया है और फरवरी में ही इस बारे में आर्डीनेंस निकाला गया है, यह नहीं होना चाहिए था और पूछा गया है कि ऐसी क्या जल्दी थी और कहा गया कि इसे संसदीय स्थाई समिति को विचार हेतु भेजना चाहिए था।

महोदय, मैं यहां इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह बहुत आवश्यक था। इसलिए, इसे आर्डीनेंस के रूप में लागू करना पड़ा और अब सदन में विधेयक पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। संसदीय स्थाई समिति में भेजने से इसमें विलम्ब होता क्योंकि* संसदीय स्थायी समितियों में बहुत समय पर इसकी विभिन्न धाराओं पर विचार–विमर्श करने में समय लग जाना, मुख्य कारण है, जिससे विधेयकों को पारित करने हेतु सदन में उपस्थित करने में विलम्ब हो जाता है। इसलिए सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जो जिन्स या वस्तुएं हैं, उनको एक कैटेगरी में लाकर कम्प्यूटरीकृत करना और उसमें सरकार ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्थायी समिति के सदस्यों के बारे में कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : सभापति जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत आवश्यक था इसलिए इस बारे में आर्डीनेंस लाना पड़ा तथा इसे संसदीय समिति में भेजने से इसे पारित कराने में बहुत समय लग जाता। इसे केवल कम्प्यूटर में फीड करने हेतु लाया गया है ताकि पूरे देश में और दुनिया में यह जानकारी जा सके और एक–दूसरे से संपर्क स्थापित करने में जो दिक्कतें आ रही थीं वे दूर हो सकें। जो नई पद्धतियां लागू हुई हैं उनमें भी इस विधेयक के पारित होने से सहायता मिलेगी और जो अनेक मदों में हेरा–फेरी होती थी वह रुकेगी और उनके नाम बदले गए हैं, उनको ठीक किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राजो सिंह कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री महेन्द्र पाल कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति जी, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : माननीय अध्यक्ष जी, देश में जो अनेक नई पद्धतियां शुरू हुई हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें परिवर्तित करने के लिए इस विधेयक को पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक के पारित होने से सीमा–शुल्क बढ़ेगा और...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : सभापति जी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप आसन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं, आपकी कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं आएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : यह मानदण्ड नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : उन माननीय सदस्य की टिप्पणी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। वे ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? यह कार्यवाही–वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए। यह शर्मनाक है। इस सभा के एक सदस्य कह रहे हैं कि सदस्य स्थायी समिति में नहीं उपस्थित होते हैं अतः विधेयकों को स्थायी समितियों में नहीं भेजा जाना चाहिए। कोई सदस्य ऐसा कैसे कह सकता है? कोई सदस्य ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकता है? यह कार्यवाही–वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर्स के बारे में जो माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है, वह प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : कोई सदस्य ऐसा कैसे कह सकता है? ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उसे प्रोसिडिंग से निकाल दिया है, अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : महोदय, इस प्रकार से घड़ियां और कई अन्य प्रकार की वस्तुओं को एकरूपता में लाने के लिए इस विधेयक को यहां लाया गया है और यह पहली फरवरी से लागू किया गया है। मैं समझता हूं कि यह पूरे देश और सब विभागों से जुड़ा हुआ विधेयक है, इसे पास किया जाना अति आवश्यक है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं। महोदय, आज भारत विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत है और हमें वैश्विक व्यापार का अनुकरण करना है और महोदय, आज मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)* इस संशोधन विधेयक के पीछे मुख्य विचार आयात पर लगाए जाने वाले सीमा–शुल्क के नियमन और विनियमन से संबंधित मामले देखना नहीं बल्कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य छह अंकीय वर्गीकरण कोड को आठ अंक के वर्गीकरण कोड में बदला जाना है। इसका कारण सरलीकरण करना और छह अंकीय वर्गीकरण से आने वाली व्यापार जगत की समस्याओं को दूर करना है और इनका प्रावधान इस विधेयक में किया गया है जिसमें इसे आठ अंकीय वर्गीकरण बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि आयात और निर्यात की प्रक्रिया को और साधारण बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें किसी उत्पाद विशेष के नामकरण प्रणाली में

एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। महोदय, ऐसा निश्चय राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया है। उन्होंने एक साथ बैठकर बात की है और व्यापार को सरल बनाने की प्रक्रिया और कार्यविधि के बारे में सोचा है।

मैं इस समय कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि जब 1993 में विश्व व्यापार संगठन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने क्या कार्रवाई की? महोदय, राजग के सत्ता में आने पर हमने व्यापार से संबंधित अनेक विधान जैसे पौध की किस्में, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण आदि बनाए। विश्व व्यापार संगठन के संगत अनेक कानून बनाए गए हैं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : 1995 में विश्व व्यापार संगठन समझौता ने इसे बाध्य दर बना दी लेकिन 1991 में वह ड्यूटी नहीं थी।

श्री बिक्रम केशरी देव : आपने नहीं कहा। आज कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि कृषक आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ऐसा कांग्रेस पार्टी के कारण हो रहा है। जब 1993 में विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर किए गए तो कृषि समझौते को छोड़ दिया गया और आज तक आप इसे हल नहीं कर सके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : वे गत चार वर्षों से सत्ता में हैं। अब गत चार वर्षों से आप सत्ता में हैं। वे इसे बदल सकते हैं और इसमें संशोधन कर सकते हैं। आप इसे क्यों नहीं बदलते हैं?

श्री बिक्रम केशरी देव : हमने कृषकों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने फसल ऋण दिए हैं, हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। हम किसानों के हित की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

यदि कृषक आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका कारण हमारा चार वर्ष का शासन नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार का 42 वर्षों का कुशासन और उस पक्ष के सदस्यों के कारण है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नामकरण में एकरूपता लाने के लिए कोड का विस्तार जैसे कि, स्वर्ण। यदि आप मुख्य उत्पाद 'स्वर्ण' को लें तो उसके कई सह उत्पाद हैं जैसे कि स्वर्ण की डस्ट और स्वर्ण की राख आदि। इन उत्पादों पर

[श्री बिक्रम केशरी देव]

एकसमान ड्यूटी है। इस विधेयक की मुख्य बात मुख्य उत्पाद और सह उत्पादों में एकरूपता लाना है। चाहे सोने का कार्य हो चाहे जौहरी का कार्य हो उसमें बहुत डायमंड डस्ट निकलेगी और यही 'डायमंड डस्ट' बहुत बहुमूल्य है। तथापि सीमा–शुल्क मुख्य उत्पाद और सह उत्पाद पर बराबर है क्योंकि डायमंड डस्ट बोर वेल्स और रिंग्स बनाने में प्रयोग की जाती है।

यह विधेयक न तो सीमा–शुल्क बढ़ाता है न घटाता है। इसका मुख्य प्रयास इसमें एकरूपता लाना है। यह मूलतः व्यापार की प्रक्रिया को अन्य देशों के साथ सरल बनाता है क्योंकि हम विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में सम्मिलित हो गए हैं। एक समय था जब हमें सोने को बन्धक रखना पड़ता था लेकिन आज यह कहते हुए मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 75 बिलियन डालर हैं। ऐसा राजग द्वारा प्रगतिशील व्यापार नीति अपनाए जाने के कारण है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, इस विधेयक को सपोर्ट देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस सीमा–शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2003 का मैं शिवसेना की तरफ से समर्थन तो कर रहा हूं, पर वास्तव में इस विधेयक में सीमा–शुल्क की विद्यमान दरों से परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

विधेयक में बताया गया है कि व्यापार और उद्योग की ओर से, सभी व्यापार संबंधी संव्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार को सुकर बनाने हेतु उपयोग में लाए जाने के लिए नामपद्धति की अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंगीकृत समन्वित प्रणाली पर आधारित सामान्य वस्तु वर्गीकरण संहिता को अंगीकार करने की मांग की गई है। वैसे तो आठ अंकों का मानकीकरण, वर्गीकरण या संहिता को एक अप्रैल, 2002 से अंगीकार किया है। उसके पहले से छः अंक वर्गीकरण प्रणाली से इसका बदल हो रहा है। उक्त संहिता के विस्तार का मुख्य उद्देश्य सीमा–शुल्क की दरें और उक्त वर्गीकरण के संगत वस्तुओं के आयात क्षमता प्रदान करने के लिए है।

मैं आपको बताऊं कि बाहर से जो वस्तुएं हमारे देश में आने वाली हैं, उस बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे हैं। अगर नार्वे का दूध यहां आ गया तो दुग्ध उत्पादक किसानों को उससे नुकसान होगा, क्योंकि वह दूध सात रुपए प्रति लीटर होगा, हम ऐसा मानकर चलते हैं। मुम्बई में तो एक बार वह पहुंच गया था तो फिर 12, 13 या 14 रुपए प्रति लीटर कोई यहां के किसानों का दूध नहीं लेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?

श्री चन्द्रकांत खैरे : नहीं लगाया, आगे मैं यही बोलने वाला हूं। इसलिए ज्यादा सीमा–शुल्क लगाना चाहिए। अगर यहां सात रुपए लीटर दूध आ गया तो हमारा मध्यम वर्ग का कंज्यूमर यह सोचेगा कि चलो सात रुपए वाला दूध ले लो। लेकिन उससे यहां के दुगध उत्पादक का क्या होगा। अभी वह 12 और 13 रुपए लीटर दूध बेच सकता है, फिर उसे कोई नहीं लेगा। फिर गाय, भैंस या जानवर किसानों को बेचने पड़ेंगे या उन्हें कसाई के पास जाना पड़ेगा और किसानों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, अनेक तकलीफें होंगी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले साल, जो ओल्ड व्हीकल्स बाहर से हमारे देश में आने वाले थे, उनको यहां आने से रोका था। हमारे स्पीकर मनोहर जोशी जी तब मंत्री थे, उनके पीरियड में उसे रोका गया था। इसलिए रोका गया था, क्योंकि यहां के ऑटो इंडस्ट्री ने उनका एक सिम्पोजियम रखा था। अगर हमारी इंडस्ट्री बंद करनी है तो उनके ओल्ड और नए व्हीकल्स को आने दो। हमारे यहां जो भी आटो इंडस्ट्री है। उदाहरण के लिए हमारे यहां बजाज इंडस्ट्री है जिसमें 10 हजार लोग काम करते हैं। वह सारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है। अगर जापान या चाइना के स्कूटर वगैरह 17 हजार रुपए में आने लगेंगे, तो यहां के स्कूटर, मोटरसाइकिल जो कि 38 हजार से लेकर 48 हजार रुपए में आती हैं, उनको कौन खरीदेगा? इसलिए इंडस्ट्री वालों ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए।

मैं यही कहूंगा कि आफिसर लैवल में ड्यूटी बढ़ाने, घटाने में बहुत भ्रष्टाचार होता है। अभी जैसा रघुवंश जी ने बताया, वह ठीक है। आफिसर लैवल पर पोस्टिंग आदि का भी बड़ा झगड़ा होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी फॉरेन मैटीरियल्स आने वाली हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगनी चाहिए ताकि हमारे यहां के जो घरेलू उद्योग–धंधे हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको इससे कुछ बढ़ावा मिल सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने कुछ मदों के सीमा–शुल्क टैरिफ में वृद्धि, विश्व व्यापार संगठन प्रतिबद्धता और अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है।

जिस विधेयक पर चर्चा चल रही है उसमें कम्प्यूटरीकरण और कोडिंग की बात कही गई है। यह विधेयक लाए जाने का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए जा रहे वर्तमान तीन मोड्स वाली प्रणाली के स्थान पर एकरूप प्रणाली अपनाना है। यही कारण है जिससे हमने यह अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

मैं इस महान सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यादेश क्यों। कोई साधारण विधेयक लाया जा सकता था। आप यह स्पष्ट करें कि अध्यादेश क्यों आवश्यक समझा गया?

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी व्यापार निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी निदेशालय ने सिफारिश की है कि निर्यात की वास्तविक मात्रा, सामानों के प्रकार, जिन शीर्षों के अंतर्गत आयात किया जाना है का हिसाब लगाने के लिए एकसमान 'प्रविष्टि कोड' होना चाहिए। यह कोड वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयात हेतु जारी किए गए हैं। वे आठ अंकीय कोडों से काम कर रहे हैं और हमारे यहां सीमा–शुल्क में छह अंकीय कोड हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ एजेंसियों द्वारा दस अंकीय कोडों का प्रयोग किया जा रहा है, इस विधान का मुख्य उद्देश्य आयात की वास्तविक मात्रा और उनके मूल्य निर्धारण की विधियों में एकरूपता लाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकड़े की प्रविष्टियां स्पष्ट एवं पारदर्शी हैं हम कम्प्यूटरीकरण कर रहे हैं। केवल इसी उद्देश्य के लिए हमने संबंधित मंत्रालयों जो कि व्यापार, उद्योग, आयात एवं निर्यात और संबंधित मुद्दों से संबंधित कार्य देख रहे हैं, के परामर्श के पश्चात् यह अध्यादेश जारी किया है। वाणिज्य मंत्रालय की बाध्यताओं और प्राप्त होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर हम यह अध्यादेश प्रख्यापित कर रहे हैं। हम नामकरण की एकरूप प्रणाली भी ला रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री दासमुंशी ने पहले ही कहा है कि पहली अनुसूची में इस वर्गीकरण द्वारा हमने सरकार को पुनः सूची तैयार करने और आठ अंकों के कोड देने के अधिकार दे दिए हैं।

यदि कोई नई प्रविष्टि आती है, तो वह भी आठ अंकों के कोड के अंतर्गत आएगी। यही प्रयोजन है जिसके लिए हमने इस माननीय सभा की स्वीकृति हेतु विधान प्रस्तुत किया है।

विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा कृषि संबंधी उत्पादों पर आयात शुल्क के तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन उन मुद्दों का इस विधान से कोई संबंध नहीं है। यह आयात के लिए शामिल सभी मदों हेतु समान अंक का कोड लाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मुझे यह बात स्पष्ट रूप से माननीय सदस्यों को बताने दीजिए कि स्टाक संबंधी टिप्पणियों में कोई परिवर्तन नहीं है, अध्याय की टिप्पणियों में कोई परिवर्तन नहीं है, उप–शीर्ष में कोई परिवर्तन नहीं है। पुस्तक के अंतर्गत मदों अथवा वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

महोदय, यह विधेयक कारोबार की लागत को नियंत्रित और कम भी करेगा। अब तक वाणिज्य मंत्रालय एक तरह के कोड जारी कर रहा है, हमारे राजस्व विभाग के लोग एक अन्य तरह के कोड अपना रहे हैं, और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य लोग कुछ अन्य कोड अपना रहे हैं। अतः हम समान कोड चाहते हैं। इससे कारोबार की लागत में कमी आएगी और अन्य सभी मामलों में पारदर्शिता भी आएगी।

महोदय, हमने यह आंकने के लिए कि हम कितना आयात कर रहे हैं; आयातित सामग्री की मात्रा क्या है इत्यादि के लिए एक यूनिट की स्थापना भी की है। हमने इन सब बातों को समेकित कर लिया है।

इन सबको 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। अध्यादेश 1 फरवरी को जारी किया गया था जो कि पहले से ही विद्यमान है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए विश्व व्यापार संगठन के बारे में उल्लेख किया है। कृपया मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए कि हम यह अध्यादेश जारी करते समय किसी दबाव में नहीं थे। आयातित सामग्री और वास्तविक

[श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन]

राशि की गणना करने के बारे में मंत्रालयों के बीच एक स्पष्ट समन्वय है कि हम कितनी सामग्री का आयात कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस बात की सिफारिश की गई थी। विश्व सीमा संगठन सहित सभी विख्यात संगठनों ने भी इस बात की सिफारिश की थी। अतः उनकी सिफारिशों के अनुसार ही हमने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह सहित अनेक माननीय सदस्यों ने कृषकों और विभिन्न अन्य संबद्ध मुद्दों के बारे में बोला है। इसी प्रकार, डा. नाच्चीयपन ने विश्व व्यापार संगठन और कुछ अन्य आयात की जाने वाली सीमा–शुल्क मदों के बारे में उल्लेख किया। कृपया मुझे दोहराने दीजिए कि ऐसे मुद्दे प्रत्यक्ष रूप से इससे संबंधित नहीं हैं। यदि वे चाहें तो वह ऐसे मुद्दों को सामान्य बजट पर चर्चा करते समय उठा सकते हैं। कृषि के संबंध में हमने किसी मद पर शुल्क नहीं बढ़ाया है। जहां भी आवश्यक होगा, सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को स्पष्टतः यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत पारदर्शी है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपना राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ा लिया है। अतः सरकार बहुत सतर्क है और राजस्व के संग्रह के लिए बेरोक–टोक सभी सम्भव कदम उठा रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ये मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री रूपचन्द पाल, श्री अनादि साहू, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, श्री एस. नाच्चीयपन, श्री शीश राम सिंह रवि, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री बी. के. देव और श्री चन्द्रकांत खैरे ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने इस बारे में चिंता व्यक्त की कि इस अध्यादेश को जारी करने की क्या जल्दी थी। इस संबंध में मुझे इस माननीय सभा को यह सूचित करने दीजिए कि इस अध्यादेश को व्यापार और वाणिज्य संगठनों सहित अनेक संगठनों की सिफारिश पर जारी किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही इसकी सिफारिश की थी। व्यापारियों और आयातकों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन ने पहले ही तत्काल इस कदम को उठाने की सिफारिश की थी। केवल तभी आयात के व्यापार में लगे हुए लोगों को सुविधा मिलेगी।

इस प्रयोजन से हमने यह अध्यादेश जारी किया था।

इन शब्दों के साथ, मैं इस माननीय सभा से अनुरोध करूंगा कि वह सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करे।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधेयक के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के बारे में मंत्री महोदय द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न उठाए थे।

सर्वप्रथम, अध्यादेश जारी करने की क्या जल्दी थी जबकि कोई समस्या अथवा अवरोध नहीं थी? उन्होंने इस सभा में मूलतः नया विधेयक पेश क्यों नहीं किया? बजट सत्र के आरम्भ होने से कुछ दिन पहले अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी?

दूसरा, इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों ने नाम–पद्धति की समानता के मुद्दे को उठाया। लेकिन इन सभी मुद्दों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए थी। कम से कम इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए सामूहिक विवेक बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता था। लेकिन महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां तक कि मंत्री महोदय भी इस विधेयक का उपयुक्त उत्तर ठीक से नहीं दे सके।

मैं आशा करता हूं कि आगामी दिनों में, सरकार इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचेगी और विचार करेगी जो कि इस महत्वपूर्ण सीमा–शुल्क नीति और अन्य संबद्ध मुद्दों के संबंध में उठाए गए हैं।

अतः मैं अपने संकल्प पर जोर नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्री प्रबोध पण्डा द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस ले लिया जाए?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

[हिन्दी]

खंड 2 नये खंड 11क का अंत:स्थापन

श्री राजो सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,–

"तीस" के स्थान पर

"साठ" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 3 पहली अनुसूची के स्थान पर नयी अनुसूची का प्रतिस्थापन

श्री राजो सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 28,–

"10%" के स्थान पर

"40%" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.23 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

[अनुवाद] 510-23

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, मैं सदन में उपस्थित नहीं था। मुझे गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने के लिए क्वालालम्पुर जाना था। लेकिन मैंने जहां तक संभव है माननीय सदस्यों के भाषणों को पढ़ने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर चर्चा अच्छी हुई। प्रारम्भ में एक सवाल को लेकर टीका-टिप्पणी हुई कि अभिभाषण बहुत लम्बा था। श्री सोमनाथ जी ने कहा कि केवल लम्बा ही नहीं, डैप्थ भी नहीं थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : लम्बा था, गहराई नहीं थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गहराई कब से ढूंढ़ने लगे?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह 'वाजपेयी जी का फार्मूला' है, किसी भी, प्रश्न का उत्तर न देना !

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभिभाषण अच्छा है और अधिकाधिक विषयों का समावेश करता है। कठोर परिश्रम के लिए देश का आह्वान करता है, जिससे कि विकास की दर को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है, वह पूरा हो सके। मैं पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा दिए गए पुराने भाषणों को देख रहा था, जो वर्तमान अभिभाषण से भी लम्बे अभिभाषण थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ट्रांसलेशन नहीं था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन भाषणों को सुनने वाला मैं भी एक था। लेकिन मैं सहमत हूं कि सभी बातों का समावेश होना चाहिए, लेकिन संक्षेप में होना चाहिए और फिर किसी राज्य सभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति महोदय के सामने कोई कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिए। जो विषय उठाए गए हैं, मैं एक–एक का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, सभी मुद्दों का उत्तर देना शायद संभव नहीं होगा।

देश में सूखा क्षेत्रों के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की गई है। चिन्ता स्वाभाविक है। 14 राज्य सूखे से पीड़ित हैं और पीने के पानी की कमी हुई है। जानवरों के लिए चारे का अभाव रहा है। कई स्थानों पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ा है। लेकिन फिर भी यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि हमने इतने बड़े सूखे से उत्पन्न संकट पर नियन्त्रण प्राप्त करने में सफलता पाई है। कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लोगों को अनाज पहुंचाने का पूरा प्रयत्न हुआ है। इसके लिए अन्त्योदय योजना का आश्रय लिया गया है। अब स्थिति यह है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लगभग छः करोड़ परिवारों में से अर्थात् 1.5 करोड़ परिवारों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार को 25 किलोग्राम प्रतिमाह की जगह 35 किलोग्राम प्रतिमाह दिए जाने के आदेश एक अप्रैल से दे दिए गए हैं। इसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में की थी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : साढ़े चार करोड़ परिवारों को क्यों छोड़ दिया?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे यह बोलना आसान है।

सोनिया जी ने एक प्रश्न उठाया है। मैं चाहूंगा कि सदन उस पर गम्भीरता से विचार करे। जो परिवार में नहीं हैं और जिनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं हैं, वे बिखरे हुए हैं, बंटे हुए हैं, रोजगार मिलता नहीं है, मिलता है तो उस रोजगार को करने की स्थिति में नहीं हैं, उनका पेट किस तरह से भरा जाए? जब हम अन्न की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनका भी विचार होना चाहिए। मैं इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से विचार–विनिमय करना चाहूंगा। हम ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे पास जो अन्न का भंडार है, उसके होते हुए जब लोगों के भूखे रहने की नौबत आती है तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारे प्रबन्ध में कमी है, लेकिन अगर कमी है तो शासन की इतनी कमी नहीं है, जितनी परिस्थिति के कारण है।

रोजगार का प्रश्न बड़े पैमाने पर उठाया गया। उससे पहले मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं। इस सरकार ने राज्यों को अनाज देने के मामले में किसी प्रकार का कभी भेदभाव नहीं किया, न करेगी। यह मेरे लिए ईमानदारी का सवाल है। हम राजनीतिक आधार पर सूखा पीड़ितों को सहायता देने में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसी नीति नहीं अपना सकती, न सरकार ने अपनायी है और ऐसी नीति अपनाना भी अमानुषिकता होगी। भूखे को भोजन चाहिए, सबका पेट भरे, हम इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आरोप लगते हैं।

राजस्थान की बात हुई है। श्रीमती सोनिया गांधी ने राजस्थान के बारे में मुझे पत्र भी लिखा था। मैंने उनको उत्तर दिया। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं वे सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान को 29 लाख टन अनाज आवंटित किया गया जो सबसे अधिक है तथा यह सभी प्रदेशों के लिए आवंटित कुल अनाज का 44 प्रतिशत है, लेकिन हमने राजस्थान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। वहां परिस्थिति ऐसी है। सबसे भयंकर परिस्थिति शायद अगर किसी प्रदेश में होगी तो वह राजस्थान में है, इसलिए बाकायदा सूखे के खिलाफ कदम

उठाने के पहले जब मैं राजस्थान गया था तो मैंने 50 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया था। लोगों ने कहा अभी सूखा है नहीं, सूखा घोषित नहीं हुआ है, आपने राजस्थान की मदद क्यों की? मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यहां आसार बुरे हैं और आगे जाकर गम्भीर परिस्थिति होने वाली है। अगर तुलना करें तो 1987 के सूखे की तुलना में इस बार लगभग तिगुनी राहत सहायता पहुंचाई गई है। सूखा भी उससे ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आरोप ठीक नहीं है कि अनाज आवंटित करने में देरी हुई है। हमारा प्रयास यह होता है कि जो पहली किस्त हम देते हैं, वह पूरी खत्म हो जाए या खत्म होने लगे और दूसरे की आवश्यकता हो जाए, मांग बढ़ने लगे तो दूसरी किस्त देनी चाहिए। पहली खेप पूरी तरह इस्तेमाल किए जाने से पहले ही दूसरा प्रस्ताव राजस्थान से आ गया। पहली खेप खत्म होने से पहले ही दूसरी खेप भेज दी गई। मजदूरी का खाद्यान्न घटक कम नहीं हुआ है। कुछ आंकड़े उपस्थित किए गए थे। सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन पांच किलो खाद्यान्न देने की बात है। परन्तु राजस्थान के अत्यधिक सूखाग्रस्त इलाकों में इसे 8 किलो कर दिया गया है जबकि अन्य खंडों में 6 किलो है। यह फर्क किया है, शायद इसके कारण कोई भ्रम पैदा होता हो, वह अब दूर होना चाहिए। इसका मापदंड यही है जो प्रदेश सरकार ने अपने स्पेशल पैकेज में मांगा था। अन्न देने के मामले में किसी प्रदेश सरकार से भेदभाव करें जबकि हमारे पास अन्न के भंडार भरे हुए हैं, मैं समझता हूं कि यह आलोचना भी देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाती नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अन्त्योदय योजना दुनिया का सबसे व्यापक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी ने फूड सिक्यूरिटी की बात कही थी और उसमें एक प्रश्न पैदा हुआ जिसे मैंने सदन में उपस्थित किया है, उसका उत्तर हमें ढूंढ़ना पड़ेगा। दक्षिण में ऐसे मठ हैं जहां कोई भी जाकर भोजन कर सकता है। वे मठ सरकार के पैसे से नहीं, समाज के सहयोग से 24 घंटे काम करे हैं। यह उनकी परम्परा है और वे उसे निभा रहे हैं। समाज में जब तक इस तरह का जागरण नहीं होगा कि पड़ोस में कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, तब तक भूख का पूरी तरह निर्मूलन करना एक कठिन बात होगी।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप कानून बनाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक–चौथाई परिवारों को जो अनाज मिलेगा, वह 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के आधार पर मुहैया कराया जाएगा। मैं वही सवाल फिर दोहराना नहीं चाहूंगा कि जिनके पास 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनका क्या किया जाए? बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए हैं, राज्य सरकारों ने किए हैं।

'काम के बदले अनाज' इस योजना के अंतर्गत कई जगह अच्छे काम हुए हैं। मैं आंध्र प्रदेश का उल्लेख करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे गठबंधन में हैं। वह गठबंधन केवल बी.जे.पी. का गठबंधन नहीं है। सोनिया जी जब हमारा वर्णन करती हैं तो कहती हैं : 'भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार'।

कई माननीय सदस्य : यह सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सही तो है मगर जो और दल हैं, उन्हें इस तरह से अप्रतिष्ठित करके हमसे अलग करना चाहते हैं। यह जितने सरल ढंग से कह दिया गया, उतना सरल मामला नहीं है। 'भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार'–यह मिली–जुली सरकार है, सफलता के साथ चल रही है, अपना समय पूरा कर रही है।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि अनाज के मामले में...

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं अत्यन्त बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में किए गए कार्य के बारे में उनका विचार पूर्णतः गलत है और निराधार है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आप कृपया जाइए और आंध्र प्रदेश में किए गए कार्य को देखकर आइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आंध्र प्रदेश में किए गए कार्य को देखने के लिए अपने दल राज्य में भेजे हैं। समाचार पत्रों में भी यह बात प्रकाशित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपकी बारी समाप्त हो गई।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र

की आंध्र प्रदेश की सरकार के बारे में राय अलग है, इसके बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर वे इस विषय में बोलते नहीं, यह बात उनके खिलाफ जाती। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 8000 करोड़ रुपए का अनाज राज्यों को मुफ्त आवंटित किया गया है। इसके अलावा लगभग 5000 करोड़ रुपए की नकद सहायता भी दी गई है। सूखे से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसका हम सामना कर रहे हैं। सुझाव आमंत्रित हैं। अंत्योदय योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी जन–प्रतिनिधियों की भी है। संसद सदस्य अपने क्षेत्र में अगर कभी घूमकर एक नजर डाल लिया करें कि किस तरह से इस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था बजट के साथ और समीक्षा के रूप में सामने आ गई है। कुछ अच्छे पहलू हैं जिनको ओझल नहीं किया जा सकता। विकास की दर घटी है। यह चिन्ता का विषय है और हम 8 फीसदी तक विकास की दर ले जाना चाहते हैं यह हमारा संकल्प है। लेकिन दो साल के सूखे के कारण कृषि के क्षेत्र में घाटा हुआ है जिसका कुल मिलाकर राष्ट्रीय आमदनी पर असर पड़ा है। फिर भी कुछ अच्छे चिह्न हैं। विदेशी मुद्रा 75 बिलियन डालर हो गई है, 1 मार्च की इकोनॉमी मैगजीन के अनुसार अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा है। इस साल 25 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है जो लगभग उतनी है जितनी 1998 में हमारा कुल विदेशी मुद्रा भंडार था। स्थिति अच्छी है इसलिए जो कर्जा हमने लिया था, जो हमें बाद में वापस करना था, उसमें से कुछ हम अभी से वापस कर रहे हैं, पहले ही वापस कर रहे हैं। यह बताता है कि देश की स्थिति, देश का वातावरण इनवैस्टमेंट के लिए, पूंजी लगाने के लिए उपयुक्त है। विदेशी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी संगठन भी इस बात को मान रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इस समय जब यह कहा जाता है कि पूंजी लगाने में लोग उत्साहित नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव है और इसके कारण पैसा लगाने में लोग हिचकेंगे, मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई कठिनाई अभी तक सरकार के सामने उपस्थित नहीं हुई है।

हमारे पास एटमी हथियार हैं, लेकिन हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं, रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, यह सारी दुनिया मानती है। किसी ने भारत के बारे में प्रश्न नहीं उठाए हैं। प्रश्न जो उठे हैं, वे पड़ोसी के बारे में उठ रहे हैं, लेकिन उसका उल्लेख करके यह कहा जाए कि यह ठीक नहीं है–तनाव हमने तो पैदा नहीं किया ! अब अगर पाकिस्तान से अमेरिका बातें नहीं मनवा सकता तो अमेरिका की दुर्बलता प्रकट होती है। अगर हमें दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं हो सका तो भविष्य के लिए अपनी नीति का निर्धारण करते हुए हम इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह सोचना कि हम किसी पर विश्वास न करें ! हम लड़ाई टालने के हर विकल्प को अपनाने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन जब अतिरेक हो गया था, जब सदन पर हमला हुआ और ऐसा लगा कि देश को इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर पड़ा। हमें भी आश्वासन दिए गए। पाकिस्तान से भी इस तरह से वक्तव्य आए जिनसे लगा कि वह आतंकवाद पर अंकुश लगाएगा और आर–पार जो आतंकवाद चल रहा है, उसको रोकेगा। वहां से जो तस्वीर आई, वह मिली–जुली तस्वीर थी। कभी ऐसा लगता था कि आतंकवाद की घटनाएं कम हो रही हैं। कभी ऐसा लगता था कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हम सावधान की मुद्रा में थे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : लेकिन आर–पार की लड़ाई नहीं हुई?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इसका भी उत्तर दूंगा। मैंने कहा था कि अगर लड़ाई होगी, तो आर–पार की लड़ाई होगी और यदि बिना लड़े ही अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, तो लड़ना जरूरी नहीं है।

हमने कूटनीतिक क्षेत्र में अपने विरोधियों को एक मात दी है। हमें विश्व का समर्थन मिला है, जो पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ चिह्न अच्छे हैं और उनके भरोसे हमने आगे के लिए फैसले किए हैं। जब परिस्थितियों में जैसा परिवर्तन आएगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे।

मैं, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में जो चर्चा हुई, उसमें आतंकवाद के ऊपर अच्छी बहस हुई और आतंकवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ है, इस पर बड़े अच्छे भाषण हुए। हमारे देश में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हमसे भी पूछा जाता है कि अगर अन्याय हो रहा हो, तो क्या आतंकवाद का सहारा लेना ठीक नहीं है? हम कहते हैं कि आतंकवाद अपने में बुरा है इसलिए किसी काम में उसका सहारा लेना, उस काम को भी गलत बनाने वाला है।

डा. महाथिर ने जो भाषण वहां दिया, मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"सचमुच विश्व अत्यन्त ही खतरनाक अव्यवस्था में है, स्थिति जो कि पूर्व पश्चिम टकराव, शीतयुद्ध के दौरान से भी खराब है। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सभी बड़ी आशाएं नष्ट हो चुकी हैं। और आतंकवादी और प्रति–आतंकवादी एक–दूसरे के विरुद्ध आंख मूंदकर लड़ रहे हैं, सामान्य स्थिति लम्बे समय तक बहाल नहीं होगी।

निश्चित तौर पर, किसी चरण में हम स्वयं से पूछेंगे, विश्व को ऐसा क्यों हो रहा है। आतंकवाद क्यों है? क्या यह सच है कि मुस्लिम जन्मजात आतंकवादी हैं ! हम व्यवस्थित लूट, सर्वनाश और अनुपयोग जो लगभग 2000 वर्षों तक ईसाई यूरोप की विशेषता रही की व्याख्या कैसे करते हैं।

स्वयं ईसाई भी आतंकित किए गए थे, मुसलमानों के द्वारा नहीं अपितु ईसाइयों द्वारा ही जिन्होंने धर्मभ्रष्ट के रूप में उनकी भर्त्सना की।

इसलिए, यह नहीं हो सकता कि मुस्लिम ही सभी समस्याओं की जड़ हैं। यदि वे नहीं हैं तो क्या यह सभ्यता का संघर्ष है, जूडिया ईसाई सभ्यता के विरुद्ध मुस्लिम सभ्यता का संघर्ष है जो उत्तरदायी है?

स्पष्ट रूप से मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि यह पुराने यूरोपियों की विश्व में प्रभुत्व जमाने की इच्छा के लक्षण का पुनरुज्जीवित होना है। और इस विशेषता की अभिव्यक्ति में निश्चित तौर पर दूसरे जातीय मूलों और रंगों के लोगों के प्रति अन्याय और दमन है।"

[हिन्दी]

क्वालालम्पुर में जो देश एकत्रित हुए थे वे आतंकवाद की समस्या से गमगीन और गम्भीर रूप से चिन्तित थे। उनका इतनी बड़ी संख्या में आना और ज्वलन्त प्रश्नों के हल ढूंढ़ने के प्रयास करना, इस बात का प्रमाण है कि विश्व युद्ध के कारण एक ध्रुवीय विश्व बनने जा रहा है। उसकी जगह और भी ध्रुव अस्तित्व में आएं, तैयार हों, इसके लिए गम्भीर प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि आतंकवाद इस संबंध में कसौटी है।

इराक के संबंध में वहां जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे आप देख सकते हैं। उसमें यह आशा व्यक्त की गई है कि इराक अपने सारे निश्चयों को कार्यान्वित करेगा। फिर उस पर लगी हुई जो कठोरताएं और बाधाएं हैं, उन्हें हटा लिया जाएगा, लेकिन जो भी विदेशी मेहमान इस समय भारत आ रहा है, उससे मैं पूछता हूं कि क्या लड़ाई होगी, कोई नहीं कहता कि नहीं होगी। हमने देश को इसके लिए तैयार किया है और देश को तैयार रहना भी चाहिए, क्योंकि गल्फ और खाड़ी के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे हित जुड़े हैं। वहां 40 लाख के करीब लोग काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर अलग से चर्चा हो और अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसकी कापी मैं आपकी इजाजत से सभा पटल पर रखना चाहता हूं। नेम में मेरा जो भाषण था, उसकी प्रतिलिपि मैं सभा पटल पर रख रहा हूं। इसके साथ जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी भी प्रतिलिपि मैं सभा पटल पर रख रहा हूं। क्वालालम्पुर जाने से पहले अनेक मित्रों से मेरा विचार–विनिमय हुआ था, लेकिन उस समय कोई मीटिंग औपचारिक ढंग से की जाती, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। ये मामले नाजुक हैं और हमारी कुटनीतिज्ञता की परीक्षा ले रहे हैं। इस संबंध में सारे देश और सदन को एक होकर आगे बढ़ना होगा और इस संकट का, जो विश्व का संकट बन रहा है, सामना करने में अपना योगदान देना होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रधान मंत्री ने एक जानकारी दी। बातचीत के बाद, आपको विश्वास है कि इराक पर आक्रमण के प्रयास की संभावना है और भारतीयों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। खाड़ी में 40 लाख भारतीयों का जीवन दांव पर है। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारा क्या दृष्टिकोण है? निःसंदेह, हम सब एक साथ हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु आपका क्या दृष्टिकोण है? आज सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और फिर आवश्यकता होगी तो हम आपको सलाह–मशविरे के लिए बुला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मगर हम नहीं समझते कि इस मामले में कोई बहुत मतभेद हैं, किन शब्दों में व्यक्त किया जाए, यही सवाल है। अब कहा

जा रहा है कि यह सवाल गुटनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता, ये कैसे जानें और ये निष्कर्ष कैसे निकालें। जब मैं प्रतिपक्ष में था और यहां से नहीं, वहां से बोलता था तब भी मैं गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करता था। यह ठीक है कि अब विश्व बदल गया है और शीतयुद्ध समाप्त हो गया है। अब दुनिया दो सैनिक खेमों में बंटी हुई नहीं है, मगर अब एक देश का प्रभुत्व, अन्य देशों को साथ आकर इसके बारे में गहराई से विचार करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाल ही में, यूएसए के एक प्रमुख समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा कि दो पक्ष हैं। एक यूएसए है और दूसरा विश्व जनमत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैं संशोधनों को लेने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो पक्ष हैं, एक यूएसए और दूसरा विश्व जनमत।

महोदय यूएसए सहित पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर जन विरोध किया जा रहा है। दूसरे देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और रूस की निश्चित नीति सर्वविदित है। वे इराक को धमकी तथा युद्ध शुरू करने की तैयारी का विरोध कर रहे हैं। इस पर हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या आप पूरे विश्व में किए जा रहे उन विरोधों का समर्थन करते हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी और इनकी पार्टी के विचारों से हम लोग अवगत हैं, लेकिन वे दूर तक चले जाते हैं। हम उतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नहीं, इसमें जाना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम कोई मध्यम मार्ग खोजते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं, यह पुरानी नीति है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह कैसे हो सकता है कि यथास्थिति कैसे बनाई रखी जाए?...*(व्यवधान)* आपको स्पष्ट तौर पर यह अवश्य कहना चाहिए कि आपको हमारे विचार और चिंता को अभिव्यक्त करना चाहिए। उस स्थिति में आप बस चुपचाप नहीं बैठ सकते और यथास्थिति नहीं बनाए रख सकते। इसके पीछे एक बिलियन लोगों की आवाज है।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : इसमें कोई मध्यम मार्ग नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप चर्चा कर लें। नहीं, इसका सवाल नहीं है। मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। बाहर जो लोग वहां हैं और उनको अगर वापस लाने की आवश्यकता पड़ी तो हम उसका इन्तजाम करेंगे। उनको खतरे में नहीं पड़ने देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। एक सवाल पर काफी बहस हुई है। केवल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को लेकर नहीं, सवालों के दौर में भी और वह रोजगार की स्थिति है। कितने रोजगार अब तक सृजित हुए हैं, कितने लोगों को काम मिला है, जब मैंने उस दिन कहा कि मेरी गणना और मेरी जानकारी के अनुसार 70 लाख लोगों को काम मिला है तो उसको चुनौती दी गई। मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है और यह संख्या 70 लाख की संख्या, अगर आप कहें तो मैं एक–एक आइटम पढ़कर दिखा सकता हूं कि किस क्षेत्र में कहां लोग काम पर लगे हैं। इसमें सरकार की योजनाएं भी हैं, गैरसरकारी जो विकास हुआ है, उसकी भी योजनाएं हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लेकिन आपने हर साल एक करोड़ रोजगार देने की बात कही थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, बैठिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नौ लाख 60 हजार रोजगार के अवसर कंसट्रक्शंस में सृजित हुए हैं, व्यापार होटल आदि में 20.30 लाख परिवहन एवं संचार में 7.5 लाख हुए हैं। कुछ कमी आई है, मगर उसके बावजूद हमारे पास जो आंकड़े हैं, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि 80 लाख के करीब, 70 लाख से ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने बेरोजगारी का प्रश्न उठाया चाहे वह बेरोजगारी हो या आंशिक रोजगार हो। हम लोग प्रधान मंत्री एन.डी.ए. भाजपा

गठबंधन द्वारा दिए गए वचन का हवाला दे रहे थे। वास्तव में जब उन्होंने सरकार का गठन किया था उससे पहले उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वे प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार देंगे। हमने उस दिन वही कहा। इसका मतलब है कि आप अब तक कम से कम साढ़े तीन करोड़ रोजगार दे चुके होंगे। आप उतना रोजगार दे सके होंगे।...*(व्यवधान)* यदि आपको अपना वचन निभाना है तो आपने साढ़े तीन करोड़ रोजगार दिया होगा। उस दिन हमारा यही प्रश्न था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब यह कहा गया था कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का हम प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ यह नहीं था कि एक करोड़ रोजगार सरकार लोगों को बुलाकर दे देगी। क्या आप लोगों की यह मंशा है?

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : इसका क्या मतलब है? यह वचन लोगों को दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी की बात सुनिए। जब आपके नेता ने प्रश्न किया है, प्रधान मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से करना और इस ढंग से करना कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। आखिर हम चाहते हैं कि सर्विसेज में लोग लगें, यह तो स्वतंत्र रूप से लगने की व्यवस्था है। मेरे पास फिर वही आंकड़े आए हैं, जो मेरे कथन की पुष्टि करते हैं।

[अनुवाद]

"2002–2003 में कुल रोजगार सृजन करीब 84 लाख है।"

अपराह्न 5.00 बजे

इसी प्रकार, पिछले वर्ष लगभग 79 लाख रोजगार का सृजन किया गया था, और उससे पहले वर्ष में 73 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया गया था।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : ये आंकड़े मिलते कैसे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मेरी समझ में नहीं आता कि अगर सरकार कहे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और आप कहें कि नहीं मिल रहा, इसमें कौन सी राजनीति है?...*(व्यवधान)* यह कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? आप सरकारी आंकड़ों को चुनौती नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)* वैसे यह पर्याप्त नहीं है, इसे मैं मानता हूं। आप कहें कि एक करोड काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो फिर हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उसमें से रास्ता निकालने की बात सोचेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : यह संख्या कम नहीं हुई है बल्कि वह उतनी की उतनी ही है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे याद है, रोजगार का सवाल इस संसद के जीवन में बार–बार उठता रहा है। व्यक्तिगत आमदनी कितनी होनी चाहिए लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बिताने वालों की तादाद घटी है। ये सरकारी आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)* अब आप इसे भी चुनौती दे रहे हैं। ये जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्था है, वह एक स्वतंत्र संस्था है। वह किसी दबाव में आकर काम नहीं करती।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : लेबर मिनिस्ट्री उसे मानने के लिए तैयार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : देश में गरीबी बढ़ रही है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मुद्दा और उठाना है। जो नेता, प्रतिपक्ष की बात को लेकर है। "सरकार उग्रवाद को हमारे समाज की ओर केन्द्रित कर रही है।" यह वाक्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।...*(व्यवधान)* राजनीति करने के सौ रास्ते खुले हुए हैं। अंत में जनता फैसला करेगी, जैसा हिमाचल में किया और उससे पहले गुजरात में किया था।...*(व्यवधान)* कहां देश के बंटवारे की बात हो रही है, कहां देश को विघटित करने की साजिश हो रही है, कौन यह कर रहा है?...*(व्यवधान)* यह गलत है। आप उनको बढ़ा–चढ़ाकर बताते हैं इसीलिए ऐसा लगता है कि संकट बहुत बड़ा है। जो भी परिस्थिति हो, सरकार उसका सामना करने में समर्थ है क्योंकि जनता का सहयोग है। कभी भी देश सर्वधर्म समभाव का रास्ता नहीं छोड़ेगा। अब सोनिया जी को इस पर भी आपत्ति है कि सेक्युलरिज्म के बारे में एक वाक्य कह दिया। क्या एक वाक्य कहना काफी नहीं होता? जब पहली बार संविधान बना

था तो उमसें सेक्युलर शब्द लिखने के लिए भी नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उस समय जरूरत नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां जरूरत नहीं थी इसलिए हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें जरूरत नहीं है। हम सेक्युलरिज्म का ढोल पीटें, मोर्चा बनाएं और सबको इकट्ठा करें, हमारे मित्र दलों को तोड़ें और घर में फूट डालें, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* इसमें आतंकवाद को लाना ठीक नहीं है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हमारी स्थिति को बिगाड़ेगा। दुनिया वाले कहेंगे कि आपके यहां कोई आतंकवाद नहीं है, यह तो आपस की लड़ाई है जिसको आतंकवाद का रूप दे रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि यह कहा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमने पोटा, जिसका इस समय दुरुपयोग किया जा रहा है और हर आदमी उसे स्वीकार करता है, छोड़कर आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर उनका समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, वह आपकी बात का उत्तर पूरा नहीं कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, आप रनिंग कमेंट्री रोकिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे रोक दिया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने काफी मुद्दों को स्पर्श किया है और मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के लिए हम सब लोगों का यह धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

13वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बारे में क्वालालम्पुर के दौरे के संबंध में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य*

24-25 फरवरी 2002

***प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)**

मैंने दिनांक 24 और 25 फरवरी को क्वालालम्पुर में आयोजित गुट–निरपेक्ष आंदोलन के 13वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

शिखर सम्मेलन का विशिष्ट विषय था–"गुट–निरपेक्ष आंदोलन का निरंतर सशक्तिकरण"। इस बात की व्यापक तौर पर आवश्यकता महसूस की गई है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अनुरूप अपनी प्रासंगिकता को पुनः उजागर करना होगा। भारत का मानना है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन का महत्व हमेशा से इसलिए रहा है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विवेक और स्वायत्त कार्रवाई के लिए अपना पक्ष रखा है। यदि यह एक द्वि–ध्रुवीय विश्व के लिए आवश्यक था तो यह एक–ध्रुवीय विश्व में और भी अधिक जरूरी हो गया है। यदि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को प्रासंगिक बनना है तो इसे मौजूदा वास्तविकताओं और समकालीन चुनौतियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

शिखर सम्मेलन में दिए गए मेरे वक्तव्य में हमारी सोच और दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। उस वक्तव्य की एक प्रति सभा–पटल पर भी रखी जा रही है।

हमने सुझाव दिया था कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को अपने सदस्य राष्ट्रों के समान चिंता वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए–ऐसे मुद्दों पर जो 116 देशों को आपस में जोड़ें न कि बांटें। गुट–निरपेक्ष आंदोलन को सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए।

हमने अपनी समस्त बातचीत में इस बात पर भी जोर दिया कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को बहुपक्षवाद, आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली में सुधार, उत्तर–दक्षिण के बीच संवाद तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर बल देते हुए एक सकारात्मक और भविष्योन्मुख एजेंडा अपनाना चाहिए। इसे

---

*13वें गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन में दिए गए अपने वक्तव्य के साथ और शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं के साथ सभा–पटल पर रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं एल.टी. 7068/2003]

लोकतंत्र, मानवाधिकार और बहु–संस्कृतिवाद के मूलभूत मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक वास्तविक और व्यावहारिक स्थिति अपनानी होगी। हमें गुट–निरपेक्ष आंदोलन को एक बहुध्रुवीय विश्व में एक प्रमुख ध्रुव के रूप में स्थापित करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन मुद्दों में एक था जिन पर शिखर सम्मेलन में काफी गरमा–गरम बहस हुई। गुट–निरपेक्ष आंदोलन में कुछ ऐसे देश शामिल हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद फैलाने का आरोप है तथा कुछ ऐसे देश भी हैं जो इससे पीड़ित हैं। इसलिए, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय बहस के केन्द्र–बिन्दु को, आतंकवाद की परिभाषा, आजादी के लिए संघर्ष से तुलना तथा इसके मूल कारणों की प्रासंगिकता जैसे ध्यान बंटाने वाले मुद्दों को उठाकर धूमिल करने के प्रयास किए गए। आतंकवाद से पीड़ित देश होने के कारण हमने इस बात पर बल दिया कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को दोहरे मापदंडों से बचते हुए एक स्पष्ट रास्ता अपनाना चाहिए तथा आतंकवाद को तर्कसंगत ठहराकर सफाई नहीं देनी चाहिए। यह एक मुश्किल बहस थी, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस विषय पर अपने दृष्टिकोण को गुट–निरपेक्ष आंदोलन की विज्ञप्ति में उपयुक्त रूप से शामिल कराने में सफल रहे।

शिखर सम्मेलन के अंत में जारी "क्वालालम्पुर घोषणा–पत्र" में हमारे विचारों को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। घोषणा–पत्र में इन सिद्धांतों को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, फूट डालने वाली बहस से बचना चाहिए, गुट–निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य–देशों के आंतरिक विवाद के प्रस्तावों को अस्वीकार करना चाहिए, नए तंत्र बनाने की बजाय मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए और समकालीन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना चाहिए। हम इस तथ्य से कुछ संतोष प्राप्त कर सकते हैं कि हम शिखर सम्मेलन के अंतिम निष्कर्ष में एक प्रमुख और रचनात्मक भूमिका अदा कर पाए।

अंतिम विज्ञप्ति तथा क्वालालम्पुर घोषणा–पत्र के अलावा, शिखर सम्मेलन ने इराक और फिलिस्तीन मुद्दे पर भी वक्तव्य जारी किए। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन में इराक पर एक संतुलित आम–सहमति हुई। आंदोलन इस बात पर एकमत था कि इराक संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बहुपक्षीय प्रयास जारी रखे जाने चाहिए। इराक को भी यह स्पष्ट सलाह दी गई कि वे सुरक्षा परिषद के संकल्पों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करे।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अपने वक्तव्य में जम्मू व कश्मीर के बारे में कुछ बिलकुल अनुचित टिप्पणियां की थीं जो गुट–निरपेक्ष आंदोलन की द्विपक्षीय मुद्दों से हटकर रहने की चिरकालिक और स्वस्थ परंपरा के विपरीत हैं। मैंने उनके अस्वीकार्य वक्तव्य पर व्यंग्य करते हुए उनके अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी व्यवस्था के कथन पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका देश उन आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता है और भड़काता है जो जम्मू व कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की प्रतिदिन हिंसा करते हैं।

पाकिस्तान को शिखर सम्मेलन में अन्य किसी भी देश से अपने मत पर समर्थन हासिल नहीं हुआ। वह इस मुद्दे पर अलग–थलग पड़ गया और उसे जवाब देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस अनुभव से सही सीख लेगा और बहुपक्षीय सम्मेलनों में ऐसे प्रयासों की निरर्थकता को समझेगा जिनसे भारत–पाक संबंधों का माहौल और बिगड़ता है।

मलेशिया में एक गैर–सरकारी संगठन ने मलेशिया सरकार के सहयोग से दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर एक गुट–निरपेक्ष व्यापार मंच का आयोजन किया। मैंने सत्र के दौरान इस मंच को संबोधित किया जिसमें दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और थाईलैण्ड के प्रधान मंत्री भी उपस्थित थे। इस सत्र में, हमने अपने व्यापार और उद्योग जगत द्वारा तैयार एक वेबसाइट, गुट–निरपेक्ष व्यापार पोर्टल की शुरूआत की घोषणा की ताकि गुट–निरपेक्ष देशों के व्यापार और उद्योग जगत के बीच वास्तविक सूचना के आदान–प्रदान के जरिए घनिष्ठ संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए निस्संदेह अन्य गुट–निरपेक्ष देशों से व्यापक भागीदारी की जरूरत होगी।

क्वालालम्पुर में, मेरी कई नेताओं के साथ उपयोगी बैठकें हुईं जिनमें मेजबान देश के प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद; क्यूबा, ईरा, माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, वियतनाम और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, नेपाल और मारीशस के प्रधान मंत्री तथा सूडान के प्रथम उप–राष्ट्रपति शामिल थे। हमने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

इन बैठकों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विश्व के अनेक नेता यह महसूस करते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई और अनिश्चित दहलीज पर खड़े हैं।

विकासशील देशों के लिए भविष्य में अनेक खतरे हैं विशेषकर उन देशों के लिए जो कमजोर और असुरक्षित हैं। स्पष्टता के लिए खोज जारी है, लेकिन अभी तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। हमें ऐसी घटनाओं के प्रभाव की सावधानी से निगरानी और मूल्यांकन करना होगा जो उभरकर सामने नहीं आई हैं।

गुट-निपेक्ष आंदोलन के तेरहवें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण

(क्वालालम्पुर, दिनांक 24 फरवरी, 2003)

अध्यक्ष महोदय, 527-42

शाही परिवारों के सदस्य,

महामहिम राष्ट्राध्यक्ष तथा शासनाध्यक्ष,

देवियो और सज्जनो,

जैसा कि मुझसे पहले कई गणमान्य सहयोगी कह चुके हैं, मैं मलेशिया को उसके गुट–निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बधाई देता हूं। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। शायद हम एक ऐसे मोड़ पर भी खड़े हैं जो इस आंदोलन के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम इसके एजेंडा को एक ऐसे वैश्विक माहौल के अनुरूप मजबूत बनाना चाहते हैं जो उस माहौल से एकदम भिन्न है जिसमें इस आंदोलन का उदय हुआ था।

प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद ने ऐसे वक्त में मलेशिया का नेतृत्व संभाला है जब वह अल्प–विकास से प्रगति करके दक्षिण–पूर्व एशिया की एक आर्थिक शक्ति में बदल गया है। हम आशा करते हैं कि वे अपने ऐसे ही कुशल नेतृत्व से गुट–निरपेक्ष आंदोलन की भी काया–पलट कर देंगे।

मैं दक्षिण अफ्रीका को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए निरंतर बदलावों के दौर में इस आंदोलन की अध्यक्षता का इतनी श्रेष्ठता के साथ निर्वहन किया। राष्ट्रपति अम्बेकी ने विकसित और विकासशील देशों के हितों के बीच एक नया संतुलन बनाने के लिए इस आंदोलन का मार्गदर्शन करने में अपनी काफी शक्ति लगा दी है।

अध्यक्ष महोदय,

पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए जबरदस्त बदलावों से गुट–निरपेक्ष आंदोलन के सम्मुख एक चुनौती खड़ी हो गई कि वह किस प्रकार नई समकालीन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपने आपको ढाले। गुट–निरपेक्ष आंदोलन को जहां एक ओर स्वतंत्र विवेक तथा कार्य की स्वायत्तता–जो इसकी निर्धारित विशेषताएं हैं–को संजोकर रखना है, वहीं दूसरी ओर, इसे आज की वास्तविकताओं पर बारीकी और गहराई से दृष्टि भी डालनी होगी।

भारत ने गुट–निरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के मुद्दे पर इसकी विभिन्न चर्चाओं में भाग लिया है। हमारा मानना है कि इस प्रक्रिया के लिए कुछ सिद्धांत मूलभूत हैं :

- **एक,** गुट–निरपेक्ष आंदोलन में हम सभी के साझे हितों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर एक स्पष्ट आम सहमति होनी चाहिए। बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली में सुधार इस एजेंडा के राजनीतिक घटकों में शामिल होंगे। विकास संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण, उत्तर–दक्षिण के बीच रचनात्मक संवाद और दक्षिण–दक्षिण सहयोग इसके प्रमुख आर्थिक पहलू होंगे।

- **दो,** गुट–निरपेक्ष आंदोलन को ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो हमें जोड़ते हों न कि विभाजित करते हों। एक सौ सोलह सदस्य देशों के इस आंदोलन में हमारे बीच कुछ मतभेदों अथवा विवादों का होना स्वाभाविक है। किन्तु यदि हम इन्हीं मुद्दों पर अपने आपको उलझाए रखेंगे तो हमारा न केवल बहुमूल्य समय और ऊर्जा ही नष्ट होगी बल्कि हमारा ध्यान भी लक्ष्य से हट जाएगा। इस सिद्धांत को 'ओ. आई.सी' तथा 'आसियान' जैसे सफल संगठनों के चार्टरों और प्रक्रियाओं में स्वीकार कर लिया गया है। गुट–निरपेक्ष आंदोलन के दृष्टिकोण तथा इसके एजेंडा को व्यापक बनाना होगा।

- **तीन,** अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखते समय हमारी शैली में वास्तविकता तथा व्यावहारिकता का पुट होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम गुट–निरपेक्ष आंदोलन को बहु–ध्रुवीय स्वरूप में एक प्रमुख ध्रुव के रूप में जगह दिलाएं।

- **चार,** हमें आपस में सहयोग करना चाहिए क्योंकि अपने राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सहयोग एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग को राजनीतिक मंच से आगे बढ़कर आर्थिक बाजार तक पहुंचना होगा।

- **पांच,** गुट–निरपेक्ष आंदोलन को लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों, मानव अधिकारों तथा बहु–संस्कृतिवाद पर एक प्रगतिशील एजेंडा तैयार करना चाहिए। हमारे सभी सदस्य देशों में लोकतंत्र की सुरक्षा करना और इसे सुदृढ़ करना एक प्रमुख चुनौती है।

अध्यक्ष महोदय,

विश्व में उभरा आतंकवाद का खतरा गुट–निरपेक्ष आंदोलन के लिए इसके मुख्य सिद्धांतों के प्रति इसकी वचनबद्धता की एक तात्कालिक परीक्षा है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसमें न तो कोई दोहरे मानदंड अपनाए जाने चाहिए, न ही आतंकवाद और आजादी के लिए संघर्ष के बीच कोई भ्रम पैदा किया जाना चाहिए तथा न ही आतंकवाद की इसके 'मूल कारणों' का पता लगाने के बहाने अनदेखी की जानी चाहिए। आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किसी भी राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक अथवा जातीय आधार पर निर्दोष लोगों का खून बहाया जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

हमें अन्ततः अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर विस्तृत प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अंतिम रूप देना चाहिए। यह सभी के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आतंकवाद के एक के बाद एक नृशंस कृत्यों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं, किन्तु हम अभी तक किसी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि हम आतंकवाद की एक सर्वस्वीकार्य परिभाषा नहीं ढूंढ़ सके हैं।

अध्यक्ष महोदय,

विश्व का ध्यान इस शिखर सम्मेलन की तरह इराक पर केन्द्रित है। अन्य सभी दूसरे गुट–निरपेक्ष देशों की तरह भारत भी इस समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहता है। हम भी इस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुपक्षीय प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

परन्तु हमारे व्यवहार में वास्तविकता होनी चाहिए–न कि केवल शब्दाडम्बर। व्यापक विनाश वाले हथियारों को समाप्त करने की जरूरत है। यह आवश्यक है कि इराक उन शर्तों का पूरी तरह पालन करे जिन्हें उसने स्वीकार किया है, जिसमें निरस्त्रीकरण शामिल है तथा वह सुरक्षा परिषद के संकल्प 1441 को कार्यान्तिव करने में पूरा सहयोग करे। गुट–निरपेक्ष आंदोलन के एक सहयोगी सदस्य होने के नाते इराक को हमारी यही सच्ची सलाह है। हम यह भी आशा करते हैं कि यदि इराक इनका पूरी तरह अनुपालन करता है तो उसके खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जाना चाहिए।

हमें इराक की जनता की कठिनाइयों के मानवीय पहलू को भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। सैनिक कार्रवाई के तात्कालिक दुष्परिणामों के अलावा, पहले से ही अस्थिर इस क्षेत्र में स्थायित्व तथा सुरक्षा पर भी इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय,

गुट–निरपेक्ष आंदोलन नई सदी में एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। हमे आत्म–मंथन करने, अपनी उपलब्धियों तथा असफलताओं का मूल्यांकन करने तथा अपने आंदोलन को पुनः सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भारत इस प्रयास में अपना योगदान देने के लिए तैयार है।

धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय,

मेरा इस मंच पर ऐसे मुद्दों का उल्लेख करने का कदापि इरादा नहीं था, परन्तु भारत के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों का जवाब देने के लिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अभी कुछ ही समय पहले मेरे देश का उल्लेख किया है। वे अपने अजीब और बेतुके तर्क से भारत के अभिन्न भाग पर पाकिस्तान की कुदृष्टि को छिपाना चाह रहे हैं। वे मूल कारणों की बात कहकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को उचित ठहरा रहे हैं।

क्या वे अपने देश में साम्प्रदायिक आतंकवाद के मूल कारणों की तह में जाते हैं? अथवा क्या वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हैं? वे "कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों" की बात करते हैं। कश्मीर के इन्हीं लोगों ने हाल ही में हुए चुनावों में अपना मतदान दिया जिसे पूरी दुनिया ने स्वतंत्र तथा निष्पक्ष माना है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा समर्थित तथा प्रेरित आतंकवादियों की गोलियों की परवाह नहीं की।

ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने चुनावों में खड़े उम्मीदवारों

तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी तथा महिलाओं और बच्चों को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उन्होंने उनको भोजन तथा आश्रय देने से इंकार कर दिया था। ये आतंकवादी प्रतिदिन मासूम नागरिकों को हिंसा का शिकार बना रहे हैं। फिर भी, जनरल मुशर्रफ एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय व्यवस्था की बात करते हैं।

सरकारों अथवा राष्ट्रों के अध्यक्षों का गुटनिरपेक्ष अभियान पर XIIIवां सम्मेलन कुआलालम्पुर, 20-25 फरवरी, 2003

नाम XIII/शिखर सम्मेलन/प्रारूप
के.एल. घोषणा (रेव. 1)
25 फरवरी, 2003

गुट-निरपेक्ष अभियान को पुनः सक्रिय करने को जारी रखने पर कुआलालम्पुर घोषणा

XIIIवें शिखर सम्मेलन के लिए 24–25 फरवरी, 2003 के बीच कुआलालम्पुर मलेशिया में एकत्रित होकर हमने अर्थात गुटनिरपेक्ष अभियान के राष्ट्रों और सरकारों के अध्यक्षों ने शांतिपूर्ण, समृद्धशाली, व और न्यायपरक व बराबर की विश्वव्यवस्था की स्थापना के अपने समान और सतत लक्ष्य की पूर्ति हेतु 1955 के बांदुंग सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित किए गए के अनुरूप अभियान के आदर्शों, सिद्धांतों और प्रयोजनों के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

इस अभियान ने अपने सदस्यों के हित और उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई वर्षों के दौरान एक सक्रिय भूमिका बल्कि केन्द्र भूमिका निभाई है, जिनमें अन्य मुद्दों के साथ–साथ औपनिवेशीकरण हटाना, रंगभेद, फिलिस्तीन और खाड़ी की स्थिति, निःशस्त्रीकरण, गरीबी उन्मूलन और समाजार्थिक विकास शामिल है। अपनी स्थापना के चालीस वर्ष पूरे होने पर और अनेक चुनौतियों और उतार–चढ़ाव का सामना करने के पश्चात् अब उपयुक्त समय आ गया है कि हम अपने अभियान को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समकालीनता और नई वास्तविकताओं के अनुरूप अपनी भूमिका, स्वरूप और कार्यपद्धति की समेकित समीक्षा करें। शीतयुद्ध की समाप्ति एकलनिष्ठा के उद्भव, एकपक्षता की ओर झुकाव और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों और धमकियों के कारणवश इस अभियान के लिए बहुपक्षीयता का संवर्धन करना और विकासशील देशों के हितों की बेहतर रक्षा करना और उन्हें हाशिए पर हो जाने से बचाना अनिवार्य है।

बढ़े हुए वैश्वीकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी में हुए द्रुत विकास ने विश्व को नाटकीय रूप से परिवर्तित कर दिया है। धनी और शक्तिशाली राष्ट्र आर्थिक और व्यापारिक संबंधों तथा उनको शासित करने वाले नियमों सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और दिशा तय करने में अत्यधिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं जिनमें से अधिकांश की कीमत विकासशील देशों को चुकानी पड़ती है। अतः यह अनिवार्य है कि इस अभियान की प्रतिक्रिया से अपने सदस्यों की सार्थकता और उपयोगिता को बरकरार रखना सुनिश्चित किया जा सके।

वैश्वीकरण ने सभी राष्ट्रों के भविष्य और जीवनक्षमता के समक्ष अनेक चुनौतियों और अवसरों को प्रस्तुत किया है और इस स्थिति में संवर्द्धन भी हो जाता है। अपने मौजूदा स्वरूप में इससे विकासशील देशों को हाशिये पर रखे रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्वीकरण सभी जनसमूहों के लिए सकारात्मक बल हो और अधिकतम देशों को लाभ पहुंचाए न कि मात्र कुछ देशों को। वैश्वीकरण से विकासशील देशों की समृद्धि और सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि वह उनकी सतत दरिद्रता और समृद्ध व विकसित विश्व पर निर्भरता का कारण बने।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आंदोलन से विश्व में द्रुत गति से मूलभूत परिवर्तन हो रहा है और इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच गहराई और बढ़ रही है जिसको अवश्य ही पाटा जाना चाहिए यदि विकासशील देशों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया से लाभ उठाना है। इस नए प्रौद्योगिकीय आविष्कार को ऐसा बनाना ही होगा जिससे वह आसानी से विकासशील देशों को उपलब्ध हो सके ताकि वे विकास के अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक व पुनः जीवित करने का प्रयास करें।

इन विकासशील लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और विकसित विश्व में हमारे सहभागियों सहित राष्ट्रों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं और शपथों को पूरा करना अपेक्षित है।

भविष्य यथापूर्व चुनौतियां और अवसर प्रदान करेगा और इस अभियान को सुदृढ़, सार्थक और लचीला बने रहना पडेगा। इस अभियान की संगतता मुख्यता इसके सदस्यों की एकता और अखण्डता तथा इन परिवर्तनों के अनुकूल बनने की क्षमता पर निर्भर करेगी। इस संबंध में पिछले शिखर सम्मेलन बैठकों में आरम्भ अभियान की पुनरुजीवन की प्रक्रिया को अवश्य ही गति प्रदान की जानी चाहिए।

अपनी कथनी को करनी के अनुरूप करने की हमारी आकांक्षा और गुट–निरपेक्ष देशों के आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करके हम हर संभव प्रयत्न करने का संकल्प करते हैं कि :

- हमारे समान हितों तथा साझे संघर्ष के इतिहास पर आधारित अपनी एकता का संवर्द्धन करें और अपने प्रयत्नों से यह सुनिश्चित करें कि ये हित सतत रूप से संवर्द्धित होते रहें और हमारी हित–चिंताओं पर पूरा ध्यान दिया जाए।

- राज्यों के बीच वार्ता तथा कूटनीति के माध्यम से विश्व शांति के संरक्षण और संवर्द्धन में आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का समर्थन और पालन हो और विवादों के समाधान के लिए बल के प्रयोग से परिहार हो।

- आन्दोलन और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के हितों की रक्षा में बहुपक्षीय प्रक्रिया को एक अनिवार्य माध्यम के रूप में संवर्द्धित तथा सुदृढ़ करना।

- अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय निर्मित करने में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण का संवर्द्धन।

- अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों, विशेषरूप से जो आन्दोलन के सदस्यों को प्रभावित करती हैं के प्रति क्रियाशील होने की अपेक्षा पहले से क्रियाशील होना, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आन्दोलन को अनदेखा नहीं किया गया है अपितु यह अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं की अग्र पंक्ति में है।

- अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्थान शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

- हमारे संबंधों के सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ाना।

- सक्रिय विनियोजन लाभों की व्यापक सहभागिता तथा पारस्परिकता पर आधारित विकसित और औद्योगिक देशों के साथ अधिक गतिशील एवं सहयोगी संबंध विकसित करना।

- हमारी सिविल सोसायटी, निजी क्षेत्र तथा सांसदों के संगठनों के निकट कार्यकलाप और सहयोग यह स्वीकार करते हुए संवर्द्धित करना कि ये हमारे समान उद्देश्यों को पूरा करने में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

- इन लक्ष्यों को अनुपालन में, आन्दोलन के सदस्य राज्य निम्नलिखित ठोस उपायों का क्रियान्वयन करेंगे।

- ऐसे मसलों पर ध्यान देकर जो हमें अलग करने की बजाय एक करते हैं, सदस्य राज्यों के बीच सभी को समन्वित करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आंदोलन की स्थिति का भली प्रकार पुनरीक्षण तथा विश्लेषण करके आन्दोलन की एकता और संबद्धता को बढ़ाना।

- आन्दोलन की भूमिका का पुनरीक्षण और उसे पुनभाषित करना और उसे अधिक प्रभावी तथा दुरुस्त बनाने के लिए अधिक केन्द्रभूत तथा संक्षिप्त प्रलेखन की आवश्यकता सहित इसके आकार और प्रणाली का सुधार।

- आन्दोलन और उसके सदस्यों को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों को सामायिक आधार पर प्रत्युत्तर देने की दृष्टि से यदि आवश्यक हो न्यूयार्क स्थित समन्वयक ब्यूरो और साथ ही साथ जिनेवा, वियना, नौरोबी और अन्य केन्द्रों में नियमित बैठकों के द्वारा हमारे समन्वय और सहयोग को बढाना।

- सभी विद्यमान तंत्रों और संस्थानों जैसे कि ओइका समन्वयक ब्यूरो तथा सभी विद्यमान कार्य दलों, समूहों, सुरक्षा परिषद के गुट निरपेक्ष सम्मेलन तथा नए स्थापित, जैसा उपयुक्त हो, को पूर्णतया और प्रभावकारी तरीके से इस्तेमाल करना।

- अधिक पारस्परिक सत्रों के द्वारा नियमित नाम विदेश मंत्रियों की बैठकों को अधिक प्रभावकारी तरीके प्रयोग करने के साथ ही साथ आन्दोलन की प्रभावकारिता और लाभ बढ़ाने के लिए अन्य सम्बद्ध मंत्रियों के कार्यकलाप और संलग्नता को बढ़ाना।

- आवश्यक सहायक व्यवस्था के भाग के रूप में उपयुक्त तंत्रों की स्थापना के जरिए आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में, पीठ की भूमिका को सुदृढ़ करना।

- संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की नियमित और अधिक बार–बार बैठकों के जरिए समन्वय और सहयोग सुदृढ़ करने तथा समूह 77 के साथ सामाजिक आर्थिक और विकास से संबंधित मसलों पर साझा रणनीतियां बनाना।

- संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि सभा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित दोहा बैठक, विकास संबंधी वित्त पोषण पर मौद्रिक सम्मेलन तथा विकासशील देशों की तात्कालिक हित–चिंताओं जैसे गरीबी उन्मूलन, ऋण राहत, क्षमता निर्माण और एचआईवी/एड्स का समाधान करने में आदेशों के रूप में स्थायी विकास पर जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

- अभिवृद्ध क्षेत्रीय और अंतर–क्षेत्रीय सहयोग के जरिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग का विस्तार, गहन और समृद्ध करना, ठोस परियोजनाओं और कार्यक्रमों का निष्पादन करना, संसाधनों का एकीकरण करना तथा दक्षिण के प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं के अंशदानों को काम में लाना।

- राज्यों, सभ्य समाजों और निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए एक भागीदारी पर आधारित आंगुलिक खाई को पाटने संबंधी प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पूर्ण एकता के लिए, संगत सम्मेलन सहित तंत्रों को संवर्धित करना तथा विकसित करना।

- अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए ठोस समर्थन जारी रखना, विशेष रूप से एनइपीएडी तथा अल्पविकसित देशों, स्थलाबद्ध देशों तथा छोटे द्वीप विकासशील देशों के जरिए।

- हमारी विकास भागीदारों के साथ सकारात्मक संवाद और अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा देना, विशेषरूप से जी–8, संस्थानीकृत संपर्कों सहित मौजूदा और उपयुक्त नए तंत्रों के जरिए ताकि उत्तर और दक्षिण के बीच अपेक्षाकृत अधिक समझबूझ उत्पन्न की जा सके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंदोलन के विचार विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से पूर्व पूर्ण रूप से ध्यान में रखे जाएं।

गुट निरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, हमें संयुक्त राष्ट्र को एक आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में सुदृढ़ीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों के संवर्धन, सामाजिक और आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान इसके चार्टर में यथा निर्दिष्ट, एक बहु–ध्रुवीय विश्व के संवर्धन के प्रति प्रत्येक प्रयास करना चाहिए।

बारहवां नाम शिखर सम्मेलन

कुआलालम्पुर

फिलीस्तीन से सम्बद्ध बारहवें गुट-निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का विवरण,

25 फरवरी, 2003

फिलीस्तीन से सम्बद्ध गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की समिति के सदस्यों ने स्थिति का पुनरीक्षण करने और भविष्य की कार्य योजना के लिए मंत्रिस्तरीय बैठक की।

1. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने फिलीस्तीनी समाज का लगातार विनाश करने और 28 सितम्बर, 2000 से इजरायल के कब्जा करने वाले बलों द्वारा फिलीस्तीनी अधिकारियों को तंग किए जाने की निंदा की। उन्होंने नियोजित ढंग से मानवीय अधिकारों के उल्लंघन करने और इजरायल की कब्जा करने वाली सेना द्वारा फिलीस्तीनी लोगों के साथ युद्ध अपराध किए जाने की खबरों की घोर निंदा की। इस संबंध में उन्होंने विशिष्ट रूप से फिलीस्तीनी लोगों को जान से मारने, जिसमें अतिरिक्त न्यायायिक प्राणदंड, बल का अत्यधिक तथा अविवेकपूर्ण प्रयोग, जान की हानि और घायल करना, घरों, आधार संरचनाओं तथा कृषि भूमि की मनमानी बरबादी, हजारों फिलीस्तीनियों को नजरबंद और गिरफ्तार करना तथा व्यक्तियों एवं सामान के संचालन पर कई प्रतिबंध सहित समस्त फिलीस्तीनी जनता पर सामूहिक सजा थोपना शामिल है। फिलीस्तीनी जनता के इस सामाजिक आर्थिक हनन से विकट मानवीय संकट हो गया है।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इजरायल सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं जिसमें ओस्लो करारों को क्षति पहुंचाना और मिशेल की सिफारिशों सहित मौजूदा दुखद स्थिति को समाप्त करने के प्रयत्नों में रोड़े अटकाने पर भी अत्यधिक चिंता जाहिर की। उन्होंने

फिलीस्तीन के शहरों से इजरायल की कब्जा करने वाली फौजों को तत्काल हटाने और सितम्बर, 2000 से पूर्व की व्यवस्था के लिए कहा। इस संबंध में, उन्होंने 1332 (2000), 1397 (2002), 1403 (2002) और 1435 (2002) सहित सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों के पूर्ण क्रियान्वयन के महत्व पर बल दिया।

3. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि फिलीस्तीनी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों के बोध को और शांतिपूर्ण समाधान को प्रमुख खतरा उपनिवेशवाद से है जो सन् 1967 से फिलीस्तीनी अधिकृत जो पूर्वी येरुशलम भी शामिल है, में भूमि पर कब्जा, इमारत स्थापना और इजरायली राष्ट्रिकों को अधिकृत क्षेत्र में स्थानान्तरण के माध्यम से हुआ है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उपनिवेशवाद की स्थापना की यह नीति उसके आवश्यक सभी उपायों सहित तत्काल बंद और प्रतिवर्तित होनी चाहिए।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सभी पक्षकार राज्यों को चतुर्थ जिनेवा अभिसमय और साथ ही साथ अतिरिक्त प्रोतोकोल–I की विधि बाध्यताओं का सभी स्थितियों में दोनों दस्तावेजों को सम्मान देने का सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पूर्वी येरुशलम सहित फिलीस्तीन के अधिकृत क्षेत्र में दो दस्तावेजों के प्रभावकारी प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने प्रवर्तन के सुनिश्चय के लिए अवैध इजरायली स्थापनाओं तथा स्थापित अतिक्रामकों और साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अन्य कार्रवाइयों के विरुद्ध ठोस उपाय तथा कार्रवाई के लिए आह्वान किया। उन्होंने येरुशलम सहित अधिकृत फिलीस्तीनी क्षेत्र में किए गए युद्ध अपराधों को दण्डमुक्त किए बिना विधिक उपचारों के अनुप्रयोग के लिए आह्वान किया और उसकी महत्ता की पुनः पुष्टि की। इस संबंध में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भूमिका पर ध्यान दिया।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने फिलीस्तीनी इजरायल युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने फिलीस्तीनी लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार और उनके देश फिलीस्तीनी में राजधानी पूर्वी येरुशलम सहित संप्रभुता को प्रयोग करने के लिए अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की। इस संबंध में उन्होंने इजरायल और फिलीस्तीनी दोनों देशों को सार्वभौमिक समर्थित दूरदर्शिता से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं में पास–पास रहने का स्वागत किया।

6. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण, अनन्त और व्यापक शांति की उपलब्धि की महत्ता पर बल दिया और इस संबंध में 28 मार्च, 2002 में बेरुत में अरब लीग के शिखर सम्मेलन में पारित अरब शांति प्रयासों का स्वागत किया। राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्वार्टेट के प्रयासों के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया तथा उसकी रूपरेखा का कार्यान्वयन शीघ्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसमें बार–बार विलम्ब हुआ है। इस संबंध में उन्होंने आंदोलन और क्वार्टेट के बीच परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया।

7. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने कब्जे वाली शक्ति इजरायल द्वारा उसके स्वतंत्रता आंदोलन के लगातार अवरोध के कारण राष्ट्रपति यासर अराफात की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने इस संबंध में इजरायली नीतियों और उपायों की निंदा की तथा चुने हुए नेता के रूप में राष्ट्रपति अराफात की ओर फिलीस्तीनी लोगों के संघर्ष के रूप में सहानुभूति व्यक्त की।

8. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से संवर्धित समाधान की अनिवार्यता को रेखांकित किया तथा उस दिशा में प्रयास करने का निश्चय व्यक्त किया। उन्होंने अधिकृत फिलीस्तीनी क्षेत्र में फिलीस्तीनी नागरिकों के लिए संरक्षण प्रदान करनें और संपन्न करारों के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी के लिए भी समर्थन व्यक्त किया। राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अद्वितीय भूमिका पर जोर डाला और फिलीस्तीनी के प्रश्न तथा मध्य पूर्व की स्थिति की दिशा में अपने कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए परिषद का आह्वान किया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि महासभा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इजरायली प्रतिनिधित्व

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए एवं उन्होंने इस बात का सुनिश्चय करने की मांग की इजरायली विश्वास में मध्य जेरुसलेम सहित इजरायल द्वारा 1967 से अधिकृत क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

9. आंदोलन की भूमिका पर जोर देते हुए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने फिलीस्तीन से सम्बद्ध समिति और गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिष्टमंडल के उन सदस्यों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने पिछले वर्ष फिलीस्तीन की यात्रा की और भविष्य में इसी प्रकार की यात्राओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में नाम कोकस के सदस्यों का फिलीस्तीन के प्रश्न के संबंध में परिषद में किए गए प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

10. आंदोलन की अध्यक्षता में राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस वक्तव्य के कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई सहित संयुक्त राष्ट्र पद्धति के भीतर उनके निश्चय और इस संबंध में फिलीस्तीन से सम्बद्ध समिति के सदस्यों सहित न्यूयार्क में अपने–अपने स्थायी प्रतिनिधियों को उस दिशा में निदेश दिया।

तेरहवें गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन,
कुआलालम्पुर
इराक से सम्बन्धित तेरहवें गुट निरपेक्ष आंदोलन
के शिखर सम्मेलन का भाषण
25 फरवरी, 2003

हम, गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष 24 व 25 फरवरी, 2003 तक कुआलालम्पुर में मिलकर इराक के विरुद्ध युद्ध के संभावित खतरे और निरंतर बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट करते हैं।

हम, हमारे देशों और साथ ही विश्व के अन्य भागों के लाखों लोगों, जो हमारी तरह ही युद्ध को नकारते हैं और विश्वास करते हैं कि इराक के विरुद्ध युद्ध सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अस्थिरता का कारण होगा और इससे विश्व के सभी देशों, विशेष रूप से क्षेत्र के देशों के राजनीतिक, आर्थिक और मानवीकरणों पर दूरगामी परिणाम होंगे, की चिन्ताओं से अवगत हैं।

हम, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न करने के मौलिक सिद्धांतों के प्रति वचनबद्धता दोहराते हैं और उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का सम्मान करते हैं।

हम, वर्तमान स्थिति का शांतिपूर्ण हल प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों की वचनबद्धता पुनः दोहराते हैं। हम इराक के विरुद्ध युद्ध टालने के अन्य सभी प्रयासों का स्वागत और समर्थन करते हैं और एक तरफा कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए बहुपक्षीय आधार पर ऐसे सभी प्रयासों का आह्वान करते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद की केन्द्रीय भूमिका का पुनः समर्थन करते हैं।

हम, इराक द्वारा सुरक्षा परिषद संकल्प, 1441 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों के बिना शर्त वापिसी और सहयोग करने के निर्णय का स्वागत करते हैं, ताकि इराक में व्यापक विनाश के हथियारों को शांतिपूर्ण ढंग से नष्ट किया जा सके।

हम, इराक से सुरक्षा संकल्प 1441 और अन्य संबंधित सुरक्षा परिषद संकल्पों को सक्रिय रूप से मानना जारी रखने और इस प्रक्रिया में लगे रहने की अपील करते हैं। हम समझते हैं कि यह इराक के पड़ोसियों सहित सभी प्रभावित पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इराक और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच सभी लम्बित मसलों को व्यापक और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का एक प्रमुख कदम होगा।

हम जोर देते हैं कि इराक में चालू निरस्त्रीकरण प्रयास अपने आप में अंत नहीं होना चाहिए बल्कि सुरक्षा परिषद संकल्प 687 के अनुसार प्रतिबंध हटाने की तरफ एक कदम भी होना चाहिए।

हम समझते हैं कि इराक संकट का शांतिपूर्ण हल यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा परिषद इराक की संप्रभुता और इसकी क्षेत्रीय अखंडता की अलंघनीयता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा और अपने संकल्प, 687 के पैराग्राफ 14 के अनुसार इस्राइल सहित मध्य पूर्व को व्यापक विनाश के शस्त्रों से रहित बनाने में भी सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ इस सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

'कि इस सत्र में समवेत लोग सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 17 फरवरी, 2003 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा कल 4 मार्च, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 4 मार्च, 2003/ 13 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।